राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] ग्यारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का दसवां दिवस [संख्या : 4

बुधवार, 31 मार्च, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : डा. जसवंत सिंह यादव।

विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र

51. **डा. जसवंत सिंह यादव** (मण्डावर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के क्या मानदण्ड हैं ? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में कोई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कहां और नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) राज्य में औद्योगिक क्षेत्र घोषित/स्थापना रीको द्वारा जिन मानदण्डों पर की जाती है, की सूची "परिशिष्ट–अ" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं, क्योंकि वर्तमान में मुण्डावर क्षेत्र में औद्योगिक सम्भाविता दृष्टिगत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त रीको द्वारा मण्डावर क्षेत्र से 16 किलोमीटर की दूरी पर औद्योगिक क्षेत्र खैरथल स्थापित है जिसमें 42 भू-खण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

डा. जसवंत सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुण्डावर क्षेत्र से लगती हुई तीन बीयर की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उनके बारे में मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। उन फैक्ट्रियों से इतनी गन्दी और जहरीली गैस निकलती है कि वहां 100–150 गांवों के अन्दर दमें की बीमारी हो गयी है, लोगों में मानसिक विकलांगता शुरू हो गयी है। यहां तक कि वहां पर बच्चों की शादियां तक होना बन्द हो गयी हैं, लोग अपनी बच्चियों की वहां शादियां नहीं कर रहे हैं वहां के लड़कों से कि अगर वहां शादी करेंगे तो इतनी गन्दगी में कैसे रहा जायेगा। इसके बारे में सरकार कुछ करना चाहती है क्या ?

दूसरा, कुछ फैक्ट्रियां अलवर जिले में ऐसी चल रही हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन है, जो कागजातों में हैं लेकिन सेल्स टैक्स वगैरह बचाने के लिए राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र रीको से, आर. एफ. सी. से सब काम कराकर अपनी मशीनें दिल्ली ले गये। वहां पर चला रहे हैं, वहां पर कार्यरत हैं और अलवर का नाम चला रखा है, खाली उसके नाम से बेचे जा रहे हैं। क्या उद्योग मंत्रीजी इसमें कुछ करने की इच्छा रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भाषण मत दीजिये, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिये।

डा. जसवंत सिंह यादव : स्पेसिफिक बीयर की फैक्ट्री का पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप 15 मिनट तक भूमिका बना रहे हो। प्रश्न दूसरे लोगों का हैं।

डा. जसवंत सिंह यादव : यह भी स्पेसिफिक है। वहां औद्योगिक इकाइयां रजिस्टर्ड हैं, वहां से लोन लिया है, सब कुछ है लेकिन उनकी मशीनें वगैरह सब दिल्ली में चली गयीं।

श्री अध्यक्ष : यह आप क्यों कह रहे हैं ? प्रश्न क्या है आपका ? सप्लीमैंट्री क्या पूछ रहे हैं आप ? आपने तो सब बीमारियों का लम्बा-चौड़ा विस्तार कर दिया है।

डा. जसवंत सिंह यादव : मैं सप्लीमैंट्री पूछ रहा हूं। बीयर की फैक्ट्री जो अलवर जिले में चल रही है उससे कम से कम 100 गांव अफैक्टेड हैं जहां दमे की बीमारियां हैं। सरकार उसमें कुछ सुधार करने जा रही है क्या ?

श्री अध्यक्ष : प्रदूषण के सम्बन्ध में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सर, इसके लिए सैपरेट नोटिस की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : आपको करण्ट लग गया क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, साहब, करण्ट आया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तो आप उनको भी करंट लगाइये जो प्रदूषण के मामले में प्लांट नहीं लगाते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सर, वह था इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है। यह औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के बारे में मानदण्ड मुण्डावर के अपने क्षेत्र के बारे में पूछा था। माननीय सदस्य ने जो सप्लीमैंट्री पूछा है, for that, separate notice is required.

डा. जसवंत सिंह यादव : मेरे मुण्डावर क्षेत्र की सीमा पर बीयर की फैक्ट्री है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां से बिलकुल आधा किलोमीटर पर भी मेरे मुण्डावर क्षेत्र के जो गांव हैं उनके अन्दर जो दूषित वातावरण बना हुआ है, जो बदबू आ रही हैं, जहां दमे की बीमारियां फैली हुई हैं, हजारों बच्चों का और लोगों का जीवन बरबाद हो रहा है, वह किस क्राइटेरिया में आएगा ?

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, यह मानदण्ड के बारे में मुण्डावर ही नहीं कहा गया है। पहला क्वेश्चन है कि राज्य में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के क्या मानदण्ड हैं, मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें। पहला तो कहीं मुण्डावर का रखा नहीं गया है। और अभी जो बीयर फैक्ट्री की बात की है, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में आप कुछ न कुछ बताइये। जिले में 100–150 गांवों का हाल ऐसा बुरा हो रहा है कि वहां पर रहना दूभर हो गया है, रह नहीं सकते। (व्यवधान)

डा. जसवंत सिंह यादव : इन्सानों की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, वहां लोग मर रहे हैं, मानसिक विकलांग हो रहे हैं। बहुत अहम मुद्दा है।

श्री जगत सिंह दायमा : गांव से कितनी दूरी पर ऐसी फैक्ट्री लगनी चाहिए, यह मेरा सवाल है ?

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या उनके पास में बहरोड क्षेत्र की शिमला श्यामपुरा फैक्ट्री के प्रदूषण के बारे में कोई शिकायत पहुंची है या नहीं ? मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के निवासियों का जीना मुश्किल हो गया है। आप अगर बहरोड क्षेत्र के पास से निकल रहे हों तो इतनी जबरदस्त बदबू आती है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई पशु मर गया हो।

डा. जसवन्त सिंह यादव : लोगों में अस्थमा की बीमारियां शुरू हो गयी हैं। बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वे मानसिक विकलांग हो रहे हैं। वहां लोग गांवों को खाली करने पर विचार कर रहे हैं। वहां बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ सकता है।

डा. करण सिंह यादव : वहां पर मक्खियां इस कदर भिनभिनाती हैं कि उन गांवों में आदमी का जाना वाकई में मुश्किल है। मैंने लिखित में प्रदूषण विभाग को और सरकार को पूर्व में दिया था और मेरे से पहले इस बात के नोटिस दिये जा चुके हैं लेकिन इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह प्रश्न मानदण्ड से जुड़ा हुआ है। क्या ये मानदण्ड हैं या नहीं? वहां पर प्रदूषण को रोका जायेगा या नहीं रोका जायेगा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप प्रश्न को देखें, विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र, यह तो हैडलाइन है। भाग एक को देखें, राज्य में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के क्या मानदण्ड हैं ? (व्यवधान) ऐसा है, आप सुनिये तो सही, श्रीमन्। मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें। दूसरा, क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कोई औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने का विचार रखती है ? नीचे क्वालिफाई कर दिया इन्होंने। तो आप यहां पर बीयर की फैक्ट्री में जो प्रदूषण है (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र के लोगों की जिन्दगी और मौत का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर लोगों में दमे और एलर्जी की बीमारियां फैल रही हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आप तो धमकाने की बात कर रहे हैं। आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव : वह औद्योगिक इकाई से ही फैल रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी को उत्तर देने दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो-तीन बीयर फैक्ट्री लगी हुई हैं उनसे वहां बीमारियां फैल रही हैं, इसका इस प्रश्न में कहीं हवाला नहीं है, न इस क्वेश्चन के परव्यू और एम्बीट में है श्रीमन्।

डा. जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह मानवता का सवाल है। रोज आदमी मर रहे हैं, विकलांग हो रहे हैं।

(श्री जसवन्त सिंह यादव)

क्या मंत्री महोदय से इसके बारे में कुछ सवाल नहीं कर सकते ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी इसके बारे में कुछ नहीं हैं, मेरे लिए उत्तर देना अभी सम्भव भी नहीं है । आप अलग से प्रश्न पूछ लें, मैं अलग से जवाब दे दूंगा।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : मानदण्ड पर माननीय मंत्रीजी से पूछ लेता हूं । आपने मानदण्ड कायम किये और कोई इण्डस्ट्रियल एरिया आपने डिक्लेयर कर दिया ..

श्री अध्यक्ष : मानदण्डों की सूची है वह सदन की मेज पर रख दी है, वह माननीय सदस्य के पास में है ।

डा. जसवन्त सिंह यादव : हां, वह सूची है, वह सही है । वहां यह तो नहीं है कि आदमी को मरने के लिए दूषित वातावरण बनाया जाए ? वहां यह तो नहीं है कि आदमी में अस्थमा और दुनिया भर की बीमारियां फैल रही हैं और उद्योग मंत्रीजी उसमें कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : हां, वह है । वह प्रदूषण से सम्बन्धित नहीं है। (व्यवधान) मानदण्डों के आधार पर आपने इण्डस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया, पूरे राजस्थान में बहुत से क्षेत्रों में इण्डस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया, सैक्शन फोर के नोटिस जारी कर दिये । आपके मानदण्डों पर वह खरा था । आज सैक्शन फोर के नोटिस जारी होने के बाद न तो वह किसान जमीन बेच सकता है । सैक्शन सिक्स का नोटिस भी नहीं दें और 9 का नोटिस भी, अवार्ड डिक्लेयर नहीं हुआ तो अगर आपके मानदण्ड पर खरा था तो आपने 10-10 साल से उस लैण्ड का एक्वीजीशन क्यों नहीं किया? किसानों को पैसा क्यों नहीं दिया ? मैं दूसरा सवाल यह पूछता हूं कि अगर आपके मानदण्ड पर वह खरा नहीं है और अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं मानते तो उसको डि-एक्वायर कर दीजिये । 10–10 साल से किसानों को आपने सैक्शन फोर के नोटिस जारी कर दिये, एक टका आपने दिया नहीं, वह जमीन अपनी बेच नहीं सकता, दूसरे उपयोग के लिए नहीं दे सकता । यही आपके मानदण्ड हैं क्या ? आपने एक्वीजीशन की कार्यवाही चालू कर दी और आपको जमीन की जरूरत नहीं है तो क्या राजस्थान भर में ऐसी जमीन को डि-एक्वायर करने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न लिमिटेड है ।

श्री जगमाल सिंह यादव: मैंने मानदण्ड का पूछा है ।

श्री अध्यक्ष : जिन किसानों को कम्पनसेशन नहीं मिला है और एक्वीजीशन एक्ट के अन्तर्गत उन प्रावधानों की अभी तक उन्होंने अनुपालना नहीं की है तो इसमें प्रश्न आना चाहिए । यह प्रश्न है । आप इसकी चर्चा व्यापक यूं नहीं बना सकते, इस तरह से कई प्रश्न आ जाएंगे ।

श्री जगमाल सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल पूछा है कि मानदण्ड कायम किये, उसको टेबल कर दिया और मानदण्ड कायम करके इन्होंने जो....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो पोल्यूशन की बात कर रहे हैं और आप कम्पनसेशन पर आ गये। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में यह साफ है कि किसी भी औद्योगिक क्षेत्र ...

डा. जसवन्त सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, जो बीयर की फैक्ट्री लगी हैं, वे गांव की गांव में लगी हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, आसन पैरों पर। (व्यवधान) अब जो एक प्रश्न पूछना चाहते है सप्लीमैंट्री, वह आप पूछ लीजिये।

श्री जगमालसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्रीजी ने राजस्थान में किसी भी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कायम करने के लिए क्या मानदण्ड हैं, वह टेबल कर दिया और इसमें उन्होंने बता दिया कि ये ये मानदण्ड हैं। उन मानदण्डों के आधार पर राजस्थान में ऐसे बहुत से इण्डस्ट्रियल एरिया हैं जहां इन्होंने किसानों की भूमि को अधिग्रहण करने की कार्यवाही चालू कर दी। लेकिन सैक्शन (4) का नोटिस जारी करने के बाद और सैक्शन (6) का नोटिस जारी करने के बाद, 10 साल से राजस्थान में कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : आप इसको इतना व्यापक बता रहे हैं कि जहां पर उद्योग लगे हुए... हैं सैक्शन (4), सैक्शन (9) और सैक्शन (16) में है, आप वह पूछ लेते ना।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, मैं केवल इतना ही पूछना चाहता हूं कि उन नियमों में अगर वह औद्योगिक क्षेत्र है तो आप अधिग्रहण कर लीजिये, नहीं तो डि-एक्वायर कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आज मंत्रीजी के पास में इसका उत्तर कहां होगा कि कम्पनसेशन मिला है या नहीं मिला है या कौनसे सैक्शन में है ?

श्री जगत सिंह दायमा: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है।

डा. जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी के मानदण्डों में लिखा है प्रदूषित जल उद्योग अवशिष्ट का निस्तारण, जो बीयर फैक्ट्री मुण्डावर की सीमा पर लगी हुई है उसका दूषित पानी गांव में जाता है और उससे अस्थमा और दुनिया भर की बीमारियों से जहां हजारों लोगों के जीने-मरने का सवाल हो रहा है। लोग वहां एक घंटा भी बैठ नहीं सकते, अपने घरों को खाली करने की तैयारी हो रही है। ऐसे हालात में उद्योग मंत्रीजी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ...

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने उत्तर दिया है उससे पहले जो प्रश्न है, उसका थोड़ा-सा मुलाहिजा फरमा लें। उसमें पूछा गया है कि राज्य में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के क्या मानदण्ड हैं, मानदण्ड की प्रति सदन को टेबल करें। आपने टेबल कर दी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि मानदण्डों पर जो एरिया खरा है, या तो आप उस जमीन को एक्वीजीशन की कार्यवाही चालू करके एक्वायर कर लें या किसानों को डि-एक्वायर कर दें। आज 10–10 साल से कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

डा.जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला प्रश्न हैं, बीयर फैक्ट्री से जो लाखों लोगों का जीवन बरबाद होने जा रहा है और जो मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित लोगों की जान और माल का सवाल है, उसके बारे में आपके माध्यम से जवाब चाहता हूं कि कार्यवाही हो रही है या नहीं।

श्री जगत सिंह दायमा: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : Please, take your seat. अब आप ठहरिये पहले। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : सर, एक प्रश्न है। मेरा यह प्रश्न है कि ..

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आप बाद में। यह प्रश्नकाल हैं और प्रश्नकाल के अन्दर सप्लीमैंट्री ..

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है, आधी लाइन का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप फिर खड़े हो रहे हैं। आसन पैरों पर।

श्री जगत सिंह दायमा : साहब, आप बोलने ही नहीं दो तो फिर आसन पैरों पर रखो, साहब।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, उसके बाद में। बात यह है कि ये रिप्लाई दे रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, आप बोलने तो दो, सर, हमको।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, बोलने के लिए तो आप रिलेवेन्ट सप्लीमैंट्री पूछिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने एक सप्लीमैंट्री सवाल पूछा है।

श्री अध्यक्ष : वे अभी जवाब दे रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने लैंड एक्वीजीशन के बारे में पूछा है कि सरकार

श्री जगमाल सिंह यादव : मानदण्डों के आधार पर ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा आप निवेदन सुन लीजिये। अध्यक्ष महोदय, कहां-कहां धारा (4) में लैंड एक्वीजीशन के नोटिस निकले हैं, यह इस प्रश्न से रिलेवेन्ट नहीं है, नम्बर एक।

एक पालिसी सम्बन्धी प्रश्न इन्होंने पूछा हैं। मूल में प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, मुण्डावर क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के बारे में था। मेरा आप निवेदन सुन लीजिये। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरा प्रश्न ही इस आधार पर तैयार किया है, अब यहां पर ..

श्री जगमाल सिंह यादव : नम्बर दो भी पढ़ दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब यहां पर पोल्यूशन की बात आ गई। अगर कोई उद्योग लगता है और बहुत सारे उद्योग उस श्रेणी में आते हैं, उनको पोल्यूशन कट्रोल बोर्ड से क्लीयरेंस लेनी पड़ती है, पोल्यूशन का महकमा अलग है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बनाये गये नियमों का कोई उद्योग

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ पोल्यूशन् कंट्रोल बोर्ड एक्शन लेने के लिए सक्षम है । खास तौर से मण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि उनके क्षेत्र की सीमा के ऊपर लगी हुई फैक्ट्रियां उल्लंघन कर रही है, तो इस प्रश्न के बारे में वे पोल्यूशन विभाग से पूछते तो बेहतर होता, नम्बर एक ।

नम्बर दो, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा कि जमीन के एक्वीजीशन के बारे में धारा (4) के एक्वीजीशन के नोटिस निकाल दिये जाते है और उसके बाद वर्षों फैसला नहीं होता है । अध्यक्ष महोदय, यह एक नीतिगत प्रश्न है। इसके बारे में मैंने स्वयं ने, जब मुझको यह विभाग मिला तो मैंने उनसे इसके बारे में जानकारी ली और कहा कि इसके बारे में जो कुछ फैसला आपको करना है, आप जल्दी फैसला करिये । यह तो जनरल बात मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बतला सकता हूं, सदन को बतला सकता हूं लेकिन किसी स्पेसिफिक मामले के अन्दर जब तक कि नोटिस नहीं दिया जाएगा, मेरे लिए सम्भव नहीं है, किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में यहां पर कोई आपको स्पेसिफिक उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं । लेकिन मैंने स्वयं ने अपने स्तर पर इस प्रकार के निर्देश पूर्व में ही जारी किये हैं और उसके बारे में सूचना इकट्ठी हो रही है, श्रीमन् ।

डा.जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां हजारों लोगों की जिन्दगी और मौत का सवाल है, मानवता के आधार पर तो इसके बारे में सोचा जा सकता है । वहां हर गांव के अन्दर अस्थमा, कैंसर और....

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जरूरत हो तो जमीन ले लें, नहीं हो तो उसको डि-एक्वायर कर दें । मैं सरकार की खिलाफत नहीं कर रहा हूं लेकिन (व्यवधान) और किसानों को अटकाओ मत, फंसा कर मत पटको । वहां जरूरत है तो जमीन ले लें....

डा. जसवन्त सिंह यादव : मानसिक विकलांगता, दुनियां भर की बीमारियां फैल रही हैं । वहां हजारों गांव बरबाद होने के कगार पर खड़े हुए हैं ।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपका कहना माना है, मैं बैठ गया । मुझे एक प्रश्न तो कर लेने दो, अध्यक्ष महोदय । यह औद्योगिक क्षेत्र की बात कही है, उसके बारे में मेरा स्पेशल प्रश्न हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि उद्योग के मापदण्ड तो आप करते ही है । और उसमें बीयर भी आती है । या तो आप यह कह दो कि मैं तैयारी करके नहीं आया, इसको आगे कर देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : क्या आती है ?

श्री जगत सिंह दायमा : इसमें जो बीयर .

श्री अध्यक्ष : नही, नहीं, क्या आती है इसमें क्लियर कट क्या है, बताइये ?

डा. जसवन्त सिंह यादव : नहीं, इसमें हजारों आदमी मर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, बात उसकी हो रही है । हजारों आदमियों

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

की जिन्दगी बरबाद हो रही है, उसके बारे में तो कुछ ठोस जवाब आना चाहिए ना।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, जो बीयर की फैक्ट्री है, स्प्रिट की फैक्ट्री है, वह गांव से कम से कम एक किलोमीटर, डेढ़ किलोमीटर दूर लगाई जानी चाहिए। वह गांव की गांव में लगाई जा रही है, लगी हुई है तो उनके बारे में आप कहते हैं कि यह इरिलेवेंट प्रश्न है। हमारे लिए तो इससे बड़ा कोई रेलेवेंट प्रश्न ही नहीं हैं जहां 150 गांवों में मरने जीने का सवाल है। मैं एक बात उद्योग मंत्रीजी से कहता हूं, सिर्फ पांच मिनट के लिए, आपको जो गांव कह रहा हूं उसमें सिर्फ पांच मिनट के लिए खड़े हो जाएं और उसके बाद जो निर्णय चाहें आप दे दें। मैं कहना चाहता हूं नालोता, मैं कहना चाहता हूं गूंती, टांका, छाजा, शेरपुर, दोकलपुर, कल्याणपुर, मैं कहना चाहता हूं, मोहम्मदपुर, पहाड़ी....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आप क्या कह रहे हैं ? यह तो वे बता रहे हैं, गांव में तो प्रश्नकर्ता ने बता दिये। प्रश्नकर्ता ने ये पूछ लिये हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : तो मापदण्ड की बात ले लें।

डा.जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह मानवता की बात है। वहां हकीकत में हजारों लोग मरने की स्थिति में आ रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : बताइये ना कि वह कितनी दूरी पर होने चाहिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव : वहां प्रदूषण विभाग क्या करेगा, वह तो पूरा औद्योगिक क्षेत्र ही खराब हो रहा है। वहां लोगों की जिन्दगी और मौत का सवाल हो रहा है। वहां आदमी रुक नहीं सकता, बैठ नहीं सकता।

श्री जगत सिंह दायमा : मेरा स्पेशल सवाल है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कारण तो हो। कारण तो पोल्यूशन ही है।

डा.जसवन्त सिंह यादव :....अगर वहां प्रदूषण है तो गलत है। उसकी जो गैस निकलती है

श्री जगत सिंह दायमा : ये गांव शिमला, चांदपुरा,कारोड़ा, गूंती, बीयर की फैक्ट्रियों से कितनी दूरी पर हैं ? यह बता दें कि ये गांव कितनी दूरी पर हैं ?

श्री अध्यक्ष : असंगत प्रश्न है। मैं सदन का ध्यान प्रक्रिया के नियम 31 की तरह आकर्षित करना चाहता हूं कि एक प्रश्न पूछने और उसके उत्तर में साधारणतया पांच मिनट से अधिक नहीं लगने चाहिए और यह प्रयास किया जाना चाहिए कि प्रत्येक दिन कम से कम 12 प्रश्नों पर विचार किया जा सके। पहला प्रश्न है और 20 मिनट हो गये है। नैक्स्ट। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी यह तो कह सकते हैं कि वहां कार्यवाही हो रही है। वहां हजारों लोगों की जिन्दगी और मौत का सवाल हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : इसका जवाब दिला दो।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था सिर्फ एक इसी प्रश्न के लिए है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आज का नहीं है। नहीं, नहीं, आज का नहीं है, मैं तो सदन को सूचित कर रहा हूं कि...

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, हर रोज प्रत्येक प्रश्न के लिए आपकी यह रूलिंग हो कि किसी भी प्रश्न पर पांच मिनट से अधिक समय नहीं लिया जाएगा तो हमको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : तो वह तो आपको देखना चाहिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्रीजी का कोई ठोस जवाब नहीं आया तो इस प्रश्न को पूछने से क्या लाभ हुआ ? उस पर चर्चा करने से सदन को क्या लाभ हुआ, इसके ऊपर कार्यवाही करने की बात नहीं हुई तो ? यह तो प्रक्रिया की बात हुई है, अध्यक्ष महोदय।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, सोनिया गांधी की रैली की वजह से माननीय मंत्रीजी अगर तैयारी करके नहीं आये तो बात अलग है, बाकी आज तक तो एक प्रश्न पर पांच मिनट से ज्यादा समय लगता है। अगर माननीय मंत्रीजी....

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, गांव के लोगों का जीना हराम हो गया है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री बंशीलाल गहलोत।

श्री जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां हजारों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है, वहां मंत्रीजी की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कुछ तो जवाब मिलना चाहिए कि वहां कुछ कार्यवाही हो रही है कि नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल गहलोत।

श्री जगत सिंह दायमा : बहुत अच्छा।

नौचौ की पाल (राजसमन्द) का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

52. **श्री बंशीलाल गहलोत** (राजसमन्द) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजसमन्द की ऐतिहासिक झील पर बनी नौचौ की पाल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है। यदि हां, तो क्या एवं कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती बीना काक) : (1) वर्तमान में राजसमन्द झील पर बनी नौचौ की पाल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) जी, नहीं। उक्त झील को विकसित करने की वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री बंशीलाल गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इतनी सुन्दर झील है, ऐतिहासिक जगह है जिसकी कला बहुत ही सुन्दर है पर्यटन की दृष्टि से बहुत बढ़िया स्थान हो सकता है, अगर आप इसको पर्यटन में ले लें तो वहां पर्यटकों में काफी बढ़ोतरी होगी और वहां की स्थानीय नगरपालिका को भी फायदा होगा, इनकम होगी। मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप यह ले लें तो बहुत ही अच्छा होगा। ऐतिहासिक जगह है, झील पर पत्थर की गढ़ाई का काम है, बहुत सुन्दर है, बहुत ही आकर्षण की जगह है। उसका सर्वे कराकर अगर उसको लिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : यह पूछ लिया आपने सप्लीमैंट्री ?

श्रीमती बीना काक : सर, सवाल तो नहीं पूछा, यह तो सुझाव है उनका।

श्री अध्यक्ष : हां, सुझाव है।

श्रीमती बीना काक : सप्लीमैंट्री सवाल तो पूछा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप उनके सुझाव पर गौर करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : झील भी सुन्दर है, मंत्री भी सुन्दर हैं, आप ले लीजिये न। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : इसको सप्लीमैंट्री मान लें आप सुझाव को। और क्या आपने ऐसा कोई सर्वेक्षण वहां करवाया है कि उसके आधार पर इसको पर्यटन में लिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

आरक्षण नीति का क्रियान्वयन

53. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो यह आरक्षण नीति कब से लागू हुई तथा किस-किस वर्ग को कितना-कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आरक्षण नीति लागू होने से अब तक अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पदों तथा पदोन्नति सहित आरक्षण सम्बन्धी पिछड़े कोटे की अनेकों रिक्तियां हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त सभी अनुसूचित जाति/जनजाति पिछड़े वर्ग की रिक्तियां को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

कार्मिक मंत्री (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग को....

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में जवाब देने से पहले एक मैं आपका जो सैक्रेटेरिएट है, दो मिनट, मंत्रीजी....

श्री बुलाकीदास कल्ला : नौकरियों में दिये गये आरक्षण की स्थिति....

डा किरोड़ी लाल : मंत्रीजी, दो मिनट। यहां जो सैक्रेटेरिएट है आपका, विधान सभा का, उसके लेवल पर प्रश्न को काट दिया गया है। प्रश्न में मैंने तीन पार्ट दिये थे, एक और तीन का जवाब दिया और दो बिलकुल उड़ा दिया। मैंने दो नम्बर पर पूछा था, आरक्षण नीति लागू होने से अब तक सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले आप जवाब तो सुन लीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : जब प्रश्न ही काट दिया, मैं अध्यक्षजी की व्यवस्था तो ले लूं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे पास तो प्रश्न जो आएगा उसी का तो जवाब दूंगा मैं। आप सप्लीमैंट्री में कर लेना।

डा. किरोड़ी लाल : जब प्रश्न ही काट दिया तो मैं व्यवस्था तो ले लूं। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ही काट दिया यहां से सैक्रेटेरिएट से तो इसका जवाब....

श्री शांतिलाल धारीवाल (आवासन मंत्री) : जवाब तो सुन लें।

डा. किरोड़ी लाल : पर जवाब काहे का लें ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह तो उसकी ग्राह्यता नहीं होगी।

डा. किरोड़ी लाल : क्वेश्चन ही कट गया, क्वेश्चन ही नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : फिर आप कह देंगे कि इर्रिलेवेंट क्वेश्चन है, हम करें क्या फिर ? वही बात बार-बार खड़े होते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, कोई इसके ऊपर चर्चा होती नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, यह जो सूचना आपने मांगी थी इतनी विस्तृत थी कि इसमें प्रश्न का उत्तर आने में बहुत लम्बा समय लग जाता। इसलिए प्रश्न का जो पार्ट इतना विस्तृत है और उसको उसमें नहीं आना चाहिए, यह सचिवालय विधान सभा का और मेरी अनुमति ली जाती है इसमें, इसलिए प्रश्न, कोई मिनिस्टर ने तो उसका पार्ट हटाया नहीं है।

डा किरोड़ी लाल : नहीं, मैं आपकी विधान सभा की बता रहा हूं, विधान सभा सचिवालय की बात बता रहा हूं। एस. सी. एस. टी., ओ. बी. सी. का मामला है और यहां पर कट गया (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, जब कोई सवाल छोटा किया जाता है या उसमें परिवर्तन किया जाता है तो संबंधित सदस्य को सूचना दी जाती है .. (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय से जुड़ा सवाल है, आप पूरे प्रश्न को कैंसिल तो कर सकते हैं, आप प्रश्न को निरस्त कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं लेकिन आप काट-छांट नहीं कर सकते।

श्री हीरासिंह चौहान : इस प्रकार से सवाल को छोटा करने के लिए, मतलब मनमाने तरीके से सचिवालय... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग को नौकरियों में दिये गये आरक्षण की स्थिति (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : इसका लाभ ही नहीं मिलेगा हमें क्वेश्चन का।.... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप प्रश्न को स्थगित कर सकते हैं, यह तो आपको अधिकार है। आप प्रश्न को स्थगित कर सकते हैं, यह अधिकार तो आपको है लेकिन हटाने का अधिकार आपको भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : जब सवाल छोटा किया जाता है या उसमें परिवर्तन किया जाता है तो संबंधित सदस्य को सूचना दी जाना बहुत जरूरी है। बिना सम्बन्धित सदस्य की राय लिये.... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

वर्ग-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं है। नहीं है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : परमिसिबिलिटी पर कभी प्रश्न नहीं उठाया जाता। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय कल्ला साहब, आपसे नहीं है। कल्ला साहब, आपसे सम्बन्धित नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : ये तो काट ही नहीं सकते इसको तो....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सेवा का नाम –राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा और चतुर्थ श्रेणी सेवा, आरक्षण का प्रतिशत–12.5, लागू करने की दिनांक 19–5–51, चतुर्थ श्रेणी सेवा—15 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : कल्ला साहब, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : कल्ला साहब, अभी आपको नहीं सुन रहे, मात्र अध्यक्ष महोदय को सुनने के लिए....

श्री बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान पुलिस सेवा, अन्य समस्त सेवाओं में–14 प्रतिशत और 17 प्रतिशत, 7–4–70.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपको अधिकार है कि आप सवाल को देख कर सवाल को छोटा भी कर सकते हैं, सवाल को रिजैक्ट भी कर सकते हैं। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के अन्दर जो इस प्रश्न की आत्मा थी वह आत्मा ही काट ली गई। अध्यक्ष महोदय, अच्छा हो आप सचिवालय को निर्देश दे दें कि अगर कभी भी कोई सवाल इस तरह का आए तो कम से कम सम्बन्धित सदस्यों को तो अवगत करा दें।

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे चैम्बर में मिल लेना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसमें हम

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

आपकी व्यवस्था चाहेंगे, आपकी व्यवस्था चाहेंगे इसमें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विधान सभा सचिवालय, अध्यक्ष की किसी व्यवस्था के ऊपर इस सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। कभी भी नहीं हुई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सदन में चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह गलत परम्परा डाल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा ... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपके फैसले पर चर्चा नहीं है, आपके इतने विस्तृत अधिकार हैं कि आप चाहें तो क्वेश्चन को ही निरस्त कर दें। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके मूल रूप को तब्दील शायद नहीं किया जा सकता। आप चाहें तो प्रश्न को निरस्त कर दें, आपके अधिकार इस मामले में विस्तृत हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपके अधिकार इस सदन में सर्वोपरि हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा दी गई व्यवस्था पर हम कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहते (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस मामले में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट के अन्दर भी क्वेश्चन को एडिट करने का पार्लियामैंट सैक्रेटेरिएट को अधिकार होता है। मूल प्रश्न एडिट किया जा सकता है, जो बड़ा प्रश्न होता है, लैंदी प्रश्न होता है जिसमें कि समय जाया होता है, एडिटिंग के अन्दर वहां छोटा किया जाता है उन प्रश्नों को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, निवेदन इस बात का है कि इस सवाल के अन्दर इस सवाल का जो मूल पार्ट था, वह मूल पार्ट गायब हो गया तो सवाल का अर्थ कम हो गया। हमारा निवेदन है कि इसको स्थगित फरमा दें। अध्यक्ष महोदय, आपका प्रोटेक्शन चाहिए, इसको स्थगित फरमा दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह लोकसभा की परम्परा है राज्य सभा की परम्परा है, हाउस ऑफ कॉमन्स की परम्परा है और आपके निर्णय को चैलेंज नहीं किया जा सकता सदन के अन्दर।

श्री मदन दिलावर : हमें इस पर आपत्ति नहीं लेकिन उसकी आत्मा निकाल ली जाए उस पर आपत्ति है, माननीय अध्यक्ष महोदय। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग का मामला है इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस क्वेश्चन को स्थगित कर दें। आपसे करबद्ध निवेदन कर रहे हैं क्योंकि वह तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के खिलाफ है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी अनुमति से अध्यक्ष महोदय, मैं (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह पिछड़ों पर ही वार क्यों

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

किया जाता है ? हर मामले में पिछड़ों और एस. सी., एस. टी. के लोगों को ही दबाया जाता है, यह कहां का न्याय है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी अनुमति से मैं इस प्रकार का मूल भाग पढ़ना चाहता हूं जो मूल भाग सचिवालय ने हटाया है। अध्यक्ष महोदय, मूल भाग यह था कि क्या आरक्षण नीति लागू होने से (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : और हर दिन यह क्वेश्चन टाल दिया जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब तक सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, मण्डलों, विश्वविद्यालय, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों में, जिला विकास अभिकरण में, सहकारी संस्थाओं में सामान्य वर्ग के कितने-कितने तथा अन्य वर्ग के कितने-कितने लोगों को नौकरी दी गई। अध्यक्ष महोदय, हम यह जानकारी चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : वह तो ठीक है। बहुत विस्तृत सूचना आपने मांगी थी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हम जानकारी चाहते हैं। यह सरकार थोथी बात करती है। चुनाव के घोषणा पत्र में इन्होंने यह बात की थी, परन्तु इस सवाल का जवाब देने में सरकार कतरा रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, कोई कतराने का प्रश्न नहीं है। सरकार नहीं कतरा रही है।

डा. किरोड़ी लाल : आप इसको स्थगित करवा दें, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ग्राह्यता के सम्बन्ध में इस...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, क्या ये आपकी व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं ? पहले भी भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जितने भी प्रश्न आये थे उनकी एडमिसिबिलिटी पर आपने हमेशा निर्णय दिये हैं, चेयर ने निर्णय दिये हैं। जो प्रश्नतालिका में प्रश्न आया है उसके बारे में उत्तर दिया जा रहा है पूरे राज्य के बारे में, पहले तो कोई प्रश्न का उत्तर देते ही नहीं थे, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : स्पीकर साहब ने खुद कह दिया कि मैंने इसको हटाया है, आप क्यों बोल रहे हो ? आपके स्तर पर हटा ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 38 की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : हैं ?

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक): प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 38 की तरफ मैं आसन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : ऐसे नियम जो हमारे गले काटें, उनको तो मान्यता नहीं देंगे हम।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोई विवाद का सवाल नहीं है, साहब। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष विनिश्चय करेगा कि कोई प्रश्न या उसका कोई भाग इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और वह कोई प्रश्न या उसका कोई भाग अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी राय में प्रश्न पूछने के अधिकार का दुरुपयोग हो। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हरिसिंह जी, हम इसको चैलेंज नहीं कर रहे।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक): या सदन की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए आयोजित हो, इन नियमों का उल्लंघन करता हो। (व्यवधान)

डा.जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये सब कार्यवाहियां पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों पर ही क्यों होती है? (व्यवधान) पिछड़ों के अधिकार के बारे में पूछा जाये तो नियम लागू होते हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : क्या यह सवाल बाधा डालने वाला है? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इसमें बाधा डल रही थी क्या, माननीय अध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह सवाल बाधा डालने वाला है क्या?

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, नियम 37 में साफ बीस कारण गिनाये हैं, पच्चीस कारण गिनाये हैं जिनकी वजह से क्वेश्चन नहीं पूछा जायेगा। उनमें कोई ऐसी सूचना है आपके पास? नियम 37 में है बाकायदा, जो बीस-पच्चीस कारण हैं उनके अधीन अगर चाहें तो आपके अधिकार इतने विस्तृत हैं कि चाहें तो आप पूरे प्रश्न को भी निरस्त कर दें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न इतना विस्तारपूर्वक था कि उसका उत्तर प्राप्त करने में महीने, डेढ़ महीने का समय लगता....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा यह निवेदन है, साहब....

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष का जो विशेषाधिकार है वह इस सदन में डिस्कस ही नहीं किया जा सकता है। यह है प्रश्न। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये पच्चीस कारण गिनाये गये हैं नियम 37 में, इनमें यह क्वेश्चन कहीं भी कवर नहीं होता है।

श्री हीरासिंह चौहान : यह सूचना केवल मात्र, अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के मार्फत ही आ सकती थी, हमको वह जानकारी कैसे मिलेगी?

श्री जगमाल सिंह यादव : अगर इन्होंने कोई भी सूचना मांगी है तो वह ऐसा कारण नहीं है जो इन पच्चीस कारणों में कवर होता हो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड। मेरा जो निवेदन है, यह है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न की ग्राह्यता के सम्बन्ध में अध्यक्ष जो विनिश्चय करेगा

(श्री अध्यक्ष)

उसको इस सदन में कोई भी माननीय सदस्य ...

श्री भंवरलाल शर्मा : चैलेंज नहीं करते हम ।

श्री अध्यक्ष : उस पर आपत्ति, कोई आपत्ति नहीं उठायेगा । (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ताली क्या बजा रहे हो आप, नहीं करेंगे ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप चैलेंज कर रहे हैं....(व्यवधान) इतने सीनियर मेम्बर होकर आप हर बार दखल डालते हैं। आज तक अध्यक्ष की व्यवस्था के सम्बन्ध में हाउस में बहस ही नहीं हुई है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप अध्यक्ष की व्यवस्था को चैलेंज क्यों कर रहे हैं ?

श्री मदन दिलावर : ....(व्यवधान) ... ताली बजा रहे हैं । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के दुश्मन हैं और विरोधी हैं इसलिए ताली बजा रहे हैं । उन लोगों को रोजगार नहीं दिलाना चाहते हैं इसलिए ताली बजा रहे हैं । घोषणा पत्र में जो आपने घोषणा की ...(व्यवधान) ...साबित हो रहा है.... (व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मै आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अध्यक्ष के विशेषाधिकार के सम्बन्ध में जो यह प्रश्न पूछा गया है और आपके अधिकार को जो चुनौती दी गई है वे जितने भी शब्द यहां कार्यवाही में आये हैं उनका निष्कासन कर दिया जाये ।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग जिसके आधार पर कांग्रेस पार्टी जीत कर आयी है, उनके प्रश्न पर पाबंदी लगा रही है (व्यवधान)....

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय समाज कल्याण मंत्री सदन में मौजूद हैं उनका जवाब शिक्षा मंत्रीजी दे रहे हैं । इससे यह साबित होता है कि समाज कल्याण मंत्री इस प्रश्न का अनुमोदन नहीं करना चाहते और....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कार्मिक विभाग देख रहा हूं । आपको मालूम नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : ....(व्यवधान) .. पक्षपात करते हैं इसके अन्दर ।

श्री अध्यक्ष : वे कार्मिक मंत्री हैं इसका उत्तर दे रहे हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकंड, आपने यह जो निर्णय किया उसको हम चैलेंज नहीं करते । सवाल यह है कि जो प्रश्न पूछा गया उसमें जो मूल भाव था वह आपने....

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसमें मूल भाव आ जाता है आपका ।

श्री भंवरलाल शर्मा : कोई बात नहीं, इसमें समय लगने वाली बात थी न तो स्थगित करके ....

श्री अध्यक्ष : नहीं. इसमें भाग-1 और दो हैं इन दोनों में आपके प्रश्न का सब मूल भाव आ जाता है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मूल भाव पढ़कर सुनाऊं, अध्यक्ष महोदय ।

डा. किरोड़ी लाल: हमारे पास आफिस कॉपी है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आपने वह पढ़ दी है, मुझे मालूम है । वह इतना विस्तृत है कि इसका उत्तर दो महीने में ही नहीं आता ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां तो आप एक बार कोशिश करें. इसको स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, स्थगित नहीं ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, नहीं, स्थगित कर दें, साहब, सरकार की तो मांग है नहीं । सरकार की व्यवस्था नहीं है यह । सरकार यह नहीं कहती है ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के नियमों में यह व्यवस्था है कि यदि प्रश्न विस्तृत हो या उसमें कोई शुद्धि की आवश्यकता हो तो यहां सचिवालय से माननीय सदस्य को नोटिस जाता है ।

डा. किरोड़ी लाल : मुझे कोई नोटिस नहीं गया है ।

श्री देवीसिंह भाटी : उस बाबत न तो कोई नोटिस मिला । यदि इस बारे में माननीय सदस्य को सूचित करते कि आप का सवाल विस्तृत है तो वे इसको शार्ट कर सकते थे लेकिन इस प्रकार का कोई नोटिस ही नहीं गया । इसके ऊपर आप निश्चित तौर पर देखें ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नोटिस देने की परम्परा नहीं है और एडमिसिबिलिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता ।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय कल्ला साहब, आपसे सम्बन्धित नहीं है, यह मामला तो टोटली इस सचिवालय से सम्बन्धित है । आपके पास सवाल जाता तो निश्चित रूप से जवाब देते मगर आपके पास तो सवाल ही नहीं पहुंचा है । कोई आपने थोड़े ही काटा है यह तो यहीं से कट कर गया है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कोई...(व्यवधान).. पूछना पड़ता है अगर....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, सरकार ने नहीं कहा है (व्यवधान)....

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, जब भी आरक्षण का सवाल आता है कोई न कोई व्यवधान जरूर पैदा हो जाता है आरक्षण के मामले पर ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : स्थगित कर दीजिये । सरकार ने नहीं कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम जवाब नहीं दे सकते । सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं दिखाई आपको इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको स्थगित कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आप इस सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं और इसलिए आप इसका उत्तर आने दीजिये । जो पोर्शन डिलिट हुआ है....

श्री जगत सिंह दायमा : इस पर आधा घंटे की चर्चा करवा दीजिये, साहब, आप तो।

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न हुआ है आप मेरे चैम्बर में मुझ से बात कर लीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, साहब। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होगा। इसके बिना तो क्वेश्चन चल ही नहीं पाएगा।

श्री अध्यक्ष : आधा घंटे की चर्चा चाहते हैं तो आप उस पर प्रस्ताव लाइये।

एक माननीय सदस्य : सारी बात को हम टालना चाहते हैं। आप अपने ऊपर लेते हो। इसके लिए कांग्रेस पार्टी भागीदार नहीं है परन्तु सवाल का जवाब नहीं देना चाहती।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : आज आप सवाल उठा रहे हैं,आठ साल आप क्या कर रहे थे ? नींद ले रहे थे ?.... (व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला : अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को नौकरियों में दिये गये आरक्षण की स्थिति प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में निम्न प्रकार प्रस्तुत है....(व्यवधान) ....अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा, चतुर्थ श्रेणी सेवा 12.5%, 15%, 19.5% 1951 .... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ...(व्यवधान)..

वर्ग	सेवा का नाम	आरक्षण का प्रतिशत	लागू करने की दिनांक
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	राजस्थान पुलिस सेवा	14%	7.4.70
	अन्य समस्त सेवाओं में	17%	
अनुसूचित जनजाति	राजस्थान पुलिस सेवा	9%	7.4.70
	अन्य समस्त सेवाओं में	11%	

डा. किरोड़ी लाल : मंत्रीजी कोई जवाब नहीं देना चाहते (व्यवधान) ...

श्री बुलाकीदास कल्ला :

1	2	3	4
अनुसूचित जाति	समस्त सेवाओं में	16%	10.2.75
अनुसूचित जनजाति	समस्त सेवाओं में	12%	10.2.75
अन्य पिछड़ा वर्ग	समस्त सेवाओं में	21%	28.9.93

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालें।

डा. किरोड़ी लाल : हम कोई जवाब नहीं सुनना चाहते। यह गलत जवाब है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

एक माननीय सदस्य : स्थगित मत करवाइये इसको।

श्री जगत सिंह दायमा : या तो हमें इस पर आधे घंटे की चर्चा का समय दीजिये, अध्यक्ष महोदय। रोज-रोज यह सवाल आता है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रस्ताव ले आना, मैं विचार कर लूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, नहीं, स्थगित कीजिये, साहब।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : आपका इस तरह का कोई प्रस्ताव है?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, जब भी ओ.बी.सी., एस.सी., एस.टी. के आरक्षण की बात आती है तो .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसका प्रस्ताव लाइये।

श्री जगत सिंह दायमा : ....(व्यवधान) कभी भी सवाल का जवाब नहीं आता, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : (2) जी हां, राज्य सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की रिक्तियों को नियमानुसार भरने को सदैव ही तत्पर रहती है, जिसके लिए आगामी चयन वर्ष में नियमानुसार कार्यवाही की जाती रही है।

श्री मदन दिलावर : .. (व्यवधान)... पूरी नहीं करते। बेरोजगार घूम रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : जब तक मूल प्रश्न का उत्तर नहीं आता तब तक इस जवाब का कोई मतलब ही नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : स्थगित कर दीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : स्थगित नहीं करूंगा। आधा घंटे की (व्यवधान) एक मिनट।

श्री मदन दिलावर : ... (व्यवधान) हमारा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं .. (व्यवधान)

एक मानीय सदस्य : ....(व्यवधान) चर्चा के लिए रखा जाए। सवाल की जो मूल भावना है वह आयी नहीं है।

श्री मदन दिलावर : हाथ जोड़ कर, करबद्ध निवेदन है कि.. (व्यवधान) अनुसूचित जाति / जनजाति, पिछड़े वर्ग के कल्याण की बात है (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आप संतुष्ट हो जाएं। हमने जो प्रश्न किया यदि विधान सभा सचिवालय से हमें सूचित कर दिया जाता कि आपका प्रश्न विस्तृत है तो निश्चित तौर पर इसका समाधान हो जाता। माननीय सदस्य को न तो इसका नोटिस दिया गया और न कोई जानकारी

(श्री देवीसिंह भाटी)

दी गई और बगैर पूछे प्रश्न का भाग काट दिया गया। तो मूल जो प्रश्न पूछने की पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता की जो भावना है उसके लिए पूछा गया था। इसमें सिर्फ सूचना चाही गई है, सारा कंप्यूटराइज्ड है उसमें विस्तृत क्या होना था ?

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : +++8 साल तक आप सोते रहे नींद में, उस समय तो अनुसूचित जाति/जनजाति का पक्ष नहीं लिया और आज आप पक्ष ले रहे हो। किस बात के लिए कह रहे हो ? 8 साल तक आपके राज में अनुसूचित जाति/जनजाति पर जो अत्याचार हुए वे आज तक कभी देखे ही नहीं (व्यवधान)....

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, इसमें व्यवधान मनुवादी डाल रहे हैं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : (व्यवधान) ....यह तो कांग्रेस है जिसने... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एस. सी; एस. टी; ओ. बी. सी. के वोट तो आपने लिये, आप तो उनके हितों की रक्षा करो फिर। आप तो रखवाले बन रहे थे। आप तो एस. सी; एस. टी; ओ. बी. सी. के बहुत रखवाले थे, रक्षा करो उनकी।

श्री जगत सिंह दायमा : जो मनुवादी चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों.... (व्यवधान)....

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप संतुष्ट हो जाइये इस बात पर जो हमने कही (व्यवधान)....

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, माननीय देवीसिंह जी भाटी का प्रश्न है ही नहीं। राजेन्द्र राठौड़ जी का प्रश्न है.. (व्यवधान) ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को यह पूछने का कि कौन-सा प्रश्न किस फार्म में रखा जा रहा है माननीय सदस्य, बैठिये। न उसका कौन-सा पार्ट काटा जा रहा है, यह निश्चय करना अध्यक्ष का अधिकार है और उस अधिकार का मैंने प्रयोग करते हुए इसमें दो बातें काट दी हैं और मैंने प्रश्न रख दिया है। अब आरक्षण के संबंध में आप देखिये पहला और दूसरा पढ़िये, एंटायर मैटर उसमें आ आता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : ऐसे थोड़े ही बैठें। ये मनुवादी नाराज होते हैं। इसका प्रश्न आने से।

श्री अध्यक्ष : तो भी आपने कहा कि हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे, आप प्रस्ताव ले आइये।

श्री देवीसिंह भाटी : (व्यवधान) ... सरकार ने यह कहा है विधान सभा सचिवालय को कि प्रश्न विस्तृत है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते। यह सिर्फ राज्य सरकार और विधान सभा सचिवालय के बीच में पत्र व्यवहार हुआ है, माननीय सदस्य को इस बारे में सूचित

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री देवीसिंह भाटी)

नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को कहीं इसमें यह तो ऑन रिकार्ड है, सिर्फ जवाब देना है। जवाब पाकर हम स्थिति जानें कि जो राज्य सरकार ने, इस पार्टी ने घोषणा की थी कि हम इन वर्गों को निश्चित तौर पर जहां भी इस प्रकार से शोषण हुआ है वे रिक्तियां हम भरेंगे, इसमें कहां दिक्कत आ रही थी ?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जब आपने यह व्यवस्था दी कि मेरे चेम्बर में आकर आप मिल लीजिये तो उसी वक्त यह बात खतम हो जानी चाहिए। यह पार्लियामैंटरी प्रैक्टिस रही है, चाहे लोक सभा हो या चाहे विधान सभा हो कि स्पीकर और उसका सचिवालय अगर कोई बात उचित समझता है तो उसके अनुरूप क्वेश्चन को अमैंड कर सकता है। यह कोई नयी बात नहीं रही है (व्यवधान)...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : स्थगित करने की मांग तो कर सकते हैं।

श्री अशोक गहलोत : एक मिनट, बात सुन लीजिये। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई शिकायत है तो आप तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपको जब स्पीकर साहब ने कह दिया कि चेम्बर में आकर समझ लीजिये (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : हम स्थगित नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं सवाल का जवाब दें।

श्री अशोक गहलोत : आप बैठिये पहले।

श्री जगत सिंह दायमा : नहीं, नहीं, साहब आपके बीच में खड़े होने से हमारा क्वेश्चन मर रहा है। आप पहले जो भी क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हैं जवाब दिलवाएं आप तो।

डा. किरोड़ी लाल : ....(व्यवधान).... हमारा जो प्रामाणिक क्वेश्चन है.... (व्यवधान).. उसमें जो व्यवस्था दी है.... (व्यवधान) ...

श्री अशोक गहलोत : आप बात सुन लीजिये।

श्री मदन दिलावर : ... (व्यवधान).... नहीं कर सकते, कोई अधिकार नहीं है आपको...(व्यवधान) ...

डा. रामप्रताप (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आप अमैंड कर सकते हो, आप मेजर पोर्शन को डिलिट नहीं कर सकते। यह किया गया है।

श्री अशोक गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह सदन की परम्परा होती होगी कि अगर सदन का नेता कोई बात कहना चाहता हो तो उसको सुनें। पहले कृपा करके बैठिये आप। मेरा निवेदन है कि...(व्यवधान)... कि अगर हमारे माननीय सदस्यों की मंशा वास्तव में एस.सी; एस.टी; ओ.बी.सी. का भला करने की है, उनके कॉज को लेकर आपके मन में भाव है तो मैं समझता हूं कि सदन का समय बरबाद करने की बजाय आप कवेश्चन का कम से कम एक्शन तो सुनें, मगर आप उस पाइंट का डिस्कशन ही करने लग गये।

श्री जगत सिंह दायमा : हां, जवाब दिलवाएं, साहब।

डा. किरोड़ी लाल : मुख्य मंत्रीजी, हमें उन रिक्तियों का पता नहीं लग रहा है कौन-कौन से डिपार्टमैंट में कितनी-कितनी वेकेंसीज हैं। वह पता लगे तब अगर सरकार कोई वक्तव्य दे।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, साफ व्यवस्था है कि... (व्यवधान).... जो सदस्य संतुष्ट नहीं हों तो आधे घंटे की चर्चा करवा दें लेकिन जवाब तो आ जाए। हम सप्लीमैंटरी पूछें तो पूछ लें।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष, नियम 37 की जो प्रश्नों की ग्राह्यता की शर्तें हैं इसमें आठ नम्बर पर यह लिखा हुआ है प्रश्न के बारे में कि वह अत्यधिक लम्बा नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : ये लोग इस क्वेश्चन को पुकारना नहीं चाहते, इसलिए मैं कहता हूं जवाब देवें। अगर असंतोष हो तो आधे घंटे की चर्चा हो जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो प्रश्न पर चर्चा करवाई जाए।

श्री जगत सिंह दायमा : इस बारे में मनुवादी व्यवधान नहीं करें। हम खुद पूछेंगे इस बारे में।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा, आपने स्वयं ने यह देखा है कि इस प्रश्न के रिप्लाई की तैयारी में कम से कम दो महीने का समय चाहिए। इसलिए... (व्यवधान) मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जो प्रश्न की रिप्लाई मैं दे रहा हूं उसके बाद आप जो सूचना चाहेंगे मैं आपको दो महीने के अन्दर-अन्दर दे दूंगा। आप विराजें, पहले मेरे को सुन लें। हमारी सरकार को तो मात्र तीन महीने हुए हैं, यदि कोई बैकलॉग हुआ है तो आपकी सरकार के कारण हुआ है, हमारे कारण नहीं हुआ है। इसके जिम्मेदार आप हैं, हम कोई जिम्मेदार नहीं हैं। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि मैं आपको दो महीने के अन्दर जो आप सूचना चाहेंगे वह सारी सूचना आपको दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, सारी सूचनाएं मैं माननीय सदस्यों को दे दूंगा (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी में किये गये पूरे अत्याचारों की लिस्ट मंगवाइये आप... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जब आपको कोई ऐतराज नहीं है तो क्यों नहीं सूचना दे रहे हो? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप प्रश्न को राजनीति से नहीं लेवें। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सूचना चाही है मैं दो महीने के अन्दर-अन्दर आपके माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा और जो प्रश्न आपने पूछा है उसके बारे में कोई सप्लीमैंटरी आप लेना चाहें तो मेरे से ले लेवें।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ. बी. सी. के हितों के प्रति बिलकुल संवेदनशील नहीं है। अगर संवेदनशील होते तो माननीय मंत्रीजी जो अपने प्रश्न

(श्री हरिसिंह)

का जवाब दे रहे थे, उसको सुनते । उससे जनता लाभान्वित होती, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ. बी. सी. के लोग लाभान्वित होते और अगर कहीं कोई उसमें खामी रह जाती तो हम इनके साथ मिल कर इनके हितों की सुरक्षा के लिए बात करते । कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ. बी. सी. के हितों के लिए जागरूक है, संवेदनशील है, इनके हितों की सुरक्षा करने का हमारे सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विश्वास दिलाया है ।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न...

श्री अध्यक्ष : आपने जो प्रश्न पूछा था उसमें आपने कम्पनीज की, विश्वविद्यालयों की, अन्य संस्थाओं से सम्बन्धित सूचना चाही थी और यह क्वेश्चन काफी विस्तृत था, एक बात । दूसरा, आटोनोमॅस बॉडी के सम्बन्ध में

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, हमें तो क्वेश्चन का जवाब चाहिए । अब आप खड़े हो गये इस बात के लिए.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रशासनिक नियमों में नहीं है, कम्पनीज वगैरह हैं

डा. किरोड़ी लाल : कम्पनीज वाला डिलीट हो सकता है, पर मेरे को तो खबर ही नहीं दी । मेरे को डिलिट की खबर ही नहीं दी कि डिलीट किया जा रहा है और पूरा का पूरा क्वेश्चन उड़ा दिया ।

श्री अध्यक्ष : सरकार के प्रति उत्तरदायी हैं नहीं वे कम्पनीज ।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइये आप तो । जो जानकारी देना चाहें, जवाब दिलवाइये आप । (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : जवाब दिलवा दीजिए आप । बार-बार थोड़े ही यह व्यवस्था देनी पड़ेगी आपको ।

श्री अध्यक्ष : आप इनकी अभी सुन लेते ।

श्री जगत सिंह दायमा : हमने सुना नहीं, दुबारा पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष : आप इसमें सप्लीमेंट्री पूछ सकते थे । दूसरी बात, मैंने आप से कह दिया था, डाक्टर साहब, कि आप मेरे चैम्बर में आकर मुझ से मिल लीजिए । आप इस पर आधा घंटे की चर्चा कराना चाहते हैं तो भी मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री छोगाराम बाकोलिया : (व्यवधान) एक नम्बर से नम्बर आठ पर किया, यह सरकार क्या पूछना चाहती है ? अनुसूचित जातियों को तो आप आठवें नम्बर पर लेकर गये, एक नम्बर के रोस्टर को सातवें नम्बर पर, अब आप क्या पूछना चाहते हो ? (व्यवधान) आप रोस्टर के सिस्टम को कैसे बदल सकते थे? (व्यवधान) केंद्रीय सरकार के जो नियम बने हुए हैं उनको आप .. (व्यवधान) राज्य सरकार के.... (व्यवधान) अधिकारों की बात करते हो आप, अधिकार तो आपको हैं जो उस अधिकार के रूप में आपका डिलीट किया प्रश्न ....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : (1) अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग को नौकरियों में दिये गये आरक्षण की स्थिति प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

वर्ग	सेवा का नाम	आरक्षण का प्रतिशत	लागू करने की दिनांक
1	2	3	4
अनुसूचित जाति एवं	राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा मंत्रालयिक सेवा	12.5	19.5.51
अनुसूचित जनजाति	चतुर्थ श्रेणी सेवा	15	—
अनुसूचित जाति	राजस्थान पुलिस सेवा	14	7.4.70
	अन्य समस्त सवाओं में	17	

डा. किरोड़ी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था देने वाले थे। अध्यक्ष जी, मंत्रीजी बोल रहे हैं आप व्यवस्था देने वाले थे। व्यवस्था क्या थी, वह तो बता दें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : व्यवस्था का प्रश्न प्रश्नकाल में नहीं उठता है। यह बहुत गलत परम्परा है। प्रश्नकाल में आज तक व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा है, प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। यह माननीय सदस्य का अनुचित व्यवहार है जो अशोभनीय है, निंदनीय है।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी निर्देश दे रहे हैं। निर्देश तो आप देंगे, वे नहीं दे सकते। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मंत्रीजी, नाराज मत होइए आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह सदन की परम्पराओं के विपरीत है। माननीय सदस्य सदन में अनुचित व्यवहार कर रहे है।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना-सा चाहता था कि आखिर में आपने इसकी व्यवस्था क्या दी ?

श्री जगत सिंह दायमा : आप तो पढ़ते जाओ, हम सुन रहे हैं। पढ़ो ही नहीं तो हम क्या करें ?

श्री बुलाकीदास कल्ला :

वर्ग	सेवा का नाम	आरक्षण का प्रतिशत	लागू करने की दिनांक
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	राजस्थान पुलिस सेवा	14	7.4.70
	अन्य समस्त सेवाओं में	17	
अनुसूचित जनजाति	राजस्थान पुलिस सेवा	9	7.4.70
	अन्य समस्त सेवाओं में	11	
अनुसूचित जाति	समस्त सेवाओं में	16	10.2.75
अनुसूचित जनजाति	समस्त सेवाओं में	12	10.2.75
अन्य पिछड़ा वर्ग	समस्त सेवाओं में	21	2?.9.93

डा. किरोड़ी लाल : यह मजाक मत करो एस.टी; एस.सी; ओ.बी सी. के साथ। उनके आधार पर जीत कर सत्ता में आये हो, उनको जवाब दो। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : (2) जी हां। राज्य सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की रिक्तियों को नियमानुसार भरने को सदैव तत्पर रहती है। जिनके लिए आगामी चयन वर्ष में नियमानुसार कार्यवाही की जाती रही है।

श्री मदन दिलावर : अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमैंट्री क्वेश्चन करते हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि चालीस वर्ष के कांग्रेस के शासन में....

श्री जगत सिंह दायमा : यह सारा काम हुआ तो आपके भी राज में, 9 साल से, यह क्या बात कर रहे हैं? इसमें आपका भी कर्म है।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय के मसले को राजनीति द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : 9 साल तक कुछ भी नहीं किया। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की रिक्तियों में से (व्यवधान) कितनी नियुक्तियां दी गई, यह बताने का कष्ट करें।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय के क्वेश्चन को राजनीतिक तरीके से घसीटा जा रहा है। इसका राजनीतिक फायदा उठाने का मंच नहीं है यह विधान सभा। अगर कोई प्रश्न

(श्री जगमाल सिंह यादव)

पूछना है तो ओ. बी. सी; एस. सी. और माइन्योरिटी के हित में पूछा जाए। यह क्या हुआ कि राजनीतिक फायदा उठाने की बात की जा रही है? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह जो भी श्वेत पत्र जारी हुआ है, यहां जो भी आर्थिक समीक्षा में बैठे हुए हैं वह सब (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक सवाल है कि चालीस वर्ष के कांग्रेस के राज में और....

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है।

श्री नन्दलाल मीणा : ... के राज में शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब और ओ. बी. सी. के लिए जो आरक्षण है (व्यवधान) उसमें से कितनी रिक्तियां भरी गयीं?

डा. जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बी. जे. पी. और कांग्रेस ने क्या किया सवाल यह नहीं हैं, सरकार की गारण्टी यह होनी चाहिए कि ओ. बी. सी; एस सी; एस. टी. के लोगों का अधिकार नहीं मारा जाए।

श्री जगत सिंह दायमा : अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का नौकरियों में कोई स्थान रिक्त है और अगर रिक्त है तो उसकी पूर्ति सरकार करना चाहती है या नहीं करना चाहती है?

श्री नन्दलाल मीणा : तो चालीस वर्ष के शासन में आपने एस. टी; एस. सी. और ओ. बी. सी. के लोगों को.... (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरा इतना-सा सवाल रह गया कि एस.सी; एस. टी. और ओ. बी. सी. के हितों की अनदेखी तो यह सरकार नहीं करेगी? बस समस्त उत्तर आ गया।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं एक जानकारी चाहता हूं, कांग्रेस के घोषणा-पत्र में भी था कि जाटों को और कुछ अन्य जातियों को मंडल आयोग में सम्मिलित किया जाएगा।

श्री जगत सिंह दायमा : पहले हमको तो करा लेने दो फिर बाद में आप....

श्री सांवरलाल : आप सुन लीजिये मेरी बात, आप दबा नहीं सकते। आप क्या चाहते हैं? मैं जानकारी चाहता हूं सरकार से कि जो घोषणा पत्र में दिया उसकी क्रियान्विति... (व्यवधान) आप राज में बैठे हो, आप इनको लागू करना चाहते हो कि नहीं? सरकार की मंशा क्या है? आप मेरी बात काटना चाहते हैं। ज्यादा +++ की जरूरत नहीं है। हम रह गये और आप फायदा उठा रहे हो। अब हमारा साथ दें।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल यह है कि एस. टी; एस. सी; ओ. बी. सी. के जो अब तक....

श्री बुलाकीदास कल्ला : यू. पी. में आपकी सरकार है, पहले वहां करवा दो, फिर यहां भी हो जाएगा।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जगत सिंह दायमा : रिक्त स्थान हैं उनकी पूर्ति करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ? चाहते हैं तो कब तक कर देंगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को यह बताना चाहता हूं....

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक): रिलेवेंट सवाल है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह एक निरन्तर प्रक्रिया है ।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानकारी चाहता हूं

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं पहले दो-तीन के तो जवाब दे दूं ।

श्री हीरासिंह चौहान : 28.3.93 से ओ बी. सी. का आरक्षण चालू हुआ । 28.3.93 से ओ. बी. सी. के आरक्षण के बाद में क्या राज्य सरकार ने इस वर्ग के लोगों को नौकरियां देने के लिए कोई मानिटरिंग करने की व्यवस्था कर रखी है ? क्या यह सारा काम विभाग के भरोसे ही छोड़ा हुआ है ? अगर मानिटरिंग की है तो इन वर्गों को जितना इनका प्रतिशत आरक्षण में है उस तरह का आरक्षण कब-कब हुआ, यह बता दीजिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, ये एक-एक प्रश्न करते रहें तो मैं एक-एक का जवाब देता रहूं ।

एक माननीय सदस्य : जब आप 8 साल सत्ता में थे तब सो रहे थे, अब आपको ये बातें याद आ रही हैं ?

श्री जगमाल सिंह यादव : एस. टी; एस. सी; ओ.बी.सी. को मरने तो नहीं दोगे, जैसे इन्होंने मरने दिया ।

डा.करण सिंह यादव (बहरोड) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कार्मिक मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या एस.टी; एस.सी; ओ बी.सी. के वे अभ्यर्थी जो जनरल मैरिट में आते हैं उनको आप रिजर्वेशन कोटे में मानते हैं या जनरल कोटे में मानते हैं ? बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न है ।

डा. किरोड़ी लाल : बहुत बढ़िया बात पूछी है, बिलकुल सही पूछा है ।

डा. करण सिंह यादव : क्या उनको आप आरक्षित कोटे में मानेंगे जिनकी सामान्य मैरिट है ? एस.टी; एस.सी; ओ.-बी.सी. का वह लड़का जो 90 प्रतिशत का है उसको आप आरक्षित स्थान में मानेंगे या जनरल मैरिट में मानेंगे ? मैं एक प्रश्न का जवाब सदन में आपसे चाहता हूं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उसको तो जनरल में मानते हैं ।

डा.करण सिंह यादव : लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आपके खुद के शिक्षा विभाग में इस बात की पूरी अवहेलना की गयी है । मैंने लिखित में सरकार को इस बारे में, माननीय मुख्य मंत्रीजी को....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं इसकी अलग से जांच करवा लूंगा । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से पूरी बात करके . (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : खाली जांच की बात कहने से पूर्ति हो जाएगी ? आगे

(श्री जसवन्त सिंह यादव)

ऐसा अत्याचार नहीं हो इसकी गारंटी सरकार से मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री किरोड़ी लाल।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल तो डा. करण सिंहजी ने पूछा, उसका जवाब मंत्रीजी से मिल जाए।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक): मिल गया।

श्री अध्यक्ष : दोनों ही मिल गये।

डा किरोड़ी लाल : आप मुख्य सचेतक हो, ऐसे मत बोलो।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : कह दिया न, सामान्य कोटे में माना जाता है।

डा. किरोड़ी लाल : ऐसे मत बोलो, हमने नहीं सुना।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : सामान्य कोटे में मानते हैं।

डा. किरोड़ी लाल : बिराज जाओ, बिराज जाओ।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : नहीं, ऐसे निर्देश हैं। किस बात के लिए कह रहे हैं?

डा. किरोड़ी लाल : बिराजने की कह रहा हूं, साहब, हाथ जोड़कर। नाराज मत हों। हमने कांग्रेस का मैनिफैस्टो पढ़ा है, अध्यक्ष महोदय, जिसमें आपका भी फोटो है, गहलोत साहब का है, उसमें यह कहा कि राज में आने के बाद एस टी; एस.सी; ओ.बी.सी. के....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बड़ा फोटो किसका है?

डा. किरोड़ी लाल: बड़ा फोटो मदेरणा साहब का है। एस.टी; एस.सी. और ओ.बी.सी. की जितनी भी रिक्तियां होंगी उन रिक्तियों पर एस टी; एस.सी; ओ.बी.-सी. के लोगों को नौकरियां देंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इसका विज्ञापन कब तक जारी कर देंगे, एक? दूसरा, एस.टी; एस.सी; ओ.बी.सी. की अब तक कितनी रिक्तियां हैं जिनका ये विज्ञापन जारी करेंगे? तीसरा, जो इन्होंने बताया है अपने जवाब में एस.टी. का 12 प्रतिशत और एस.सी का 16 प्रतिशत का कोटा है, तो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग में यह कोटा 6 और 8 प्रतिशत क्यों कर रखा है? क्या सरकार उसको 12 और 16 प्रतिशत कर देगी?

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : आप पिछले 8 साल से कहां सो रहे थे? हम यही बात पूछ रहे थे, पिछले 8 साल से पूछते रहे, कभी ध्यान नहीं दिया। अब आपको होश तो आया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कई प्रश्न किए, उनको मैं बहुत संक्षेप में और विस्तार से इस रूप में बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा आरक्षित पदों को भरने हेतु निम्न प्रकार से प्रमुख रूप से व्यवस्था की गयी है। सौ बिन्दु रोस्टर प्रणाली का निर्धारण हर विभाग अपने यहां आवश्यक

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

रूप से रखेगा। समस्त नियुक्तिकर्ता अधिकारियों के यहां रोस्टर पंजिका का संधारण होगा, इसे कभी भी कोई भी व्यक्ति जाकर देख सकता है, उसके बारे में जानकारी ले सकता है, उसके बारे में कभी कोई किसी को शंका समाधान हो तो उसके बारे में वह लिखित में दे सकता है।

डा करण सिह यादव : कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें रोस्टर संधारणों में

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं आपको बता दूंगा।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के माननीय सदस्य उठा रहे हैं, मामला कितना गम्भीर है। माननीय मंत्रीजी डांट रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप जिसके बारे में शिकायत बताएंगे, मैं उसकी जांच करवा लूंगा। विज्ञापित पदों में आरक्षित पदों की संख्या को पृथक से दर्शाना, आरक्षित पदों को भरे जाने हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की छूट, शिथिलता प्रदान की हुई है। उसमें प्रमुख रूप से आयु में छूट, योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों से कम प्राप्तांक पर चयन.... (व्यवधान) प्रतियोगी....

डा. किरोड़ी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कुछ और कह रहे हैं, मंत्रीजी बोल क्या रहे हैं। हमने यह शिथिलता का नहीं पूछा। मैंने तो पर्टीकुलर प्रश्न पूछा है, डा. करण सिंह यादव ने भी पूछा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आप सुनेंगे तब आपको पता लगेगा कि इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या-क्या व्यवस्था की गयी है।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी डाइवर्ट हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, डाइवर्ट हो रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : परीक्षाओं हेतु निर्धारित अवसरों की छूट....

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब ही नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध में समय-समय पर छूट.... (व्यवधान) रोजगार हेतु प्रशिक्षण में आरक्षण....

डा.जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये मापदण्ड तो हमको भी मालूम हैं, हम भी पढ़े हुए हैं कि इसमें क्या-क्या मापदण्ड हैं। बात यह है कि उनके अधिकारों पर जो अटैन किया जाता है उसमें नियम लागू नहीं किया जाता है। उसके बारे में मंत्रीजी क्या कहना चाहते हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप सुनने की चेष्टा तो करें।

श्री अध्यक्ष : आप सुनना चाहते नहीं। आप भाषण मत दीजिए, मैं खड़ा हूं, आप बैठिये। आप बैठ जाइये। वह आदेश सरकार ने जो प्रसारित किये हैं, उसका सदन में वे उल्लेख कर रहे थे और वह रिलेवेंट है। अब आपको सप्लीमैंटरी बाद में पूछना है तो आप सप्लीमैंटरी पूछ लेना। मंत्रीजी

(श्री अध्यक्ष)

उत्तर दे रहे हैं और मंत्री महोदय को आप उत्तर नहीं देने दे रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : मैंने तो पूछा है कि मेडिकल कॉलेज में 6 प्रतिशत और 8 प्रतिशत का एस.टी; एस.सी. का रिजर्वेशन है जबकि 16 और 12 प्रतिशत दूसरे उसमें दे रखा है। तो क्या सरकार इरादा रखती है कि

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उदयपुर संभाग के राजसमंद जिले, डूंगरपुर जिले, बांसवाड़ा जिले इनमें अनुसूचित जाति के लोगों को 16 प्रतिशत आरक्षण दिया हुआ है, संविधान के तहत 16 प्रतिशत आरक्षण का अनुसूचित जाति के लोगों के लिए प्रोविजन कर रखा है। क्या इन जिलों में 16 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है या इससे कम किया गया है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-से जिले ऐसे हैं जहाँ अनुसूचित जाति के लोगों की काफी तादाद है, क्या उन जिलों में अनुसूचित जाति के लोगों को 16 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है ? माननीय मंत्रीजी से मैं जानना चाहता हूं कि इन जिलों में आरक्षण 16 प्रतिशत से कम किया गया है या यथावत 16 प्रतिशत रखा गया है ?

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोग भी बहुत चिन्तित हैं, इनके माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव : यह कांग्रेस और बी. जे. पी. की बात नहीं है, बात एस.टी; एस.सी; ओ.बी.सी. की है।

डा किरोड़ी लाल : एस टी; एस.सी; ओ. बी. सी. का मामला है। गरीब लोगों का इतना अच्छा क्वेश्चन है जिसका जवाब सरकार तो टाल रही है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा ...

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोई टाल नहीं रहा है, खूब जवाब दे रहे हैं, आप सुनिये।

श्री जीतमल (बागीदौरा) : जनजाति के 80 प्रतिशत लोग रहते हैं, वर्तमान सरकार ने जनजाति के लोगों....

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा साहनी वर्सेज भारत सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.11.92 में यह निर्णय दिया गया कि किसी वर्ष में 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाए। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनका सवाल हो.... (व्यवधान)

श्री जीतमल : कि संभाग में जनजाति के लोगों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मेरा प्राइंटेड सवाल है, माननीय मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसलिए जो एस.सी; एस. टी तथा 21 प्रतिशत आरक्षण ओ. बी. सी. को रखा गया है, इसमें कहीं कोई गलती करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और उनके हकों की पूरी रक्षा की जायेगी।

श्री नन्दलाल मीणा : सवाल यह नहीं है, सवाल इस बात का है कि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और ओ बी. सी. के लोगों के लिए आरक्षण में प्रावधान है, कांग्रेस के 40 वर्षों के शासन में उसकी पालना कितनी हुई ? बी.जे.पी. के 8 वर्षों के शासन में ...

श्री बुलाकीदास कल्ला : कांग्रेस के 40 वर्षों में हमेशा आरक्षण के प्रावधानों की पालना की गयी लेकिन आप लोगों ने पालना नहीं की जिसके कारण से यह बैक-लॉग आपका है। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : भारतीय जनता पार्टी के शासन में आदिवासी इलाके के उपयोजना क्षेत्र में उन लोगों के लिए 45 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। उसकी पालना कहां तक की गयी है, इसका ब्यौरा भी सदन में रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में अन्य जातियों को सम्मिलित करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्य पिछड़ी जातियों में कुछ जातियों को और सम्मिलित करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, माननीय मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : इसके सम्बन्ध में पब्लिक इम्पोर्टेंस है (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, कार्मिक मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन क्या वे इस तरह का आदेश सरकार से निकालेंगे कार्मिक विभाग से कि वे अधिकारी जो जानबूझ कर रजिस्टर में एण्ट्री नहीं करते उनके खिलाफ कार्यवाही होगी ? क्या ऐसे कोई आदेश निकालेंगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आरक्षण से सम्बन्धित कोई भी नियमों की अवहेलना करता अधिकारी पाया गया उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

डा. करण सिंह यादव : बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री जगत सिंह दायमा : मंत्री महोदय, अपने वादे से मत मुकरो। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की चर्चा पर व्यवस्था की जाए।

श्री सांवरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पाइंटेड सवाल है, सिर्फ मंशा जानना चाह रहा हूं सरकार की और सरकार के घोषणा पत्र में है। सरकार इतना नहीं कह सकती है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है।

(12.00 बजे)

श्री सांवरलाल : जो पिछले 4 महीने के शासन में वायदा किया, उससे मुकरने लग गये ये लोग। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आधे घंटे की चर्चा की जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : प्रश्नकाल में -(व्यवधान) प्रश्न को पूछना नहीं चाहते थे। कॉल होने के बाद, टेबल होने के बाद सदन की सम्पत्ति थी। इस प्रश्न को न तो

(श्री जगमाल सिंह यादव)

आपने सुना और न सरकार ने सुना। इसलिए मैं व्यवस्था चाहूंगा कि आधे घंटे की चर्चा के लिए स्थगित किया जाए। (व्यवधान) मैंने आधे घंटे की चर्चा का नोटिस आपको दिया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्मिक मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी बिराजे हुए हैं वे अपनी मंशा बता दें। (व्यवधान) मुख्य मंत्री महोदय, कृपया इस सम्बन्ध में अपनी मंशा से हमको अवगत करा दें।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है यह। यह प्रश्न अलग से है। आज जो प्रश्न पूछा है इससे सम्बन्धित नहीं है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : पिछड़ी जाति से सम्बन्धित सवाल है। अध्यक्ष महोदय, अलग से नहीं है, पिछड़ी जाति से सम्बन्धित है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : प्रोफेसर सांवरलालजी मनुवादी है, कृपा करके बैठिये।

श्री सांवरलाल : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि (व्यवधान).... मंडल में लेने का इरादा है कि नहीं है ? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूं इसलिए सदन से वाक-आउट करता हूं।

(मा. सदस्य श्री प्रतापसिंह सिंघवी द्वारा सदन से बहिर्गमन)

डा. किरोड़ी लाल : यह पूरा आरक्षण का मामला है। इस क्वेश्चन को स्थगित करवाएं, इसका एक भी पाइंटेड जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्न काल समाप्त।

डा. किरोड़ी लाल : आप, इस पर व्यवस्था तो फरमावें, श्रीमान।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री जगत सिंह दायमा : यह व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमान्।

श्री अध्यक्ष : आप अभी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, पर आपने कोई व्यवस्था दी नहीं है, आप इस पर व्यवस्था तो दें। हमें यह पता नहीं चल रहा है कि रिक्त पद कितने हैं, एस. सी; एस. टी; ओ बी. सी. में कितने भरे गये, सरकार कब भरेगी, भरेगी कि नहीं भरेगी। एस. सी; एस. टी. और ओ. बी सी. के आधार पर राज में आयी है तो इसकी मंशा क्या है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगर आप कोई प्रश्न से सम्बन्धित...(व्यवधान) प्रश्न के सम्बन्ध में फरदर इल्यूमिडेशन चाहते हैं...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : जातियों के रिजर्वेशन के बारे में पूछा, वह नहीं बताया। आखिर यह सरकार गूंगी, बहरी हो गयी। अध्यक्ष महोदय, सरकार कुछ जवाब तो दे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न के सम्बन्ध में कोई फरदर इल्यूसिडेशन चाहते हैं तो आप लिखकर दीजिए। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, कोई जवाब नहीं आया, इसकी व्यवस्था दो। अध्यक्ष महोदय, कोई व्यवस्था तो दो। ऐसे नहीं चलेगा, अध्यक्ष महोदय, इस पर कोई न कोई व्यवस्था तो दें।

श्री अध्यक्ष : ऐसे नहीं चलेगा, तो आप व्यवधान डालते जाएंगे ?

डा. किरोड़ी लाल : कोई न कोई व्यवस्था तो दें, अध्यक्ष महोदय। कोई व्यवस्था तो दें। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कतई संतोषप्रद जवाब नहीं है, कोई व्यवस्था तो आसन की दें। ऐसे कैसे काम चलेगा।

श्री अध्यक्ष : डा. किरोड़ीलाल जी।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी लेना चाहता हूं। मैं एक मिनट में निवेदन करता हूं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : श्रीमती सोनिया गांधी जाटों को आरक्षण देने के लिये मना कर गयी हैं, यह सही है क्या ? मत्री महोदय इसका जवाब दें, आपसे यही निवेदन है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में जवाब देता हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का टाइम चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी लेनी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : टाइम है ही नहीं। क्वेश्चन आवर गया। (व्यवधान) क्वेश्चन आवर समाप्त हो गया है। आप यूं बीच में इस तरह से किसी बात के लिये निवेदन नहीं कर सकते हैं। अध्यक्षीय प्रस्तावों पर व्यवस्था।

डा. किरोड़ी लाल : कोई व्यवस्था तो दें। अध्यक्ष महोदय, कोई व्यवस्था तो दें। (व्यवधान) पूरा विपक्ष, हम सभी प्रार्थना करके निवेदन कर रहे हैं, कम से कम सरकार इसका जवाब तो दे दे।

श्री अध्यक्ष : आप आधे घण्टे की चर्चा के लिये फरदर इल्यूसिडेशन किस पाइण्ट पर चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर है और आफिसर गैलेरी में लोग जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : संवेदनहीन सरकार है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट–2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

श्रीगंगानगर के डोडा पोस्त समूह का भौतिक सत्यापन

73. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या श्रीगंगानगर के थोक डोडा पोस्त समूह का वर्ष 1998–99 में भौतिक सत्यापन किया गया था ? क्या उसमें अवैध पाये गये डोडा पोस्त व वर्तमान स्टाक के

(श्री अमराराम चौधरी)

माल को बदलकर उसके स्थान पर अन्य पदार्थ जो डोडा पोस्त पाउडर समान दिखते हैं उसे रखने की कोई शिकायत सरकार/विभाग को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त डोडा पोस्त बदले जाने संबंधी प्रकरणों में कोई जांच भी सरकार द्वारा कराई गई ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो क्या उक्त प्रकरण में सरकार जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या इसकी रासायनिक जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । माह अगस्त, 98 में श्रीगंगानगर की थोक/खुदरा डोडा पोस्त दुकानों का भौतिक सत्यापन विभाग द्वारा किया गया था । जिसमें निम्नांकित अनियमितताएं पाये जाने पर नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किये गये थे :–

क्र. सं.	नाम डोडा पोस्त दुकान	पंजीकृत अभियोग संख्या व दिनांक	पाई गई अनियमिताओं का विवरण
1	2	3	4
1.	थोक दुकान 19बीबी पदमपुर	8/28.8.98	–नौकरनामा व स्टाक रजिस्टर नहीं मिला । –58538 किलोग्राम डोडा पोस्त अधिक मिला ।
2.	खुदरा दुकान हिन्दूमल कोट	36/26.8.98	–स्टाक रजिस्टर नहीं पाया गया । –3600 किलोग्राम डोडा पोस्त अधिक मिला ।
3.	थोक दुकान हिन्दूमल कोट	35/26.8.98	–स्टाक रजिस्टर नहीं मिला । –3678 किलोग्राम डोडा पोस्त कम मिला ।
4.	थोक दुकान बड़साना	17/25.8.98	–स्टाक रजिस्टर व नौकरनामा नहीं मिला । –92 किलोग्राम डोडा पोस्त कम मिला ।

1	2	3	4
5.	थोक दुकान अनुपगढ़	18/25.8.98	–स्टाक रजिस्टर, नौकरनामा व लोकेशन की प्रति नहीं मिली। –51.5 किलोग्राम डोडा पोस्त कम मिला।
6.	थोक दुकान मानकसर	13/25.8.98	–स्टाक रजिस्टर व नौकरनामा नहीं मिला। –19 किलोग्राम डोडा पोस्त कम पाया गया।
7.	थोक दुकान सादुलशहर	22/25.8 98	–स्टाक रजिस्टर नहीं मिला। नौकरनामा स्वीकृत नहीं। –8 किलोग्राम डोडा पोस्त कम पाया गया।
8.	थोक दुकान 7ई छोटी गंगानगर	34/26 8.98	–स्टाक रजिस्टर व नौकरनामा नहीं मिला।

विभाग द्वारा उक्त पाई गई अनियमितताओं के लिए अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किये गये। विभाग द्वारा अपने कब्जे में लिये गये डोडा पोस्त के स्थान पर अन्य पदार्थ जो डोडा पोस्त पाउडर के समान दिखता है, बदले जाने बाबत एक शिकायत विभाग को प्राप्त हुई थी, जिस पर विभाग द्वारा अपने कब्जे में लिये गये डोडा पाउडर के नमूने लिये जाकर प्रयोगशाला जांच कराई गई। प्रयोगशाला जांच के अनुसार विभागीय कब्जे में लिया गया पाउडर डोडा पोस्त ही पाया गया है।

(2) डोडा पोस्त बदले जाने संबंधी शिकायत विभाग को प्राप्त हुई थी, जिस पर नमूने लिये जाकर प्रयोगशाला जांच करवाई गई। प्रयोगशाला जांच में पाउडर डोडा पोस्त का ही पाया गया है। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। डोडा पोस्त पाउडर को बदले जाने संबंधी शिकायत झूठी पाई गई है, अतः किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

(3) जी, हां। डोडा पोस्त की रासायनिक जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न प्रस्तुत है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

आबकारी ठेके की स्वीकृतियों में अनियमितताएं

74. **श्री मोहन लाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री मोहनलाल मोदी)

(1) क्या यह सही है कि सरकार की वर्ष 1997–99 की आबकारी नीति में दिनांक 12 मार्च, 1997 को पृथक्-पृथक् समूहवार/दुकानवार टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो कितने टेण्डर प्राप्त हुए तथा उनकी कब–कब स्वीकृति जारी की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि टेण्डर प्राप्त नहीं होने पर प्रस्ताव पुनः आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह आबकारी नीति के विरुद्ध नहीं है ? क्या ऐसा करने के लिए सरकार ने विभाग को स्वीकृति दी थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि ठेकेदारों ने प्रस्ताव इकजाई जिलेवार समस्त देशी/भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर थोक व खुदरा के एक ही प्रार्थना-पत्र में दिये थे ? यदि हां, तो स्वीकृतियां समूहवार पृथक्–पृथक् क्यों निकाली गई ।

(4) क्या यह भी सही है कि धौलपुर जिले का ठेका दिनांक 1 अप्रेल, 1997 के प्रस्ताव पर उठा था, परन्तु स्वीकृति 5 दिन बाद जारी हुई ? जिससे सरकार को 5.84 लाख रुपये की हानि हुई ?

(5) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले का ठेका 6 दिन बाद उठाया, परन्तु कुछ समूहों की स्वीकृति उसी दिन जारी की तथा कुछ समूहों की 13 दिन बाद जारी की, जिससे सरकार को 37.15 लाख रुपयों की हानि हुई ।

(6) क्या यह भी सही है कि पाली जिले का ठेका 7 दिन बाद उठा था परन्तु कुछ समूह की स्वीकृति उसी दिन जारी की गई जबकि कुछ समूह की स्वीकृति 20 दिन बाद जारी की गई जिससे सरकार को 102.56 लाख रुपयों की हानि हुई ?

(7) क्या यह सही है कि नागौर जिले का ठेका 6 दिन बाद उठा था, परन्तु कुछ समूह की स्वीकृति 19 दिन बाद जारी की गई ? जिससे सरकार को 91 लाख रुपये की हानि हुई ।

(8) क्या यह भी सही है कि जिला डूंगरपुर का ठेका दिनांक 7–4–97 को उठा था, परन्तु स्वीकृति 14 दिन बाद जारी की गई, इसके कारण सरकार को 5 लाख रुपये की हानि हुई ?

(9) क्या यह सही है कि इस प्रकार आबकारी आयुक्त ने ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु राज्य के हितों की अनदेखी करते हुए 241.55 लाख रुपयों की सरकार को हानि पहुंचाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक व क्या ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की वर्ष 97–99 की आबकारी नीति की पालना में दिनांक 13–3–97 को पृथक–2 समूहवार/दुकान क्षेत्रवार टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे न कि दिनांक 12–3–97 को । निविदादाता द्वारा एक ही निविदा प्रपत्र में एक से अधिक समूहों/दुकान क्षेत्रों के लिये टेण्डर दिये जाने का प्रावधान था । दिनांक

(आबकारी मंत्री)

13–3–97 को प्राप्त निविदाएं एवं स्वीकृत निविदाओं का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न हैं। (पृष्ठ 1 से 14 तक)

(2) दिनांक 13–3–97 को राज्य के समस्त मदिरा समूहों एवं मा. नि. वि. म./बीयर क्षेत्रों के लिये निविदाएं प्राप्त नहीं होने से आबकारी नीति के अन्तर्गत ही दिनांक 19–3–97 को पुनः निविदाएं आमन्त्रित की गई थीं, परन्तु दिनांक 19–3–97 को भी पूर्ण निविदाएं प्राप्त नहीं होने से राज्य सरकार के निर्देश पत्र क्रमांक प.4(62) एफ.डी./ऐक्सा/96 दिनांक 21–3–97 के क्रम में दिनांक 21–3–97 को विज्ञप्ति जारी कर प्रस्ताव समस्त जिला आबकारी अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय जयपुर/जोधपुर एवं उदयपुर एवं आबकारी आयुक्त, राज. उदयपुर के कार्यालय में मांगे गये थे।

(3) राज्य सरकार के निर्देश पत्र क्रमांक प. 4(62) एफ. डी. ऐक्सा/96 दिनांक 29–3–97 के अनुसार पूर्ण राजस्व जिले के मदिरा समूहों एवं मा.नि.वि. मदिरा/बीयर क्षेत्रों के लिये प्रस्ताव प्राप्त करने एवं आरक्षित राशि पर स्वीकृत करने हेतु निविदा निर्णायक समिति को अधिकृत किया गया। इसी क्रम में आबकारी विभाग द्वारा दिनांक 29-3-97 को विज्ञप्ति प्रसारित कर पूर्ण राजस्व जिले के मदिरा समूहों एवं मा.नि वि.म./बीयर क्षेत्रों के लिये प्रस्ताव मांगे गये एवं निविदा निर्णायक समिति की अनुशंषा के आधार पर आरक्षित राशि से कम राशि के कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर आरक्षित राशि तक के सम्पूर्ण राजस्व जिले के निविदा प्रपत्र में अंकित अनुसार समूहों एवं मा. नि. वि. मदिरा/बीयर क्षेत्रों की स्वीकृतियां नियमानुसार जारी की गई थी क्योंकि राज्य सरकार की आबकारी नीति के अनुसार निविदा प्रपत्र तैयार कर प्रत्येक राजस्व जिले में स्वीकृत किये जाने वाले समूह एवं मा. नि. वि. मदिरा/बीयर क्षेत्रों का गठन किया जाकर निविदा प्रपत्र प्रकाशित करवाया गया था। इसी कारण राजस्व जिलें में स्थित प्रत्येक मदिरा समूह एवं क्षेत्रों की स्वीकृतियां पृथक–पृथक जारी की गई थीं। इसके साथ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि आरक्षित राशि का निर्धारण मदिरा समूह/दुकान क्षेत्रों के अनुसार ही निर्धारित की गई थी न कि राजस्व जिलेवार।

(4) राजस्व जिला धौलपुर के लिए प्रस्ताव दिनांक 3-4–97 को प्राप्त हुआ था। इस पर निविदा निर्णायक समिति द्वारा विचार किया जाकर स्वीकृतियां दिनांक 3–4–97 को प्रसारित की गई थीं एवं निविदा निर्णायक समिति की अनुशंषा के अनुसार दिनांक 6·4-97 से स्वीकृति प्रभावी की गई। इस प्रकार दुकानों के संचालन करने में समय लगने की संभावना को देखते हुए मात्र 2 दिन दिये गये थे। दिनांक 1-4·97 को प्रस्ताव नहीं आने से दिनांक 1-4-97 से 5-4-97 तक की अवधि में मदिरा का विक्रय नहीं होने से राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है।

(5) सम्पूर्ण राजस्व जिला जोधपुर के लिए श्री पुखराज सिसोदिया, मुरलीधर एण्ड पार्टी का प्रस्ताव दिनांक 3-4-97

(आबकारी मंत्री)

को प्राप्त हुआ था। प्रस्तावक के प्रस्ताव अनुसार जोधपुर शहर की समस्त भा. नि. वि. मदिरा एवं बीयर क्षेत्र 1 से 45, मदिरा समूह बिलाडा एवं भा. नि. वि. मदिरा थोक दिनांक 7-4-97 से एवं मदिरा समूह जोधपुर, फलौदी, शेरगढ़, भोपालगढ़, ओसियां एवं जोधपुर ग्रामीण दिनांक 14-4-97 से स्वीकृत किया गया था। उक्त प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य कोई प्रस्ताव ही प्राप्त नहीं हुआ था। अतः राज्य के अत्यधिक राजस्व प्राप्ति के हित को देखते हुए निविदा निर्णायक समिति की अनुशंषा के आधार पर प्रस्तावक के प्रस्ताव अनुसार स्वीकृतियां जारी की गईं। अतः इस प्रकरण में समूह एवं क्षेत्रों की संचालन की तिथि से संचालन होने के कारण किसी प्रकार की राजस्व हानि नहीं हुई है।

(6) जिला पाली के मदिरा समूहों एवं भा. नि. वि. मदिरा तथा बीयर क्षेत्रों के लिये कोई निविदा बंदोबस्त वर्ष के प्रारम्भ होने की दिनांक 1-4-97 तक भी प्राप्त नहीं हुआ था। दिनांक 4-4-97 को श्री राजेन्द्रकुमार एण्ड पार्टी का सशर्त सहित प्राप्त हुआ जिसमें प्रस्तावक ने मुख्य रूप से पाली शहर देशी मदिरा समूह, सुमेरपुर समूह, जैतारण समूह एवं पाली शहर के भा. नि. वि. मदिरा एवं बीयर क्षेत्र सं. 1 से 8 तक को दिनांक 8-4-97 से प्रारम्भ करने तथा पाली ग्रामीण समूह बाली समूह, देसूरी समूह, सोजत समूह, रायपुर समूह, मारवाड़ जंक्शन समूह दिनांक 21-4-97 से स्वीकृत करने का प्रस्ताव था। इसके साथ-साथ प्रस्तावक द्वारा जिला सिरोही का पडत सिरोही-रेवदर समूह भी उठाया जा रहा था। इसके अलावा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से राज्य के वृहत राजस्व हित में प्रस्तावक के प्रस्ताव अनुपातिक वार्षिक आरक्षित राशि पर निविदा निर्णायक समिति की अनुशंषा के आधार पर स्वीकृति जारी की गई थी। अतः जिस अवधि के लिये अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया उस अवधि की पूर्ण अनुपातिक राशि वसूल की गई है। प्रश्न में दर्शाई गई हानि काल्पनिक हैं क्योंकि जब समूह एवं क्षेत्रों का संचालन ही नहीं हुआ तो उस अवधि की राशि को हानि नहीं कहा जा सकता।

(7) राजस्व जिला नागौर में मात्र एक डीडवाना समूह के लिए निविदा प्राप्त हुई थी। शेष 7 समूहों एवं तीन भा. नि. वि. म. एवं बीयर क्षेत्रों के लिये कोई निविदाएं प्राप्त नहीं हुई थी। बंदोबस्त वर्ष भी प्रारम्भ हो चुका था। इसके पश्चात् दिनांक 4-4-97 को एक प्रस्ताव पंकज मधोक मिश्री खां एण्ड पार्टी का प्राप्त हुआ जिसमें उसने प्रस्ताव किया वह अनुपातिक वार्षिक आरक्षित राशि पर डीडवाना समूह, नागौर शहर देशी मदिरा समूह एवं नागौर शहर की भा. नि. वि. मदिरा/बीयर क्षेत्र सं. 1 एवं 2 दिनांक 7-4-97 से एवं शेष नागौर, जायल, मेडता, डेगाना, नावां, कुचामन, मकराना ग्रामीण एवं मकराना देशी मदिरा समूह तथा मकराना भा. नि. वि. मदिरा/बीयर क्षेत्र को दिनांक 20-4-97 से चलाना चाहता है। इसके अलावा अन्य कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होने से राज्य के वृहत राजस्व हित को ध्यान में रखते हुए दिनाक 5-4-97

(आबकारी मंत्री)

को ही निविदा निर्णायक समिति की अनुशंषा के आधार पर प्रस्ताव में दी गई तिथि से समूहों के संचालन की स्वीकृतियां जारी की गई थी। अतः जिस अवधि के लिए अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया उस अवधि की पूर्ण रूप से आनुपातिक राशि वसूल की गई है। प्रश्न में दर्शायी गई हानि काल्पनिक है क्योंकि जब समूह एवं क्षेत्र का संचालन ही नहीं हुआ तो उस अवधि की राशि को हानि नहीं कहा जा सकता।

(8) जी नहीं। राजस्व जिला डूंगरपुर के लिए एक प्रस्ताव 27.3.97 को आरक्षित राशि से 69 लाख कम राशि का प्राप्त हुआ था जिसे स्वीकृत नहीं किया गया। इसके पश्चात दिनांक 2.4.97 को एक प्रस्ताव पूर्ण राजस्व जिला डूंगरपुर के मदिरा समूह एवं मा.नि.वि. मदिरा/बीयर क्षेत्रों का आरक्षित राशि पर स्वीकृत करने का प्राप्त हुआ जिस पर प्रस्तावक के प्रस्ताव पर हुए नेगोसियेशन के आधार पर दिनांक 15.4.97 से समूहों एवं क्षेत्रों का संचालन करने की निविदा निर्णायक समिति की अनुशंषा के आधार पर 15.4.97 से संचालन की स्वीकृतियां दिनांक 2.4.97 को ही जारी कर दी गई थीं। प्रस्तावक से अनुज्ञा अवधि की पूर्ण आनुपातिक राशि वसूल की गई है। अतः इसमें राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है, बल्कि स्वीकृति अवधि की पूर्ण आनुपातिक आरक्षित राशि प्राप्त हुई है जो राज्य के वृहत राजस्व हित में थी।

(9) जी नहीं। आबकारी बन्दोबस्त वर्ष 97–99 के लिए प्राप्त निविदाएं एवं प्रस्ताव स्वीकार करने अथवा न करने हेतु एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था जिसके द्वारा प्राप्त निविदाओं एवं प्रस्तावों पर राज्य के वृहत राजस्व हित को ध्यान में रखते हुए ठेके स्वीकृत करने की अनुशंषा के आधार पर ही आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृतियां जारी की गई हैं। किसी भी ठेकेदार को किसी भी प्रकार से अनुचित लाभ नहीं पहुंचाया गया है। राज्य के राजस्व हितों की पूर्ण सुरक्षा की गई है एवं किसी भी प्रकार से किसी राशि की हानि नहीं पहुंचाई गई है। अतः किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला बाड़मेर व जैसलमेर के ग्रामों का पेयजल प्रकरण

75. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में वर्ष 1999–2000 में कितने गांव व ढाणियों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य है ?

(2) जिला बाड़मेर के पास धारवी कलां व धारवी खुर्द में कब तक पीने का पानी उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

(3) ग्राम आरंग, खेतसर, देवलपुरा, रतकुडीया, ओलेचा आदि ग्रामों को खुले कुओं से क्यों नहीं कनेक्शन किया जाता है?

(4) क्या जिला बाड़मेर में पेयजल योजना चलाने के लिए मजदूरों की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जरूरत

(श्री अमीन खान)

अनुसार मजदूर भर्ती करने का विचार रखती है ?

(5) क्या सरकार सरप्लस मजदूर जो वन विभाग बाड़मेर से बांसवाड़ा में भेजे हैं को जलदाय विभाग में लेने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बाड़मेर व जैसलमेर में क्रमश: 25 ग्राम व 375 ढाणियों एवं एक ग्राम व 200 ढाणियों को पानी पहुंचाना प्रस्तावित है ।

(2) ग्राम धारवी खुर्द पेयजल से लाभान्वित है एवं धारवी कलां में पाइप लाइन टेस्ट कर अप्रेल, 1999 में पेयजल उपलब्ध किया जा सकेगा ।

(3) ये सभी गांव हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित हैं, अत: खुले कुओं से जोड़ने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी नहीं । जलदाय विभाग में इनकी आवश्यकता नहीं है ।

ज़िला पाली के राजस्व ग्रामों का पेयजल प्रकरण

76. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला पाली की रायपुर तहसील के राजस्व गांव रामावास, केसरपुरा, सराधना, कायामीला, मालनी, कालबखुर्द, सीरमा,आसन जिलेलाव, बेलपना कानपुरा, सबलपुरा, लालपुरा, कालाकोट तथा तहसील सोजत के राजस्व गांव खरनीखेड़ा, गजनाई, सिंगपुरा, छितरीया, बाजियाड़ा, आकेबी (रायपुर तहसील) तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय काड़ी, रातड़िया, अमरपुरा में अब तक पेयजल योजनाएं स्वीकृत नहीं करने के क्या कारण हैं ? अब सरकार कब तक इन गांवों में पेयजल स्कीमें स्वीकृत कर जोड़ने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय पचानपुरा तथा अमरपुरा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव लालपुरा में एवं अमरपुरा ग्राम पंचायत के पांचों राजस्व ग्रामों को पेयजल देने के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो किन कारणों से आज तक कोई योजना नहीं बनाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्णित समस्त ग्रामों को विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया हुआ है। विवरण संलग्न प्रपत्र "एक" में है ।

(2) जी नहीं । वर्णित ग्रामों को विभागीय नोर्म्स के अनुसार हैण्डपंप योजना से लाभान्वित किया हुआ है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

ग्राम बाड़ी (जिला धौलपुर) का पेयजल प्रकरण

77. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री जसवन्त सिंह)

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के निवासियों को किन-किन स्रोतों से पेयजल सुलभ कराया जा रहा है ? ग्रामवार जल प्रदाय योजना व क्षमता की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बाड़ी क्षेत्र में कुल कितने हैण्ड पम्प कहां-कहां संचालित हैं ? उक्त हैण्ड पम्पों में से कितने हैण्ड पम्प कब से खराब पड़े हैं और इन्हें अब कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

(3) उक्त क्षेत्र में वर्तमान सत्र में पेयजल की कौन-कौनसी नई योजनाएं प्रस्तावित है और इन्हें कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

(4) क्या यह सही है कि पेयजल के अभाव में धौलपुर जिले के उपखण्ड बाड़ी के सरमथुरा क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट के कारण ग्रामीण पलायन कर जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के समाधान का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में पेयजल योजनाओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट–"अ" में है।

(2) बाड़ी क्षेत्र में हैण्डपम्पों का विवरण परिशिष्ट–"ब" में संलग्न है। खराब पड़े हैण्डपम्पों को अप्रेल, 99 तक ठीक किया जा सकेगा।

(3) उक्त क्षेत्र में वर्ष 1998–99 में बाड़ी शहर की पुनर्गठित योजना व चिलाचौंध, खानपुर मीणा एवं उमरेह की पम्प एवं टैंक योजना स्वीकृत है जिनको मार्च, 2000 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

(4) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ लिपिकों का पदोन्नति प्रकरण

78. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सी.आई.डी. (सी.बी.) पुलिस मुख्यालय जयपुर में वरिष्ठ लिपिक के 69 पद रिक्त हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पद कनिष्ठ लिपिक की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1993 के बाद पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? अब तक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं करने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अब विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक निर्धारित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 16.3.99 को आयोजित की गई है। अपील अधिकरण में राज्य सरकार के विरुद्ध याचिकाएं विचाराधीन होने से पदोन्नति समिति की बैठक यथासमय नहीं हुई। किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(4) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 16.3.99 को आयोजित की जा चुकी है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ब्यावर शहर में यातायात पुलिस कर्मियों के पदों का सृजन

79. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर शहर में यातायात पुलिस के पद पर्याप्त हैं? यदि हां, तो किस मानदण्ड के अनुसार और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार के समक्ष उक्त शहर में यातायात पुलिस के नये पद सृजित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है। ब्यावर उपखण्ड हेतु 2 हैड कांस्टिबल, 6 कांस्टिबल के पद स्वीकृत हैं। मानदण्डानुसार उपखण्ड स्तर पर 1 हैड कांस्टिबल एवं 4 कांस्टिबल की स्ट्रेन्थ होनी चाहिए थी, पर वाहनों के आवागमन एवं दुर्घटनाओं के आधार पर मानदण्ड से अधिक यातायात पुलिस में पद स्वीकृत किये गये हैं।

(2) राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

जिला दौसा के थानों में दर्ज प्रकरण

80. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 357/98 थाना महुवा, 196/98 व 198/98 थाना मंडावर, 179/98 एवं 180/98 थाना सलेमपुर में दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो इन प्रथम सूचना रिपोर्टों में नामजद मुल्जिम कौन-कौन हैं ?

(2) क्या उक्त सभी प्रथम सूचना प्रतिवेदनों में नामजद मुल्जिमों को गिरफ्तार कर चालान पेश कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन का कब-कब और नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ? उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट्स में से किन-किन मुल्जिमों का नाम किस किस कारण से हटा दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 357/98 थाना महुवा में श्री हरि सिंह विधायक व उसके समर्थक, अभियोग सं. 196/98 थाना मण्डावर में सीताराम,

(गृह मंत्री)

सत्यनारायण, सुरेशचंद, दिनेश चंद, अभियोग संख्या 198/98 थाना मण्डावर में सीताराम शर्मा, अभियोग संख्या 179/98 थाना सलेमपुर में संजय सिंह गूर्जर अभियोग संख्या 180/98 थाना सलेमपुर में दयाराम गूर्जर नामजद मुल्जिम हैं।

(2) जी नहीं। उक्त सभी अभियोगों में अनुसंधान प्रगति पर है। उक्त सभी प्रथम सूचना रिपोर्ट्स में अंकित किसी भी मुल्जिम का नाम अभी तक हटाया नहीं गया है, इन सभी अभियोगों में अनुसंधान जारी है।

थाना जोबनेर में दर्ज बलात्कार प्रकरण

81. श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना, जोबनेर में माह फरवरी 1999 में ग्राम आसलपुर में एक विधवा के साथ बलात्कार करने के प्रयास का नामजद अभियोग पंजीबद्ध करवाया गया था? यदि हां, तो कब? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में अपराधी पुलिसकर्मी होने के कारण जांच कार्य में ढिलाई बरती जाकर अपराधी को बचाने की कोशिश की जा रही है? यदि नहीं, तो अब तक मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं करने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अपराधी/जांच अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर विधवा महिला को न्याय दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 21.2.99 को। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। यह सत्य नहीं है। अभियुक्त अपने पदस्थापन व निवास स्थान से रूहपोश है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु हर सम्भव प्रयास जारी है।

(3) जी हां। दोषी अभियुक्त, जो पुलिस विभाग में कानि. के पद पर पदस्थापित है, को शीघ्र गिरफ्तार कर विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

जिला उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ के विद्यालयों में रिक्त पद

82. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं?

(2) उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ जिलों के स्वीकृत पद एवं कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारियों की संख्या सूची विद्यालयानुसार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में संचालित राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं वर्तमान में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'क" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में स्वीकृत एवं कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारियों की संख्यात्मक सूची विद्यालयानुसार परिशिष्ट "ख" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला चूरू में साक्षरता कार्यक्रम का मूल्यांकन प्रकरण

83. **श्री रामसिंह कस्वां** (सादुलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या चूरू जिले में चलाये गये संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम का कभी मूल्यांकन हुआ है ? यदि हां, तो कब तथा कमेटी के कौन-कौन सदस्य थे ?

(2) मूल्यांकन के परिणामस्वरूप कितने प्रतिशत निरक्षर साक्षर पाये गये और जिले के कुल कितने व्यक्ति इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप साक्षर हुए ? संख्या सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यक्रम पर 1 मार्च, 1998 तक कुल कितनी राशि व्यय की गई ? जिले में प्रति साक्षर व्यक्ति कितनी राशि व्यय हुई ? उक्त राशि को व्यय करने में किस प्रक्रिया का पालन किया गया ?

(4) क्या उक्त राशि का ऑडिट करा लिया गया है ? यदि हां, तो ऑडिट का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) के ग्राम पहाड़सर व मिठी रेडूवान के निरक्षरों की मूल सर्वे सूची मय इन गांवों में हुए साक्षरता के आन्तरिक मूल्यांकन में सफल घोषित निरक्षरों की सूची के तथा हाल ही में हुए बाह्य मूल्यांकन में बैठे निरक्षरों की सूची के विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। चूरू जिले में संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के समवर्ती एवं बाह्य मूल्यांकन सम्पादित किये जा चुके हैं।

समवर्ती मूल्यांकन दिनांक 30 व 31 जुलाई, 98 को विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर द्वारा एवं बाह्य मूल्यांकन लोक प्रशासन विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 9 से 16 फरवरी, 99 को किया गया। मूल्यांकन समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) चूंकि जिले में साक्षरता अभियान का बाह्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अभी प्रतीक्षित है, अतः उपलब्धि, प्रतिशत एवं साक्षरों की संख्या के बारे में जानकारी देना संभव नहीं है। जहां तक समवर्ती मूल्यांकन का प्रश्न है, वह तीसरी पोथी समाप्त होने से पूर्व ही कर लिया जाता है। अतः इस मूल्यांकन के द्वारा कितने निरक्षर साक्षर हो पाये यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता।

(शिक्षा मंत्री)

(3) उक्त कार्यक्रम पर 1 मार्च, 98 तक कुल राशि रुपये 76,44,479 खर्च की गई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित परियोजना में स्वीकृत बजट के अनुसार राशि खर्च की गई जिसका अनुमोदन समय-समय पर जिला साक्षरता समिति की बैठक में करवाया जाता है। खर्चे का विवरण परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर रख दिया गया है। प्रत्येक साक्षर पर कितना व्यय हुआ है, यह कहना अभी संभव नहीं है, क्योंकि बाह्य मूल्यांकन का प्रतिवेदन अभी आना शेष है। परियोजना प्रस्ताव के अनुसार प्रति निरक्षर व्यय 90/- स्वीकृत किया गया था।

(4) जी, हां। ऑडिट का विवरण परिशिष्ट "ग" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(5) पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) के ग्राम पहाड़सर एवं मीठी रेडूवान के निरक्षरों की मूल सूची परिशिष्ट "घ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

चूंकि अब साक्षरता अभियान का आन्तरिक मूल्यांकन न होकर समवर्ती मूल्यांकन करवाया जाता है, अतः मीठी रेडूवान एवं पहाड़सर ग्राम में समवर्ती मूल्यांकन में सफल घोषित निरक्षरों की संख्या इस प्रकार है :-

क्र. सं.	गांव का नाम	सर्वेक्षित निरक्षर	पंजीकृत विद्यार्थी	सफलता का प्रतिशत
1.	मीठी रेडूवान	134	114	40.2%
2.	पहाड़सर	177	146	21.7%

हाल ही में बाह्य मूल्यांकन में ग्राम पहाड़सर व मीठी रेडूवान चयनित गांव में सम्मिलित है अथवा नहीं यह बाह्य मूल्यांकन परिणाम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही ज्ञात हो सकेगा।

(सूचियां एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

इटावा (कोटा) के उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याताओं के रिक्त पद

84. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय इटावा (कोटा) में व्याख्याताओं के पद रिक्त है ? यदि हां, तो कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक।

उत्तर

(1) जी, हां। इस विद्यालय में व्याख्याताओं के दो पद रिक्त हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है :-

विषय	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त हैं
राज. शास्त्र	1	7/96
इतिहास	1	9/98

(शिक्षा मंत्री)

(2) उक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बहरोड (अलवर) के विद्यालयों में रिक्त पद

85. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने छात्रों पर शिक्षकों के पद स्वीकृत किये जाते हैं ?

(2) क्या पद स्वीकृत करने में शहरी व ग्रामीण विद्यालयों के लिए अलग अलग मानदण्ड हैं ? इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

(3) वर्ष 1996-97 व 1998 में ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में शिक्षक के कितने-कितने नये पद स्वीकृत किये गये ? क्या इन सभी पदों पर नियुक्ति कर दी गई ? यदि नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पद कब तक भरने की योजना है ?

(4) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद रिक्त है तथा इनको अब कब तक भरने दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) राज्य के प्रा. वि.; उ. प्रा. वि., माध्यमिक एवं सी.मा.वि. में शिक्षकों के पद स्वीकृत किये जाने के मापदण्ड परिशिष्ट–"क" में सदन के पटल पर रख दिये गये हैं।

(2) जी, नहीं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पद स्वीकृत करने के एक ही मानदण्ड है।

(3) वर्ष 1996-97 व 97-98 में नव सृजित पदों को विवरण परिशिष्ट–"ख" में सदन के पटल पर रख दिये गये हैं। जी, नहीं। पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में संचालित राजकीय विद्यालयों में 19 व्याख्याताओं के 4, वरिष्ठ अध्यापकों के तथा 7 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

पंचायत समिति उदयपुरवाटी (झुंझुनू) के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

86 श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्र में चल रही अनौपचारिक शिक्षा परियोजना के विभिन्न केन्द्रों को वर्ष 1997 तथा 1998 में कितना-कितना, कौन-कौनसा कितनी-कितनी कीमत का सामान दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या परियोजना अधिकारी से उच्च स्तर के किसी अधिकारी द्वारा इन केन्द्रों पर दिए गए सामान का किसी केन्द्र पर जाकर इस अवधि में भौतिक सत्यापन किया है ? यदि हां, तो उसकी जांच में क्या-क्या अनियमिततायें पाई गई ? यदि

(श्री शिवनाथ सिंह)

नहीं, तो किन कारणों से भौतिक सत्यापन करना उचित नहीं समझा गया ?

उत्तर

(1) झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्र में चल रही अनौपचारिक शिक्षा परियोजना के विभिन्न केन्द्रों को वर्ष 1997 तथा 1998 में दिये गये सामान का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों हेतु जो सामग्री दी जाती है उसमें से अधिकांश केन्द्रों पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं को वितरित कर दी जाती है जैसे–पाठ्य पुस्तकें, पेंसिल, स्लेट, शॉर्पनर, स्केल, चित्रकला कॉपी, रंग, ज्योमैट्रिक बॉक्स, नक्शा । शेष सामग्री जो केन्द्र के उपयोग की होती है, वह केन्द्र पर रखी जाती है । केन्द्र पर रखी गई सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ठि की जाती है, जिसका समय-समय पर सत्यापन सहायक निदेशक द्वारा केन्द्र निरीक्षण के समय किया जाता है । इसके अतिरिक्त परियोजना अधिकारी तथा सुपर वाइजर भी अपने निरीक्षण के समय सामग्री की उपलब्धता एवं वितरण का सत्यापन करते हैं । बच्चों में सामग्री वितरण को अधिक पारदर्शी एवं जन-सहभागितापूर्ण बनाने की दृष्टि से पूरे राज्य में दिनांक 15-5-98 एवं 15 7-98 को एक साथ सामग्री का वितरण किया गया था । विभाग का यह प्रयास है कि सामग्री के अधिकाधिक सदुपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जनभागीदारी एवं पारदर्शिता को और बढ़ाया जावे ।

इस अवधि में सहायक निदेशक द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान कोई खामी नहीं पाई गई ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

87. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बांसवाड़ा के विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कितने माध्यमिक विद्यालय हैं ? विद्यालय का नाम मय क्रमोन्नति वर्ष के सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र के छोटी सरवा माध्यमिक विद्यालय लम्बे समय से चल रही है ? क्या उसकी क्रमोन्नति के लिए मांग चल रही है ? क्या सरकार छोटी सरवा विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि रामगढ़, लसोडिया, मोहकमपुरा विद्यालय लम्बे समय से चल रहे हैं ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों की क्रमोन्नति करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा के विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में 10 माध्यमिक विद्यालय

(शिक्षा मंत्री)

(9 छात्र तथा 1 छात्रा) संचालित हैं। विद्यालयों के नाम एवं उसके क्रमोन्नति वर्ष इस प्रकार हैं :—

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	क्रमोन्नति वर्ष
1.	रामा वि. नौहरा कुशलगढ़	1989
2.	,, छोटी सरवा	1977
3.	,, बड़ी सरवा	1989
4.	,, बड़वास	1989
5.	,, टिमेडा बड़ा	1997
6.	,, ताम्बेसरा	1980
7.	,, कसारवड़ी	1984
8.	,, बड़ा डूंगरा	1997
9.	,, सागवा	1998
10.	राबामावि सज्जनगढ़	1984

(2) जी, हां। आगामी वित्तीय वर्ष में छोटी सरवा के मा.वि. को सी. उ. मा. वि. क्रमोन्नति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों एवं निर्धारित मापदण्ड के तहत गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा क्रमोन्नति के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

(3) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में संचालित 60 उ. प्रा. वि. की सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी, हां। आगामी वित्तीय वर्ष में इन विद्यालयों के मा. वि. में क्रमोन्नति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों एवं निर्धारित मापदण्ड के तहत गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नति के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

विधवा/परित्यक्ता महिलाओं का नियुक्ति प्रकरण

88. **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान शैक्षिक अधिनस्थ सेवा नियम, 1971 के नियम 11 व 22 के तहत विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को बिना प्रक्रिया अपनाएं अध्यापिका पद पर नियुक्ति प्रदान करने के नियम के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 से अब तक कितनी अध्यापिकाओं को नियुक्ति दी गई है।

(2) वर्तमान में दिनांक 28 फरवरी, 1999 को कितनी अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र नियुक्ति हेतु विचाराधीन हैं एवं उन्हें किन कारणों से अब तक नियुक्तियां नहीं दी गई हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित नियम वेतन) 1989 में विधवा एवं परित्यक्ता महिला को अध्यापिका पद पर नियुक्ति पर एस. टी. सी./बी. एड. प्रशिक्षण करने हेतु स्थिर वेतन देने सम्बन्धी वित्त विभाग के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या इस नियम की पालना की जा रही है? यदि हां, तो अब तक दी गई सुविधा का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। किन्तु राजस्थान शैक्षिक अधिनस्थ सेवा नियम 1971 के उप नियम 11 व 22 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया अपना कर ही नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्ष 95-96 से 98-99 तक संकलित सूचना के अनुसार 858 विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को अध्यापिका के पद पर नियुक्तियां प्रदान की गई हैं।

(2) 28-2-99 को विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के नियुक्ति हेतु विचाराधीन आवेदन पत्रों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

प्रत्येक वर्ष नियुक्ति हेतु विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर वरिष्ठता सूची का निर्माण किया जाता है, जिसके आधार पर नियमानुसार कुल रिक्तियों के 10% पदों पर (8% विधवा व 2% परित्यक्ता) नियुक्तियां किये जाने का प्रावधान है, अतः उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर नियुक्तियां प्रदान की जाती हैं। शेष पर आगामी वर्षों में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही नियुक्ति दी जाती है।

(3) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित नियम वेतन) 1989 में विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के वेतन निर्धारण हेतु वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 19-2-91 परिशिष्ट "ख" में सदन के पटल पर रख दिया गया है। उक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत सभी को देय लाभ दिये जा रहे हैं।

(विवरण एवं परिपत्र के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

राज्य के विद्यालयों का क्रमोन्नयन प्रकरण

89. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आगामी शिक्षा सत्र से राज्य में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक व उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रूप में विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा? यदि हां, तो कितने विद्यालय कहां-कहां पर क्रमोन्नत किये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या माध्यमिक विद्यालयों को भी उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया जायेगा? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय को?

(3) विद्यालयों को क्रमोन्नत करने में क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी तथा इसमें प्राथमिकताएं क्या-क्या होगी?

उत्तर

(1) जी, हां। आगामी शिक्षा सत्र में क्रमोन्नति हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों एवं निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर विचार कर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने का निर्णय लिया जायेगा।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी, हां। आगामी शिक्षा सत्र में क्रमोन्नति हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों एवं निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर विचार कर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने का निर्णय किया जायेगा।

(3) आगामी शिक्षा सत्र में क्रमोन्नति हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों एव निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

जिला धौलपुर के कर्मियों का भुगतान प्रकरण

90. **श्री जसवन्त सिंह** (बाड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जिला धौलपुर में सरकारी कर्मचारी/अधिकारियों के कितने यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा व्यय बिल भुगतान हेतु लम्बित हैं ?

उत्तर

जिला धौलपुर में शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बकाया चिकित्सा एवं यात्रा व्यय बिलों का विवरण निम्न प्रकार से हैं :–

	यात्रा	चिकित्सा
अधिकारियों के	4,34,073	4,07,154
कर्मचारियों के	36,74,356	29,26,441
	41,08,429	33,33,595

पंचायत समिति बांदीकुई के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

91. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) पंचायत समिति क्षेत्र बांदीकुई (दौसा) में कुल कितने अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं एवं कितने केन्द्र बंद हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिमाह भुगतान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए किसी भी गांव अथवा ढाणी में जहां 6–14 वर्ष के किन्हीं कारणों से प्राथमिक शिक्षा से वंचित 25 या उससे अधिक बालक-बालिकाएं उपलब्ध हों, वहां अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र ग्राम शिक्षा समिति की सिफारिश पर प्रारम्भ किये जाने के मानदण्ड निर्धारित है।

(2) पंचायत समिति क्षेत्र बांदीकुई (दौसा) में राज्य सरकार द्वारा कोई अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संचालित नहीं है।

भारत सरकार द्वारा सीधे ही संस्था को शत-प्रतिशत अनुदान से एक स्वयंसेवी

(शिक्षा मंत्री)

संस्था प्रबन्ध समिति विवेकानन्द विद्यालय, दौसा द्वारा 100 केन्द्रों की योजना बांदीकुई में संचालित की जा रही है जिनमें से वर्तमान में विभाग में प्राप्त सूचना के अनुसार 22 केन्द्र बन्द हैं तथा 78 केन्द्र चल रहे हैं। बन्द एवं चालू केन्द्रों की सूची परिशिष्ट–"क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) उक्त केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को दिनांक 30.9.98 तक भुगतान कर दिया गया है। इन संस्थाओं को भारत सरकार से अनुदान नहीं मिल पाने के कारण आगे का भुगतान उनके द्वारा नहीं किया गया है।

(4) उक्त स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में कुल 2525 बालक-बालिकाएं नामांकित हैं जिनमें से 715 बालक एवं 1810 बालिकाएं हैं, छात्रों के नाम की सूची परिशिष्ट-"ख" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

ग्राम बालापुरा (कोटा) का लिफ्ट सिंचाई योजना प्रकरण

92. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि ग्राम बालापुरा, तहसील लाडपुरा (कोटा) में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध है ? यदि हां, तो वहां कब तक लिफ्ट सिंचाई योजना की स्वीकृति दे दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

ग्राम बालापुरा में सिंचाई हेतु चम्बल परियोजना की दांई मुख्य नहर एक मात्र साधन है। दांई मुख्य नहर से जलोत्थान परियोजनाएं बनाये जाने बाबत मामला विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की लिफ्ट सिंचाई योजना प्रकरण

93. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के रक्तपुरिया में लिफ्ट स्कीम के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) उक्त प्रस्तावों पर सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किसानों की भावना को मध्य नजर रखते हुए इस योजना को स्वीकार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) दायीं मुख्य नहर से जलोत्थान परियोजनाएं बनाये जाने बाबत मामला विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) बिन्दु एक के तय होने पर ही अग्रिम स्थिति तय हो सकेगी।

तहसील डेगाना (नागौर) के पशु चिकित्सालय

94. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में नागौर जिले में कुल कितने पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत चार-पांच वर्षों के दौरान तहसील डेगाना में कोई नया पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) तहसील डेगाना में पशुधन की कुल कितनी संख्या है ? सूची पशुवार सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पशुओं के अनुपात को देखते हुए तहसील में कार्यरत पशु चिकित्सालयों की संख्या कम है ? यदि हां, तो अब कितने पशु चिकित्सालय और खोलने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में नागौर जिले में 65 पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं। जिनकी तहसीलवार सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1995–96 के दौरान ग्राम भेरून्दा में नया पशु चिकित्सालय खोला गया है।

(3) तहसील डेगाना में वर्ष 1992 की पशु गणना के अनुसार 3,27,941 पशु उपलब्ध हैं। पशु वंशवार सूची "ख" संलग्न है।

(4) तहसील डेगाना में 9 पशु-चिकित्सालय एवं 2 पशु औषधालय कार्यरत हैं जो 1,14 756 पशुधन इकाइयों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती हैं। प्रदेश के अन्य जिलों के अनुपात में तहसील डेगाना की स्थिति संतोषप्रद है। राजस्थान में लगभग 17200 पशुधन इकाइयों पर एक पशु चिकित्सा संस्था है। नागौर जिले में लगभग 16200 पशुधन इकाइयों पर एक पशु चिकित्सा संस्था तथा डेगाना तहसील में लगभग 11000 पशुधन इकाइयों पर एक संस्था कार्यरत है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्त्तव्य

95. श्री. सांवरलाल (भिनाय) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष को कानूनन क्या-क्या सुविधाएं एवं क्या-क्या अधिकार प्राप्त हैं और उसके कर्त्तव्य क्या हैं ? विवरण मय नियमों की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के उपनियमों में अध्यक्ष को निम्न अधिकार एवं कर्त्तव्य दिये गये हैं :—

(1) संचालक मण्डल एवं आम सभा की अध्यक्षता करना। उपनियम संख्या 14.3 एवं 19.8

(राज्य मंत्री, डेयरी)

(2) संचालक मण्डल की बैठक में मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष को अपने सामान्य मत के अलावा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। उपनियम संख्या 19.13

(3) संस्थापन समिति की बैठक में भाग लेना। उपनियम संख्या 21.3 (अ)

(4) आम सभा में अध्यक्ष या उसकी सहमति से अन्य किसी विषय पर विचार करना उपनियम 16.1.23

(5) अव्यवस्था की स्थिति में आम सभा की बैठक को निलंबित कर सकता है। (राजस्थान सहकारी संस्था नियम 1966 नियम 30.15)

उपनियमानुसार संचालक मण्डल के सदस्यों की अध्यक्ष सहित सेवाएं निःशुल्क होंगी। संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों में उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। केवल प्रबन्ध संचालक की अनुपस्थिति में संघ के कार्य का निष्पादन संघ के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अध्यक्ष की स्वीकृति से किया जायेगा।

जिला दुग्ध संघ के अध्यक्ष को उपलब्ध सुविधाएं राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि; द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 18.1.90 एवं उसके पश्चात पुनः परिपत्र दिनांक 2.4.97 में दिया गया है। इस परिपत्र के अनुसार अध्यक्ष को निम्न सुविधाएं उपलब्ध हैं :—

(i) संघ अपनी आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अध्यक्ष के घर पर टेलीफोन उपलब्ध करवा सकता है।

(ii) संघ में वाहन उपलब्ध होने पर अध्यक्ष को संघ के कार्य से कार्यालय या बैठकों में भाग लेने हेतु वाहन उपलब्ध कराना। निजी कार्य के लिए भी वाहन उपलब्ध कराया जा सकता है जिसका भुगतान अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(iii) संघ कार्य अथवा बैठकों में भाग लेने हेतु टी.ए.डी.ए. होटल चार्जेज देय, जो संस्था के मुख्य कार्यकारी को देय होगा।

(iv) बैठक में भाग लेने हेतु मीटिंग फीस 50/– प्रति बैठक होगी। नियमों एवं प्रपत्रों की प्रति संलग्न हैं।

(विवरण एवं नियमों की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सिल्ट सफाई प्रकरण

96. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1998–99 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण की सिल्ट सफाई के कार्यों के लिए निविदाएं कब-कब आमन्त्रित की गई व उस दौरान कौन-कौन सी नहरों की सफाई कर ली गई थी? विवरण मिट्टी घन फुट व तिथिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन तारीखों में निविदाएं आमन्त्रित की गई थी, उक्त तारीखों में नहरें चालू थी, जिसके कारण सभी नहरों की सफाई नहीं हो पाई। यदि हां, तो क्यों? यदि पूर्ण सफाई कर ली गई

(श्री देवीसिंह भाटी)

तो किन नहरों की कितनी आर. डी. से कितनी आर. डी. तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 1998-99 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण की सिल्ट सफाई के अधिकांश कार्यों के लिए निविदाएं आमन्त्रित करने का कार्य माह जुलाई, 98 से माह अक्टूबर, 98 तक विभिन्न तिथियों में किया गया। वे कार्य जिनकी सिल्ट सफाई का कार्य माह जनवरी, 99 की बंदी में प्रस्तावित था उनकी निविदाएं माह दिसम्बर, 1998 एवं जनवरी के प्रथम सप्ताह में आमन्त्रित की गई तिथिवार ब्यौरा परिशिष्ट–"क" 1 से 13 में दर्शाया गया है। इस दौरान जिन-जिन नहरों की सफाई कर ली गई, उनके नाम तथा मिट्टी की मात्रा का विवरण भी इसी परिशिष्ट में स्तम्भ संख्या 2 एवं 5 पर दर्शाया गया है।

(2) जी हां। यह सही है कि जिन तारीखों में निविदाएं आमन्त्रित की गई थीं उन तारीखों में नहरें चालू थीं। किन्तु यह सही नहीं है कि इस कारण नहरों की सफाई नहीं हो पाई। जिन नहरों की पूर्ण सफाई करा ली गई थीं, उनको आर. डी. वार ब्यौरा उक्त परिशिष्ट के स्तम्भ संख्या 7 पर दिया गया है।

(ब्यौरे विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

जिला अलवर के पौषाहार केन्द्र

97, **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला अलवर में वर्तमान में कितने पोषाहार केन्द्र चल रहे हैं ? विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में वर्तमान में कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(3) उक्त केन्द्र किसके द्वारा संचालित हैं ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में 6 बाल विकास परियोजनाओं के अधीन 738 पोषाहार (आंगनबाड़ी) केन्द्र चल रहे हैं। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संचालित पोषाहार (आंगनबाड़ी) केन्द्र की संख्या
1	अलवर शहर	98
2.	उमरेण	131
3.	राजगढ़	105
4.	कठूमर	178
5.	किशनगढ़वास	76
6.	लक्ष्मणगढ़	150
	योग	738

भारत सरकार से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में बाल विकास परियोजना प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

होने के कारण इस क्षेत्र में कोई पोषाहार (आंगनबाड़ी) केन्द्र नहीं चल रहे हैं।

(2) अलवर जिले में समेकित बाल विकास सेवाओं के अधीन कुल 7 अधिकारी एवं 55 कर्मचारी कार्यरत हैं। बाल विकास परियोजना लक्ष्मणगढ़ में रेडक्रास संस्था का स्टॉफ कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 716 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 685 आंगनबाड़ी सहायिका नियत मानदेय पर कार्य कर रही हैं।

(3) अलवर जिले में 5 परियोजनाओं के 588 आंगनबाड़ी केन्द्र राज्य सरकार (विभाग) द्वारा संचालित है। लक्ष्मणगढ़ परियोजना के 150 केन्द्रों का संचालन गैर सरकारी संगठन इन्डियन रेडक्रास सोसायटी (राजस्थान शाखा) द्वारा किया जा रहा है।

राज्य के विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विदेशी छात्र

98. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में राज्य के किन-किन विश्वविद्यालयों में कितने विदेशी छात्र किन-किन कक्षाओं में अध्ययनरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1994 से 1998 तक कितने विदेशी छात्रों ने राज्य के विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया? सूची नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में 6 विश्वविद्यालय संचालित है, जिनमें से कोटा खुला विश्वविद्यालय कोटा में विदेशी छात्रों को प्रवेश देने का प्रावधान नहीं है। शेष 5 विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में विदेशी अध्ययनरत छात्रों की सूची परिशिष्ट-"अ-1 से अ-5" तक सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1994 से 1998 की अवधि में राज्य के विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों की नाम सहित सूची परिशिष्ट ब-1 से ब-5 तक सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

विधान सभा क्षेत्र डेगाना (जिला नागौर) के प्रस्तावित औषधालय

99. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): क्या आयुर्वेदिक राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में नये औषधालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1999–2000 के दौरान राजस्थान में कुल कितने नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का प्रावधान रखा गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला नागौर में कुल कितने आयुर्वेदिक औषधालय कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना में गत तीन-चार वर्षों में कोई आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खोला गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नवीन औषधालय खोलने हेतु निर्धारित मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर है, जो सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) बजट घोषणानुसार आयुर्वेद के 100 "ब" श्रेणी के एवं यूनानी के 50 औषधालय खोले जावेंगे। ये औषधालय कहां-कहां खोले जावेंगे, प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) नागौर जिले में कुल 155 आयुर्वेदिक औषधालय/चिकित्सालय स्वीकृत व संचालित हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट—2 में रख दी गई है।

(4) जी हां। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण।

(मानदण्ड एवं सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—10 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

(1) श्री हरीश कुमावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति कुचामन सिटी के ग्राम चावण्डिया में प्रस्तावित जी. एस. एस. के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस थाना रेलमगरा क्षेत्रान्तर्गत गांव गवारड़ी में दिनांक 9.2.99 को एक महिला के साथ हुए बलात्कार एवं तत्पश्चात् आत्म-हत्या की घटना के सम्बन्ध में।

(3) श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल), सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में आयोजित भारत—पाकिस्तान क्रिकेट मैच में आयोजकों द्वारा स्टेडियम की क्षमता से अधिक टिकट बेचने तथा टिकट धारकों के पास टिकट होते हुए भी उनके मैच देखने से वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) डा. किरोड़ी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम रिवाली में दिनांक 29.3.99 को एक शेर के आ जाने तथा उसके द्वारा अनेक ग्रामीणों को घायल कर देने की कथित घटना के सम्बन्ध में।

(5) डा. रामप्रताप, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला हनुमानगढ़ के नोहर कस्बे में जनवरी माह के आखिरी सप्ताह में एक नाबालिग लड़की की अपहरण एवं बलात्कार की घटना के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की गयी है/की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, शेर अगर आदमियों को खा जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी और लोगों ने अगर शेर को मार दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। इस पर तो कम से कम सरकार तुरन्त कोग्नीजेंस लें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : पहले आप आये, फिर शेर आया. (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष के कुछ सदस्य बड़ी मजाक में ले रहे हैं। मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि शेर आता ही रहता है, शेर तो जाता रहता है।

सात लोग तो एस.एम.एस. में भर्ती हैं जिनको पंजे से काट खाया।

श्री अध्यक्ष : जानकारी आ जाएगी। आप जानकारी आ जाने दीजिए, इस पर जानकारी पूछी है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : और गांव खाली हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस तरह से निवेदन किया है कि सरकार इसका कोग्नीजेंस ले। जिला प्रशासन और फोरेस्ट का कोई आदमी वहां पर अभी तक नहीं पहुंचा है। कोई भी नहीं पहुंचा।

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हीरासिंह चौहान एवं दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले में अकाल राहत कार्य नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 17 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के 20 जिलों के 18,700 गांवों को राज्य सरकार द्वारा कथित अकालग्रस्त घोषित करने के उपरान्त भी अकाल राहत कार्य शुरू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्यों को बजट पर सामान्य वाद-विवाद के समय प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर बोलने का अवसर उपलब्ध है।

(3) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं पांच अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई मानसिंह चिकित्सालय में आने वाले मरीजों के परिजनों व रक्तदाताओं को रक्त के साथ-साथ शुल्क अदा करने के आदेश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्य को प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मांग पर चर्चा के समय बोलने का अवसर उपलब्ध है।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला डूंगरपुर में भयंकर अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री केसाराम चौधरी सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र

(श्री अध्यक्ष)

खारची के कतिपय गांवों में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल डूंगरपुर में कार्यरत 13 श्रमिकों को न्यायालय के निर्णय के उपरांत भी वेतन श्रृंखला–3 प्रदान नहीं करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री शिवनाथ सिंह,सदस्य, विधान सभा की ओर से विद्यार्थियों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए माह मार्च, अप्रैल और मई, 1999 में सायं 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक बिजली निश्चित रूप से उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री मदन दिलावर, सदस्य,विधान सभा की ओर से अटरू तहसील के कवाई थानान्तर्गत बालू काछी नामक एक व्यक्ति के साथ पुलिस द्वारा किये जा रहे अमानवीय व्यवहार के सम्बन्ध में।

(6) श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले में सिंचाई के लिए पानी रोकने के लिए बांधों का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले के एन. डी. पी. एस. मामलों की सुनवाई का अधिकार सत्र न्यायाधीश, बालोतरा को देने एवं गुढ़ामालानी के उपखण्ड कार्यालय को गुढ़ामालानी में रखने के सम्बन्ध में।

(8) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर के लाडनूं कस्बे में ए. सी. एम. कोर्ट खोलने के सम्बन्ध में।

(9) श्री मदनलाल वर्मा, सदस्य,विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले के डग विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता था कि (व्यवधान)....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं): अध्यक्ष महोदय, नियम 127 में मैंने भी एक प्रस्ताव दिया था, उसका क्या हुआ? 127 में मैंने भी एक प्रस्ताव भेजा था, उसके बारे में आपकी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। (व्यवधान) नियम 127 की भी नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, नियम 131 में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये हैं, उनके मामले में कोई व्यवस्था आपकी नहीं हुई है। 131 में मैंने दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपके समक्ष पेश किये हैं 31 तारीख को उनके मामले में कोई आपकी व्यवस्था ही नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : नहीं, 131 में दिये होंगे, उनके बारे में सरकार से जानकारी मांगी है।

श्री जगमाल सिंह यादव : 131 है, सर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने 127 में दिये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 127 में दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं। आप मेरे से चैम्बर में मिल लीजिए, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आधे घंटे की चर्चा के लिए क्वेश्चन नम्बर 53 है, उसका जवाब सरकार न तो संतोषजनक। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री जगमाल सिंह यादव : न इधर से सुनने दिया गया है, इसलिए मैं और तीन अन्य साथियों ने आधे घंटे की चर्चा की आपसे व्यवस्था चाही है। मैंने प्रश्न नम्बर 53 के बाबत आपको लिखित में सूचित कर दिया है आधे घंटे की चर्चा के लिए। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे को भी शामिल कर लीजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे प्रस्ताव पर व्यवस्था चाहूंगा कि आधे घंटे की चर्चा, क्योंकि यह सोशल जस्टिस का सवाल है और सारे सदन की भावना है। एस. सी; एस. टी. और ओ. बी. सी. के लोग चाहते हैं और सारा सदन चाहता है कि उसकी चर्चा हो इसलिए 37 पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न के सम्बन्ध में काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, इसका तो कोई जवाब ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : उस प्रश्न के सम्बन्ध में काफी चर्चा हो गयी है। अभी मैं कोई व्यवस्था देने वाला नहीं हूं, आप मेरे से चैम्बर में मिल लेना। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : इसका कोई जवाब नहीं आया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर।

डा रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेरोजगार शिक्षकों की नियुक्ति की आज अन्तिम तारीख है और लोग आत्मदाह करने को तैयार बैठे हैं। (व्यवधान) रिक्त स्थान पड़े हैं और रिक्तियां भरी नहीं जा रही हैं। राज्य सरकार से

(डा. रामप्रताप)

निवेदन है कि उनकी तारीख बढ़ायी जाए, पद रिक्त पड़े हैं। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आज़ाद (नगर) : पर्चे आउट हो गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पर माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने यह जवाब दे दिया था कि पर्चे आउट होने पर तीन अध्यापकों को निलम्बित कर दिया है, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि दुबारा से पेपर आउट नहीं होंगे। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री मोहम्मद माहिर आज़ाद : इसके पुख्ता इन्तजाम किये गये हैं, यह आश्वासन सदन में माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने दिया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, क्या है ?

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, आज अन्तिम तारीख है।

श्री मोहम्मद माहिर आज़ाद : उसके बाद में, माननीय अध्यक्ष महोदय, सीनियर हायर सैकण्डरी के फिजिक्स और दूसरे विषयों के राजस्थान के कई जिलों में, भरतपुर जिले में भी पेपर आउट हुए हैं। मैं स्वयं भरतपुर गया हूं, पेपरों के सम्बन्ध में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आज अन्तिम तारीख है। उनकी तारीख नहीं बढ़ायी गयी है, वे आत्मदाह करने को तैयार बैठे हैं।

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, बेरोजगार शिक्षकों का बहुत गम्भीर मामला है, आत्मदाह पर बैठे हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : चारों तरफ से पेपर आउट हो रहे हैं। (व्यवधान)

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बेरोजगार... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : चारों तरफ सौ-दो सौ पड़े हैं, प्रश्न पत्र को ले जा रहे हैं। कहीं पर कोई सौ रुपये में देता है, कोई पांच सौ में बेच रहा है, कोई आठ सौ में बेच रहा है। (व्यवधान) पूरी शिक्षा के खिलाफ....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर, आसन पैरों पर। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर।

डा. रामप्रताप : मामला गम्भीर है, उसके बारे में राज्य सरकार कोई व्यवस्था करे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पेपर जो आउट हुए हैं उसके सम्बन्ध में आज मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : यह बेरोजगारों के लिए बहुत ही... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कार्य सूची में भी आज आपके है। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्रीजी ने इस सदन को आश्वस्त किया था कि अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। उसके बाद में मैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह बाद में आप उनका वक्तव्य पढ़ लेना। वक्तव्य आने के बाद में आप प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लेना।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : वक्तव्य आने का मतलब क्या होता है ?

श्री मदन दिलावर (अटरू) : बेरोजगार शिक्षकों का मामला है। (व्यवधान)

डा. रामप्रताप : बेरोजगार शिक्षकों का मामला है। अध्यक्ष महोदय, आज अन्तिम तारीख है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : और उनकी तारीख नहीं बढ़ायी गयी। (व्यवधान)

डा. रामप्रताप : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। अध्यक्ष महोदय, रिक्त स्थान रह गये राज्य सरकार की व्यवस्था की वजह से। उन्होंने जो दिया है, वह मैरिट लिस्ट एग्जास्ट हो जाएगी। उस तारीख को आगे बढ़ाया जाए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मेरा निवेदन है कि आगे तारीख बढ़ायी जाए। मंत्रीजी तारीख बढ़ाएं।

श्री मदन दिलावर : जानबूझ कर ये रोक रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मंत्रीजी कह दें। तारीख बढ़ाएं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इनको पता नहीं है, सूची की तारीख पहले से ही बढ़ा दी गयी है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उन्होंने तारीख बढ़ायी ही नहीं फिर कब.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : Point of order, Sir.

श्री अध्यक्ष : Still it is a zero hour. No point of order can be raised during the zero hour. आप ठहरिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : I just wanted to point out. अध्यक्ष महोदय, आप अध्यक्ष के पद से बहुत ही डेकोरम मेन्टेन रखते हैं। जो भी आपके इन्स्ट्रक्शन होते हैं उनका आदर हम मैम्बर भी करते हैं। मेरी आपके माध्यम से डी.ओ.पी. मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके जब क्वेश्चन आवर खतम हो तो इन आफिसर्स गैलेरी में, they are the part of this House, आप जब खड़े हों तो उनको इतनी क्या जल्दी है ? ये पांच-दस मिनट क्यों नहीं रुक सकते हैं। आप ठीक है, भले ही उनको एज ए ग्रेस एक्सक्यूज कर दें, But it is a reflection on the House. अगर हम वह डिसिप्लिन मेन्टेन कर रहे हैं, मंत्री लोग कर रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी कर रहे हैं, विपक्ष के नेता कर रहे हैं तो ये कौनसे महारथी आ गये? इसलिए मेहरबानी करके, अध्यक्ष महोदय, अगर

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

राइटिंग में भी आपको बख्शाना पड़े तो डी. ओ. पी. मिनिस्टर साहब को हिदायत दीजिये कि आफिसर्स को रिटिन में इन्स्ट्रक्शन चले जाएं कि जब तक अध्यक्ष महोदय क्वेश्चन आवर के बाद पूरी व्यवस्था नहीं दे दें, उस समय तक उनकी दीर्घा नहीं छोड़नी चाहिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला (कार्मिक मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ आफिसर्स नये होते हैं। इस सम्बन्ध में मैं डी. ओ. पी. डिपार्टमैंट से निर्देश जारी कर दूंगा कि वे सदन की परम्पराओं का निर्वहन करें। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : निर्देश क्या, आप उनको ट्रेनिंग दीजिये। माननीय सदस्य भी नये चुनकर आते हैं। आप उनको डिफैंड कर रहे हैं। आप उनकी गलती को डिफैंड कर रहे हैं, आप उनका पक्ष ले रहे हैं। (व्यवधान) आप अधिकारियों का पक्ष ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही पक्ष ले-लेकर पूरे ब्यूरोक्रेट्स को हावी कर दिया गया है। यह पक्ष लेने की बात है। नाजायज पक्ष ले रहे हैं उनका। (व्यवधान) नये तो विधायक भी होते हैं, नये अधिकारी भी होते हैं। आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, परम्परा सिखाइये। सदन की गरिमा क्या रहेगी? (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द): नये विधायक भी हैं, उनको भी उतनी ही छूट हो जाएगी। ये नये मंत्री हैं। नये विधायकों को भी छूट हो जाएगी। इस पर आप क्या कर रहे हैं? (व्यवधान) नये अधिकारी हैं तो, अध्यक्ष महोदय, उनको परम्पराएं सिखाइये। आप उनकी गलती को डिफैंड कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): अध्यक्ष महोदय, ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव श्रीमन् के सामने रखा है, पूरे सदन की भावना उनके साथ जुड़ी हुई है। मान्यवर, आपको मंत्री महोदय को या किसी को लिखने की आवश्यकता नहीं है। उनको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस सदन के सर्वोपरि आप हैं, आपका आदेश है, आपकी यहां से व्यवस्था है। वह आदेश ही नहीं है, वह इस सदन की एक व्यवस्था है। मान्यवर, क्यों भगदड़ मचती है? ठीक कहते हैं वे। ऐसा बुरा लगता है कि हम तो शालीनता से आपके आसन पर होने से अपने-अपने स्थान पर बैठे रहते हैं और सर्विस क्लास जो बैठी है उसमें एकदम भगदड़ मचती है। वास्तव में बड़ा अटपटा लगता है। मान्यवर, आप यह व्यवस्था दीजिए। ठीक है, माननीय मंत्रीजी ने रेस्पांड किया है, यह उनका बहुत अच्छा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सॉरी फील करें।

श्री रामनारायण चौधरी : लेकिन आप एक व्यवस्था दीजिए ताकि वह स्टेण्डिंग रहे और आने वाले सभी लोग उसका आदर करें और सबके लिए एक मैसेज जाए। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में मैं मेरी बात कह दूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत ही गम्भीर स्थिति बनी हुई है। डा. चन्द्रभान जी ने 22 तारीख को इस बात की घोषणा

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

की थी कि किसी का भी कनेक्शन, उसने अगर फीस जमा नहीं करायी है तो भी नहीं काटा जाएगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 15 गांव आज भी ऐसे हैं जहां पर बिजली के तार काट दिये गये हैं और वहां पर ट्रांसफार्मर उतार कर रखे हुए हैं। छोटी सादड़ी में मैं उन गांवों के नाम बताने के लिए तैयार हूं। मैंने स्लिप दी है। घाघलोद, गोठया, गमाना, बरखेड़ी, सूबी नारायण, वहां पर अफीम की फसल सूख गयी। अफीम की फसल सूख गयी है। (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय को निवेदन किया था कि (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : लाखों रुपयों का काश्तकारों को नुकसान हो गया, आप उनके कनेक्शन नहीं कटने दें। मैं कल ही वहां जाकर के आया हूं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : मेरे पास पूरा जवाब है।

श्री अध्यक्ष : आप किस पर चर्चा कर रहे हैं ?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपको अनुमति किसने दी है ? आपका यहां पर 295 का है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मेरे वहां पर गम्भीर स्थिति बनी हुई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तभी आप रखेंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां बहुत ही गम्भीर स्थिति है। मैंने पर्ची भेजी है। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां गम्भीर समस्या है। (व्यवधान) वहां पर कनेक्शन कट गये हैं और लाखों रुपयों का नुकसान हो चुका है। अभी भी बीस गांवों के कनेक्शन काटे हुए हैं। मैं कल वहां गया था उन गांवों में। आर. एस. ई. बी. का ए.ईएन. वहां पर लोगों को... (व्यवधान)..

श्री कन्हैयालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि अब कोई काटा नहीं जाएगा। (व्यवधान) बहुत-से गांवों में जब कनेक्शन काट रहे थे तब एक हैल्पर की मौत हो गयी, वह सारे पेपरों में आयी है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल किसानों के कनेक्शन की बात की थी। जिन गांवों में 80 से 90 प्रतिशत उपभोक्ता बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं उन गांवों में यह कार्यवाही हो रही है। आप बाकायदा इसके लिए प्रस्ताव लाइये, मेरे पास जवाब है। अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो मैं बता सकता हूं कि कौनसे जिले में कितने गांव हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव में काटे गये हैं। (व्यवधान) यह बिल जमा कराकर लाया हूं. उसके बावजूद भी काटे गये। तीन काश्तकारों के बिल जमा नहीं है और पूरे गांव की बिजली काट दी आप लोगों ने। यह सरपंच का लिखा हुआ है मेरे पास। ये बिजली के बिल जमा हैं। वहां पर सिर्फ तीन काश्तकारों के दो-दो बिल जमा नहीं हैं। (व्यवधान) कनेक्शन काट दिये हैं। अध्यक्ष

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

महोदय, इन गांवों के लोगों की बिजली नहीं जोड़ी गयी तो बहुत ज्वलन्त समस्या खड़ी हो जाएगी।

श्री मदन दिलावर : मेरे यहां भी कई गांवों में बिजली काटी गयी है। बहुत सारे लोगों के बिल जमा है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अगर बिजली नहीं जोड़ी गयी तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। बहुत गम्भीर स्थिति है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में यह स्थिति हो रही है। आप भी किसान है, अभी फसल का टाइम है, विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दें कि जब तक फसल नहीं कट जाए किसी किसान का कनेक्शन नहीं काटा जाए। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयान कर रहे हैं। मैं फिर आप से कह रहा हूं कि किसी किसान का कनेक्शन नहीं काटा जा रहा है। अगर किसी का काटा हो तो आप मुझे लिखित में दीजिये, मैं उसको रि-कनैक्ट करवा दूंगा।

श्री सांवरलाल : हां, मैं लिखित में दे देऊंगा। आपकी तो सरकार है, आपके पास सारी जानकारी हो सकती है।

श्री कन्हैयालाल : (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, वह ज्यादा दूर नहीं है। यहां से 20 किलोमीटर पर आप कानोता से देख लें। आज काश्तकारों के कनेक्शन कटे हुए हैं, और लोगों के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। कनेक्शन काटते समय एक हैल्पर की मृत्यु हो गयी है, उसकी खबर आज सारे अखबारों में आयी है। (व्यवधान) जिस हैल्पर की मृत्यु हुई है कनेक्शन काटते समय बासवा गांव में (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी . यह लोक हित का, किसानों का, गरीबों का मामला है। (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल : ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर की दूरी पर है, पास ही है, आप स्वयं देख सकते हैं। आपने सैकड़ों कनेक्शन काटे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, बिल भी आपको बता रहा हूं। बिल जमा हैं और कनेक्शन काट रखे हैं। गांवों में गेहूं कटे हुए हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप मुझे लिखित में दीजिए ना, कहां काटे हैं ? आप यूं ही खड़े होकर कह रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां जिले में माननीय धारीवाल जी गये थे, जिस गांव के लोगों ने धारीवाल जी को मारा (व्यवधान) सारे गांव की बिजली काट दी गयी है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों के बिल बकाया हैं केवल उनके डोमेस्टिक कनेक्शन कट रहे हैं, बाकी एक का भी कनेक्शन नहीं काटा जा रहा है। यदि कोई हो तो मुझे दीजिये न, नाम बताइये। अब इतना बड़ा प्रदेश है, 50

(डा. चन्द्रभान)

लाख कंजूमर हैं, एक-दो कंजूमर की आप क्या बात करते हो। (व्यवधान) आप गलत प्रचार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं अगर मेरी बात असत्य हो तो। बिल जमा हैं, मैं बिल लेकर आया हूं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बिजली के 50 लाख कंजूमर हैं और 50 लाख कंजूमर में यदि कहीं कोई गलती हो गयी तो हम उसको दुरुस्त कर देंगे। 50 लाख कंजूमर में से एक-दो हो सकते हैं.... (व्यवधान) आप पहले ए. ईएन से मिलिये, एक्स. ईएन. से मिलिये, एस. ई. से मिलिये, फिर मेरे से बात कीजिये आप। आप मिलते ही नहीं हैं। आप उन लोगों की पैरवी कर रहे हैं जो पैसा नहीं दे रहे हैं। उन लोगों के कनेक्शन कटेंगे। (व्यवधान) उनके कनेक्शन काटे जाएंगे जिनके बिल बकाया हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री महोदय, बजट में गलत बयानी करते हो आप। यहां आपने कहा था कि कृषि का कनेक्शन इस महीने नहीं काटा जाएगा और आज आप कह रहे हो कि जिनके बकाया हैं उनके काटे जाएंगे। (व्यवधान) आप कम से कम मंत्री महोदय, अपनी जबान पर रहा करो। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : जिन लोगों के बकाया हैं उन लोगों के कनेक्शन कटेंगे। आप उनकी पैरवी कर रहे हो। 80 परसेंट लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, आप पैरवी कर रहे हो उनकी।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 22 तारीख को स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना दी थी। बयाना कस्बे के पास में खेड़ा और ब्रह्मवाद के बीच में एक प्रेमी युगल की मारपीट कर हत्या कर दी गयी, एक लड़के और एक लड़की को और जिंदा जला दिया गया उनको। उस विषय में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी और, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह फरमाया था कि इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। आज 31 तारीख है। यह एक बड़ा गम्भीर मसला है। 15 तारीख को अखबार में बाकायदा समाचार प्रकाशित होता है। 14 तारीख को बी. एल. सोनी, भरतपुर के जिला पुलिस अधीक्षक, उन्होंने बाकायदा प्रेस को मीट किया है और दोनों तरफ से एफ. आई. आर. दर्ज हुई। इन्वेस्टीगेशन जारी है। 15 तारीख को राज्य के मुख्य सचिव "हिन्दू" के कोरस्पोंडेंट को कहते हैं कि यह सुसाइड पैक्ट था दोनों के बीच में और खुद ने आग लगा ली उन्होंने। यह बड़ा गम्भीर मसला है। अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो तो राज्य के मुख्य सचिव को कोई अधिकार नहीं है कि इस प्रकार अनधिकार रूप से इन्वेस्टीगेशन के अन्दर इंटरफियर करे। आपकी अनुमति से मैं यह रिलेवेंट पोर्शन पढ़ता हूं। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव था। (व्यवधान) नहीं, आपका स्थगन प्रस्ताव आया है, सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है। मैं गृह मंत्रीजी से कहूंगा कि वे इसके सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र

(श्री अध्यक्ष)

फैक्चुअल पोजीशन से विधान सभा को अवगत कराएं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, अजमेर-मेवाड़ा अलग प्रदेश था और उसका राजस्थान में विलय 1 नवम्बर, 1956 को हुआ था। इसलिए राजस्थान की वर्तमान स्थिति में उसका अस्तित्व 1 नवम्बर, 1956 को हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, कृपया ध्यान दें। (व्यवधान) अजमेर अपना अस्तित्व खतम करके 1 नवम्बर, 1956 को राजस्थान का भाग बना इसलिए आज जो असली राजस्थान है, उसकी स्थापना 1 नवम्बर, 1956 को हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो स्थापना दिवस है। 1 नवम्बर, 1956 को मनाया जाना चाहिये। अजमेर-मेवाड़ा की जनता ने अपना जो स्वतन्त्र प्रदेश विलीन किया है, उनकी भावनाएं प्रकट करने के लिये मैं ...(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री जी, कृपया मेरी बात सुनें। मुख्य मंत्री महोदय .... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आपकी सरकार ने 30 मार्च को मनाया है।

श्री सांवर लाल : अजमेर-मेवाड़ा भी राजस्थान की तरह अलग प्रदेश हुआ करता था, इसलिए मैं उस क्षेत्र को जनता की भावना प्रकट कर रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ध्यान दें कि आज का जो राजस्थान है, 1 नवम्बर, 1956 को इस स्वरूप में आया है, इसलिए स्थापना दिवस अजमेर की जनता की भावना को कद्र करते हुए 1 नवम्बर, को मनाया जाना चाहिये। ऐसा मैं, मेरी जनता की भावना आपके सामने प्रकट कर रहा हूं कि असली जो राजस्थान है वह 1 नवम्बर को अस्तित्व में आया है तो 1 नवम्बर, को पुनःस्थापना दिवस के रूप में मनाया जाए।

डा. किरोड़ी लाल : मेरा सुझाव है कि 1 नवम्बर को सोनिया जी को दुबारा बुलाया जाए। (व्यवधान)

डा चन्द्रभान : आपकी सरकार ने भी 30 मार्च को मनाया है, आप जिस सरकार में मंत्री थे। .. (व्यवधान)

श्री शांति धारीवाल : कहां तक आपकी गलतियों में सुधार करेंगे। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अधिकांश हिस्सों का 30 मार्च तक विलीनीकरण हुआ था इसीलिए राजस्थान के व्यापक क्षेत्रों के सम्मिलित होने की दृष्टि से 30 मार्च की जो तारीख है, यह निश्चित रूप से ठीक है। बाद में इसमें थोड़े और मिलते रहे भीलवाड़ा अलग, आबू अलग, वह तारीख थोड़े ही मानेंगे? पूरे राजस्थान का विलीनीकरण जो हुआ है, वह 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह उपयुक्त है और वही रहनी चाहिये।

श्री सांवर लाल : अगर यही उपयुक्त था तो अजमेर-मेवाड़ा को राजस्थान में मिलाने की आवश्यकता क्या थी? आज जो वृहत् राजस्थान बना हुआ है वह एक नवम्बर को अस्तित्व में आया है। इसलिए

(श्री सांवर लाल)

मैं अजमेर की जनता की भावना आपके सामने प्रकट कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राजस्थान दिवस मना रहे हैं, (व्यवधान) इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली भी शामिल नहीं था। अजमेर शामिल नहीं था, सिरोही भी शामिल नहीं था। राजस्थान में विलीनीकरण 15 मार्च, 1949 को हुआ था, और सिरोही जिला 7 फरवरी, 1950 को मिला है और अजमेर राजस्थान के अन्दर 1 नवम्बर, 1956 को मिला है। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : ....(व्यवधान) यह नहीं हुआ कि हम औद्योगिकी विकास दिवस उसके बाद में मनाएं। (व्यवधान) 30 मार्च को राजस्थान की स्थापना हो गई थी और राजस्थान की स्थापना के अनुकूल ही हमारा स्वर्ण जयन्ती का समारोह मनाया गया। उसके बाद में कोई भी हिस्सा यदि प्रदेश के अन्दर सम्मिलित होता है तो उस हिस्से को उसकी स्थापना के रूप में नहीं मनाया जा सकता। (व्यवधान) इसलिए राजस्थान का जो आविर्भाव हुआ, वह 30 मार्च को . (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : एक दिन आपकी दीवार बन गयी, एक दिन आपके खिड़की और दरवाजे लग गये, किसी दिन आपका फर्श बना और छत ढलकर जिस दिन मकान कम्पलीट हुआ, उस दिन आप मकान का मुहूर्त करते हैं। जब राजस्थान का पूरा जो आज का स्वरूप है इसका गठन 1 नवम्बर, 1956 को हुआ है तो 1 नवम्बर को राजस्थान दिवस मनाया जाना चाहिये। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं इसका मतलब आप अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अजमेर और सिरोही की अनदेखी कर रहे हैं। यह 30 मार्च राजस्थान में, (व्यवधान) माननीय प्रद्युम्न सिंह जी बैठे हैं, 30 मार्च के राजस्थान में (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : तो कमरा जोड़ने के बाद में उस मकान की स्थापना नहीं मानी जाती है। मकान का मुहूर्त तो मकान बना दिया जाता है तब कर लिया जाता है। इसलिए राजस्थान की स्थापना का जो समारोह मनाया गया वह सही तरीके से मनाया गया है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : (व्यवधान) वह जनता के साथ अनदेखी है, इसलिए हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि राजस्थान दिवस सम्पूर्ण रूप से अलग मनाएं और 1 नवम्बर को मनाया जाना चाहिये। मैं प्रस्ताव करता हूं, अगर इन तीनों जिलों के लोगों की भावना को शामिल करना चाहते हैं, तो आज जो स्वरूप राजस्थान का बना है, उस रोज आपको राजस्थान दिवस मनाना चाहिये। अन्यथा अजमेर, करौली, भरतपुर और धौलपुर व अलवर के लोग अलग से राजस्थान दिवस मनाएंगे। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : राजस्थान का निर्माण 30 मार्च, 1949 को कर दिया गया, उसके बाद में सीमाओं का रद्दोबदल होता रहता है। एक प्रदेश का कुछ हिस्सा भौगोलिक स्थिति को देखते हुए दूसरे

(श्री जुगल काबरा)

प्रदेश के अन्दर सम्मिलित कर दिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रदेश का पुनर्गठन अलग तरीके से किया गया है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है जिस समारोह का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा हैं, वह विधि संगत है, न्याय संगत है और उचित है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : एक स्थगन प्रस्ताव आपके सामने पेश किया गया था, बड़ा गम्भीर है अकाल की स्थिति पर। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, आठ साल तक बी. जे. पी. का शासन रहा है, ये थोड़े दिन और नहीं सुनेंगे क्या? उस रोज क्यों नहीं इन्होंने ..(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा (समाज कल्याण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ वर्षों से तो 30 मार्च को मनाया जाता रहा है। आज अलवर की बात कह रहे हैं आप, 50 साल से....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बनवारीलाल जी, हमने अपनी बात कही है। कायदे की बात है, आप इसको गलत तरीके से ले रहे हो। हमने अपनी बात रखी है, आप मानें या नहीं मानें, यह आपका अधिकार है। हमारे इलाके के लोगों की बात आपके सामने रख दी हमने। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अकाल से पशुधन की स्थिति खराब है। (व्यवधान) काफी गम्भीर विषय है। अकाल की स्थिति बड़ी विकट है। पश्चिमी राजस्थान में स्थिति बहुत खराब है। कोई भी गरीब आदमी आज बाजार से 250 रुपये क्विंटल चारा खरीद कर अपने पशु को नहीं बचा सकता। राज्य सरकार ने पाबन्दी लगा दी है कि कोई नया चारा डिपो नहीं खोला जाएगा। इन्होंने अकाल राहत कार्यों के ऊपर पाबन्दी लगा दी है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, लोग पलायन कर रहे हैं। स्थिति बड़ी गम्भीर है। अकाल की मांग के ऊपर सिर्फ बजट राशि पास होगी। लेकिन राजस्थान के निवासियों का ध्यान रखते हुए कृपया उस पशुधन का ख्याल करते हुए इसके ऊपर चर्चा करने की अनुमति देने के लिये पुनर्विचार करें।

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, अकाल की स्थिति बहुत गम्भीर है। पिछली सरकार ने अक्टूबर के महीने में अकाल राहत कार्य शुरू कर दिये थे, चारे की व्यवस्था करने के लिये आदेश जारी कर दिये थे, पर मुझे दुःख है कि आज तक इस सरकार ने चारा डिपो प्रारम्भ नहीं किये हैं। तात्कालिक सरकार ने जो 900 करोड़ समर्थिग का मैमोरेंडम भारत सरकार को दिया है केवल उसी की चर्चा यह सरकार कर रही है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार अखबारों में स्टेटमैंट आता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, भारत सरकार पैसा नहीं देती है, मुझे यह बात बता दें कि नवें वित्त आयोग के बाद में भारत सरकार अकाल राहत के लिए कहां-कहां मदद करती है। जो नियमित आपका प्राकृतिक आपदा फंड है अगर उसकी किश्त नहीं मिली

(श्री सांवरलाल)

है तब तो आप करते। फिर भी राजस्थान की जनता को पालने की आपकी जिम्मेदारी है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपके मुख्य मंत्रीजी श्री भैरोंसिंह जी डकार गये, उनको पूछो, उनको।

श्री सांवरलाल : आज चारे की, पानी की, रोजगार की गम्भीर हालत है। जो हमारी सरकार ने लेबर सीलिंग की थी, एक बार आपने कहा था, आपकी सरकार ने कहा था, हमारे यहां कोई श्रमिक नहीं हैं, जहां जितने लोग लगना चाहें लग सकते हैं। तीन दिन के बाद में वह लेबर सीलिंग काट कर आधी कर दी है। आज अजमेर जिले में, माननीय मुख्य मंत्रीजी, बहुत गम्भीर स्थिति है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री सांवरलाल : पशु पालन हमारे लोगों का मुख्य धंधा है इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी से....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप टैरिफिक जेट स्पीड से जा रहे हैं।

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर हालत है। गांवों के अन्दर चारे की, पानी की, रोजगार की व रोटी की समस्या है।

श्री अध्यक्ष : कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री सांवरलाल : आप स्वयं जानते हैं इस बात को इसलिए मेरा निवेदन है इस पर चर्चा की जाए, सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की जाए।

डा. रामप्रताप (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, 26 तारीख को आपने व्यवस्था दी थी कि बीकानेर में काले हिरण मारे गये हैं, उनके बारे में राज्य सरकार स्टेटमेंट देगी। अध्यक्ष महोदय, इसकी एक सैंक्टिटी है और पूरा विश्नोई समाज इस बात के लिए उद्वेलित है। राज्य सरकार संवेदनशील सरकार है, इसको इस बारे में सुओमोटो भी स्टेटमेंट देना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये।

श्री हीरालाल विश्नोई : वन प्राणी व जीवों की रक्षा के लिए विश्नोई समाज....

श्री अध्यक्ष : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है वह क्रिकेट मैच के बारे में था। जहां तक हिरणों को मारने का प्रश्न है, आप बोले थे मैंने कुछ भी नहीं कहा था। आप प्रोसिडिंग देख लीजिए।

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, अकाल पर कोई व्यवस्था फरमाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, हम 17 माननीय सदस्यों ने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था आपको। वह स्थगन प्रस्ताव इसलिए दिया था, अध्यक्ष महोदय, कि इसी सदन में माननीय सहायता मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि राजस्थान में अकाल राहत कार्यों के अन्दर कोई भी लेबर सीलिंग नहीं है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, जो सरकार से आज आधा-अधूरा उत्तर प्राप्त हुआ है, उसमें सरकार यह कहती है, 30.1.1999 को कार्यरत श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं करने के निर्देश दे दिये गये हैं, प्राकृतिक आपदा कोष में उपलब्ध राशि नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कल्याणकारी सरकार का दायित्व होता है। आज जितने बुरे हालात गांव के अन्दर हैं, 20 हजार से ज्यादा गांव इससे प्रभावित हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य, आपने कहा कि इस पर हम बजट में बोलते हुए चर्चा करके अपने बिंदु उठाएं। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पशुधन मरना प्रारम्भ हो गये हैं और इसमें कहते हैं कि राध में छुरी उस समय चल गयी जब सरहिन्द फीडर और राजस्थान कैनाल का क्लोजर भी आ गया। गांवों में पानी की व्यवस्था पहले सरकार ने नहीं की और अब सरकार ने चारे की व्यवस्था की नहीं। पानी है नहीं, मजदूरों को मजदूरी नहीं। यहां अकाल राहत मंत्री जी बैठे हैं, मुख्य मंत्रीजी, आपने संवेदनशील प्रशासन देने का वायदा भी किया था, कहां चली गयीं संवेदनाएं, अभी तो सरकार के दूध के दांत भी नहीं टूटे? कृपया, मुख्य मंत्रीजी, इसको देखें। इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने जनमत दिया है लोग पलायन कर रहे हैं, आप से अनुरोध है कि कृपया आप समय रहते राजस्थान को संभालें।

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अकाल का मामला है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, अकाल का विषय है, बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह बहुत गंभीर मुद्दा है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : राजस्थान में पशु मर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, क्या पशु इस प्रकार से मरते रहेंगे?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ जिले में भी अकाल की समस्या है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हजारों गायें मर रही हैं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) पानी और चारे के कारण हजारों गायें मर रही हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : लोग पलायन कर रहे हैं, पशु मर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार से कोई वक्तव्य दिलवाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : गायें मर रही हैं।

श्री सांवरलाल : पशुधन मारा जा रहा है। सरकार को इस पर चर्चा करानी चाहिए। (व्यवधान) लोग भूखे मर रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वहां पलायन करने को मजबूर हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहुत गम्भीर मामला है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : पूरे के पूरे प्रदेश में पशुधन मारा जा रहा है, चारे और पानी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, अकाल के सम्बन्ध में राजस्थान की जो स्थिति है उसका विवरण दिया हुआ था। स्टडी टीम आने के बाद भारत सरकार इसमें बिलकुल पैसा नहीं दे रही है और भारत सरकार के कारण ही यह स्थिति पैदा हुई हैं। (व्यवधान) भारत सरकार को पैसा देना जरूरी था। (व्यवधान) अकाल में विषम स्थिति पैदा करने में भारत सरकार जिम्मेदार है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पेयजल की और चारे की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : इसलिए राजस्थान की विधान सभा से इस बात की मांग की जानी चाहिए कि भारत सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही है? यदि आपकी सरकार होती पैसा मिल जाता। भारत सरकार भेदभाव कर रही है। (व्यवधान) इसलिए राजस्थान में अकाल की गम्भीर स्थिति में भारत सरकार का जो दृष्टिकोण और नीति है वह जन विरोधी है। (व्यवधान) आप इसमें पहल करने के बजाय यह चाहते हैं, पैसा राजस्थान को नहीं मिले। ये हालात पैदा कर रखे हैं, इसकी जिम्मेदारी आपकी पार्टी की भी है। इसके बारे में भारत सरकार पर दबाव डाला जाए कि राजस्थान के साथ ज्यादती क्यों की जा रही है, क्यों भेदभाव हो रहा है। (व्यवधान) राजस्थान की वित्तीय हालत आपको मालूम है, खजाने खाली करके गये हो, 23 हजार करोड़ से अधिक का कर्जा छोड़ कर गये हो।

श्री सांवरलाल : यही व्यवस्था हमने की है, यही फंड हमारे पास रहता था। (व्यवधान) हमने कोई कमी नहीं रखी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद) : पांच साल तक यही बात कहते रहोगे क्या? यह कह कर आप बच नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : उसका ये करेंगे इंतजाम। (व्यवधान) मगर भारत सरकार अकाल के लिए पैसा क्यों नहीं दे रही? स्टडी टीम आने के बाद पैसा नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कभी आज तक भी हुआ है क्या? (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : पशु मर रहे हैं, चारे पानी की व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : कांग्रेस दिल्ली में राज करती थी और राजस्थान में आप राज करते थे तब ऐसा कभी नहीं हुआ। पैसा उस समय अकाल के लिए दिया। जितना चाहिए उतना पैसा मिला था। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : जनता बहुत परेशान हो रही है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हजारों गायें मर रही हैं चारे के कारण। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जिसकी कापी सामने पेश है कि मजदूरों की सीलिंग लगायी जाए और मजदूरों को ज्यादा नहीं लगाया जाए।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की जनता कहां जाएगी ? क्या यह सरकार का दायित्व नहीं है ? यदि अकाल की छाया पड़ गयी है, प्राकृतिक आपदा है तो वह पशुधन कहां जाए ? उसके चारे की व्यवस्था, उस गरीब की मदद कौन करेगा ? आप मुख्य मंत्री अब बने हैं, जब ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा सरकार से बार-बार मांग करते रहे कि अकाल राहत कार्य खोले जाएं, पशुओं के चारे की व्यवस्था की जाए। आज मुख्य मंत्री बने हैं, इनका दायित्व बनता है। यह मानव धर्म सरकार में है तो निश्चित तौर पर ऐसे गरीबों की मदद करें। इस प्रदेश की जनता का रखवाला कौन है ? यह सरकार चुनी हुई सरकार है, जनता ने इसको सत्ता दी है, अध्यक्ष महोदय, उस पशुधन का रखवाला कौन है ? अध्यक्ष महोदय, आप भी पश्चिमी राजस्थान से हैं, मानवता के नाते इस पर चर्चा और मदद करवाइए। इस प्रकार की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी, आप अकाल के लिए चिंतित हो कि नहीं, यही बता दो। आपके मन में पीड़ा है कि नहीं ? आप अकाल राहत कार्य खोलना चाहते हो या नहीं, यह बता दो आप। (व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी : अध्यक्ष महोदय, आपने 295 को पढ़ने के लिए अनुमति दी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अकाल राहत देने के सम्बन्ध में सरकार गम्भीर भी है और संवेदनशील भी है। (व्यवधान) सरकार की गम्भीरता इस बिन्दु से प्रकट होती है कि मांग संख्या 34, प्राकृतिक आपदाओं की पूरी की पूरी उसकी जो धनराशि है वह इस सदन से इन्होंने पास करायी है। इसलिए सरकार गम्भीर नहीं होती तो पूरी मांग इस वक्त तीन महीने की नहीं लेती। इसलिए सरकार गम्भीर है।

श्री देवीसिंह भाटी : यह तो बैकलाग का पैसा है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तो भी अकाल राहत मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (सहायता एवं पुनर्वास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अकाल के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता जतायी और यह कहा कि सरकार उपेक्षा कर रही है, सरकार इसको ठीक ढंग से नहीं ले रही है, यह कहना उचित नहीं है। हमने जिलाधीश महोदय को आदेश दिये हैं कि जहां भी चारे की कमी नजर आती है, जहां जिले में चारा उपलब्ध है तो एक तहसील से दूसरे जिले में चारा लाने के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाएगी दूसरे जिले से लाने जाएंगे तो इसकी ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देने का हमने प्रोविजन किया है। बीकानेर, चूरू में और जहां पर भी आप चारा डिपो के प्रस्ताव भेजना चाहते हैं....

श्री सांवरलाल : मंत्री महोदय, अजमेर जिले में... (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप बात तो सुनेंगे कि हां-हां ही करते रहेंगे। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : बीकानेर में कर दी है और वहां कर दी है....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हजारों गायें मर रही हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सभी माननीय सदस्य जिला अकाल राहत कमेटी के मैम्बर हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : कोलायत तहसील में एक भी चारा डिपो नहीं खोला है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। मैंने जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी है, किन्हीं माननीय सदस्य ने चारा डिपो खोलने के प्रस्ताव दिये हैं उन प्रस्तावों पर गम्भीरता से विचार कर के निर्णय लिया जा रहा है। कई जगह प्रस्ताव आये हैं, कई जगह प्रस्ताव नहीं आये हैं। (व्यवधान) माननीय विधायक महोदय, आप तो मीटिंग में जाते ही नहीं हैं, क्या कहते हो?

श्री देवीसिंह भाटी : जाता कैसे नहीं हूं? आप तो सिर्फ जानकारी दे दो। (व्यवधान) रजिस्टर्ड संस्था होगी या पंचायत यदि उसके लिए अनुमति चाहेगी तो उसी को ही चारा डिपो खोलने की (व्यवधान) विधायक के कहने से या और किसी के कहने से नहीं मिलती। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बैठिये-बैठिये। मैं जानता हूं पहले क्या हुआ है और अब क्या हो रहा है। मैं तो सब जांच करवा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली जिले में अकाल राहत कार्य बिल्कुल ही बन्द कर दिये गये हैं। (व्यवधान) यह आदेश की कापी है, मजदूर बिल्कुल बन्द कर दिये हैं आपने। (व्यवधान) पूरा पाली जिला मजदूरी के लिए (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं कहना चाहता हूं, आप मेरी सुन लीजिए। आप मुझे सुनने का कष्ट कीजिए। वितरण करने का माध्यम तो हमको कोई न कोई तय करना पड़ेगा। चाहे हमारी पंचायत माध्यम बनें, चाहे मार्केटिंग सोसाइटीज माध्यम बनें, चाहे दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अगर वहां पर व्यवस्था है तो वह माध्यम बनें, कोई न कोई माध्यम बनाना पड़ेगा। हम ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देने को तैयार हैं, कोई मना करने का सवाल नहीं है। अगर किसी स्तर पर देरी हुई है तो आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चारा डिपो खोलने और पशुधन चारे में सरकार कोई कोताही और कंजूसी नहीं बरतेगी। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : कितने लोगों को रोजगार नहीं है, मंत्री महोदय? (व्यवधान) लोगों को रोजगार देने में क्या...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आपने बिल्कुल गुमराह करने के लिए, विषय को टालने के लिए अपनी बात कही है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि कोलायत तहसील में एक भी चारा डिपो नहीं चल रहा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डिबेट नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : वहां आज मजदूरों को मजदूरी देने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। पिछला भुगतान भी आप नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। अध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकार से उत्तर आया है.... (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आपकी सरकार भुगतान... (व्यवधान) इसका इलाज क्या है ? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आप चारे की व्यवस्था कीजिए। मजदूरों के लिए आपने यह किया है कि उनकी योजनाएं.... (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जहां तक भुगतान का सवाल है, अकाल राहत कार्यों के तहत ..

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर, पाली ने (व्यवधान) आप चाहें तो मैं सदन की मेज पर रख सकता हूं। यह पाली के जिला कलेक्टर का 1.2.1999 का आदेश है जिसमें उन्होने लिखा है कि अकाल राहत संवत 2055 के तहत स्वीकृतशुदा कार्य जो दिनांक 25.1 99 तक शुरू नहीं किये गये हैं उन्हें आगामी आदेशों तक शुरू नहीं किया जाए। इन कार्यों की विस्तृत सूचना प्रत्येक पंचायत समिति व कार्य एजेंसी द्वारा (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य भाजपा की सरकार के समय अकाल राहत मंत्री भी हुआ करते थे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह सरकार अकाल राहत कार्यों के सम्बन्ध में अति संवेदनशील है और गम्भीर है। (व्यवधान) नयी सरकार आने के बाद, माननीय पूर्व अकाल राहत मंत्री सांवरलाल जी जब मंत्री थे, इस सरकार ने 27 जनवरी को जयपुर जिले के 600 गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया .. (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : इस आदेश के बारे में आपको क्या कहना है ?

डा किरोड़ी लाल : हीरासिंह जी ने एक आदेश पढ़ा है कलेक्टर साहब का... (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हां, वह सब आदेश हमें मालूम है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : अजमेर में प्रभारी मंत्री खेतसिंह जी मीटिंग ली है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि अकाल राहत का भुगतान नहीं हो रहा है। अगर यह बात सही है....

श्री मदन दिलावर : 15 दिनों में कितनी गायें मरी हैं, इतने से कार्यकाल में कितनी गायें मर गयीं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सारे जिलाधीशों को 15 मार्च तक भुगतान का रुपया भेज दिया गया है। अगर किसी स्तर पर कोई कमी आयेगी तो ऐसे जिलाधीश के खिलाफ मैं कार्यवाही करने को तैयार हूं। भुगतान 15 मार्च तक करने के आदेश दे दिये गये हैं, साथ ही साथ राशि भी भेज दी गयी है। आप बहुत चिन्तित हैं अकाल राहत के बारे में, श्रमिकों को लगाने के लिए, जब आपकी सरकार थी तब 90 हजार लोगों को आपने नहीं लगाया। यह कांग्रेस की सरकार है इसने तीन लाख पच्चीस हजार मजदूरों को काम दिया है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : हमारी सरकार ने तो कोई कमी नहीं रखी। (व्यवधान) लेबर में कटौती कर दी। अकाल राहत के बारे में आज तक चारे की, पानी की व्यवस्था नहीं की और चुनाव के टाइम पर (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी : हमने कोई गलती की तो हम भुगत लिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : (व्यवधान) एक-एक काम का तीन जगह से भुगतान हुआ है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अकाल के क्षेत्र की जनता परेशान है। (व्यवधान) इसलिए मैं इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री देवीसिंह भाटी एवं भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

एक माननीय सदस्य : चले गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कहिए।

श्री जीतमल (बागीदोरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बांसवाडा जिला राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में गुजरात और मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका है। वहां समय पर बारिश नहीं हुई, जरूरत के मुताबिक बारिश नहीं हुई और तत्कालीन हमारा जिला कलेक्टर जो फौजी शासन से आया हुआ कलेक्टर बना, उसको यह अता-पता नहीं कि किसानों की समस्या क्या है। जब जरूरत थी तब बारिश नहीं हुई, अनावश्यक समय में बारिश हुई जिसमें उन्होंने गिरदावरी करवायी और आंकडे इस तरीके से भिजवा दिये। अभी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में माही परियोजना से तीन पंचायत समितियां ही लाभान्वित हो रही हैं जिसमें से साठ प्रतिशत भूमि पर सिंचाई हो रही है, बाकी का 40 प्रतिशत हिस्सा सिंचाई से खाली है साथ ही साथ जो पांच पंचायत समितियां आती हैं बिल्कुल गुजरात के बार्डर पर हैं, मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए इलाके हैं, वहां भयंकर अकाल की स्थिति है। यहां के हजारों लोग महाराष्ट्र और गुजरात को पलायन कर गये। वहां पर वे समय पर रोजगार नहीं मिलने की वजह से दर-दर भटक रहे हैं। इस इलाके में जाकर अगर देखा जाए तो बूढे मां-बाप के सिवाय घरों के अन्दर कोई नहीं है। मैं माननीय मुख्य-मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने गलत रिपोर्ट पेश करके हमको अकाल की स्थिति से बाहर करवाकर हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं इस मौके पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की एक टोली उस इलाके में भेजी जाए। वहां के इलाके का वास्तविक जायजा लेकर हमारी जो मानवीय पीड़ाएं हैं उनको दूर करने के लिए आप अपना समय निकालें। निश्चित रूप से हमारी गरीब जनता की जो तकलीफ है, जो पीड़ा है वास्तव में बड़ी दर्दनाक हालत है। मैं इस सदन के माध्यम से पुनः माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस अकाल की हालत में अगर अकाल राहत न खोलें तो और कोई भी फण्ड हम लोगों को दें ताकि उस इलाके की जनता को हम राहत पहुंचा सकें।

(श्री जीतमल)

साथ ही साथ मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि माही परियोजना का 15 वर्षों से काम अपूर्ण पड़ा हुआ है जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ का घाटा कम करके हम लोगों के साथ में ज्यादती की गयी है। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि बहूद्देश्यीय परियोजना जो माही डैम है इसका काम भी शीघ्र करवाया जाए। अन्त में, अकाल की इस हालत से निजात दिलाने के लिए कोई न कोई उपाय ढूंढें, निश्चित रूप से हमारी जनता के साथ बहुत बड़ी तकलीफ है। धन्यवाद।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलोदी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय और वन राज्य मन्त्री जी का ध्यान बीकानेर के अन्दर आज से एक सप्ताह पहले पच्चीस हिरण मारे गये, इस तरफ दिलाना चाहता हूं। बीकानेर के चिड़ियाघर में 47 काले हिरण थे। पर्यटक और दूसरे व्यक्ति बीकानेर के चिड़ियाघर को देखने के लिए आते हैं। बीकानेर का चिड़ियाघर हमेशा से बहुत ही मशहूर चिड़ियाघर रहा है। जो भी पर्यटक और यात्री लोग वहां जाते थे वे हमेशा चिड़ियाघर के अन्दर काले हिरणों को देखकर बहुत खुश होते थे। वहां 47 काले हिरण थे। 24 तारीख की रात को ऐसी घटना बताई जाती है कि उसमें से 25 काले हिरण मृत पाये गये। जब विश्नोई समाज के बंधुओं ने जाकर वहां के वन अधिकारियों से पूछा कि इन हिरणों के मरने का क्या कारण है तो वहां के अधिकारियों ने इसके बारे में कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया। यह जवाब दिया बताते हैं कि कुछ पांच-सात कुत्ते उस चिड़ियाघर के अन्दर घुस गये थे और उन्होंने 25 हिरणों की हत्या कर दी। अध्यक्ष महोदय, बड़ा संवेदनशील मामला है। आज एक सप्ताह का समय बीत चुका है और विश्नोई समाज के लोगों की भावना आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक दो हिरण के शिकार के बारे में मुख्य मन्त्री महोदय कहते हैं, सलमान की क्या स्थिति हुई थी। राजस्थान की सरकार ने वो कार्य करके दिखाया था। आज 25 हिरणों की हत्या होने के बावजूद अभी तक एक भी वन अधिकारी वहां से निलम्बित नहीं हुआ है, किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है और जनता वहां पर धरना दिये हुए बैठी है, भूख हड़ताल किये हुए बैठी है। यह बड़ा संवेदनशील मामला है और सरकार का इस बारे में अभी तक कोई स्टेटमैंट नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष: ध्यान आकर्षित कर दिया आपने। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई: अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप इसके अन्दर व्यक्तिगत रूप से .. (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई: अध्यक्ष महोदय, एक हिरण का मामला होता है तो उसके लिए शहीद हो जाते हैं। एक खेजड़ी काटने के लिए विश्नोई समाज के लोग भी शहीद हुए हैं। एक एक हिरण के लिए शहीद हुए हैं और यहां पच्चीस-पच्चीस काले हिरण मर गये, आज दिन तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हो, गांव में रहने वाले हैं, दो-तीन कुत्ते क्या पच्चीस हिरण मार

(श्री हीरालाल विश्नोई)

सकते हैं ? इसके पीछे पूरी मंशा है, वहां के मांसाहारी लोगों ने हिरणों को काट कर, उनको मार कर यह मामला रफा दफा करने के लिए कुत्तों के ऊपर छोड़ा हैं। आज दिन तक उसका मांस बाहर गया है, मांस ब्लैक होकर बाहर गया है । अध्यक्ष महोदय, एक हिरण के लिए एक व्यक्ति मरने के लिए तैयार है। विश्नोई समाज के लोग धार्मिक भावना से जुडे हुए हैं, आज कितने दिनों से वहां पर धरने पर बैठे हैं लेकिन आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, इसमें आपके माध्यम से पूरी कार्यवाही कराई जानी चाहिए, इसका क्या कारण हुआ, कैसे हिरण मारे गये। क्या दो-चार कुत्ते पच्चीस हिरण मार सकते हैं ? पहले भी वहां ऐसा हुआ था, 250 कबूतर मारे गये थे । यह एक इस तरह की मंशा है लोगों की, जानबूझकर चिड़ियाघर के अन्दर इस तरह की वारदात होती है । आप हमको आश्वासन दिलाईये कि फिर ऐसी घटना दुबारा नहीं हो। जो अधिकारी लोग थे उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई, क्या कार्यवाही करने जा रहे है वन मंत्री जी, वह हमें पूरा आश्वासन दिलवाइये ।

श्री के. सी. चौधरी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, अकाल के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हमारे भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य जो कि पूर्व सरकार में अकाल राहत मन्त्री थे, उन्हीं के समय में अजमेर जिले में पंचायत समिति जवाजा एवं पचायत समिति भिनाय ..

श्री मदन दिलावर : यह भयंकर तस्करी का मामला है । उनको घरों में टांकने के लिए बडे बडे शहजादों ने (व्यवधान) काटकर ले गये, इस बात की पुख्ता जांच की आवश्कता है । बडे बडे शहजादों के घरों में टांकने के लिए, शो पीस के लिए बड़ी तस्करी हुई है। यह कहकर बात को टालना कि कुत्तों ने (व्यवधान)

श्री के.सी. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति भिनाय और पंचायत समिति जवाजा इन दोनों में घोर भ्रष्टाचार हुआ है, मैं माननीय अकाल राहत मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री हीरालाल विश्नोई : मंत्री महोदय से इस पर वक्तव्य तो दिलवाइये ।

श्री के.सी चौधरी : पंचायत समिति जवाजा एवं पंचायत समिति भिनाय में एक एक काम पर चार चार बार सैक्शन ली गयी है ऐसी सीमेंट की परतें बनायी गयी हैं..

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह बीच में कहां से बात आ गयी ?

श्री के.सी. चौधरी : (व्यवधान) इसकी जांच करवायी जाए। निर्माण कार्य में घोटाले हुए है (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है ।

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह काले हिरणों का मामला है, वन्य जीवों की रक्षा का मामला है, इस पर वक्तव्य दिलवाइये ।

श्री के.सी. चौधरी : कुछ पंचायतें ऐसी हैं जहां के सरपंचों ने गबन के पैसे आम

(श्री के. सी. चौधरी)

अदालत में, जन अदालत में सरकार में वापस जमा कराये हैं । बड़कोचरा, आसन, सूरजपुरा, लोटियाना, चार ऐसी पंचायतें थीं जिनके सरपंचों ने गबन के पैसे सार्वजनिक रूप से जमा कराये हैं । पंचायत समिति जवाजा और पंचायत समिति भिनाय में जो भी इनके टाइम में निर्माण कार्य हुए हैं अकाल के, उन सबकी आडिट करायी जाए, यह मेरा आपसे निवेदन है । घोर घोटाले हुए हैं उनको सार्वजनिक किया जाए । बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, वन्य हिरणों का मामला बड़ा गम्भीर मामला है, यह बडे तस्करों से जुड़ा हुआ है । सरकार के कई अधिकारी इसमें लिप्त हैं लेकिन सरकार उनका पर्दा फाश नहीं करना चाहती है क्योंकि सरकार के नुमाइन्दों पर भी छींटे आते हैं । इसलिए मेरी मांग है कि इसकी विस्तृत जांच करके दोषी लोगों को सजा दी जाए और इस प्रकार हिरण मारने वालों और गलत बयानी करने वालों को भी यहां सदन में प्रताड़ना दी जानी चाहिए ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, भिनाय क्षेत्र के बारे में मेरे पास कई शिकायतें आयी हैं, मैंने जांच कराने के लिए आदेश दे दिये । स्पेशल आडिट भी करवाऊंगा और पता लगाऊंगा कि क्या हो रहा है ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह मामला मैंने भी तीन–चार दिन पहले उठाया था, अभी स्टेटमैंट आ रहा है, मैं दो–तीन क्वेश्चन पूछना चाहता हूं ।

श्री मदन दिलावर : विश्नोई समाज की बात को तवज्जोह नहीं दे रहे हैं वन मन्त्री जी और अकाल मन्त्री महोदय बीच बीच में वक्तव्य दे रहे हैं ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह पूरे हाउस का मामला है, खाली विश्नोई समाज का ही नहीं है । हम लोग भी इतने ही चिन्तित हैं जितने विश्नोई समाज के हैं । हमने भी तीन–चार दिन पहले आपसे यह बात कही थी । मैं तीन–चार प्रश्न पूछना चाहता हूं क्योंकि स्टेटमैंट आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष : आपका न तो कोई प्रश्न है, न आपने ध्यान आकर्षित किया है ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उस दिन आप ने कहा था कि....

एक माननीय सदस्य : कालिंग अटैंशन दिया है, साहब, उसमें दिला दीजिए ।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : मैंने दिया है, अध्यक्ष महोदय । इस विषय पर कालिंग अटैंशन मैंने दिया है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : आपके कालिंग अटैंशन के ऊपर निश्चित तौर पर मन्त्री जी जो अभी आएंगे ...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : स्टेटमैंट आ जाए तो ।

श्री अध्यक्ष : आज नहीं कर सकते काल अटैंशन आप । कालिंग अटैंशन आपने दिया है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने दिया है ।

श्री अध्यक्ष : You have called the attention of the Minister. यह आज

(श्री अध्यक्ष)

नहीं रखा है, कालिंग अटैंशन हमेशा कार्य सूची में आ जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं तैयार है, यूं ऐसे नहीं। कालिंग अटैंन्शन जब है उसका उत्तर देंगे अच्छी तरह से, स्टेटमैंट देंगे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हमने तो ध्यान आकर्षित इसलिए नहीं किया था क्योंकि आपने चार दिन पहले कहा था कि इस पर स्टेटमैंट आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा था।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हमें तो ऐसा लगा (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : यह पांच दिन पुरानी वारदात है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : गलती हमारी हो सकती है पर यह बात उठाई थी, पेपर में भी आयी (व्यवधान)....अब स्टेटमैंट आए जब हमारे को भी मौका दे दिया जाए।

श्री हीरालाल विश्नोई : 24 तारीख की वारदात है और लोग वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, विश्नोई समाज के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। टी. वी. के माध्यम से पूरा प्रचार हुआ है. पेपरों में सब बातें आयी हैं। अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय से वक्तव्य तो दिलवाइये।

श्री रामनारायण विश्नोई : वहां पर अधिकारी मिल-जुल कर सारा रिकार्ड खत्म कर रहे हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, पांच-सात साल पहले आठ तीतर मारे गये थे और कुत्तों ने मारा था वहीं पर उसी जू के अन्दर, फिर भी यह अगेन हुआ है। बहुत सीरियस मामला है, आज स्टेटमैंट आ जाए तो ..

श्री रामनारायण विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत संवेदनशील मामला है।

श्री भगराज चौधरी (वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर पार्क में कुत्तों द्वारा जहां अपने हिरणों को रखा जा रहा था उस परिसर में घुस कर रात्रि के समय में उनको पकड़ कर मारा गया। खबर मिलते ही जो चौकीदार थे वहां पर उनको सस्पैंड किया गया, उनके साथ जो रिलीवर लगा उसको सस्पैंड किया गया।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, क्या मतलब है ?

श्री हीरालाल विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, चौकीदार को.. (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, यह तो डाइल्यूट हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : फिर आपका कालिंग अटैंन्शन है तो कालिंग अटैंन्शन के सम्बन्ध में जिस माननीय सदस्य ने कालिंग अटैंशन प्रस्तुत किया है आप उस पर अपना वक्तव्य तैयार करके ले आइये ताकि अन्य माननीय सदस्यों की जो भावना है, निश्चित तौर

(श्री अध्यक्ष)

पर राज्य सरकार भी यही चाहती है कि आपकी धार्मिक भावनाओं का पूरा आदर किया जाए। मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि वे जल्दी से जल्दी इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह वक्तव्य नहीं होगा।

श्री देवीसिंह भाटी : वक्तव्य तो आ जाएगा लेकिन संवेदनशील सरकार होने के नाते कम से कम मंत्रीजी का एक अखबारों में वक्तव्य तो चला जाता जिससे लोग आश्वस्त होते कि आइन्दा ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लोग धरने पर बैठे हैं और लोगों में जबर्दस्त रोष है कि इस प्रकार सुरक्षित बाड़े में जू के अन्दर रखे गये हिरण भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे व्यवस्था होते हुए भी। वहां चौकीदार हैं, आपने पूरा लवाजमा रखा हुआ है। लेकिन मंत्रीजी की ओर से आज तक कोई भी व्यक्तव्य जनता के सामने नहीं गया है, इसलिए कृपा करके जब भी आपका स्टेटमैंट आए उससे पहले पी. आर. ओ. के थ्रू एक स्टेटमैंट तो जारी कर दें।

श्री रामनारायण विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से पांच-सात कुत्ते हिरण नहीं मार सकते। कुत्ते तो आपस में ही लड़कर मर जाते। आपने मौका जाकर देखा नहीं। अधिकारियों को वहां से अभी तक किसी को हटाया नहीं है .. (व्यवधान) ...

(13.00 बजे)

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : कुत्ते साथ में नहीं रहते हैं, हिरण साथ में रहते हैं। एक कुत्ता एक हिरण को नहीं मार सकता और चार कुत्तों ने 25 हिरणों को मार दिया ? 10-15 फीट ऊंचा कूदता है हिरण और कुत्ता तो 2 फीट भी नहीं कूदता है। कहां से कुत्ते अन्दर घुसे और कहां से हिरण बाहर नहीं निकल सके ? अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष : नियम 295, यह स्टेटमैंट देंगे, कालिंग अटैंशन है।

श्री देवीसिंह भाटी : आपने जांच करवायी है और जांच करवा कर रिपोर्ट आपको मिल गयी।

श्री अध्यक्ष : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य का कालिंग अटैंशन है, उसके सम्बन्ध में मैंने वक्तव्य देने का....

श्री देवीसिंह भाटी : आसन पैरों पर है, बिलकुल सही है। मोशन कोई यहां से मूव माननीय सदस्य करे उसके ऊपर आप व्यवस्था दे सकते है और देते रहे हैं। लेकिन संवेदनशील सरकार होने के नाते जब इन्होंने जांच रिपोर्ट मंगवा ली है, जांच रिपोर्ट इनके पास आ चुकी है तो स्वमेव आपके सामने अनुरोध करके हाउस के अन्दर वक्तव्य देना चाहिए था। यह बिलकुल संवेदनशील सरकार है। सिर्फ नाटक करने थे, जब तक इनको सत्ता नहीं मिली। बार-बार चाहे जोधपुर में हिरणों का मामला हुआ चाहे और कहीं भी अकाल का मामला हुआ। अशोक जी जिस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बड़े संवेदनशील हुआ करते थे, आजकल आपकी संवेदनशीलता

(श्री देवीसिंह भाटी)

कहां गयी ? बार-बार मांग उठाते थे । तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि संवेदनशील बने रहिये, संवेदनशीलता अच्छी नहीं है।

श्री मदन दिलावर : अब इनको सांप सूंघ गया क्या ? हिरण मर रहे हैं, मोर मर रहे हैं, गीदड़ मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अभी तो पौने पांच साल और इन्तजार करो और उसके बाद 10 साल के लिए यही वापस बैठेंगे ।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष : नियम 295, श्री नाथूराम अहारी ।

(अनुपस्थित)

श्री केसाराम चौधरी ।

खारची में परिवहन विभाग की बस सेवा

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख ।

महोदय, देश आजाद हुए 50 वर्ष हो गये हैं किन्तु खारची विधान सभा क्षेत्र का एक भी गांव राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग की बसों के आवागमन से जुड़ा हुआ नहीं है । पाली जिले की बड़ी तहसील है, पंचायत समिति हैडक्वार्टर है, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, वाटर वर्क्स, बिजली बोर्ड सभी विभाग के कार्यालय हैं । वैस्टर्न रेल्वे का बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन हैं । पाली जिले में दो-दो निगम के आगार कार्यरत हैं इसके बावजूद भी बसें नहीं चल रही हैं जिससे पूरे क्षेत्र की जनता को आने-जाने में बड़ी कठिनाई होती है तथा अवैध वाहनों का उपयोग करना पड़ता है । अतः नीचे लिखे रूट के अनुसार अतिशीघ्र बस सेवा चालू की जाए :—

(1) पाली से जाड़ण, मारवाड़ जंक्शन, बिठोड़ा कल्ला, आउवा, जैतपुरा, देवली, जाणुदा, धनला, जोजावर, सांसरी, पनोता, नया गांव, कोट सोलकिया होते हुए दिवेर के रास्ते से होते हुए उदयपुर ।

(2) पाली से पनोता होते हुए कोलर मगरतलाब, बागोल, बांथी, सूमेर, लापी से देसूरी होते हुए फालना तक ।

(3) पाली से मारवाड़ जंक्शन नरसिंहपुरा चैलावास, गादाण, रडावास, राणावास, सुरसिंहगुडा, सिरीयारी, सारण, बोरीमादा, राड़ झालरा, जामुडा होते हुए बीरासण से भीम तक ।

(4) पाली से मारवाड़ जंक्शन राणावास, फलाद, करमाल चौराहा, कालीघाटी देवगढ़ से भीलवाड़ा तक ।

(5) पाली से मारवाड़ जंक्शन होते हुए देवली, धनला से गजनिपुरा होते हुए खीवाड़ा सिवास गेनड़ी रामाजी का गुडा गावाड़ा, निपल, नोडल से राणी तक ।

(6) पाली, खैरवा, रामपुरा, गौदावास, बाडसा, सूर्यनगर, मारवाड़ जंक्शन हिमलीयावास दुदोड़ नागाकी बेरी होते हुए सोजत तक ।

(श्री केसाराम चौधरी)

उक्त सभी मार्गों पर रोडवेज बस सेवा नहीं है इस कारण सम्पूर्ण तहसील की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है कि हमारे जिले में दो आगार होते हुए भी तहसील में एक रोडवेज की बस नहीं चलती है। अतः मैं माननीय यातायात मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल अहारी।

डूंगरपुर जिले के विद्युत श्रमिकों को वेतन शृंखला-3 का लाभ

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले के आदिवासी श्रमिकों को न्यायालय से मिले न्याय से वंचित रखने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

मान्यवर, निवेदन है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, डूंगरपुर के 13 श्रमिकों को वेतन शृंखला–3 में फिक्स करने हेतु माननीय न्यायालय एवं उदयपुर वृत्त की गठित समिति द्वारा निर्णय लिया गया परन्तु सरेआम न्यायालय एवं समिति की अवमानना की गयी जिससे आज 13 श्रमिकों को वेतन शृंखला–3 से वंचित रहना पड़ा। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा भी गजट नोटिफिकेशन 9 अगस्त, 1996 को जारी किया गया लेकिन इसको भी विभाग द्वारा नजरअन्दाज किया। 13 श्रमिकों को वेतन शृंखला–3 का वेतन दिलाने के लिए बिजली कर्मचारी संघ (इन्टक) द्वारा बराबर अधिकारियों से संपर्क किया गया। खेद के साथ लिखा जाता है कि इन्टक संघ के पदाधिकारियों की बात भी नहीं मानी गयी जिससे यह स्पष्ट होता है कि पिछली सरकार द्वारा सरेआम पार्टी गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस के लोगों को मिलने वाले लाभ से वंचित किया। क्योंकि इसमें यह स्पष्ट होता है कि कुल 14 श्रमिक थे जिनमें एक श्रमिक को अपना मानकर वेतन शृंखला–3 का लाभ 1.4.82 से देकर 12 प्रतिशत ब्याज सहित राशि का भुगतान किया गया।

अतः आपसे अनुरोध है कि शेष 13 कर्मचारियों को वेतन शृंखला–3 का लाभ देकर बकाया राशि का भुगतान किया जाए। जिससे कि आदिवासी श्रमिकों को राहत की सांस मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

गुढ़ा विधान सभा क्षेत्र के देहाती क्षेत्रों में नियमित विद्युत सप्लाई

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत नीचे लिखे महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, मार्च, अप्रेल तथा मई माह का समय विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं महीनों में परीक्षाएं आयोजित होती है तथा छात्रों का भविष्य तय होता है। परीक्षाओं के परिणाम के माध्यम से शहरी तथा देहाती क्षेत्रों में पहले से ही छात्रों की सुविधा की दृष्टि से भेदभाव होता आ रहा है वे सब सुविधाएं देहाती छात्रों को उपलब्ध नहीं है जो शहरी क्षेत्र के छात्रों को मिल रही है। इस असमानता में बिजली की समस्या ने और बढ़ोतरी कर दी है। छात्रों को रात को पढ़ने के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है बहाना यह बनाया जा रहा है

(श्री शिवनाथ सिंह)

कि रात को बिजली की सप्लाई चालू रखने से किसान कैपेसिटर लगाकर सिंचाई कर लेते हैं। कितना हास्यास्पद बहाना है। चोरी को रोकना विद्युत मण्डल एवं सरकार की जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाने का दण्ड छात्रों को दिया जाना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। चोरी रोकने के लिए कारगर कदम जो भी उठाये जाने आवश्यक हों उठाये जाएं लेकिन किसी भी सूरत में छात्रों को पढ़ने के लिए शाम को सात बजे से ग्यारह बजे रात तक तथा सुबह चार बजे से सात बजे तक बिजली की व्यवस्था करवायी जाए ताकि छात्र अपनी परीक्षाएं सुविधापूर्वक कर सकें। इस समय कृषि हेतु बिजली की मांग में कमी आयी है अतः यह व्यवस्था करने में कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। यह व्यवस्था तत्काल की जाए तथा आगे के लिए ऐसी व्यवस्था पूरी तरह लागू रहे, उसके लिए ठोस उपाय किये जाएं।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी सदन को आश्वस्त किया था और विद्युत मण्डल ने सायंकाल 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ग्रामीण क्षेत्र में सिंगल फेज की विद्युत आपूर्ति करना शुरू कर दिया है। माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं कि सुबह के वक्त, यह बात सही है कि शाम के वक्त हम नियमित रूप से बिजली देते हैं लेकिन ग्रामीण इलाकों में सुबह के वक्त कई बार विद्युत की आपूर्ति गड़बड़ा जाती है। अब प्रयास करेंगे कि सुबह के वक्त भी बिजली दी जा सके।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में कुल मिलाकर 35 हजार गांव विद्युतीकृत हैं। कई बार नोर्दन ग्रिड में यह कहना चाहिए, कई प्लांट्स अचानक बन्द हो जाते हैं उसके चलते कमी हो जाती है। पिछले दिनों में 12 सौ मेगावाट से लेकर 2000 मेगावाट तक की कमी चली है। कई बार सिस्टम में गड़बड़ी के कारण दिक्कत आती है। लेकिन मेरे को विद्युत मण्डल ने जो सूचना दी है उसके मुताबिक जो आपने भी आदेश दिये थे कि 6 से 10 बजे के बजाय 11 बजे तक करें, उसके बाद में मैं लगातार इसकी मानीटरिंग कर रहा हूं। पिछले 8 और 10 दिन में कुल मिलाकर 90 प्रतिशत गांवों में शाम के वक्त 7 से लेकर रात के 11 बजे तक बिजली दी जाती है। जहां कहीं नहीं दी जाती है उनमें भी हम देने की व्यवस्था करेंगे। बिजली का अभाव है, यह बात सही है। शहरों में 24 घंटे हैं और गांवों में हम 12 घंटे ही दे पाते हैं।

कैपेसिटर वाली बात जो आप कहते हैं यह बात सही है कि जनवरी, फरवरी के महीने में यह दिक्कत थी मार्च में भी थोड़ी थी कि वहां एक ही सप्लाई होती है। एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक की लाइन गांवों में अलग-अलग नहीं होती, तो सिंगल फेज को कई जगह डबल फेज, या कहना चाहिए तीन फेज की बना लेते हैं। लेकिन चूंकि अब एग्रीकल्चर का लोड एक तरह से खतम हो गया है, वह दिक्कत नहीं है। नियमित रूप से विद्यार्थियों के इम्तिहान को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 7 से 11 बजे तक बिजली दी जाएगी और सुबह के वक्त भी ग्रामीण इलाके में घरेलू बिजली मिले, इसके प्रयास किये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्रीजी बिजली के बारे में सदन में चिन्ता प्रकट करते हैं, शायद आपकी विद्युत मण्डल पर पकड़ नहीं है। आप कहते तो हैं परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि आज भी गांवों के अन्दर जो सिंगल फेज बिजली की आप बात कर रहे हैं उनको अलग-अलग जोन में बांट रखा है। 8 घंटे एक जोन को देते हैं, फिर 8 घंटे एक जोन को देते हैं, फिर 8 घंटे एक जोन को देते हैं और इस जोन वाली बात को भी सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भगवान के लिए आपको दिये गये उत्तर को यूं ही नहीं पढ़ें। आप नौजवान हैं, आपसे कुछ उम्मीद है परन्तु अगर इसी तरह से आप उत्तर देते रहे तो लोगों की विश्वसनीयता खतम हो जायेगी आपके प्रति।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले सदस्य कह रहे हैं कि पकड़ नहीं है, मेरी पकड़ नहीं होती तो 8 घंटा रोजाना बिजली नहीं मिलती किसानों को। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि आज भी नियमित रूप से शाम को 7 से 11 बजे के बीच में बिजली आ रही है। आप अपने समय को जरा थोड़ा ध्यान रखें, उसमें आपकी क्या स्थिति थी।

अटरू तहसील (बारां) के कवाई थाने में युवक पर पुलिस की ज्यादती

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतनी ही असत्य बात है जितनी कोई गधे के सींग आने वाली बात कहे। इतनी ही असत्य है।

अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत बारां जिले के कवाई थानान्तर्गत निर्दोष के साथ लोमहर्षक दिल दहला देने वाली यातनाओं के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख।

मान्यवर, अटरू तहसील के कवाई थानान्तर्गत बालू बाछी (माली) के साथ 5 दिनों तक जबरदस्त दिल दहलाने वाली यातनाएं दी जाती रहीं जिसे सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है। 5 जनवरी को ग्राम कुण्डी तहसील अटरू जिला बारां का निवासी श्री बालू काछी रात को सो रहा था तब रात्रि को पुलिस उसे उठाकर घर से ले गयी तथा उससे कहा गया कि तुमने गांव के धनिये की चोरी की है। चोरी कबूल करे इसलिए 5 दिन तक जबरदस्त रऊफ नाम का हैड कांस्टेबल व अन्य दो सिपाही, दोनों हाथ-पैर बांधकर मारपीट करते हैं। कभी बक्से पर लिटाकर मारपीट करते, कभी कम्बल ओढ़ाकर लाठियों से मारते। बालू काछी ने बताया कि मेरे मल द्वार में डंडा चलाने का भी प्रयास किया गया तथा मेरे लिंग पर बिजली का करंट लगाने का भी रऊफ हैड कांस्टेबल ने प्रयास किया। साथ-साथ मेरे से हजारों रुपये की मांग करते रहे। मुर्गा बनाकर घंटों तक रखा। जब वे मल द्वार में डंडा चलाने लगे तथा लिंग पर बिजली का करंट लगाने लगे तब मैं क्या करता, मैंने धनिया खरीद कर पुलिस को देने की बात कह दी तथा 1000 रुपये रिश्वत देने की बात भी हां कर ली। मेरा भाई मिलने आया तब उसने मेरी पत्नी के चांदी के जेवर टणका गांव में ही गिरवी रखकर 1000/– रुपये रऊफ हैड कांस्टेबल को दिये तथा 1000/– रुपये से

(श्री मदन दिलावर)

मेरा भाई सुदामा पुत्र कन्हैयालाल अग्रवाल से धनिया खरीद कर लाया, उसे पुलिस ने बरामद दिखाया है । उस समय चम्पालाल व छीतरलाल काछी को भी रिश्वत लेने हेतु जबरदस्ती बंद कर रखा था । उन्होंने सारा वाकिया देखा है । इस सबके बावजूद भी मेरे ऊपर चोरी का केस बना दिया । इस सबकी जानकारी मुझे मिली तब मैं खुद कुण्डी गांव में गया, वहां लोगों से पूछताछ की । सभी ग्रामवासियों ने एक स्वर से बताया कि इतना सीधा सच्चा लड़का हमारे गांव में दूसरा कोई नहीं मिल सकता, उसको तो केवल रिश्वत लेने के लिए ही फंसाया गया है ।

श्रीमान्, इसको लेकर मै स्वयं पुलिस अधीक्षक, बारां से मिला था । उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि शीघ्र इस पर कार्यवाही करूंगा तथा इसे न्याय दिलाऊंगा । एस.पी. साहब ने भी माना कि इस गरीब के साथ अत्याचार हुआ है । उन्होंने जांच तत्कालीन भ्रष्ट उप अधीक्षक छबड़ा को दी जिसने पैसा खाकर जांच को रफा–दफा कर दिया होगा । श्रीमान्, निष्पक्ष जांच करवाकर दोषी लोगों को सजा देने की कार्यवाही हो तो उत्तम रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीचन्द कृपलानी ।

चित्तौड़गढ़ जिले में बरसाती पानी के संग्रहण हेतु बांधों का निर्माण

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : मान्यवरजी, चित्तौड़गढ़ जिले में सिंचाई के लिये पानी को रोकने के लिये बांधों की कमी है जिसकी वजह से भूमिगत जल स्तर नीचे चला गया है । जिले में नदियों, नालों के बरसाती पानी को संग्रहण करने की सख्त आवश्यकता है । मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिले में जहां–जहां परियोजनाएं बनाने की संभावना है, सरकार को स्वीकृति देनी चाहिये ।

जिले में कनेरा घाटा क्षेत्र में रेन का नाका बांध प्रस्तावित है जिसमें सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि में सिंचाई हो सकती है । छोटी सादड़ी में पंडेरिया बांध बनाने की आवश्यकता है जहां पूर्णतया आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों का भला हो सकता है । छोटी सादड़ी में इंदिरा सागर बांध बनाने की भी आवश्यकता है । चित्तौड़गढ में सांकलखेड़ा बांध को प्रशासनिक स्वीकृति होने के बाद भी उसका कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है । उसी तरह मैंरूघाटी नाले पर यदि बांध का निर्माण कराया जाए तो 50 गांवों का जल स्तर बढ जायेगा तथा 15 हजार हैक्टेयर जमीन पर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकती है । इसी तरह संगसेरा बांध, पिंड बांध, बड़ी सादड़ी में तथा शिवना बांध प्रतापगढ में भावलिया बांध, निम्बाहेड़ा में करवाना अति आवश्यक है ।

आशा है सरकार इन बांधों की स्वीकृति शीघ्र देगी ताकि चित्तौड़ जिले के लाखों किसानों का भला हो सके तथा सिंचाई के साथ–साथ पेयजल की समस्या का भी समाधान हो सके ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी ।

(अनुपस्थित)

श्री हरजीराम बुरड़क ।

लाडनूं (नागौर) में ए.सी.एम कोर्ट

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख ।

महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना को राजस्व मामलों की सुनवाई के लिये लाडनूं जिला नागौर में कैम्प कोर्ट लगाने का आदेश दिया था जिसके अनुसार हर महीने में दो बार कैम्प लगाया जा रहा है । परन्तु इस कैम्प में आज तक एक भी मामले को निर्णीत नहीं किया गया है । यहां तक की पेशियां भी डीडवाना से ही दे दी जाती हैं । न तो बराबर उपखण्ड अधिकारी कैम्प में आता है और ना ही कोई कार्यवाही होती है जिसके फलस्वरूप जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । इसलिये कैम्प कोर्ट की जगह ए.सी.एम कोर्ट खोलने का आदेश प्रदान किया जाना चाहिये । मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं, आशा है सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक रूख अपनाकर उक्त कोर्ट खोलने की घोषणा करेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनलाल वर्मा ।

डग (झालावाड़) में सिंचाई परियोजनाएं चालू करना

श्री मदनलाल वर्मा (डग) : मान्यवर, विधान सभा प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम 295 के तहत झालावाड़ जिले की डग विधान सभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि राजस्थान में अन्य जिलों की अपेक्षा झालावाड़ जिले में वर्षा का औसत अच्छा है परन्तु डग विधान सभा की निम्न पंचायते पठार क्षेत्र में होने के कारण पानी बह निकल जाता है । रावन गुराड़ी, पारापीपली रनायरा, बिस्तुनिया, लुहारिया, डोबड़ा, धतुरिया, सिलेगढ, देवगढ, पिपलियाखुर्द, गुढा, इन ग्राम पंचायतों में चम्बल, काली सिंध, क्यासरी व छोटे बडे नाले बहते हैं । इन स्थानों का सर्वे कर लिया गया है जहां पर छोटी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं चालू की जा सकती हैं । जिससे भू-जल स्तर बढने के साथ साथ काफी भूमि सिंचित हो सकेगी क्षेत्र के किसानों की माली हालत काफी कमजोर है व बेरोजगारी बहुत है । आय के कोई साधन डग चौमहला क्षेत्र में नहीं हैं । अतः श्रीमान् के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि इस क्षेत्र की गंभीर व महत्वपूर्ण समस्या का हल करने की कृपा करें ।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

खानपुर कस्बे में पीलिया रोग का प्रकोप

श्री अध्यक्ष : पर्ची पद्धति में बोलने की अनुमति । श्री मदन दिलावर ।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग एक माह से भी ज्यादा दिनों से झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में भंयकर पीलिया रोग फैला हुआ है और इतना फैला हुआ है कि आज की तारीख में डेढ़ हजार से भी ज्यादा मरीज पीलिया रोग से प्रभावित हैं । वहां के प्रशासनिक अधिकारी और सरकार के माननीय मन्त्री वहां दौरा करके यह कह रहे हैं कि वहां हमने नियंत्रण पा लिया है । माननीय

(श्री मदन दिलावर)

अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर बड़ा दुःख होगा कि वहां आज भी बोतलों में जो पीने का पानी भरते हैं उसमें मरे हुए जानवरों के मांस के लोथडे, टुकड़े आ रहे है। अब इसी से इनकी पोल खुल जाती है कि कितना नियंत्रण इन्होंने किया होगा। नालियों में से जो पाइप लाइन निकाली हुई है, उनके ऊपर तीन–तीन फीट कीचड़ और पानी है जो पुरानी पाइप लाइन हो गयी होंगी या लूज हो गयीं उनके माध्यम से निरन्तर लोगों को गन्दा पानी पिलाया जा रहा है। लेकिन बार–बार कहा जा रहा है कि हम क्लोरीन ठीक प्रकार से दे रहे है, पानी में पर्याप्त क्लोरिन है इसलिए बीमारियां नहीं होंगी। अध्यक्ष महोदय, क्या यह हो सकता है कि अनेक गन्दगियां घुलकर जा रही है और उसमें ये क्लोरीन डाल दें तो सब ठीक हो जायेगा ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि हम दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं और अस्पतालों में हमारे पास पर्याप्त दवाइयां हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ग्लूकोज ओरल वहां इनके पास है? क्या जी. एन. एस. 20 प्रतिशत जो होता है वह इनके पास है ? जी. एन. एस. 5 प्रतिशत वहां उपलब्ध कराया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी इतना गंदा पानी लोगों को पिलाया जा रहा है कि निरंतर रूप से पीलिया की रफ्तार चौगुनी ताकत से बढ़ती जा रही है और वह आस-पास के गांवों में फैल गया है। 480 के आस-पास तो प्रशासन कबूल करता है कि पीलिया के रोगी अस्पतालों में आये हैं। लेकिन जो लोग प्राइवेट लोगों के पास जा रहे हैं, जो लोग जादू-टोने से अपना इलाज करा रहे हैं वे भी कई सारे लोग हैं। हजारों की संख्या में दूसरे जिलों के अस्पतालों में जा रहे हैं परन्तु वहां पीलिया रोग पर नियंत्रण नहीं पाया जा रहा है। लाखों रुपयों की घोषणा वहां केवल इसलिए की जा रही है ताकि उनमें कमीशन खाया जा सके। जबकि वास्तविकता यह है कि वहां केवल 50 हजार का काम है। नालियों की सफाई कर दी जाए, गन्दगी को साफ करा दिया जाए और एक माह तक टैंकर से पूरे खानपुर कस्बे को पानी उपलब्ध कराया जाए। लेकिन यह नहीं करवाएगे, ये तो 10 लाख 20 लाख, 50 लाख, करोड़ की योजना बनाएंगे ताकि ठीक प्रकार से वहां कमीशन पक सके। इसकी योजना बनाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, एक महिला मर गयी है और कई लोग जीवन-मरण से अस्पतालों में जूझ रहे है।

मैं समझता हूं सरकार संवेदनशून्य है, +++इसको वहां के रोगियों की, वहां के लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको निर्देशित करें कि लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाएं। एक माह तक वहां टैंकर से पानी उपलब्ध करवाएं ताकि लोगों को बचाया जा सके। यही निवेदन मैं करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

पीपल्दा में विद्युत अव्यवस्था

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र में विद्युत की अव्यवस्था से सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कस्बे इटावा और आस-पास के सभी क्षेत्रों में विद्युत की सप्लाई लाखेरी से होने के कारण और बीच में चम्बल नदी पड़ने से बार-बार ट्रिपिंग आने के कारण विद्युत की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने से 12 महीने ही यहां पर विद्युत की परेशानी रहती है। विद्युत सही समय से नहीं मिलने के कारण से वहां पर जो नल योजनाएं हैं, इटावा, खातौली, पीपल्दा और गेंता की जो नल योजनाएं हैं वे भी प्रभावित होती हैं और उसके कारण से नल योजनाओं में भी 24-24 घंटे तक पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है।

अब जो विशेष समय चल रहा है, माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाएं चालू हैं, इन परीक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए पढ़ने का समय है, लेकिन बिजली समय से नहीं मिलने के कारण आज छात्रों का भविष्य अंधकारमय है। अभी 27, 28 और 29 तारीख को मैं विधान सभा क्षेत्र में था, शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10–11 बजे तक विशेष व्यवधान पैदा होते हैं, बार-बार लाइट जाती है। हमें 4 घंटे भी बड़ी मुश्किल से लाइट नहीं मिल पाती है जिससे आज छात्र चिंतित हैं। जो व्यापारी वर्ग है, मिलों का जो समय है, हर तरह से विद्युत नहीं मिलने के कारण लोग प्रभावित हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि शाम 6 बजे से 11 बजे तक का जो समय है उसमें लाइट की स्थायी सप्लाई दी जाए। एक समय निर्धारित किया जाए कि कितने बजे से कितने बजे तक कटौती की जाएगी जिससे हमारे क्षेत्र में विद्युत की सप्लाई समय से हो सकती है। आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीचंद कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में डा. चन्द्रभान जी से चर्चा हो चुकी। वह आपने दे दिया कि इन गांवों के बिजली कनेक्शन वापस जुड़वा दिये जाएंगे। मुझे यही बात कहनी थी।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र प्रतिवेदन एवं लेखे

गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन व लेखे वर्ष 1996–97 व 97–98

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री चन्दन मल बैद, वित्त मंत्री राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री चन्दन मल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधि-

(श्री चन्दन मल बैद)

नियम, 1956 की धारा 619–ए के अन्तर्गत राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1996–97 एवं 1997–98 सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997–98

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह, उद्योग मंत्री राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997–98 को सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (उद्योग मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997–98 सदन की मेज पर रखता हूं।

मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन व लेखे वर्ष 1997–98

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा, खनिज राज्य मंत्री राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 1997–98 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हीरालाल इन्दौरा (खनिज राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 1997–98 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा 2 याचिकाए उपस्थापित करेंगे।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित 2 याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

दंतौर ब्रांच के आर. डी. 12.300 फुट ब्रिज बनाना

1. दंतौर ब्रांच के आर.डी. 12.300 फुट ब्रिज बनाने बाबत् दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

कंवर सेन नहर की दुलमेरा माइनर की आर.डी. 12.05 पर आवागमन हेतु पुलिया निर्माण

2. कंवर सेन नहर की दुलमेरा माइनर की आर. डी. 12.05 पर आवागमन हेतु पुलिया निर्माण बाबत् दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा 3 याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित 3 याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

जिला एवं तहसील बारां के ग्राम हीकड़ व लुहारिया के बीच लिफ्ट सिंचाई योजना

1. जिला व तहसील बारां के ग्राम

(श्री मदन दिलावर)

हीकड़ व लुहारिया के बीच लिफ्ट सिंचाई योजना बनाने बाबत् दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित ।

ग्राम बैगना तहसील व जिला बारां में लिफ्ट सिंचाई योजना

2. ग्राम बैगना तहसील व जिला बारां में लिफ्ट सिंचाई योजना बनाने बाबत् दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ब्यावर कलां तहसील सांगोद जिला कोटा के भवन निर्माण

3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ब्यावर कलां तहसील सांगोद जिला कोटा के भवन निर्माण बाबत् दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित ।

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार ।

श्री हरिसिंह (महुवा) सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दे दें । उप सचेतक जी आ गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री महादेव सिंह खण्डेला, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे ।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित दो याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :–

ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में कॉलेज खोलना

1. ग्राम बाय तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में कॉलेज खोलने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित ।

खाटूश्याम (सीकर) के श्याम मंदिर को सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित करना

2. खाटूश्यामजी (सीकर) के श्याम मंदिर को सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित करने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित ।

कार्य सलाहकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री महेश जोशी, सरकारी उप मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

(प्रतिवेदन के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

श्री अध्यक्ष : वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि "यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

श्री महेश जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह तो बतलाएं कि कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन में क्या है ।

एक माननीय सदस्य : सबको मिल गया है ।

श्री शिवनाथ सिंह : कुछ को नहीं मिला है, सदन में रखना जरूरी है, सदन में बतलाना जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन माननीय सदस्यों को वितरित किया जा चुका है और उसमें इसका उल्लेख है।

श्री शिवनाथ सिंह : हमेशा से बताया जाता रहा है, परम्परा यह है। बतलाने में कोई एतराज भी नहीं है, किसी माननीय सदस्य को नहीं मिला होगा तो जानकारी मिल जाएगी।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को प्रतिवेदन की प्रतिलिपि मिल गई है, इसलिए उसको पढ़ना आवश्यक नहीं है।

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान कराधान अधिकरण निरसन विधेयक, 1999

श्री चन्दनमल बैद, प्रभारी मंत्री, राजस्थान कराधान अधिकरण निरसन विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कराधान अधिकरण निरसन विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान अधिकरण निरसन विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कराधान अधिकरण निरसन विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान कराधान अधिकरण (निरसन) अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश संख्या 1) को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

शासकीय वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षा का स्थगन

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला, शिक्षा मंत्री, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा स्थगित करने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी): अध्यक्ष महोदय, मेरी विनम्र प्रार्थना है, सुन लीजिए। 23 तारीख के दिन भी इन परीक्षाओं को लेकर आपका एक वक्तव्य सदन में सुना था और उस दिन हमें यह विश्वास हो गया था कि निश्चित रूप से हमारे शिक्षा मंत्री परीक्षाओं को ठीक प्रकार से संचालित करेंगे, ऐसा आश्वासन इस सदन में दिया गया। 23 तारीख को इधर आप आश्वासन दे रहे थे और 22 तारीख रात्रि को इसी शहर के एक विद्यालय के अन्दर पेपर चोरी हो रहे थे। दो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

रात तक बैठ करके पेपर की नकल हो रही है, पेपर नकल होकर सारे राजस्थान में जा रहे हैं (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य तो आने दीजिए, वक्तव्य आने से पहले माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह इतना गम्भीर मामला है (व्यवधान)।

श्री रामनारायण चौधरी : परम्परा यह है कि पहले स्टेटमैंट आता है गवर्नमैंट का। जब तक स्टेटमैंट नहीं आता तब तक किस बात पर बहस होगी? पहले स्टेटमैंट आना चाहिए (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, एक जिले में नहीं चौदह जिलों में पेपर बिक्री केन्द्र स्थापित हो गए। (व्यवधान) 22 तारीख से सारे राजस्थान में पेपर बिक रहे हैं। (व्यवधान) 24 तारीख को अखबार में आया कि पेपर आउट हो गए, पेपर में यह-यह प्रश्न आने वाले हैं और वह का वह पेपर आया। मिलान हुआ, तब आपने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद 27 तारीख की रात्रि को जिस प्रकार का वातावरण राजस्थान में बना, उस वातावरण को लेकर आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? इस वक्तव्य से उन बच्चों के मन को क्या संतोष दिलाना चाहते हैं? हमने सन्तोष दिलाया था। (व्यवधान) जब हमारे शिक्षा मंत्री ने बड़े पुरजोर शब्दों में कहा था कि हम आगे कि परीक्षाओं को व्यवस्थित रूप से कर लेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पहले मंत्री का स्टेटमैंट होता है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, भाषण हो रहा है (व्यवधान)।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सदन में अगर हमने इस बात का आश्वासन दे दिया कि हमारी परीक्षाएं ठीक प्रकार से आगे से सम्पन्न होगी। एक तरफ वक्तव्य चल रहा है और दूसरी तरफ राजस्थान के 15 जिलों में पेपर बिक रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्री के स्टेटमैंट के पहले जो बातें कही जाती हैं, वे रिकार्ड में नहीं ली जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति के बगैर जो बात सदन में कही जाती है, वह आन रिकार्ड नहीं जानी चाहिए। आपको व्यवस्था देनी चाहिए। अगर आप इसी तरह से छोड़ेंगे तो हर आदमी खड़ा हो जाएगा। मंत्री महोदय का स्टेटमैंट आज आपने बुक कर रखा है। आपने उनको काल कर दिया। इससे पहले भाषण देना शुरू कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किस प्रकार की परम्परा है? (व्यवधान) परीक्षाओं के मामले में सरकार का स्टेटमैंट आने वाला है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : आपने आज तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की।

एक माननीय सदस्य : बी.जे.पी. के राज में ऐसा नहीं हुआ क्या? मंत्रीजी ने एक्शन लिया है, सब कुछ किया है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, परम्पराओं की बात करते हैं। आज अध्यक्ष महोदय, ने स्टेटमैंट बुक कर रखा है, मंत्री महोदय का, उनका नाम कॉल हो गया है, आपको स्टेटमैंट की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। उससे पहले आप भाषण दे रहे हैं, फिर मतलब क्या हुआ इसका ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : जब मिडिल स्कूलों का रिजल्ट आठ प्रतिशत रहा तब आप क्या कर रहे थे ? सत्यानाश कर दिया शिक्षा जगत का।

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : आपने अभी व्यवस्था दी थी सदन में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी स्वयं ने विषयवस्तु की गम्भीरता को मानते हुए मुझसे अनुमति चाही थी। प्रक्रिया के नियम 290 के अन्तर्गत मैंने उन्हें अनुमति प्रदान की है, पहले उनका वक्तव्य आने दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ उपाध्याय एवं उच्च माध्यमिक (व्यावसायिक) परीक्षा जो दिनांक 24 मार्च, 1999 से प्रारम्भ हुई थी, के सम्बन्ध में राज्य सरकार को यह सूचना प्राप्त होने पर कई स्थानों पर बोर्ड परीक्षा के प्रश्न-पत्र लीक आउट हो गए हैं एवं किसी एक गिरोह द्वारा विद्यार्थियों से पैसा लेकर उन्हें उपलब्ध कराये जा रहे हैं, राज्य सरकार ने पुलिस के उच्चाधिकारियों

(13.40 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

को इस सम्बन्ध में पर्चे लीक आउट करने वाले गिरोह के सदस्यों को अविलम्ब गिरफ्तार करके वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस अन्वेषण से ये तथ्य प्रकट हुए हैं कि जयपुर में शास्त्री नगर स्थित श्रीमती भगवान देवी बाजोरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत श्री बुद्धिप्रकाश द्वारा चुराये गए एवं इन प्रश्न-पत्रों की हाथों की नकल की गई।

1 जुलाई, 1998 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने आए श्री मानसिंह, निवासी पथैना (भरतपुर), हाल निवासी गांधीनगर मोड़, जयपुर का परीक्षा केन्द्र बाजोरिया स्कूल में था जहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री बुद्धिप्रकाश ने नकल कराने में श्री मानसिंह का सहयोग करने पर उसकी मित्रता हो गई। श्री मानसिंह ने श्री बुद्धिप्रकाश को 20 हजार रुपये भी उधार दिए जिसको चुकाने हेतु श्री बुद्धिप्रकाश ने बोर्ड के प्रश्न-पत्र देने का वायदा कर लिया। इस प्रकार प्रश्न-पत्र चुराने की योजना श्री मानसिंह एवं बुद्धिप्रकाश द्वारा बनायी गई।

दिनांक 22 मार्च को जब प्रश्न-पत्र बाजोरिया स्कूल में पहुंचे तो रात्रि में श्री मानसिंह चौधरी, श्री अशोक यादव एवं श्री लोकेश कुमार तीनों बाजोरिया स्कूल

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

में श्री बुद्धिप्रकाश के पास पहुंचे। श्री बुद्धिप्रकाश ने प्रधानाचार्य श्री द्वारकाप्रसाद शर्मा का कमरा खोला तथा कार्टून में रखे हुए प्रश्न-पत्रों के लिफाफों को निकाल लिया तथा श्री मानसिंह, श्री अशोक यादव व श्री लोकेश को दे दिया। ये तीनों झोटवाड़ा स्थित श्री लोकेश शर्मा के शॉप फैक्ट्री में ले गये तथा वहां रुई व पानी की सहायता से लिफाफों को खोलकर पेपर निकाल लिए तथा इन पेपरों की नकल उतार ली। तीनों ने नकल करने के बाद इन लिफाफों को श्री बुद्धिप्रकाश को सुपुर्द कर दिया जहां इन्होंने फिर स्कूल के कमरे में रख दिया। श्री बुद्धिप्रकाश ने पूछताछ के दौरान यह बताया कि प्रधानाचार्य श्री द्वारका प्रसाद शर्मा द्वारा लापरवाही से कमरे में चाबी छोड़ी गयी तथा परीक्षा प्रभारी श्री मसूद अली खान द्वारा लिफाफों को डबल लॉक में नहीं रखने के कारण उसके लिए इन लिफाफों को निकालने तथा पेपरों की नकल करना संभव हो गया। श्री मानसिंह ने ये प्रश्न-पत्र श्री अशोक यादव को एवं श्री अशोक यादव ने श्री अमित खन्ना को बेचने का सौदा किया। प्रश्न-पत्र अधिक स्थानों पर बेचने का कार्य श्री अशोक यादव, श्री मानसिंह, श्री बुद्धिप्रकाश के साले श्री लोकेश एवं श्री सीताराम मीणा जो कि श्री बुद्धिप्रकाश का मित्र है, ने किया। श्री बुद्धिप्रकाश की निशानदेही से 12 प्रश्न-पत्र अर्थशास्त्र (द्वितीय), रसायन-शास्त्र (द्वितीय), इतिहास (प्रथम एवं द्वितीय), गणित (प्रथम एवं द्वितीय), बायलोजी (प्रथम व द्वितीय), भौतिक शास्त्र (द्वितीय), राजनीति विज्ञान (प्रथम व द्वितीय), हिन्दी विषयों के बरामद किए गए। इन बरामदशुदा प्रश्न-पत्रों का मिलान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किया गया तो पाया गया कि ये प्रश्न-पत्र बोर्ड द्वारा परीक्षा के लिए छपवाये गये प्रश्न-पत्रों से हुबहू मिलते हैं। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों से तफ्तीश जारी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि परीक्षा के प्रश्न-पत्रों को संभालकर एवं डबल लॉक की अलमारी में नहीं रखना एवं लापरवाही के कारण श्रीमती भगवान देवी बाजोरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शास्त्री नगर, जयपुर के प्रधानाचार्य श्री द्वारका प्रसाद शर्मा एवं परीक्षा प्रभारी श्री मसूद अली खान को गिरफ्तार किया जा चुका है जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट एफ.आई.आर. संख्या 48/99 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 1992 की धारा 4 व 6, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380 थाना नाहरगढ़ रोड, जयपुर, 164/99 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 की धारा 4 व 6 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379, थाना कोतवाली, जयपुर, 144/99, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 1992 की धारा 4, 5 व 6, थाना बजाज नगर, जयपुर, 145/99 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 1992 की धारा 4, 5 व 6 थाना बजाज नगर, जयपुर, एवं 66/99, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 1992 की धारा 4, 5 व 6 थाना सोडाला, जयपुर में दर्ज हो चुकी है।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि बाजोरिया स्कूल के प्रधानाचार्य श्री द्वारका प्रसाद शर्मा, परीक्षा प्रभारी श्री मसूद अली खान एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री बुद्धिप्रकाश को राज्य सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाकर उनके विरुद्ध विभागीय जांच प्रारम्भ कर दी गई है। राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के निदेशक श्री बी. एल. जैमन को अपने वर्तमान पद से हटाकर उन्हें पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं एवं निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) के पद का कार्यभार श्री राजेन्द्र भानावत, निदेशक (साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, जयपुर) द्वारा सम्भाल लिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि बोर्ड परीक्षाओं के पर्चे आउट हो जाने के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बारहवीं कक्षा की परीक्षा की पिछले दिनों हुई अर्थशास्त्र (प्रथम) व भौतिक शास्त्र (प्रथम) की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निरस्त कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी दिनों में होने वाले 14 अन्य पर्चों की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा घोषित इन विषयों के प्रश्न-पत्रों के अतिरिक्त शेष विषयों की परीक्षाएं पूर्व घोषित तिथियों के अनुसार यथावत रहेंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस प्रकरण के सम्बन्ध में बाजोरिया स्कूल के प्रधानाचार्य श्री द्वारका प्रसाद शर्मा परीक्षा प्रभारी श्री मसूद अली खान एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री बुद्धि प्रकाश को निलम्बित किये जाने के पश्चात भी अगर जांच में अन्य अधिकारी, कर्मचारी दोषी पाये जाएंगे तो उनके विरुद्ध भी राज्य सरकार सख्त कार्यवाही करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का अवैध रूप से आदान-प्रदान करने की सूचना प्राप्त होने पर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गश्त तेज कर दी गई एवं निगरानी भी बढ़ा दी गई जिससे हस्तलिखित पर्चे प्राप्त किये गये एवं दिनांक 27.3.99 को प्रातः भौतिक विज्ञान की परीक्षा आरम्भ होने के तत्काल पश्चात् माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रश्न पत्रों एवं दिनांक 26 मार्च, 99 को जब्त किये गये हस्तलिखित प्रश्न-पत्रों के मिलान करने पर दोनों में अक्षरशः समानता पायी गई। इस सम्बन्ध में अब तक चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है एवं जांच के दौरान इस प्रकरण में लिप्त पाये गये तीन व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत गिरफ्तार किये जाने की कार्यवाही जारी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आयोजित बारहवीं कक्षा के प्रश्न-पत्र जिस लिफाफे में रखे हुए थे, के सम्बन्ध में जांच

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

से यह बात स्पष्ट है कि लिफाफा एक तरफ से ही चपड़ी लगाकर सील किया गया था जबकि दूसरी ओर चपड़ी सील नहीं लगाकर साधारण तौर पर ही कागज चिपका हुआ था। यदि लिफाफे के दूसरी ओर चपड़ी लगी हुई होती तो यह सम्भव था कि इन अभियुक्तों द्वारा लिफाफों से पर्चे नहीं निकाले जाते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का हमेशा यही प्रयास रहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित करवायी जाएं वे समय पर पूर्ण हों, परीक्षा की सैंक्टिटी बनी रहे। वर्तमान में राज्य के 32 जिलों में से 21 जिलों के कुछ परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न-पत्रों के पहुंचाने की कार्यवाही सीधे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा विगत वर्षों से की जा रही है एवम् इन 21 जिलों के शेष रहे परीक्षा केन्द्रों एवं 11 जिलों के समस्त परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न-पत्रों को पहुंचाने का कार्य जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से करवाया जा रहा है। भविष्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं समय पर एवं सही ढंग से आयोजित हों, इसके लिए मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि राज्य के सभी जिलों के परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचाने का कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के स्तर सहित पूर्ववत किया जाए एवम् जो भी प्रश्न-पत्र केन्द्रों पर पहुंचाये जाएं वे बंद गाड़ी में पहुंचाये जाएं। गाड़ी में पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में पहुंचाने के लिए गृह विभाग से आवश्यक कार्यवाही अलग से की जाएगी। मेरे द्वारा बोर्ड को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि भविष्य में लिफाफे में रखे जाने वाले प्रश्न-पत्रों को चारों ओर से तथा मध्य से चपड़ी लगाकर बंद किये जाकर उन पर चपड़ी लगाई जाकर ही वितरित किया जाए ताकि पुनः इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। भविष्य में प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर दो सिपाही तैनात किये जाने के सम्बन्ध में गृह विभाग से विचार-विमर्श कर कार्यवाही की जाएगी। मेरे द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिये जा रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से प्राप्त प्रश्न-पत्रों की पूर्ण सुरक्षा रखी जाए। अगर इसके लिए परीक्षा केन्द्रों पर अलमारी में डबल लॉक की व्यवस्था नहीं है तो वे प्रश्न पत्र समीप के तहसील कार्यालय एवम् उप तहसील कार्यालय में अथवा थानों में डबल लॉक में रखवाये जाएं एवं भविष्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों की सख्ती से पालना की जाए। मेरे द्वारा ये भी निर्देश जारी किये जा रहे हैं कि भविष्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आयोजित होने वाली परीक्षाओं में केन्द्र के केन्द्राधीक्षक, उनके सहयोगी एवं अन्य कर्मचारी जो परीक्षा कार्य में नियुक्त किये जाएंगे, परीक्षा अवधि में किसी प्रकार का अवकाश तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, जब तक परीक्षा का कार्य सम्पन्न न हो जाए, उन्हें अवकाश प्रदान नहीं किया जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 में आवश्यक संशोधन करने के लिए बिल इसी चालू सत्र में लाये जाने का भरसक

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

प्रयास किया जायेगा जिसके माध्यम से इस अपराध में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लिप्त सभी प्रकार के अपराधियों को कानून के दायरे में लेकर कठोरतम दण्ड दिलाने की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर वर्तमान में निर्धारित सजा 3 वर्ष से बढ़ाकर इसे अधिकतम सीमा तक किये जाने की कार्यवाही की जायेगी एवम् अधिनियमों के प्रावधानों को कठोरता से लागू किया जाएगा ताकि कोई भी अपराधी बच न सके।

एक माननीय सदस्य : खुद के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल बहुत ही संवेदनशील सवाल हो गया है, क्योंकि हम एक बार इस घटना से नुकसान भुगत चुके हैं। सैकण्डरी की परीक्षा हम 24 मार्च की जगह 22 अप्रेल को पहले से ही तय कर चुके थे। लगभग 6 लाख बच्चों को तो हमने उस एक छोटी-सी गलती या भूल के कारण से सजा भुगताई। आपने सदन में 23 तारीख को इस सारी बात का वक्तव्य देते समय यह बात जाहिर की थी कि जिसने भी किया उसको तो हम दण्ड देंगे ही, भविष्य में हम इसकी कठोर कार्यवाही के लिए व्यवस्था करेंगे जिससे पर्चे आउट नहीं होंगे। सवाल यहां किसी एक चपरासी के दोष का नहीं है, सवाल आपके सारे सिस्टम का है और जो इसमें सबसे ज्यादा दोषी हैं उनको किसी को भी आपने नहीं छुआ। यह जो आप नियम पढ़ रहे हैं कि हम थानों में रखवाएंगे, यह तो सब पहले से ही है। आप बोर्ड की पुरानी व्यवस्था को पढ़ लो, बंद गाड़ी में ही भेजे जाएंगे, यह किया जाएगा, पास के थाने में रखा जाएगा, डबल लॉक में रखा जाएगा, यह सब व्यवस्था पहले से ही की हुई है। जिस समय पेपर प्रिन्ट होकर पैक होता है उस समय आपका अधिकारी वहां रहता है। दो-तीन दिन रहकर उन पेपर की पैंकिंग को देखता है। प्रारम्भिक गलती आपकी शुरू हुई नैग्लीजेंसी के कारण से। आपने सारे के सारे प्रशासनिक तंत्र को जो अधिकार दे दिया, किसी ने जाकर जहां बोर्ड के पर्चे छपे थे वहां उसकी पैंकिग को देखा ही नहीं। बोर्ड के नियम के अनुसार उसके सात सीलें लगती हैं। तीन ऊपर लगती हैं, तीन नीचे लगती हैं और एक बीच में लगती है क्योंकि वहां से भी पर्चे को चिपकाया जाता है। कहीं से खोला न जाए, यह लिखा हुआ है। किसी भले आदमी ने जाकर इस बार की पैंकिग को देखा तक नहीं कि जो पैंकिंग हम कर रहे हैं वह ठीक प्रकार से पैंकिंग हुई कि नहीं। यही नहीं, श्रीमान जी, आपको आश्चर्य होगा और मुझे कहते हुए बहुत दुःख और अफसोस है कि जिस तरह से हल्केपन से इस बार बोर्ड की परीक्षा को उन अधिकारियों ने लिया। 9 तारीख के दिन बोर्ड की पहली बैठक हुई जिसमें सारे जिला शिक्षा अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर सबको बुलाया गया था। बोर्ड की परीक्षा की व्यवस्था कैसे होगी, उसकी एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के बाद सारी व्यवस्था बनाकर उसको आगे बांटा जाता है। आपका कोई जिम्मेदार अधिकारी बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक थी उसमें उपस्थित नहीं था। जिसको आपने संभागीय आयुक्त

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बनाया और जिस संभागीय आयुक्त को यह जिम्मा दिया था बोर्ड का, वह स्वयं उपस्थित नहीं था। मुझे कहते हुए बहुत दुःख है कि स्वयं डायरेक्टर, माध्यमिक शिक्षा–वह उस बैठक से अनुपस्थित रहा था और भगवान भरोसे बैठक करके व्यवस्था की। गलती तो आपकी कहां है और दण्ड किसको दे रहे हो ? फोर्थ क्लास को, छोटे लोगों को। आपने दण्ड देने की जो प्रक्रिया अपनाई वह प्रक्रिया भी ठीक नहीं थी। आज बोर्ड का कोई अधिकारी इसका लायबल है कि नहीं ? डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हुई या पर्चे की पैकिंग में गलती हुई, इसका कौन जिम्मेदार है ? इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं आती ? लेकिन उन्हें किसी बात की चिन्ता नहीं थी। यही नहीं, जो सैकण्डरी के पर्चे आउट हुए वे पर्चे भी आपके कैसे ? मुझे कहते हुए बहुत दुःख है कि हमारे यहां के लोगों का सोच कितना घटिया हो गया है। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी ने दो गाड़ियों का इंडेंट काटा, क्योंकि 14 स्कूलों के पर्चे जाने थे। 14 स्कूल के 19 बैग थे और 19 बैग के अलावा उनके साथ सप्लीमैंट्री सामान और जाता है, बच्चों के प्रवेश कार्ड जाते हैं, और दूसरी चीजें जाती हैं उसके 42 बैग और थे। 61 बैग एक ही गाड़ी में लादकर तैयार रखे थे, जबकि दो गाड़ी का इंडेंट काटा था। कभी आपने रिकार्ड को देखने की कोशिश की ? केवल पैसा चोरने के लिए और उस पैसे को हिसाब में एडजैस्ट करने के लिए कि एक गाड़ी का पैसा मिल जाएगा। और यह जो गाड़ी गई है आपकी, कहां की है ? यह गाड़ी दौसा की है। क्या जरूरत थी आपको दौसा की गाड़ी को इसके लिए एंगेज करने की ? मतलब आपकी बदनीयती पहले से कदम से कदम चल रही है। उसके कारण से आपने आदेश तो दिया था 18 तारीख को कि हमने इन लोगों के द्वारा तीन स्कूलों के नाम भेजे थे, पोद्दार स्कूल में भेजे थे, मोतीकटला स्कूल के अध्यापक को और इनको भेजे कि इन्हें पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। उनका नाम लिखकर आपने डी.ई.ओ. में पत्र निकाला। उस एक भी व्यक्ति ने पेपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया और आपने तुरत-फुरत टेलीफोन किया आदर्श स्कूल को कि 5–6 मास्टरों को भेज दो जिनका न नाम है न पता है। जो उपलब्ध हुआ उसको भेज दिया। उनको भी आपने गाड़ी जो भरी भराई थी, लदी हुई थी वह भी बंद गाड़ी नहीं थी उस बंद गाड़ी में आपने इन दो अध्यापकों को बलि का बकरा बनाने के लिए बिठा दिया। किसी बात को देखने की कोशिश भी नहीं की कि हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं। उसको भेजा और कहा क्या गया कि पेपर का बंडल गिर गया। क्या गिर गया है ? पेपर का बंडल गिर गया है। बंडल नहीं गिरा, यह बंडल चुराया गया। अगर चुराया नहीं गया होता, गिरा होता तो फिर 20 तारीख के दिन पेपर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गये, बंट गये तो फिर आपको 20 तारीख रात को महावीर स्कूल में इन अध्यापकों ने जो गए थे, रात को एक बजे आकर वहां रिपोर्ट की कि उस डिस्ट्रीब्यूशन सेन्टर पर चपरासी के अलावा कोई मौजूद नहीं था। क्या व्यवस्था है। किस ढंग से हमने व्यवस्था की। रात को उस स्कूल का कोई एक होगा उसको जगाया। उसको जगाने के बाद उसने सम्बन्धित

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अधिकारी को कहा, सवेरे देखेंगे। सवेरे फिर साढ़े नौ बजे डी. ई. ओ को इसकी जानकारी मिली और उसके बाद डी.ई.ओ. ने भी आगे नहीं बताया। यह 21 तारीख को जानकारी मिल गई थी। डी. ई. ओ. ने जानकारी नहीं की और वह भी पेपर ढूंढने चला गया। पेपर ढूंढकर दोपहर में 22 तारीख को आकर आपने पहले पेपर की सूचना बोर्ड को दी। ऐसा कभी नहीं हुआ। पेपर तो पहले भी चोरी हुए हैं, मैं नहीं कहता हूं कि पेपर चोरी नहीं हुए। 1994 में भी चोरी हुए थे भरतपुर में, लेकिन चोरी होते ही हमें जिस दिन पता लगा उसी दिन हमने पेपर को कैन्सिल कर के आगे के लिए आगे कर दिया। पिछली बार जो हमने परीक्षाएं सभी अधिकारियों को लगाकर हड़ताल के समय में भी करायीं, पहले ही दिन पेपर को गलत काट दिया। हिन्दी की जगह अंग्रेजी का पेपर काटकर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हमें पता लगा उसी दिन हमने दूसरे पेपर की तारीख दी थी। मतलब, कमियां हो सकती हैं, लेकिन यह कौनसी स्थिति है कि पेपर आउट हो जाए और 22 तारीख के दिन आपका जो पेपर यहां बाजोरिया स्कूल में आप कह रहे

(14.00 बजे)

हो, मतलब किस सीमा तक लापरवाही हुई है। उसके कारण से 8 लाख बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? कौन इसको पूरा करेगा? और यह सामान्य गलती नहीं है। मतलब प्रिंसिपल पेपर लेने के लिए खुद स्कूल में मौजूद नहीं है। हर जिसको, जो आपका इन्चार्ज था उसको पेपर दे गये। बण्डल लेकर उसने कमरे को बन्द कर दिया और बन्द करके बाहर चपड़ी लगाकर सील कर दिया। यह कहां का नियम है? डबल लॉक में रखने के नियम आपने कभी के पास कर रखे हैं। लेकिन परीक्षा के पेपर लेने वाला डबल लॉक में नहीं रखता है। और उसके बाद में आपने देखा कि उसकी दो चाबियां थीं। गलती की भी कोई पराकाष्ठा होती है। दोनों चाबियां उस हैड मास्टर, उस प्रिंसिपल के ड्रावर में पड़ी थीं। एक चाबी से तो वह परीक्षा इन्चार्ज ताला लगाकर चला गया। लेकिन जो दो चाबियां थीं उस आफिस की, हमेशा खोलने के लिए वे चपरासी के पास हैं और उसके कारण से चपरासी ने 22 तारीख रात्रि को ही यह सारे पेपर खोल लिये। खोलकर पास में ही उसके रिश्तेदार की सोप फैक्ट्री में जाकर रात भर बैठकर उन सारे पेपरों को खोला और उसके बाद पैकिंग करके वापस रख दिया। इसकी जानकारी मिल चुकी थी। दुर्भाग्य यह है, गलती हो सकती है, मैं नहीं कह सकता. हम ऐसा फुलप्रूफ नहीं कह सकते कि कभी गलती नहीं होगी लेकिन गलती ध्यान में आने के बाद भी अगर सोया रहता है तो उसको प्रशासन नहीं कहते। मैं आपको इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि 25 तारीख के दिन ही भास्कर अखबार में लिखा था कि 12वीं के हिन्दी के पर्चे के आउट होने की चर्चा रही। चर्चा नहीं रही, इसमें क्वेश्चन नंबर डालकर लिखा गया है। इस अखबार के पास जिस व्यक्ति ने भेजा है उसके टेलीफोन करने के बाद उसने बात नहीं मानी तो उसने यह पूरा फोटो स्टेट पेपर, 25 तारीख के दिन ही हिन्दी का, जिसको अभी आपने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

रिजैक्ट नहीं किया, छाप दिया। अभी तो आप सो रहे हैं। मतलब पेपर की उसने सारी कटिंग दे दी कि यह तो है प्रश्न-पत्र और यह है उसका मिलान। उस मिलान में 16 ही प्रश्न ऐसे के ऐसे मिल रहे हैं। अखबार में देने के बाद भी आपने उसकी कोई चिन्ता नहीं की। आपके डिपार्टमैंट के डिप्टी डायरेक्टर को रात को जब भास्कर टेलीफोन करता है कि हमारे पास ऐसा एक पेपर आया है और वह हस्तलिखित है, ये–ये प्रश्न हैं, आपको कुछ कहना है कि पेपर आउट हो गया? तो उन्होंने कहा कि ये अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे टाइम में जब ये अफवाहें आयी थीं, अखबार के माध्यम से जब हमको टेलीफोन किया गया था तो मुख्य मंत्रीजी के कमरे में रात दो बजे तक बैठकर हमने पहले बोर्ड को सूचना की कि इस पेपर का मिलान करो जो अपने पास मॉडल पेपर रखा हुआ है उससे कि वास्तव में यही पेपर है। रात को मिलान करने के बाद दो बजे जब पता लगा कि हां, यह पेपर वही है जो शिकायत आ रही है तो हमने रात दो बजे ही निर्णय लेकर उस पेपर को सवेरे बच्चों के स्कूल जाने के पहले बदला। इतनी गलतियां, एक गलती करें, दो गलती करें लेकिन हम तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी गलती करते चले गये और उसके कारण से यह आपका हिन्दी का पेपर आउट है जिसको आपने कैन्सिल नहीं किया है। यह अंग्रेजी का पेपर भी आउट है। जितने पेपर थे, जिनमें बड़ी संख्या थीं, जिनमें ज्यादा लड़के बैठते हैं उन सब पेपरों को निकाला गया। निकालने के बाद वे यहां से फैक्स से राजस्थान के लगभग 17–18 जिलों में उसी समय सबको कन्वे हो गया और सब जगह दुकानें चल रही थीं कि पेपर लो पैसा दो, पेपर लो पैसा दो। जैसे कभी-कभी नया अखबार चलाते हैं और बाजार में घूम-घूमकर बांटते हैं, वैसा माहौल सारे शहरों में दिखाई दे रहा था। यह प्रशासन क्या सो रहा था? उसको पता नहीं था क्या? मुझे यह भी दुःख है कि आपने कोशिश नहीं की। यह तो पुलिस को इसकी सूचना मिली कहीं से कि इस प्रकार पर्चे फलां जगह मिल रहे हैं। शास्त्रीनगर के इधर पर्चे बंट रहे थे तब राजेन्द्र सिंह जो यहां का थाना प्रभारी है उसने जाकर सबसे पहले उस लड़के को पकड़ा। उसके पास अर्थशास्त्र का पेपर था। उससे पूछा कि यह अर्थशास्त्र का पेपर कहां से लाया तो उसने एक को बताया, दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, चौथे को बताया और इस तरह रात भर में 18 लोगों को इस काम में पकड़ा गया था। यह 27 तारीख को रात में हो गया। लेकिन आपका पेपर सवेरे 28 तारीख को हो गया। 28 तारीख को जब वास्तव में पेपर आया और उस पेपर को माहेश्वरी स्कूल के प्रिंसिपल के सामने मिलान किया गया तो हूबहू वैसा पेपर था। तब जाकर आपकी नींद उड़ी कि हां पेपर आउट हो गया। यह है प्रशासनिक व्यवस्था। यह है आपका पारदर्शी शासन। यह है आपकी चिन्ता बच्चों की पढ़ाई और बच्चों के भविष्य के बारे में। आपको मालूम है सबसे ज्यादा पीड़ा अगर किसी को होगी तो इस 12वीं क्लास के लड़के को होगी क्योंकि इसको विभिन्न परीक्षाओं में जाकर बैठना है, अन्य राज्यों में इसको कम्पीटीटिव एग्जाम देना है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कहां से देगा ? मई 12–13 की परीक्षा समाप्त होने के बाद यह बच्चा कहां जाएगा, कहां परीक्षा देगा ? इसके एक साल की भरपाई कौन करेगा ? क्या इसके लिए हम कोई दूसरी व्यवस्था नहीं कर सकते ? इतना लम्बा समय देना आवश्यक है ? कोई इमरजेंसी है तो पांच दिन में भी पेपर छपाकर व्यवस्था कर सकते हैं उस बच्चे की जिन्दगी को बचाने के लिए। यही तो प्रशासन है, बाकी क्या प्रशासन है। पिछली बार हमारे समय में हड़ताल कॉल हो गयी कि हम परीक्षाएं नहीं लेंगे, हमारी मांगें मानो। हमने कहा कि यह नहीं होगा, हम बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़ने देंगे चाहे हमको कितना ही महंगा पड़े, कितने ही लोग हमसे नाराज हों और कितनी ही हमारी हाय-हाय के नारे लगाएं। हमने सारे प्रशासन को लगाकर परीक्षाएं कीं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : फिर क्या हुआ था, नकल नहीं हुई थी ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हमारा कमिटमैंट था। हमारा कमिटमैंट था कि बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़ना चाहिए। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : कटारिया साहब, उस समय नकलें नहीं हुई थीं क्या? अब आप बता रहे हो। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपका यह सारा प्रशासनिक तंत्र जिस तरह से चला है, मुझे दुःख है (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूं कि पेपर आउट कराने के पीछे जो लोग हैं जरा उसका भी विवरण बता दें कि वे किस विचारधारा के हैं, कौन लोग हैं और किन-किन लोगों का इसमें हाथ था ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : किन-किन के खिलाफ कार्यवाही की ? (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : क्या बात कर रहे हो ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजनीति से ऊपर उठकर बात कीजिये। आपके समय में भी पेपर आउट हुए हैं, आप राजनीति से ऊपर उठकर बात कीजिये, माननीय सदस्य। राजनीति से ऊपर उठकर बात कीजिये। (व्यवधान) आपके समय में व्यवस्था कौन-सी सुधरी थी ? (व्यवधान) आरोप लगाने से कोई प्रशासन.. (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ....और छोटे-मोटे लोगों को दण्ड दे रहे हैं। बोर्ड का अध्यक्ष बदलना जरूरी था क्या ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : राजनीतिकरण नहीं था तो क्या था ? नया आदमी समझेगा भी नहीं। दोनों नये आदमी लगा दिये सैक्रेटरी और प्रशासक, जो इस सारी व्यवस्था को नहीं जानते हैं। इस व्यवस्था को दो महीने... (व्यवधान) लेकिन क्या

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पता, आपके दिमाग में एक रंग चढ़ा हुआ है, सारी व्यवस्था को आपने... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सैक्रेटरी वही है, कोई बदला नहीं गया है। गलत बयानी कर रहे हैं। सैक्रेटरी वही है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : (व्यवधान) .. सारे अधिकारी आपके शासन के लगे हुए हैं। (व्यवधान) दोषी तो अधिकारी हैं। (व्यवधान) सारे अधिकारी आपके जमाने के, आपके लोग अपाइंट किये हुए हैं। सारा तंत्र आप लोगों ने बिगाड़ा है। ये सारे उच्च अधिकारी जो लगे हुए हैं, आपके द्वारा अपाइंट किये हुए हैं। (व्यवधान) उन्हीं लोगों की साजिश है जो आपके जमाने की (व्यवधान) उन्हीं लोगों की साजिश है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय मंत्री महोदय, आप यह बताइये कि पहले कितने पेपर आउट हुए और किन-किन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? आज आपको पीड़ा हो रही है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पेपर आउट होना दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन इसकी जांच करवाइये कि किन लोगों का इसमें हाथ रहा है। (व्यवधान) उसमें कुछ आर. एस. एस. के लोग लगे हुए हैं और साजिश से इस तरह का घिनौना कृत्य किया है। (व्यवधान) आपसे आग्रह है कि इन लोगों की जांच करवाई जाये और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह गम्भीर मामला है।

श्री राजेन्द्र पारीक : + + + के दोस्त हैं सारे के सारे। आर. एस. एस. के सारे कार्यकर्त्ता हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : आर. एस. एस. के लोग लगे हुए हैं और एक साजिश के बतौर (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अगर किसी ने गलत किया तो... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, + + + हावी हो रहे हैं फिर क्या बोर्ड की परीक्षा को सम्भालेंगे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्रीजी बताएं कि जिस डी. पी. शर्मा को सस्पैण्ड किया है... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : + + +

श्री बाबूलाल नागर : राजस्थान विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और जिनके आचरण के सम्बन्ध में आप जानकारी लीजिये, जो इस तरह का सदन में आचरण करते हैं, जो ऐसी भाषा बोलते हैं, ऐसे

+ + + अभिव्यक्ति/नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बाबूलाल नागर)

व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह पुलिस कार्यवाही कर रही है। किसी अपराधी को बचाया नहीं जा सकता। (व्यवधान) सारे अधिकारी आपके जमाने के लगे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : मैं इस सदन से मांग करता हूं कि माननीय मदन दिलावर जी को सदन से निष्कासित किया जाए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ....(व्यवधान) .. उनके द्वारा अपराध किया गया है। पुलिस कार्यवाही कर रही है, गिरफ्तार कर लिया उनको। और क्या गोली मार दी जाए उनको ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिए। आसन पैरों पर है।

श्री राजेन्द्र पारीक : लेकिन जिस तरह से इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, यह घोर अन्याय है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह मामला बहुत गम्भीर है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, यह मामला बहुत गम्भीर है, इसको बहुत गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। आप अलग-अलग बात करके, इसको बहुत लाइटली लेकर साइडट्रैक करना चाहते हैं तो बात अलग है। हम इस बात की चेष्टा करेंगे कि जो माननीय सदस्य हैं, दल के एक-एक सदस्य को बोलने की इजाजत दें और इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए कोई रास्ता निकले हमेशा के लिए। इसीलिए आप इस चर्चा को बहुत गम्भीरता से लें। उसके बाद अगर आप इधर से बोलेंगे, इधर से बोलेंगे तो इसका मकसद हल नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ये तो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। यह चर्चा आप भाषण देकर कोई घंटा, दो घंटा चलाओ, यह सम्भव नहीं है। आप कोई पाइंटेड बात कहना चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक भी प्रश्न नहीं पूछा, राजनैतिक भाषण ठोका है पूरा का पूरा। राजनैतिक भाषण ठोका है पूरा का पूरा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। आप पाइंटेड बात कहना चाहते हैं कि पर्चे आउट हो गये। सारी बातें मंत्री महोदय ने कह दीं, उसके बाद जो भी कोई लैप्सेज हुए हैं उसकी तरफ कोई पाइंटेड प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें। यह है कि आप केवल लम्बा भाषण देकर इस प्रश्न को लम्बा करना चाहते हैं, इससे मकसद, मसला हल नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी दो पाइंटेड प्रश्न आपसे पूछे थे।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 290 के अन्तर्गत जो वक्तव्य दिया जाता है उसके बारे में प्रश्न पूछना आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी किसी को कोई शंका-समाधान हो तो सदन की परम्परा रही है (व्यवधान) एक मिनट।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आठ लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। (व्यवधान) तो वे परीक्षाएं कहां पर हुई हैं ? (व्यवधान) इसमें कोई सिर्फ सवाल ही पूछना हो... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ....तो उत्तर क्या जीरो माना जायेगा ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : जब प्रश्न ही नहीं हो सकता, मंत्रीजी ने यह कहा है ... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : ... जिस तरह से पूर्व शिक्षा मंत्रीजी भाषण दे रहे थे, मैं समझता हूं कि 1992 में इन्होंने खुद ने 28 दिन तक परीक्षाएं स्थगित की हैं, पीपला में पेपर चोरी हुए थे और मुझसे चाहते हैं कि पांच दिन में परीक्षाएं हो जाएं। बोर्ड एक आटोनोमस बोडी है। यहां राजनैतिक भाषण देने से प्रश्न हल नहीं होगा, स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहें तो मेरे से पूछ लें। ये तो लम्बा-चौड़ा भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, यह आठ लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : यह कहा है राजनैतिक भाषण नहीं होगा, कोई पाइंटेड प्रश्न होगा तो उन पर बात कर लें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल किये हैं। मैंने पूर्व में भी सवाल ही पूछे हैं और अब सिर्फ एक-दो सवाल और पूछना चाहता हूं।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि ये जो शिक्षा मंत्री हैं....

श्री जनार्दन गहलोत (करोली) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने इस मसले को गम्भीरता से लेते हुए सदन में बयान दिया है, मैं समझता हूं कि पूरे सदन को कार्यवाही को बड़ी गम्भीरता से लेना चाहिए। माननीय सदस्य जो विरोधी पक्ष में बैठे हैं, वे प्रश्नों की बजाय राजनीतिक भाषण दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यही कोशिश कर रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ऐसा है, मैंने जो भी विषय उठाया है वह पाइंट टू पाइंट उठाया है। अगर आपके समझ में आया हो तो बहुत अच्छा है, नहीं आया हो तो मेरा कोई उसमें दोष नहीं है। मैंने पहले मीटिंग के बारे में बात की, अब मैं आपसे दो सवाल और करना चाहता हूं। दो सवाल मैं आपसे यह करना चाहता हूं कि 23 तारीख को आपने यहां स्टेटमैंट दिया। उस स्टेटमैंट में आपने लिखा था कि नौ स्थानों के पर्चे उसमें जा रहे थे। उसमें, श्रीमान्जी फिर पता कर लेना, नौ नहीं 14 सेन्टरों के पेपर उसी एक ही गाड़ी में गये हैं मेरे हिसाब से। जो कुछ भी आपने जांच करवाई है, उस जांच में भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपने यह पाया कि 14 सेंटरों के पेपर थे और 19 बंडल थे। उस दिन नौ कहा, उसको थोड़ा कन्फर्म करा लीजिये। एक सवाल और मैं करना चाहता हूं कि पहले दो पेपर आपने कैंसिल नहीं किये जो हिन्दी और अंग्रेजी के पेपर हुए हैं। यह मैं आपको हिन्दी का तो न्यू टाइप सहित दे रहा हूं, जो हाथ से लिखा हुआ है। वह न्यू टाइप 25 तारीख की रात्रि को ही जिस व्यक्ति ने पहुंचाया और जिसके आधार पर भास्कर वाले ने न्यूज बनाई, उसका एक-एक प्रश्न आप इससे मिला लीजिये। 16 प्रश्न सारे के सारे जो पेपर में हैं, वही हैं, क्या आप इन परीक्षाओं को भी रद्द करेंगे कि नहीं करेंगे? अंग्रेजी का पेपर जो इससे पहले ही चुका था और इस प्रकार के पेपर लिफाफे फाड़कर निकाले थे, उसमें अंग्रेजी का प्रश्न पत्र भी गया कि नहीं गया? जब तक आपको कोई शिकायत नहीं करे, तब तक अपनी तरफ से आप चलाकर कोई बात नहीं करेंगे। कारण यह है कि उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरती होगी जो मेहनत करके पढ़ता है? वह बच्चा मैरिट में कहां स्टैण्ड करेगा? जो ये व्यवसाय करने वाले लोग हैं जो हजार रुपये में पेपर प्राप्त करो और नम्बर पाओ, इन दोनों का क्या मुकाबला होगा? इसलिए आपको बिना घबराये, अब यह जो शिक्षा ...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं समाप्त कर रहा हूं। हमारी परीक्षा जो कुछ भी हुई, राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की छाप सारे हिन्दुस्तान में आज की तारीख में भी है। हमारे विश्वविद्यालय की दशा भले ही बिगड़ गई होगी लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आज भी अपना स्तर है और अपना परीक्षा लेने का तरीका है, लेकिन यह पहली बार 16 प्रश्न पत्रों ... (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : आप तो भूतपूर्व माध्यमिक शिक्षा के मंत्री थे और माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के मंत्री थे, इसलिए यहां तो व्यवस्था सुधरी नहीं और वहां सुधर गई?

श्री मदन दिलावर : कभी गम्भीर मामले पर भी अकल लगाया करो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ऐसा है, मैं आपको और सारे सदन को इस बात के लिए न्यौता देता हूं कि अगर मेरे शिक्षा मंत्री रहते हुए मैंने कोई कोताही, बेइमानी की हो, अपने विभाग के प्रति कोई बेइमानी और मक्कारी की हो तो जो सजा यह सदन देना चाहे वह मैं लेने के लिए तैयार हूं। मैं एक शिक्षक हूं और एक शिक्षक के नाते आपसे और सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद जी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप उधर बैठ गये और क्या सजा मिलगी? इसलिए आप वहां बैठे रहो और+++....

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है । इस 12वीं परीक्षा के लिए फिर भी अपना दिमाग बनाइये और परीक्षा को जल्दी समेटकर एक ही स्थान पर उनका मूल्यांकन करने के लिए सेंटर बनाइये । रिजल्ट समय से पहले आएं ताकि हमारा बच्चा कहीं भी कम्पीटीशन में जाना चाहे, वह जाने के लिए योग्य रहे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो । यह भी इसके साथ जोड़कर अपनी बात कहें । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक मिनट का समय दें ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट, एक-एक का उत्तर दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी बोल रहे हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय माहिर आजाद साहब ने अपने सीने के ऊपर क्या लगा रखा है ? मैं आपसे

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप पढ़ सकते हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, इस प्रकार का व्यवहार इस सदन में कोई शोभाजनक नहीं है उनके लिए भी और हमारे सबके लिए भी । ये बाहर कुछ भी कर सकते हैं लेकिन यहां जो प्रदर्शन कर रहे हैं, एक +++ उन्होंने बनाया है, यह कोई उचित नहीं है, नियमों के अनुकूल नहीं है और यह यहां की परम्परा के खिलाफ है ।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करना चाहूंगा ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह बच्चों का सवाल है । उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं विधान सभा में आ रहा था तो बच्चे बाहर खड़े थे, उन्होंने मेरे गले में यह डाल दिया । आप इस पर सही व्यवस्था कर लीजिये, यह हटा दी जाएगी ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, आप विराजिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : आप तो गले में कुछ भी लगाकर आएंगे, यह कोई बात थोड़े ही हुई ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बिलकुल आएंगे, दण्डपेल भी करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये । माननीय सदस्य, आपका यह प्रदर्शन हो चुका । अब अच्छा होगा यदि इसको गले से निकालकर बोलना शुरू करें ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : लो, मैं आपका कहना मान लेता हूं । (व्यवधान)

डा. किरोड़ीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, +++ शिक्षा मंत्री को बरखास्त करो । यह आठ लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है । उस शिक्षा मंत्री का बहिष्कार करो, बर्खास्त करो जो इतने

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(डा. किरोड़ीलाल)

छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : डाक्टर साहब, मेरा नाम पुकारा गया है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीपला में पेपर चोरी के मामले में 1994 में बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य के जमाने में 28 दिन परीक्षाएं स्थगित हुई थीं, पेपर चोरी हुए थे, इनको बर्खास्त कर देते तो मैं स्वतः ही इस्तीफा दे देता । फिर भी मैं माननीय सदस्य.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह परम्परा अगर आपने डाल दी होती तो यह नौबत नहीं आती । (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं तो मोरली इतना कर सकता हूं (व्यवधान) यदि माननीय सदस्य मानते हैं कि इसमें मेरा कोई कसूर है तो जो भी सदन सजा देता है मैं भुगतने के लिए तैयार हूं । (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : काले अक्षरों में लिखा जाएगा, राजस्थान में इतने सारे पेपर पहली बार चोरी हुए हैं । शिक्षा मन्त्री को बर्खास्त करो । (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : राजस्थान में 16 परचे पहली बार आउट हुए हैं । (व्यवधान)

डा. किरोड़ीलाल : शिक्षा मंत्री जी, आप इस्तीफा दे दो । (व्यवधान)+++ शिक्षा मंत्री । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इस चर्चा को करना चाहते हैं या समाप्त करना चाहते हैं ? कृपया बैठें । माननीय सदस्य को बोलने दीजिये, आप बैठिये । बैठिये, उनको बोलने के लिए कहा है ।

श्री मदन दिलावर : आपके समय में इतने परचे आउट हुए हैं । यह काले अक्षरों में लिखा जाएगा । आठ लाख बच्चे किसी भी कीमत पर इनको माफ नहीं करेंगे ? उनके मां-बाप माफ नहीं करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलने दीजिये ।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मदन दिलावर से पूछ रहा हूं कि ...

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय, से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे यह भी बताएं कि सन् 1992 में कितने परचे आउट हुए और कितनों के खिलाफ कार्यवाही हुई ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह जो बयान दिया है, इसमें उन्होंने कहा है कि हमको सूचना मिली लेकिन यह कहा कि आपको ... (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, ये इस्तीफा मांग रहे हैं। मदन जी दिलावर से पूछो कि उन्होंने शालिनी कांड में इस्तीफा क्यों नहीं दिया। महिलाओं के साथ बड़े अत्याचार हुए हैं, मदन दिलावर ने सरे आम इस सदन में कहा था, कि हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ। शालिनी कांड में इस्तीफा नहीं दिया और अब बोर्ड की परीक्षा में इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, वे किस मुंह से इस्तीफा मांग रहे हैं ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा दूसरा प्रश्न है, शिक्षा मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि जिन लोगों ने परचे आउट कराने का काम किया है क्या उनकी पोलिटिकल एप्रोच है ? आउट आफ टर्न निर्धारित मापदण्डों की अवहेलना करके, उनको आपने प्रमोशन देने का काम किया ताकि उनका हौंसला बढ़े। उन्होंने पेपर आउट कराने का काम किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा प्रश्न है, क्या आपने अब सही तरीके से एग्जाम सम्पन्न कराने के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को अलग से कोई मानदेय देने का कुछ फैसला किया है? अगर यह फैसला आपने किया है तो यह गलत परम्परा आप डाल रहे हैं। फिर तो एस. पी. और कलेक्टर मोहर्रम का जुलूस निकाल देंगे। तो हम अलग से दो हजार रुपये देंगे। रामनवमी का जुलूस निकाल देंगे, इसके लिए भी तीन हजार रुपये देंगे। यह फलाना नेता की मीटिंग है, वह सम्पन्न करा देंगे उसके भी अलग देंगे। आप उनको तनख्वाह दे रहे हैं, लॉ एण्ड आर्डर को मेन्टेन रखने की उनकी स्वयं की जिम्मेदारी है। फिर आप अलग से मानदेय दे रहे हैं यह किस लिए दे रहे हैं, कृपया सदन को अवगत कराएं।

डा. किरोड़ीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, कलेक्टर और एस. पी. को मानदेय दिया गया, 1000–1000 रुपये परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइंटेड सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले ये बोल लें।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सुओमोटो स्टेटमैंट दिया। यह प्रशंसनीय है। लेकिन हमको इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। माननीय गुलाबचन्द जी कटारिया ने एक बड़ा रेलेवेंट प्रश्न खड़ा किया है कि आपको मिड-सैशन में चेयरमैन बदलने की क्या जरूरत थी ? चलिये, बदल दिया, कोई बात नहीं। आप एक सुपर टाइम स्केल के आफिसर को स्पेयर नहीं कर सकते। डिवीजनल कमिश्नर को आपने चेयरमैन का पद भार सौंप रखा है, जिम्मेदारी सौंप रखी है। इतनी इस गवर्नमैंट के पास कमी है ? यानि आपने परीक्षा को, बोर्ड के काम को कितनी गम्भीरता से लिया, यह इसका द्योतक है। कम से कम आपको एक होल टाइम ऑफिसर वहां लगाना चाहिए था। पब्लिकमैन आप न सलैक्ट कर सकते, न करते। डिवीजनल कमिश्नर, उपाध्यक्ष महोदय, हफ्ते में एक दिन बोर्ड नहीं जाता था, एक दिन। फाइलें उनके घर पर जाती थीं, दस्तखत करते थे। पूरा बोर्ड चलाया किसने ? सैक्रेटरी ने। आप विकेरियस

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

रैस्पोंसिबिलिटी फिक्स करते। डायरेक्टर को ट्रांसफर कर दिया, बोर्ड के खिलाफ क्या किया आपने ? एग्जामिनेशन कण्डक्ट कराने की प्राइमरी ड्यूटी बोर्ड की है, बोर्ड का तो कुछ किया ही नहीं आपने। यह एक मसला ऐसा है, उपाध्यक्ष महोदय, आपने जितनी सजगता दिखलाई न, मंत्री जी आप मुझे क्षमा करेंगे, पैनिक हो गया आपको। एक पैनिक में फंस गई गवर्नमैंट। पर्चे आउट हो गये, महीने भर परीक्षा खिसक गई। आपातकाल के अन्दर प्रशासनिक क्षमता और दक्षता की परीक्षा होती है। लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल था, महीने-महीने भर आपने पोस्टपोन कर दिए। माइन्यूटली आपको इस बात में जाना चाहिए था। क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, बाजार में पर्चे बिकते भी हैं। हम चाहें यहां सदन में कोई भी भाषण दें लेकिन आप इस बात को जानते हैं, आसानी से सब लड़के यह नहीं मानते हैं कि ये पर्चे वाकई में आउट हो गये हैं और वाकई में खरीद लें। मान लीजिये, पर्चे आउट भी हो गये और कहीं पर बिक भी गये तो वाकई में राजस्थान भर के लोगों को ये पर्चे आउट हो गये थे ? फिर उसके लिए महीने भर की जरूरत थी आपको परीक्षा स्थगित करने के लिए ? यह एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। बच्चे आगे कम्पीटीटिव एग्जाम्स में नहीं बैठ सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रिया शुरू से चली आ रही है, इसको पोलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कोई ऐसी घटना घटती है तो छोटी मुर्गी को पकड़ कर उसको हलाल कर दिया जाता है। क्या होता है बुद्धि प्रकाश पारीक ? क्या होता है आपका एग्जामिनेशन इंचार्ज ? आपने खुद ने अपने स्टेटमैंट में इस बात को एडमिट किया है कि चपड़ी दोनों तरफ से लगी हुई होनी चाहिए, एक चपड़ी दूसरी तरफ से नहीं लगी हुई थी। क्या किया आपने ? उसको पकड़ा किसी को, किसकी जिम्मेदारी थी दूसरी तरफ चपड़ी लगाने की ? सीक्रेसी कहां से लीक आउट हुई ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करता हूं। पर्चा आउट होकर बाजार में बिका उसके लिए एक रेगुलर एफ. आई. आर. दर्ज हो गई और उस प्रकरण का अनुसंधान पुलिस द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस पूरी व्यवस्था के अन्दर जिस प्रकार से ये पर्चे आउट हुए और क्या व्यवस्था थी, इसकी जांच पुलिस के दायरे से बाहर है। इसकी जांच इस हाउस की एक कमेटी बनाकर आप कराइये, जिसमें राजनीति मत लाइये आप, हमेशा के लिए व्यवस्था कायम होगी। हाउस के सीनियर मेम्बर्स की कमेटी बने और इस पूरे प्रकरण की जांच हो। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह मसला ऐसा नहीं है कि जिसको आप साधारण तरीके से लेकर साधारण जांच से लीपापोती कर दें। आपकी अनुमति से पुनरावृत्ति करता हू कि बोर्ड की कार्य प्रणाली की जांच आवश्यक है कि बोर्ड के अन्दर कहां लैप्स है और कहां लैप्स नहीं है। आप अब तो कम से कम बोर्ड का चैयरमैन लगा दीजिए। इस घटना के बाद क्या किया आपने ? आज तक भी वही पार्ट टाइम चेयरमैन है आपके पास। मंत्री जी, आप खुद तलाश कर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

लीजिये कि बोर्ड का चेयरमैन कभी जाता भी है क्या बोर्ड में। सब फाइलें उसके घर पर जाती हैं तो आप खुद ही गम्भीर नहीं हैं। मुख्य मंत्रीजी क्या आपको स्पेयर नहीं करेंगे एक आई. ए. एस. आफिसर। आप मत करिये किसी पब्लिक मैन को, लेकिन इसको तो तत्काल कीजिये।

मैं अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन को भी बच्चों के भविष्य के लिए बड़ी गम्भीरता से सोचना चाहिए। दस प्रतिशत, पन्द्रह प्रतिशत, बीस प्रतिशत मान लीजिए, बच्चों ने नाजायज लाभ उठा भी लिया तो भी बल्क ऑफ द स्टूडेंट्स-80 प्रतिशत, 85 प्रतिशत, 90 प्रतिशत दूसरे हैं और उनमें से 20-25 प्रतिशत निश्चित रूप से ब्रिलिएंट होते हैं। विश्वविद्यालय का क्या हाल हो गया, मंत्रीजी? हमारे विश्वविद्यालय के लड़कों को बाहर एडमिशन नहीं मिलता। आज हमारे बोर्ड के इम्तिहान की यह हालत आपने कर दी तो हमारे बोर्ड से जो परीक्षा पास करके जाएंगे वे कहीं कम्पीटीटिव एग्जाम के अन्दर एपीयर नहीं हो सकेंगे। इतना लाइटली मत लीजिये, इस बात को गम्भीरता से लीजिये और परीक्षा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सम्पन्न होनी चाहिए। परीक्षा का टाइम टेबल, शिड्यूल बिलकुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जो आवश्यक हो, परम आवश्यक हो, वही शिड्यूल डिस्टर्ब होना चाहिए। अन्त में पुनः मैं यह मांग करता हूं कि सदन की एक समिति इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए और सुझाव देने के लिए गठित की जाए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर विषय है कि इस प्रकार से पर्चे आउट हुए और मंत्रीजी ने अपने स्तर पर जो भी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया और कार्यवाही की, वह सराहनीय है। यह पर्चे आउट होने की बात कोई, नई बात नहीं है, कई दफा पर्चे आउट हुए हैं। जहां तक होता है पर्चे आउट नहीं हों, उसकी पूरी व्यवस्था मैं समझता हूं, विभाग द्वारा, बोर्ड द्वारा भी की जाती है। मंत्री महोदय, मैं तो आपसे स्पेसिफिक दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जो हो गया वह तो बात ठीक है और आपकी इन्क्वायरी के बाद उनको गम्भीर दण्ड भी दे देंगे पर साधारणतया अभी एग्जाम ले लेते और बच्चों का रिजल्ट टाइम पर आ जाता, अब चूंकि यह आगे क्रम शिफ्ट हो गया मई में अब आप इनके दोबारा से पर्चे लेंगे। वे बच्चे जो राजस्थान बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं और जो बाहर जाकर एडमिशन लेना चाहेंगे, तो आपकी मई के अन्दर तो परीक्षा होगी और आपके रिजल्ट आएंगे जून तक, बाहर के कालेजों के अन्दर जैसे दिल्ली है, बोम्बे है, दूसरी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाते हैं जून में, तो यहां के बच्चों का वहां तो एडमिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि समय के हिसाब से वहां एडमिशन पहले हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में आपने भविष्य के लिए कोई इस प्रकार का विकल्प सोचा है कि अगर इस प्रकार से पर्चे आउट हों तो हम तत्काल व्यवस्था करके उनकी परीक्षा पांच दिन, सात दिन के अन्दर ले लें। जैसे आज इकोनोमिक्स का आउट हो गया तो पांच दिन बाद या सात दिन बाद के अन्दर फिर उसका पर्चा हो सके। नहीं तो मई में आप लेते हैं, जून में आउट होंगे तो

(श्री दिग्विजय सिंह)

दिल्ली, बम्बई, वहां पर एडमिशन होंगे वे तो पूरे हो जाएंगे और राजस्थान के बच्चों को वहां एडमिशन ही नहीं मिल पायेगा। इसलिए मेरा आपको एक सुझाव है, वह यह है कि जो पेपर सैटल्ड हों, एक की बजाय आप तीन कर दें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : करते हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : होते हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : छपते भी तीन हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : उनको रखें आप और वह इमीजिएटली आप प्रिंटिंग में दे दें। प्रिंटिंग में देने के बाद में महीने, डेढ़ महीने का कोई समय लगने की जरूरत ही नहीं है। जो परीक्षा आज हो रही है उसको स्थगित करके सात दिन बाद दे दें तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा। जो बाहर यूनिवर्सिटीज में दाखिला नहीं मिलेगा या कालेजों में नहीं मिलेगा, उनको तो कम से कम मिल जाएगा। यह मेरा आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, काफी चर्चा हो चुकी है, बहुत संवेदनशील मामला है, मैं तो सिर्फ पाइंटेड दो प्रश्न मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं। पर्चे जहां छपते हैं जो कि कहते हैं कि बहुत सीक्रेट प्रेस होती है, वहां पर कोई न कोई अधिकारी निश्चित रूप से इसका निरीक्षण करने जाता होगा। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि कौन-कौन अधिकारी वहां निरीक्षण करने जाते हैं ? अधिकारी यदि वहां गये निरीक्षण करने तो उन्होंने निश्चित रूप से उन लिफाफों को देखा होगा जिन पर सील लगती है, सील लगी हुई सही थी या नहीं थी ? अगर वह नहीं थी उस समय, जिसका कि उसके बाद बुद्धि प्रकाश ने फायदा उठाया, उसका जिम्मेदार कौन है ? उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई या नहीं हुई ? नम्बर दो, 24 तारीख को दैनिक भास्कर में यदि वह पर्चा आउट हो गया, 22 तरीख को आपको भी पता लग गया और जो कि बताते हैं कि चौदह पेपर आउट हुए हैं 25 तारीख के बाद और उसके बाद भी कुछ पेपर्स की परीक्षाएं हुई है, अगर वे परीक्षाएं हुई हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है ? इन बातों का मंत्रीजी जवाब दें।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, जब सैकण्डरी के एग्जामिनेशन पोस्टपोन किये गये उस दिन मंत्रीजी ने यहां बयान दिया था और उस बयान में यह कहा था कि इसके बाद हम यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि राजस्थान में फिर इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन बोर्ड के एग्जाम पूरे नहीं हुए उसके पहले सीनियर एग्जामिनेशन के पूरे सोलह पेपर आउट हो गये। लाखों विद्यार्थी जिनके बारे में आज मंत्रीजी बयान दे रहे हैं कि हम पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं, उन्हें इस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं हो रहा है। जो सीनियर सैकण्डरी के एग्जाम के पेपर आउट हुए हैं वे जयपुर में हुए हैं, तो मंत्रीजी यह बताएं कि परीक्षा से कितने दिन पहले पेपर उस स्कूल में पहुंचने चाहिए ? क्या उस निर्धा-

(श्री अमराराम)

रित समय से पहले उस स्कूल में पहुंचे ? दूसरा, बाकी सदस्यों ने कह दिया है मैं यह नहीं कहना चाहता लेकिन मैंने उस दिन कहा था, परीक्षा एक महीने आपने आगे खिसकायी है लेकिन आप बोर्ड में यह व्यवस्था भी करें कि उनके रिजल्ट टाइम पर आएं। निश्चित रूप से जो परीक्षाएं स्थगित हुई हैं उनका रिजल्ट महत्वपूर्ण है, लेकिन वह समय पर किस तरह से आएगा ? मंत्रीजी ने कोई बयान इस सम्बन्ध में न उस समय दिया था और न आज दिया है कि एक महीने आगे आप ले गये हैं उनके रिजल्ट को टाइम पर निकालने के लिए क्या व्यवस्था करेंगे ? सदन की समिति....

श्री उपाध्यक्ष : रिजल्ट तो परीक्षा के बाद ही आएगा, पहले कैसे आएगा ?

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, परीक्षा के बाद ही लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि परीक्षा एक महीने आगे खिसक गयी है तो जो शिड्यूल है उसके अनुसार रिजल्ट नहीं आएगा। जुलाई में एडमिशन नहीं होंगे, जो कम्पीटीटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं वे नहीं बैठ सकेंगे। उनकी जो जांच की प्रक्रिया है उसको वे और सघन करें ? उन्हीं परीक्षा केन्द्रों के नजदीक कापियां चैक करने की व्यवस्था करें। क्योंकि अगर रिजल्ट टाइम पर नहीं आएगा तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं तो समझता हूं कि इस विभाग के प्रमुख होने के नाते शिक्षा मंत्रीजी सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं और बिल्कुल असफल रहे हैं इसलिए निश्चित रूप से उनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे बड़ी कोई बात नहीं कि पूरे राजस्थान के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। एक पेपर आउट होने के बाद दूसरा सीनियर का एग्जाम स्थगित हुआ है, शिक्षा मंत्रीजी बिल्कुल असफल रहे हैं अपने विभाग को सम्भालने में, उन्होंने राजस्थान के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए।

डा. किरोड़ी लाल : इस्तीफा दो।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ये तो नारे लगाएंगे, कोई मत तो है नहीं इनके पास। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी मंत्री महोदय से चाहता हूं। यह बात सही है, मान्यवर, कि मंत्रीजी ने तत्परता से कार्यवाही की है, इनकी तरफ से कोई लैप्स नहीं है। यह जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की है, इसमें वह जिम्मेदार है। यह परीक्षा बहुत लम्बी पोस्टपोन हो गयी है, मेरे ख्याल से इसको कम किया जाना चाहिए। आज भी मंत्री महोदय क्या कोई रास्ता निकाल सकते हैं कि लड़कों की परीक्षाएं जल्दी हो जाएं और टाइम पर रिजल्ट निकल जाएं ताकि लड़कों को आगे कालेजेज में एडमिशन लेने में सुविधा हो, उनको इतना पिछड़ना नहीं पड़े ? मैं यह कहना चाहता हूं कि यह लम्बा पोस्टपोन किया है इसको कुछ कम करके परीक्षा टाइम पर करवा कर रिजल्ट टाइम पर निकल जाएं और एडमिशन में आगे लड़कों को दिक्कत न आए, इस सम्बन्ध में मंत्रीजी कुछ कहें।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्री महोदय क्या कहेंगे, इसमें स्पष्ट लग रहा है कि बोर्ड के

(डा. किरोड़ी लाल)

अधिकारी, चेयरमैन, प्रशासक सब दोषी हैं और जहां जहां इन्होंने पेपर गायब किये हैं वे सब दोषी हैं। शिक्षा मंत्रीजी खुद इसमें दोषी हैं, हम शिक्षा मंत्रीजी से कोई जवाब लेना नहीं चाहते। आप मुख्य मंत्री को बुलवाइये, वे जवाब दें। शिक्षा मंत्री तो खुद दोषी है वे क्या जवाब देंगे? हम मांग करते हैं कि मुख्य मंत्री को बुलाएं सदन में, मुख्य मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। हम शिक्षा मंत्री जी से कोई जवाब नहीं लेना चाहते।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या दोष है, मेरा दोष बताइये। बोर्ड आटोनॉमस बॉडी है, मेरा क्या कसूर है? आपके पूर्व शिक्षा मंत्री जो सादड़ी से आते हैं उन्होंने (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : शिक्षा मंत्री जी ने आर. एस. एस. के लोगों को हटा दिया है, जो आपके आर. एस. एस. के लोग थे उनकी सफाई कर दी इसलिए दोषी हैं, शिक्षा मंत्री जी, यही कहना चाहते हैं न आप और क्या कहेंगे? आपके आर. एस. एस. के लोगों की जो भरमार थी उसको हटा दिया है इसलिए दोषी हैं। वे तो हटाये ही जाएंगे, शिक्षा जगत का संघीकरण नहीं किया जाएगा उन्हें हटाया जाएगा।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मामला काफी गम्भीर है, इसको काफी गम्भीरता से लेना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से दो-तीन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। खास तौर से मालपुरा से आने वाले विधायक ने जिस प्रकार की बात उठायी वह वाकई काफी गम्भीर है। क्या यह नीचे के स्तर पर ही सारी गड़बड़ हुई है? सही मायने में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं मैं सोचता हूं कि वे ऊपर के लोग इसमें जिम्मेदार हैं। अगर वह जिम्मेदारी आज राजस्थान सरकार फिक्स नहीं करेगी तो मैं यह मानकर चलता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं घटती रहेंगी। हर समय छोटा कर्मचारी फंस जाता है, ऊपर के लोग वैसे के वैसे बैठे रहते हैं। एक टेबल से उठकर दूसरी टेबल पर बैठ जाते हैं, इस सीट से उठकर दूसरी सीट पर बैठ जाते हैं। अब समय आ गया हैं, राजस्थान के बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस खिलवाड़ के सम्बन्ध में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसको गम्भीरता से लेते हुए शिक्षा बोर्ड मे जो लोग बैठे हुए हैं उनको आपको ऐसी सजा देना चाहिए ताकि इस गम्भीर घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। दूसरा माननीय सदस्यों ने.... (व्यवधान)....

श्री श्रीचन्द कृपलानी : शिक्षा मंत्री ने आपको .. (व्यवधान) ...

श्री जनार्दन गहलोत : एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने दें। जब आपके कटारिया साहब बोल रहे थे तो मैंने बीच में ज्यादा बात नहीं की। यह बहुत लम्बा भाषण नहीं है, मैं दो-तीन पाइंट पूछना चाहता हूं। एक तो शिक्षा मंत्री इसकी जिम्मेदारी फिक्स करें और उनके ऊपर और कार्यवाही करें। दूसरा, राजस्थान के बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उनकी परीक्षाएं लेट होंगी उनके एडमिशन

(श्री जनार्दन गहलोत)

भी लेट होंगे। कोई कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन में बैठना चाहेगा, आज बच्चों को, उनके पैरेंटस को परेशानी हो रही है कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो आप कम से कम आपकी सरकार से फैसला करें कि जितना समय इसका कम कर सकें, जितना जल्दी इसका रिजल्ट निकलवा सकें। क्योंकि जब वित्त मंत्री जी अपने वित्त भाषण का प्रिन्ट 24 घंटे के अन्दर करवा सकते हैं तो क्या राजस्थान के अन्दर यह उपलब्धता नहीं है क्या ? आप प्रश्न पत्र नये ढंग से फिक्स करिये और जिम्मेदारी दीजिये लोगों को कि जल्दी से जल्दी प्रश्न पत्र दुबारा से बनें। उनको जल्दी प्रिण्ट कराएं, एक नया कार्यक्रम निकलवाए ताकि जल्दी से जल्दी आप परीक्षाएं करवा सकें। इसको आपको गम्भीरता से लेना चाहिए और रिजल्ट्स के ऊपर भी आपको फैसला करना चाहिए कि उनका परीक्षाफल जल्दी से जल्दी जारी हो जाए ताकि कम से कम लोगों का भविष्य बिगड़े। यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप इस बात को गम्भीरता से लें और आगे आने वाले समय में इस प्रकार की घटना न घटे इसके लिए....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक बात।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जनार्दन गहलोत : आपने अपने जवाब में काफी गम्भीरता से बात कही। महोदय, एक मिनट, मेरी बात तो पूरी हो जाने दें। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जवाब जो दिया है वह काफी गम्भीरता से दिया है और उसके अन्दर उनके मन में इस बात की पीड़ा मुझे लगती है कि वे करना चाहते हैं, लेकिन उसको आप थोड़ा जल्दी से करें। थोड़ा उसको और शार्ट आउट करें ताकि कम से कम बच्चों का भविष्य न बिगड़े। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अधिकारी बैठें हैं उनके ऊपर भी आप एक जिम्मेदारी फिक्स करिये, उनके ऊपर भी कार्यवाही आप सख्ती से करिये ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति राजस्थान में न हो। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए सदन बहुत गम्भीर हैं और मैं सोचता हूं कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग भी बहुत गम्भीर है ऐसा नहीं है कि विरोधी पक्ष में बैठे लोग ही गम्भीर हैं। उनके समय की व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, उन व्यवस्थाओं को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है। जो ढर्रा बिगड़ा हुआ है राजस्थान का, उधर बैठे हुए लोगों ने जो ढर्रा बिगाड़ा है उसको सुधारिये और मुस्तैदी से, सख्ती से आप कार्यवाही करिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी देर से हाथ जोड़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, एक मिनट। कह दिया जो कह दिया मैंने। विराजिये। मैं समझता हूं काफी चर्चा इस सम्बन्ध में.... एक मिनट।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक खास चर्चा बाकी रह गयी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। जो मैं बता रहा हूं एक विशेष बात बता रहा हूं। यह सबसे ज्यादा जरूरी बात है। इस विभाग को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, अहम मुद्दा यही है। 1990 से लेकर 1998 तक जिस तरह से शिक्षा विभाग का राजनीतिकरण किया

(श्री राजेन्द्र पारीक)

गया वह भले ही उच्च शिक्षा रही हो चाहे माध्यमिक शिक्षा रही हो, राजस्थान में शिक्षा की अविश्वसनीयता जिस कदर बढ़ी है यह बहुत चिन्ता का विषय है।—मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान विशेष इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि इस शिक्षा विभाग में पूर्व से स्थापित आर. एस. एस. के जो वर्कर्स हैं जब तक आप उनको नहीं हटाएंगे तब तक भले ही माननीय मंत्री जी लाख कोशिश कर लें शिक्षा विभाग का स्तर सुधर नहीं सकता। लाख कोशिश करने के बावजूद छात्रों के भविष्य के साथ होने वाले इस खिलवाड़ को आप रोक नहीं सकते। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शिक्षा में कुछ नहीं समझते हो आप (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, यह सारी चर्चा का अब सारा रिपीटीशन हो रहा है। दो-तीन मुख्य बातें हैं जिनका माननीय मंत्री जी जवाब दें। एक मिनट, आप विराजिये प्लीज। एक मिनट, मैं खड़ा हूं, आप विराजिये। नहीं, अब समाप्त करें। एक तो मुख्य बात यह है कि जो एग्जामिनेशन आप मई महीने में करने जा रहे हैं उससे लड़कों का भविष्य....

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी क्या भूल हो गई आपसे जो आप क्षमा मांग रहे हैं? क्या भूल हो गई आपसे ऐसी?

श्री उपाध्यक्ष : क्षमा कहां मांगी है?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आपने अभी क्षमा मांगी है। आसन को ऐसा नहीं करना चाहिए। किस बात की क्षमा मांगी है, यह हमको मालूम होना चाहिए। आपने ऐसी कौन-सी गलती कर दी सदन के अन्दर जो विपक्ष से आप क्षमा मांग रहे हैं? (व्यवधान) क्षमा मांगी है इन्होंने।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है, छोटा-सा प्रश्न है।

श्री रामस्वरूप मीणा : "क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात जो भृग मारी लात".. क्या फर्क पड़ता है क्षमा मांग ली तो?

श्री उपाध्यक्ष : दो-तीन प्रश्न मूल जो सामने उभर कर आये हैं उनमें एक तो यह है कि आपने एग्जामिनेशन मई महीने में कराने का फैसला किया है उससे लड़कों को भविष्य में एडमिशन में प्राब्लम आएगी। क्या सरकार इस स्थिति में है कि एग्जामिनेशन एडवांस में करा सके, एक प्रश्न तो यह है? दूसरा प्रश्न यह है, आम चर्चा आई है कि आपने छोटे अधिकारियों पर तो कार्यवाही कर दी, बड़े अधिकारियों पर अभी तक कोई गम्भीर कार्यवाही या विशेष कार्यवाही नहीं की। चाहे सरकार इधर की रही हो या उधर की रही हो, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमेशा छोटे अधिकारियों को मारा जाता है, बड़े अधिकारियों का कुछ नहीं होता। इसलिए क्या सरकार बड़े अधिकारियों पर भी कार्यवाही करने का सोचती है या विचार रखती है? तीसरी बात मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कमेटी की कही है, उस कमेटी के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष जी से विचार विमर्श कर फिर फैसला करेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : (व्यवधान) जिस व्यक्ति ने गलती नहीं की है उसको दण्ड दिया जाएगा? (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की बातों पर विश्वास नहीं रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि 23 तारीख को मंत्री जी वक्तव्य दे रहे कि वे सारी व्यवस्था माकूल करेंगे (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पूर्व में भी कहा था ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिलकुल निश्चित रहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने उसके बाद क्या कार्यवाही की, क्या यह बताने की कृपा करेंगे ? दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल साढ़े आठ लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है....

श्री महेश जोशी : जिसकी आपने कभी चिंता नहीं की। अगर आप ही चिंता करते तो ऐसा होता ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको इजाजत ही नहीं दी बोलने की, आप बोल रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्री से जवाब नहीं सुनना चाहते।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मंत्री जी की बातों का विश्वास नहीं रहा है, मुख्य मंत्री जी से जवाब दिलवाएं।(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्री महोदय, निर्भय होकर आर. एस. एस. के सभी कार्यकर्ताओं (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा मंत्री जी पर विश्वास नहीं रहा है। मंत्री जी ने पूर्व में भी कहा था कि इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी (व्यवधान) मंत्री महोदय ने पूर्व में कहा था (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बोर्ड की परीक्षा के बारे में जो सुझाव दिये हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं बोर्ड को निर्देश दूंगा कि वे सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल की परीक्षाओं को रीशिड्यूल करें। बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं, उन बातों में कोई तथ्य नहीं है। बोर्ड एक आटोनामस बॉडी है और बोर्ड के द्वारा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को उनके आदेशों के तहत इस्तेमाल किया जाता है। (व्यवधान) इसलिए उनका यह कहना सही नहीं है। हमको जैसे ही सूचना मिली, मैंने स्वयं ने गृह मंत्री जी को फोन किया और फोन करके हमने बराबर इसके ऊपर तत्परता से कार्यवाही की। जिला शिक्षा अधिकारी लेवल के अधिकारी को पहली बार निलम्बित किया गया। हमने गजेटेड आफिसर को निलम्बित किया जबकि पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री ने स्वयं बाजोरिया स्कूल के प्राचार्य को आउट ऑफ वे प्रमोशन दिया था। ये स्वयं जिम्मेदार हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, 1992 से लेकर अब तक सबसे पहले बी. जे. पी. के राज में 1992 में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा, जोधपुर में उच्च माध्यमिक परीक्षा के पेपर आउट हुए, सैकण्डरी परीक्षा के पेपर आउट हुए। फिर 1994 में राजकीय माध्यमिक विद्या-

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

लय पीपला, भरतपुर में सैकण्डरी स्कूल के पेपर आउट हुए। एक साल के अन्दर बी. जे. पी. की सरकार ने उनको बहाल किया। उसके बाद 1996 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरून्दा, जोधपुर में पेपर आउट हुए। 1998 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बहरोड़ में पर्चे आउट हुए। मैं कोई डिफैंड नहीं कर रहा हूं लेकिन 1992 से 1998 तक पर्चे आउट हुए और इन लोगों ने गम्भीरता से कार्यवाही नहीं की जिसके कारण राज्य सरकार के सामने ये समस्याएं आईं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीनियर हायर सैकण्डरी की परीक्षाओं को रीशिड्यूल करने के लिये बोर्ड को निर्देश दे रहा हूं। साथ-साथ, रिजल्ट समय पर आएं उसके लिये केन्द्रीय मूल्यांकन की कार्यवाही करने के भी निर्देश दे रहा हूं। इस सम्बन्ध में श्री पी. के. गोयल को जांच के लिये कहा है। कोई भी बोर्ड का अधिकारी यदि दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। विराजिये, चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान) आय-व्ययक अनुमान वर्ष 1999–2000 पर सामान्य वाद-विवाद के लिये समय का आबंटन। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि (आय-व्ययक अनुमान) वर्ष 1999–2000 पर सामान्य वाद-विवाद के लिये....

(प्रतिपक्ष के माननीयसदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रिंसिपल के यहां से पर्चे पकड़े गये थे उस प्रिंसिपल को पूर्व शिक्षा मंत्री ने पदोन्नति दी है। ये दोषी हैं इसके।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर नारेबाजी)

घोषणा

आय-व्ययक 1999-2000 पर सामान्य वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि आय-व्ययक अनुमान वर्ष 1999-2000 पर सामान्य वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के समय का बंटवारा इस प्रकार करता हूं—इण्डियन नेशनल कांग्रेस 12 घंटे, भारतीय जनता पार्टी 2 घंटे, जनता दल 15 मिनट, राष्ट्रीय जनता दल 5 मिनट, बहुजन समाज पार्टी 10 मिनट, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी 5 मिनट, लोकतांत्रिक कांग्रेस समूह 35 मिनट।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

आय–व्ययक 1999–2000 प्रथम सामान्य वाद-विवाद

राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण 1999 पर सामान्य वाद-विवाद।

मैं माननीय राजेन्द्र राठौड़ से कहता हूं कि आप अपना भाषण शुरू करिये।

शासकीय वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षा का स्थगन

श्री राजेन्द्र पारीक : सदन ऐसे अपराधियों को बर्दाश्त कर रहा है। 302 के अपराधियों को बर्दाश्त कर रहा है यह सदन।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी का आना कोई जरूरी नहीं है। यह कोई नियम नहीं है कि मुख्य मंत्री आएं। आप बोलो, बोलना हो तो बोलो। बोलना हो तो बोलो, नहीं तो इधर से बुलवाऊं, वाद-विवाद तो चलेगा ही।

श्री राजेन्द्र पारीक : +++ को निष्कासित करो।

(14.51 बजे)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों, द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की गरिमा नहीं है हाय-हाय करने की। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हाय-हाय करना सदन की गरिमा नहीं है। इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं है सदन में। किसी माननीय सदस्य का हाय-हाय करना यह क्या उपयुक्त है ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : और यहां धरने पर बैठते हो, शर्म आने की बात है यह।

श्री अध्यक्ष : परचे आउट होने के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री जी ने वक्तव्य दिया।

श्री चन्दनमल बैद : आप तो आक्सफोर्ड से हैं।

श्री अध्यक्ष : आप ठहरिये, मुझे कहने दीजिये।

श्री चन्दन मल बैद : माननीय वी.पी. सिंह जी, हमको बड़ा आनन्द आ रहा है। कभी हम बैठते थे, आज आप वहां बैठने लगे तो हमको बड़ा आनन्द आ रहा है। आपको बैठना चाहिये बैठिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो वक्तव्य शिक्षा मंत्री जी ने दिया वह पूर्ण तथ्यों की जानकारी इस सदन को प्रस्तुत की।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मैं सम्मानीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से अनुरोध करूंगा....

एक माननीय सदस्य : +++

श्री अध्यक्ष : कि वे अपने दल के माननीय सदस्यों को . (व्यवधान)... मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा कि वे अपने दल के सदस्यों को हाउस के वैल में नहीं आकर इनको अपनी अपनी सीटों पर बैठने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से हो सके ।

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, ये विपक्ष के नेता के इशारे पर तो बैठे ही हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, आपने शायद शिक्षा मंत्री जी का पूरा भाषण सुना होगा । यहां प्रश्न दो प्रकार के आये । एक प्रश्न आया कि जो परीक्षाएं स्थगित की गयी हैं उनके परिणाम निकलने में काफी समय लगेगा और बच्चे आगे की क्लासेज में एडमिशन नहीं ले पायेंगे । दूसरा प्रश्न यह आया कि इन्होंने कहा, एक चपरासी को हमने सस्पैण्ड किया, 2–3 क्लर्क को सस्पैण्ड किया और कइयों को, प्रिंसिपल को या एग्जामिनेशन का जो इंचार्ज था उन सब को हम गिरफ्तार कर रहे हैं । क्वेश्चन आया कि इसमें हायर सैकण्डरी बोर्ड का चेयरमैन दोषी है या नहीं है । आज आवश्यकता इस बात की थी, क्योंकि हैड आफ डिपार्टमैंट है उसका हैड जाता है । अब उसके हैड ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो विपक्ष की मांग है कि इनका हैड जाना चाहिए । यह है । यह विवाद कोई एक दो, कोई छोटी-मोटी घटनाओं का सवाल नहीं है, यह 8 लाख बच्चों का प्रश्न है । अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी कोताही यह हुई कि समाचार पत्र में परचे की नकल छप गयी उसके बाद में भी परीक्षाएं हुईं । यह विभाग क्या कर रहा है, अगर जानकारी ही नहीं है ? चोरी से कोई बात हो जाए उस समय तो यह हो सकता है कि नोटिस में नहीं आया । लेकिन समाचार पत्र पूरे एक प्रश्न पत्र को छाप रहा है और छापने के बाद भी परीक्षाएं चल रही हैं, यह किसकी जिम्मेदारी थी ? एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी और एजुकेशन मिनिस्टर ने उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, इस कारण से यह मांग उठी है कि मुख्य मंत्री सारे मामले का जवाब दे । मुख्य मंत्री जी आने को तैयार नहीं हैं । आप बुलवा लीजिये उनको, हम बैठकर उनका भाषण सुनेंगे । सुनने के बाद में वे सन्तुष्ट करा सकेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी । आज आवश्यकता इस बात की है कि चपरासी और इन लोगों के ऊपर हम तलवार डालें और बड़े अधिकारी पर नहीं जो जिम्मेदार हैं ? आज जो इन्होंने भाषण दिया है उसके पहले ही मैंने सारी बात देख ली, कोई नई बात नहीं । जो आप व्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं,वह पुरानी व्यवस्था में है । पुरानी व्यवस्था में प्रिंटिंग प्रेस में आफिसर जाते हैं, वहां देखते हैं कि इसके सात सील लगी हैं या नहीं लगी हैं । उसको इन्होंने नहीं देखा है । देखने के बाद में प्रिंसिपल रिसीव करता है, परचे उसने रिसीव नहीं किये और एक्जामिनर जो एक्जामिनेशन का हैड था उसको कह दिया कि आप सम्भाल लेना । सम्भालने के बाद में उसने चाबी वहीं छोड़ दी । चपरासी को चाबी का पता था, एक चाबी पहले से ही उसके पास थी, दूसरी चाबी का फायदा उठाकर यह सब कुछ किया । इसके बाद में परचा अखबार में छप जाए और फिर भी परीक्षाएं ली जाएं बच्चों की, उसके लिए कितना मैंटल टार्चर हुआ है । उस मैंटल टार्चर की सजा कौन भोगेगा ? क्या वह चपरासी भोगेगा ?

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

क्या वह क्लर्क भोगेगा ? साढ़े 8 लाख बच्चों के मैंटल टार्चर की सजा यदि किसी को भोगनी है तो और कोई नहीं भोगेगा, शिक्षा मंत्री को भोगनी है। शिक्षा मंत्री यदि इससे बचकर निकलते हैं तो, शिक्षा मंत्री जी, यह कोई बड़प्पन नहीं होगा। आप यह समझें कि मैंने त्याग पत्र नहीं दिया, मैं बड़ा बहादुर हो गया। मैं समझता हूं आदर्श उपस्थित ... (व्यवधान) .. आप सुनिये। अध्यक्ष महोदय, यह बहादुरी का काम नहीं है, मैं समझता हूं ये आदर्श उपस्थित करेंगे।

श्री चन्दन मल बैद : आपके वक्त में जब परचे आउट हुए थे तो आपके शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दिया था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इस मामले में कभी नहीं बैठे, आप कभी नहीं बैठे। आपने यहां हाउस में एक शब्द भी नहीं बोला।

श्री चन्दन मल बैद : हमने नहीं कहा इसका मतलब आपकी जिम्मेदारी ही नहीं थी ? क्या तर्क की बात है।

श्री संयम लोढ़ा : पूरा प्रदेश भोग रहा है जो गलत परम्परा आपने डाली है, उसका जो परिणाम है।

श्री चन्दन मल बैद : कि हमने नहीं कहा इस वास्ते आपके जिम्मेवारी ही नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : और अभी भी जो सारी परम्पराएं चल रही हैं, वही चल रही हैं, जो आपके टाइम से ही चली आ रही थीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हम उठ जाएंगे, बैठेंगे, चर्चा में भाग लेंगे, सारी बातों का जवाब मुख्य मंत्री जी दे दें।

(15.00 बजे)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, आज प्रचार कर रहे हैं कि बड़े अधिकारियों को दण्डित नहीं किया जा रहा है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री चन्दन मल बैद : ऐसे नहीं आएंगे।

एक माननीय सदस्य : और जोर से चिल्लाओ फिर भी नहीं आएंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये आर. एस. एस. वाले ईसा-मसीह की बात नहीं मानेंगे। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के इस सदन का गौरवशाली इतिहास रहा है और ये लोग इस राजस्थान को भी बिहार बना रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि इन पर उचित कार्यवाही की जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये +++ बिहार बनाना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन-कूप में नारे)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री संयम लोढ़ा : जनता ने इनको सही काम पकड़ा दिया है नारेबाजी का। 8 साल भट्टा बैठा दिया, ये नारेबाजी कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : अध्यक्ष महोदय, दूसरा काम हो नहीं सकता है। बात यह है कि सही बात को तो मानते नहीं है। अपन सही बात कहते हैं तो ये मानते नहीं हैं और इनको समझाएं तो समझते नहीं हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सही बात को तो मानते नहीं हैं और समझाएं तो समझते नहीं हैं। इनका आप ही इलाज करिये, अध्यक्ष महोदय।

कई माननीय सदस्य : जोर से, और जोर से। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी प्रतिपक्ष के....(व्यवधान) सदन की कार्यवाही चला करती थी।

एक माननीय सदस्य : शिक्षा मंत्री ने जवाब दे दिया है, मुख्य मंत्रीजी नहीं आएंगे। इसमें आप लोगों का भी षड़यंत्र है। आप लोग मिले हुए हो। सारे षड़यंत्र में आप लोग हो। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी नहीं आएंगे। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में प्रतिपक्ष के नेता के विशेष अनुरोध पर आसन द्वारा व्यवस्था की गयी है कि अगर कोई महत्वपूर्ण घटना हो जाए तो सम्बन्धित मंत्री घटना के ऊपर अपना भाषण दें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सदन-कूप में बैठे)

श्री राजेन्द्र पारीक : अमराराम जी, आप इन+++कब शामिल हो गये?

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : आपने आदेश दिया, मंत्रीजी ने भाषण दे दिया। अब प्रतिपक्ष के नेता महोदय मुख्य मंत्री के स्टेटमैंट की मांग कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं आएंगे, मुख्य मंत्रीजी नहीं आएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री जी नहीं आएंगे तो हाउस नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष : कई बार सदन में मांग की गयी है लोक सभा में और राज्य सभा में, लेकिन प्रधान मंत्री इस सदन में नहीं हैं, पार्लियामैंट्री मिनिस्टर ने इन्फार्म कर दिया कि वे आज दूसरे काम में व्यस्त हैं। प्रतिपक्ष के माननीय नेता मुख्य मंत्री रहे हैं वे जानते हैं कि राज्य के कई तरह के उत्तरदायित्व निर्वहन करने पड़ते हैं। प्रश्न यहां पर यह आया कि इन्होंने इस तरह का पहले एक आश्वासन दिया था कि पुनरावृत्ति नहीं होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हो गयी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुनिये। पुनरावृत्ति के पहले भी आश्वासन दिया है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया है कि इस स्टेटमैंट के बाद में शिक्षा मंत्रीजी की कहां पर लापरवाही रही है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा... (व्यवधान)... माननीय वी.पी सिंहजी, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री संयम लोढ़ा : 8 निर्दोष लोगों को गोली से मार दिया था, कलेक्टर को सस्पेंड किया था क्या ? उसका ट्रांसफर भी किया था क्या ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य आपसे अपनी सीटों पर जाकर वार्तालाप कर सकते हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वैल में विराजना ही चाहते हैं तो बैठिये । (व्यवधान) पुनरावृत्ति का आश्वासन देने के बाद जब भी शिक्षा मंत्रीजी को इसकी जानकारी मिली कि कुछ जगहों पर इस तरह से . (व्यवधान) आप बीच में मुझे डिस्टर्ब न करें । एक मिनट .. (व्यवधान) वी. पी. सिंहजी, आप तो इस सदन के उन माननीय सदस्यों में से हैं जिन्होंने हाउस ऑफ कामन्स की परम्पराओं का यहां उल्लेख किया है ।

28 तारीख की शाम को शिक्षा मंत्रीजी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैं सुओ-मोटो स्टेटमैंट देना चाहता हूं, इस तरह की बात है । मुझे जब यह मालूम पड़ा कि कुछ साइक्लोस्टाइल हो रहे हैं तो मैंने इमीजिएटली होम डिपार्टमैंट को इसकी सूचना दी । कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी तो मिनिस्टर की है । चाहे आटोनोमस है तो भी इनको सदन में निश्चित तौर पर उत्तर देना पड़ता है । इसलिए यह मामला काफी डिस्कस हो चुका है । अब यह डेट्स का, आगे पी. एम. टी. के या आई. टी. आई. के जो एग्जामिनेशंस हैं, जिनसे बच्चों के भविष्य के ऊपर विपरीत असर नहीं पड़े, उस सम्बन्ध में बोर्ड से बात करने के बाद में कि क्या उन तारीखों में कोई तब्दीली की जा सकती है, इसको वे देख लेंगे । मुख्य मंत्रीजी को आप यहां बुलाना चाहते हैं । एजुकेशन मिनिस्टर जैसा कि बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि मैं खुद शिक्षक था, तो वर्तमान शिक्षा मंत्रीजी भी शिक्षक रह चुके हैं । (व्यवधान) शिक्षा मंत्रीजी के पास जो जानकारी है, उनसे ज्यादा जानकारी मुख्य मंत्रीजी के पास भी नहीं हो सकती है । क्योंकि 28 तारीख को ये बहुत ही उद्विग्न थे । मैंने कहा कि आप अनुमति के लिए लिखकर दे दीजिए, मैं नियम 290 के तहत आपको स्टेटमैंट की अनुमति दे दूंगा । इन्होंने 29 को सुबह दस या साढ़े दस बजे मेरे पास सूचना भेजी थी और स्टेटमैंट इनका हो गया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक मिनट ।

श्री अध्यक्ष : इस सदन में जितना विश्वास ट्रेजरी बैंचेज पर बैठने वाले कोई भी मंत्री दे सकते हैं, वह सब सदन को विश्वास में लेने के लिए कभी भी शिक्षा मंत्रीजी ने आनाकानी नहीं की । मुख्य मंत्रीजी किसी काम में व्यस्त हैं इसलिए वे अभी यहां आ नहीं सकते हैं । इसलिए मैं फिर प्रतिपक्ष के माननीय नेता से निवेदन करूंगा कि इस मामले पर काफी चर्चा हो चुकी है, आप अपने दल के माननीय सदस्यों से कहें कि वे अपनी-अपनी सीटों पर जाकर बिराज जाएं ।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन-कूप में नारेबाजी)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने जो फरमाया, उसमें एक बात

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

शायद आपके ध्यान में नहीं है। 25 तारीख को भास्कर अखबार में एक पर्चा छपा। मैं वही रैफर कर रहा हूं। वह पर्चा छपा, उसके बाद में एग्जामिनेशन क्यों चलते रहे तीन दिन तक ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, भास्कर के बारे में मैं बता देता हूं। आप पूछ रहे हैं न ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अब आप बैठिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप पूछ रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है, उसके बारे में बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, एक प्रश्न इतना सा है। दूसरा, जैसा आपने कहा कि कंस्ट्रक्टिव रेस्पांसिबिलिटी है। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, बोर्ड के चेयरमैन ने कहा जो कमिश्नर है। पहला पर्चा आउट हुआ उसके बाद में बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठकर आगे क्या व्यवस्था की जाए, इस सम्बन्ध में कोई चर्चा हुई है ? वह नहीं हुई इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहला पर्चा आउट हुआ उसके आधार पर बोर्ड के चेयरमैन के साथ बैठ कर या डायरेक्टर, एजुकेशन के साथ में या एजुकेशन सैक्रेटरी के साथ में बैठकर जिस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वह व्यवस्था नहीं की। पर्चा आउट होने के बाद में तीन दिन तक परीक्षाएं होती रहीं इसके लिए रेस्पांसिबल कौन है, यह आप बता दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट। एक मिनट में मैं अपनी बात कह दूं।

श्री अध्यक्ष : यह सब जांच का विषय है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जांच के लिए भी आप... (व्यवधान)... वह छोड़ो।

श्री जगत सिंह दायमा : 1990 से लेकर 1999 तक कितनी परीक्षाएं इस तरीके से स्थगित हुयीं, इसके ऊपर क्या शिक्षा मंत्रीजी श्वेत-पत्र जारी करेंगे। यह मेरा सवाल है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने जो जांच के विषय की बात कही है, जांच के विषय की बात कही तो मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया था कि इस सदन की एक कमेटी अपाइंट कर दी जाए, तुरन्त जांच कर वह अपनी रिपोर्ट रख देगी। यह भी इसलिए कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि मुख्य मंत्रीजी ने वैसे तो सारे विभागों का वितरण कर दिया लेकिन आपने देखा होगा, आपके पास तो कापी आती है, बिजनस रूल्स में ऐसे अमैंडमैंट कर दिये कि मंत्री मंत्री ही रहेगा, उसके पास अधिकार कुछ नहीं रहेंगे। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आपको क्या परेशानी हो रही है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे परेशानी नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। यह परेशानी का सवाल नहीं है। उनके हाथ में कुछ है नहीं इसलिए बुला रहे हैं तो वे आ जाएं। (व्यवधान) मेरी सुन लीजिए।

श्री चन्दनमल बैद : आपको खुजली क्यों हो रही है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरे खुजली ? खुजली तो आपके होगी, चन्दनमल जी, अभी घबराओ मत ! मैं दूसरी बात कह रहा हूं। खुजली की बात मत करो। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : प्रश्न यह नहीं है। पहले भी कई बार पर्चे आउट हुए हैं, बता दें अगर शिक्षा मंत्रीजी ने त्याग पत्र दे दिये हों। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अभी भी आप बोलना सीख जाओ, आप वित्त मंत्री हो। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय,....(व्यवधान)....

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न-पत्रों का प्रश्न नहीं है। प्रश्न-पत्रों का प्रश्न नहीं है, पहले माननीय विरोधी दल का नेता (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब कोई कह

श्री चन्दनमल बैद : आप सैक्रेटरी को कह देते थे कि मिनिस्टर की बात मानो, आपका वह तरीका था, मिनिस्टर रोते-फिरते थे कि सैकेटरी कोई मानता नहीं है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां, वह ठीक है वह सब ठीक हो जाएगा। चन्दनमलजी, आप मर्जी आये सो करिये लेकिन हाउस तो हाउस के तरीके से ही चलेगा। आपकी दादागीरी से नहीं चलने वाला।

श्री चन्दनमल बैद : यह कोई दादागीरी नहीं है। दादागीरी तो आप कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : ये खड़े हैं, वे मौका देख लेंगे। यह नहीं चलेगी, यह नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : दादागीरी तो आप कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप बैठो। आप लोग यहीं बैठो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना-सा निवेदन है कि आज अपोजीशन ने मांग कोई अनुचित की है क्या ? केवल इतना-सा कहा है कि इन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आइन्दा ध्यान रखूंगा, उसका पालन नहीं हुआ। उन्होंने परीक्षाएं पर्चा आउट होने के बाद करायीं, आज ये एश्योरेंस दें तो इनका कौन भरोसा करेगा ? हमने क्या गैर-वाजिब मांग की है ? मुख्य मंत्रीजी आकर स्टेटमैंट दे दें। मुख्य मंत्रीजी इस सदन के सदस्य हैं, इस पार्टी, इस सदन के नेता हैं अगर सदन के नेता को हाउस में आने में संकोच होता है तो हमारी रिक्वैस्ट होगी कि मुख्य मंत्रीजी को यहां बुलाइये और बुलाकर यह वक्तव्य दिला दीजिये, हम उठ जाएंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी के स्तर पर जो अपेक्षित कार्यवाही थी वह पूर्णतः संतोषजनक हुई है। सवाल यह नहीं है। ये बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं, ये आई. ए. एस. के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। इन्होंने बोर्ड के चेयरमैन को हटाया, इन्होंने आई. ए. एस. अफसर नहीं दिया। इनकी कोई गलती नहीं है। यह

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सब बात की जवाबदारी मुख्य मंत्रीजी की है कि इन्होंने एक फुलटाइम चेयरमैन क्यों नहीं दिया। आज चार-चार महीने से एक सुपरटाइम स्केल आई. ए. एस., डिवीजनल कमिश्नर को आपने चार्ज दे रखा है, जो कभी बोर्ड में जाता नहीं है, फाइल देखता नहीं है। सेक्रेटरी को और चलाता है। इसलिए मैं इस मांग के पूर्णतः समर्थन में हूं। यह मांग तो गैर-वाजिब है कि शिक्षा मंत्रीजी इस्तीफा दें। शिक्षा मंत्रीजी ने तत्परता दिखाकर अपना स्टेटमैंट भी दिया है, सब किया है। लेकिन खामी तो रही है। अध्यक्ष महोदय, हाउस की कमेटी बनाओ आप और जांच करवाओ (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पिछले शासन में तो पूरी गवर्नमैंट ही जांच में चल रही थी। पूरी गवर्नमैंट ही जांच में चल रही थी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुख्य मंत्रीजी को बुलाकर यह बात तो क्लेरीफाई होनी चाहिए। चाहे जिसको पकड़ लिया, बुद्धिप्रकाश पारीक को पकड़ लिया, एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी.... (व्यवधान) ...

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1998 में बी.जे.पी. सरकार ने ...(व्यवधान) आज आप कह चुके। वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा परीक्षा करायी, पुलिस के कर्मचारियों द्वारा परीक्षा करायी, आज आप आठ लाख बच्चों के भविष्य की बात करते हैं। 1998 में अध्यापकों को तो घर बैठा दिया और पुलिस के कर्मचारियों द्वारा, पुलिस के द्वारा और आपके वन रक्षकों के द्वारा परीक्षा करायी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह बहुत गम्भीर विषय है, उस पर तो आपको मुख्य मंत्री को बुलाना पड़ेगा। मुख्य मंत्रीजी से स्टेटमैंट दिलाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आठ लाख बच्चों का भविष्य अन्धकारमय किया और आज ये ठेकेदार हो गये राजस्थान की सरकार के। आज मैं बताना चाहता हूं कि माननीय भैरोंसिंह जी ने... (व्यवधान)....

श्री सुरेन्द्र व्यास : हाउस की कमेटी बना दो।

श्री श्रवण कुमार : आठ लाख बच्चों का भविष्य अन्धकार में डाला। पुलिस के सिपाहियों के द्वारा परीक्षा करायी, वनरक्षकों के द्वारा परीक्षा करायी और अध्यापकों को कहा कि तुम घर बैठो। फिर वही मांगें उनकी बाद में मानीं। आठ लाख बच्चों की परीक्षा में उनको एण्टर नहीं होने दिया और आज उन्होंने कहा कि....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, अब हाउस मान जाएगा क्या ? कल्लाजी कहेंगे तो मान जाएंगे क्या ? कल्लाजी ने बात कह दी। सदन के नेता महोदय जो हैं वे इस बात पर सहमत हो सकते हैं, सदन की कमेटी के मामले पर, इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन है....(व्यवधान)....

श्री श्रवण कुमार : यह कहते हैं कि राजस्थान में आठ लाख बच्चों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय का और शिक्षा मंत्रीजी का कहीं कोई डिफाल्ट नहीं है। माननीय

(श्री श्रवण कुमार)

शिक्षा मंत्रीजी गुलाबचन्द जी कटारिया ने पिछली बार आठ साल में शिक्षा का भट्टा बैठा दिया और राजस्थान को अन्धकार में डाल दिया। उन्होंने 1998 में परीक्षा ली पुलिस के सिपाहियों के द्वारा, वन-रक्षकों के द्वारा, पशुपालन के अधिकारियों के द्वारा और आठ लाख बच्चों का भविष्य अन्धकार में डाला।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बड़ी विचित्र स्थिति आ गयी कि आप असहाय नजर आ रहे हैं। आप भी असहाय नजर आ रहे हैं और हाउस चल नहीं रहा है। आप भी, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : परीक्षाएं लीं। आज मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी का कोई कसूर नहीं है। आज भैरोंसिंहजी बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार की, माननीय भैरोंसिंह जी ने आठ हत्याएं जयपुर के अन्दर करवायीं, निर्दोष आदमी मारे गये। मुस्लिम समुदाय के आदमियों को मरवाया, कलेक्टर का ट्रांसफर नहीं किया, किसी थानेदार का ट्रांसफर नहीं किया। आज ये राजस्थान की बात करते है। राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान की जनता ने फैसला दिया ये 105 में से 33 आये। यही हालत रही तो फिर 11 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर एक आएगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक भी नजर नहीं आएगा। मैं भी एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं। असहाय स्थिति सदन की हो गई, आप सदन को चलाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। नैतिकता की बात बी. जे. पी. कर रही है कि जे.पी.सी. बना दो, ज्वाइंट पालियामैंट्री कमेटी बना दी जाए। यह भी जवाब आया कि आप कभी ऐसे बैठे नहीं। किन-किन मुद्दों पर ज्वाइंट पालियामैंट्री कमेटी के गठन की मांग करेंगे? गुरुस्वामी के मामले में करो। यही बी. जे. पी. जो कह रही है, वहां पर रोज मांग उठ रही है। वित्त मंत्री के वित्तीय सलाहकार ने आरोप लगाये, भागवत के प्रकरण में जे. पी. सी. की मांग चल रही है, सदन नहीं चल रहा है। कितनी मांग कर रहे हैं (व्यवधान) बिल्कुल बोलेंगे। कितनी नैतिकता की बात करती है। मैं तो कहता हूं कि हां पक्ष अनुशासित है जिसने कभी सदन चलाने में बाधा नहीं डाली और यह तरीका नहीं अपनाया। डैमोक्रेटिक सिस्टम से कॉंग्रेस ने विपक्ष में अपनी बात रखी, यह स्थिति पैदा नहीं की। यह कोई ऐसा ही चलने नहीं देंगे। कल को मैं अकेला आदमी सदन नहीं चलने दूंगा। अगर मेरी मर्जी पर ही यह सदन चलेगा तो कल मैं वैल में बैठूंगा। अकेला आदमी सदन नहीं चलने दूंगा, यह कोई तरीका हुआ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारों का उपयोग करें और केवल माननीय 33 आदमियों के हाथ में हाउस कैप्चर नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, नैतिकता की बात करने वाले और इस्तीफा मांगने वाले लोग उस बात को भूल गये क्या कि एक साल पहले राजस्थान की प्री. पी. जी. की परीक्षाओं में, एम. एस. और एम. डी. की होने वाली परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों में भारी गड़बड़ घोटाला हुआ

(डा. करण सिंह यादव)

था ? बीस या 25 लोग ऐसे थे जिन्होंने जिन्दगी में (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने कहा कि वायरलैस बना दिया। अध्यक्ष महोदय, हालत यह रही है कि माननीय विपक्ष के नेता जब मुख्य मंत्री थे तो मंत्री रोते हुए देखे हैं मैंने। (व्यवधान)

डा. करण सिंह यादव : एम.एस. और एम.डी. जैसी परीक्षाओं के अन्दर बीस ऐसे लोग थे जिन्होंने पैसे के बल पर परीक्षाएं पास कीं। क्या किया उस मंत्री का ? क्या किया उच्च शिक्षा मंत्री का ? इस्तीफा दिया क्या तब उस बात को लेकर स्वास्थ्य मंत्रीजी ने ? किस बात के लिए ये इस्तीफा मांग रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री दिलावर साहब।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, भैरोंसिंह शेखावत सरकार में आर. ए. एस. और आई. ए. एस. के पर्चे आउट हुए, तब कहां थे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) **:** पाइंट आफ आर्डर। इनको बाहर भिजवाइये आप। इनको बाहर भिजवाओ आप और कहो कि सड़क पर नारे लगाएं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन-कूप में धरना एवं नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदय, ये परम्पराओं की बात करते हैं, इनकी सरकार ने और ये विराजमान हैं, यहां प्रतिपक्ष के नेता ने असत्य सबूत दिलवाए हैं अध्यक्ष के, खुद की गवाही को बचाने के लिए। वह रिपोर्ट कहां है सी.बी.आई. की ? + + + ऐसा + + + और परम्पराओं को तोड़ने वाला मुख्य मंत्री कभी नहीं हुआ राजस्थान में। (व्यवधान) बातें करते हैं यहां पर।

श्री हीरालाल विश्नोई : पूरे राजस्थान का भट्टा बिठा दिया है पूर्व मुख्य मंत्री ने। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इनको बाहर भिजवाओ आप। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : पूरे राजस्थान का भट्टा बिठा दिया है पूर्व मुख्य मंत्री ने। आज इस तरीके से सदन में बाधा डाल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : जितनी परंपराएं, अध्यक्ष महोदय, + + + लांघी हैं न इस असैम्बली में, उतनी किसी ने नहीं लांघी हैं और यहां पर + + + हाउस चलाने की। (व्यवधान) ले जाओ इनको बाहर खुद को। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन-कूप में धरना एवं नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : हिन्दुस्तान के संविधान के अन्तर्गत रूल्स आफ बिजनस सैक्रेटेरिएट बिजनस कंडक्ट करने के लिए बने हुए हैं। मुख्य मंत्रीजी के पास जो विभाग थे वे अन्य मंत्रियों को उन्होंने ट्रांसफर कर दिये।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सारे अधिकार खतम थोड़े ही हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बताऊं। सारे अधिकार ले लिये। कोई आई. ए. एस. की पोस्टिंग हो, कोई आर. ए. एस. की पोस्टिंग हो तो सारे पोस्टिंग के अधिकार मुख्य मंत्रीजी ने अपने पास ले लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह उनकी गवर्नमेंट का झगड़ा है, आप बीच में ही क्यों पड़ रहे हो ?

श्री राजेन्द्र पारीक : आप पहले प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे और हम संख्या में भी इनसे कम नहीं थे. हम यहां वैल में बैठते और ये पूरे के पूरे कानून पास करवा कर आगे की कार्यवाही करते थे। आज ही ऐसी क्या परिस्थितियां हो गयीं कि ये + + + पूरे सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं ?

श्री चन्दन मल बैद : आपकी तरह सैक्रेटरी और मिनिस्टर को लड़ाया तो नहीं। सैक्रेटरी को कह दिया मिनिस्टर की बात मत मानना और मिनिस्टर रोते फिर रहे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : कांग्रेस की गवर्नमेंट बी जे. पी. से पूछ कर सरकार चलाएगी ?

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : आपने तो भारती भवन को गिरवी.... (व्यवधान) आर.एस.एस.के आफिस से लिस्टें बनकर जाया करती थीं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन-कूप में धरना एवं नारेबाजी)

श्री हीरालाल विश्नोई : माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, आप जो कह रहे हैं विभाग बांटे हैं, अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी के पास अधिकार तो हमेशा ही रहेंगे। विभाग हैं वे उन्होंने बांटे हैं। अधिकारों को नहीं बांटा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको विदित है, आप प्रतिपक्ष के नेता थे, हम सदन के वैल में बैठते और ये लोग कानून पास करवाकर आगे की कार्यवाही करते थे। आज ये + + + पूरे सदन को गुमराह किये हुए हैं, पूरी सदन की कार्यवाही को बंद किये बैठे हैं। आप आगे की कार्यवाही चलाएं, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन-कूप में धरना एवं नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी के पास जो विभाग थे, अलग-अलग मंत्रियों को सुपुर्द करने की विज्ञप्ति भी जारी हुई थी और उस विज्ञप्ति में ऐसा कोई क्लॉज नहीं था। यूं तो मुख्य मंत्री सदन के नेता हैं और वे इस सदन के प्रति उत्तरदायी हैं। सरकार चलाने के अन्दर वे समय-समय पर मंत्रियों को गाइडेंस भी दे सकते हैं। उनके पास जो विभाग थे उन सबका हस्तांतरण कर दिया। हस्तांतरण हो गया फिर उसके बाद में आज शिक्षा मंत्रीजी अपने आप में इस दायित्व से हिचक नहीं रहे हैं। आप एक शब्द को, आटोनॉमस को पकड़ रहे हैं। जिस

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

दिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का विषय यहां पर सदन में चर्चा में आया तो आटोनोमी की बात चली थी, मैंने खुद ने आसन की तरफ से निर्देश भी दिये थे कि अगर अधिनियम में कोई भी संशोधन की आवश्यकता हो तो उस पर सोचा जाना चाहिए। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि इसको भी देख लेंगे और मैं चांसलर से भी बात करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री थे तभी बोलते हैं, दूसरा नहीं बोलता।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यानि वे हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते क्या ?

श्री अध्यक्ष : यह तो आप स्वयं जानते हैं। चांसलर से बात एक मिनिस्टर करे। और एक मुख्य मंत्री करे, उसमें फर्क होता ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फर्क तो होता ही है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसलिए ही हम मांग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : और मुख्य मंत्रीजी को आप इस सदन में बुलाने के बाद में उनसे क्या आश्वासन लेना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आश्वासन लेना चाहते हैं कि जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं, इसमें जिनकी कंट्रीब्यूटरी नैग्लीजेंस है या कंस्ट्रक्टिव रेस्पांसिबिलिटी है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री राजेन्द्र पारीक : पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री महोदय इसी सदन में आंसू बहा रहे थे जैन मुनि के हत्याकांड में, किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। आज आपको यादें आ रही हैं बैठकर। मोटे-मोटे आंसू बहा रहे थे आप उस दिन यहां बैठकर।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन-कूप में धरना एवं नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्व सरकार के जो गृह मंत्रीजी थे उन्होंने भी किसी घटना की सीरियसनैस को लेकर यहां पर आश्वासन दिये थे। लेकिन आप जानते हैं कमिटमैंट हो जाते हैं और उसके बाद में फिर दुबारा उनको वक्तव्य देना पड़ता है। इन्होंने अपनी तरफ से वे सब प्रयत्न किये। जब सबसे पहले इनके नोटिस में आया तो इमीजिएटली इन्होंने पुलिस डिपार्टमैंट को सूचना कर दी। यह पर्चा छपा है या नहीं छपा, मैंने पढ़ा नहीं इसको कि इसकी इनको सूचना थी या नहीं थी, लेकिन जहां साइक्लोस्टाइल हो रहे थे, इमिजिएटली वहां जाकर उन लोगों को (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह तो सब बता दिये इन्होंने, इससे क्या मतलब है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, वह बता दिया फिर उसके बाद में काफी इस विषय पर चर्चा हो गयी है। प्रतिपक्ष के नेता ने कंस्ट्रक्टिव रेस्पांसिबिलिटी की बात कही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आप तो बिजनस मैन्युअल में जो अमेंडमैंट किये हैं वह देख लीजिये

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और फिर बता दीजिये कि मंत्री के पास अधिकार रहते हैं या नहीं रहते हैं। मैं आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं।

डा. चन्द्रभान : ये विभागों की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ एक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं कर सकते।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या डी. ओ. पी. मीनिस्टर कर सकता है क्या ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को मुख्य मंत्री बदल नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आपकी याददाश्त बहुत तेज है, अध्यक्ष महोदय, आपकी नजर से कोई बात भूलते नहीं हैं आप, आपको अच्छी तरह से याद होगा। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : ऐसा प्रकरण पहली बार नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : इसी सदन में विपक्षी दल की गैर-हाजिरी में अपना सारा बजट पास करवाया था और आज आप दादागीरी की बात कर रहे हैं, इससे बढ़कर दादागीरी और क्या हो सकती है आपकी ?

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत अहम सवाल यहां विधान सभा में उठ गया है। 1990 से लेकर 1999 तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से ही सत्ता में गड़बड़ी हुई हैं। बच्चों के भविष्य का सवाल है। पहले भी इस तरह से 1996 में पर्चे आउट हुए थे तब क्या व्यवस्था दी गयी, अध्यक्ष महोदय ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज जो विपक्ष के नेता हैं....

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

माननीय विपक्ष के नेता ऐसे सवालों के ऊपर कांग्रेस को पटा लिया करते थे और कांग्रेस ने कभी भी इस तरह की मांग नहीं की विपक्ष में रह कर। माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी उस वक्त ऐसे सवालों पर विपक्ष को कोंफिडेंस में ले लेते थे और इस तरह की विषम स्थिति विधान सभा में पैदा नहीं होने देते थे। उस वक्त कांग्रेस के विपक्ष में बैठे लोगों ने उस वक्त के माननीय मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह जी शेखावत की बातों में आकर और दबाव में आकर कोई मामला नहीं उठाया। अगर उस वक्त आप विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह से निभाते तो शायद आज इस तरह से आपको बैठना नहीं पड़ता परन्तु आपने 9 साल तक विपक्ष की भूमिका नहीं निभायी। पिछली बार जयपुर में....

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदय, सदन का समय बेकार हो रहा है, इस पर आसन की व्यवस्था दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, जब हम पिछड़े वर्ग की बात करते हैं तब तो कहा जाता है सदन का समय बेकार हो रहा है। आज सदन का समय बेकार हो रहा है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से फिर से अनुरोध करता हूं कि आप सदन को व्यवस्थित तरीके से चलने में सहयोग करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : सदन को ये तो निरंकुश तरीके से चलाना चाहते हैं, आप व्यवस्थित तरीका अपना कर आगे की कार्यवाही चलाएं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : जब तक इनको आप नहीं निकालेंगे सदन नहीं चलेगा।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत (थानागाजी): अध्यक्ष महोदय, ये तो सही तरीके से सदन चलाना नहीं जानते, इनको तो आप सदन से बाहर निकालो। (व्यवधान) इनको तो सदन से बाहर निकालना चाहिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके का व्यवहार माननीय सदस्य कर रहे हैं वह कोई अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : अध्यक्ष महोदय, इनको सदन से बाहर निकालो, ये सदन को नहीं चलाना चाहते। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि सदन की कार्यवाही को.... (व्यवधान) 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : +++ समाज कल्याण को पूरे को खा गये और आज ये बातें कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आज बजट पर सामान्य वाद-विवाद था, माननीय सदस्य उसमें हिस्सा लेने वाले थे। ऐसा प्रतीत होता है कि हाउस के अन्दर कम्पलीट डिस-आर्डर है और जब तक व्यवस्था ठीक नहीं हो सदन को संचालित करना मेरे लिए भी असंभव है इसलिए मैं एक बार और निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित तरीके से संचालित होने में मदद करें।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मदन दिलावर को निष्कासित किया जाए। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, डिबेट शुरू करा दीजिये ।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, एक ही रास्ता है कि डिबेट चालू करा दीजिये । हम अपनी डिबेट चालू करें ये बैठे रहेंगे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रकार के डिस-ग्रार्डर में बजट पर सामान्य वाद-विवाद नहीं हो सकता ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

इस प्रकार के कम्प्लीट डिस-ग्रार्डर में सदन की कार्यवाही का संचालन होना मुझे संभव प्रतीत नहीं होता है इसलिए मैं सदन की बैठक आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 15.37 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित की गयी)

(16.08 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : माननीय चीफ व्हिप महोदय ।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा का स्थगन

श्री हरिसिंह महुवा (सरकारी मुख्य सचेतक) : प्रश्न यह है, अध्यक्ष जी, सुओ मोटो स्टेटमैंट की बात आपकी परमिशन के बाद मंत्री जी ने की । आपने परमिशन दे दी । यहां कुछ आक्षेप हुए लेकिन सदन के माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने अपनी सहमति दी और सहमति भी मूक नहीं प्रखर सहमति, बोल करके दी कि स्टेटमैंट दे दिया जाय । स्टेटमैंट हो गया । उसके बाद में आपने रूलस में रिलैक्सेशन देते हुए प्रश्न पूछ लेने के लिए भी अधिकृत कर दिया । अब प्रश्न यह है कि मंत्री का स्टेटमैंट होने के बाद दूसरा स्टेटमैंट रूलस के तहत कहां उल्लेखित है ? मेरा आपसे अनुरोध है कि जो मंत्री जी ने स्टेटमैंट दिया है उसको ही पूर्णता में मान लिया जाए । मैं आपके मार्फत प्रतिपक्ष के नेता महोदय से अनुरोध कर रहा हूं कि इस सदन में बहुत सारी ऐसी परम्पराएं स्थापित हुई हैं जिनमें उनकी बहुत ही सक्रिय भागीदारी रही । राजस्थान में प्रजातंत्र किस ढंग का हो, यह सदन किस प्रकार से चले, इसमें एक अहम भूमिका प्रतिपक्ष के नेता की रही है । आज अपने इस समय में कौनसी नई परम्पराएं राजस्थान के पवित्र सदन को देना चाह रहे हैं, राजस्थान की जनता को देना चाह रहे हैं । मेरी समझ में तो उनके गरिमामय व्यक्तित्व के लिए सदन की परम्पराओं को तोड़ना मैं उपयुक्त नहीं समझता । मैं आपके मार्फत प्रतिपक्ष के नेता से अनुरोध करता हूं कि जो मंत्री जी ने स्टेटमैंट दिया है परिपूर्णता में आप उसको स्वीकार करें और सदन की कार्यवाही आगे चलने दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इस सदन की एक बार नहीं कई बार इस प्रकार के मामलों में इच्छा रहती है और रही भी है । पूर्व में भी इस प्रकार की कई परम्पराएं हैं कि मुख्य मंत्री जी इस सदन में भाषण देकर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तथा चर्चा में भाग लेकर समाधान करने की कोशिश करते हैं। यह कोई नयी बात नहीं है कि हम मांग करें मुख्य मंत्री जी इस मामले में वक्तव्य दें, स्टेटमैंट दें और जिसके कारण से कोई परम्परा टूट रही हो। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। पिछली बार भी जितने मुख्य मंत्री रह हैं, जब भी मांग की गयी है मुख्य मंत्री जी सदन में आये और सदन में आकर बोले हैं। हमारी केवल मांग इतनी सी थी कि मुख्य मंत्री जी इस पर वक्तव्य दें। मांग का कारण भी यह था कि शिक्षा मंत्री जी को अपने कर्तव्य का जिस ढंग से निर्वहन करना चाहिये, वे नहीं कर पाये, जिस प्रकार का उन्होंने आश्वासन दिया, उस आश्वासन के अनुरूप जो व्यवस्था होनी चाहिये थी परीक्षाओं की, उस प्रकार की नहीं कर पाये।

मांग यह भी की गयी कि सारे मसले की, क्योंकि सीनियर आफिसर्स इसमें इनवाल्वड हैं, जांच होनी चाहिये और तीन बातों का उत्तर मुख्य मंत्री जी दे दें। मुझे पूछा गया कि मुख्य मंत्री जी अगर जवाब दे दें तो इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं होगी और सदन की गरिमा बढ़ेगी। इससे सदन की गरिमा टूटती नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ परम्परा है कि हाउस में मुख्य मंत्री जी जब चाहे इंटरवीन कर सकते हैं। आप तो सुओ मोटो वक्तव्य की बात कह रहे हैं, कोई वक्तव्य हो जाए और मुख्य मंत्री जी चाहें तो सदन के अन्दर अपनी तरफ से कभी भी इंटरवीन कर सकते हैं। यह तो क्वेश्चन है इंटरवेंशन का और इस इंटरवेंशन के लिये हमने रिक्वैस्ट की थी। मैं समझता हूं मुख्य मंत्री जी इस बात को मानेंगे और अपनी तरफ से वक्तव्य देकर इन बातों तीन बातों का स्पष्टीकरण कर देंगे कि सीनियर आफिसर्स जो इसमें इनवाल्वड हैं, उन सीनियर आफिसर्स के खिलाफ वे क्या कार्यवाही करना चाहते हैं। उनकी जांच करवा लें। मैं नहीं कहता कि इमीजिएटली आप झटके से उनको सजा दे दें। जांच करा लें, जांच कराने में दोषी पाये जाएं तो उनको सजा दें।

दूसरी मांग यह थी कि इसकी जांच यदि हाउस की कमेटी से करवाना चाहें, उचित तो यही होगा कि सारी भावनाएं उसमें अपने आप समाविष्ट हो जाएंगी, उसकी जांच करवा लें।

तीसरा, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पर्चा आउट होने के बाद तीन दिन तक परीक्षाएं करायीं, इसकी रेसपोंसिबिलिटी किस पर है? वह रेसपोंसिबिलिटी फिक्स अप कर दें और इन तीनों चीजों का स्पष्टीकरण करते हुए वक्तव्य दें।

एग्जामिनेशन के शिड्यूल के बारे में सबसे ज्यादा चिन्ता थी कि एग्जामिनेशन जल्दी से जल्दी करवाएं ताकि लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपनी हायर क्लासेज में एडमीशन ले सकें। ये चार बातें थीं, इन चार बातों के ऊपर स्पष्टीकरण कर दें। हमें तो कोई ज्यादा वैल में बैठने की या इस प्रकार की इच्छा नहीं है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा हो तो वैल तो है ही जगह जहां से सुनवाई होती है।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह अलग बात है कि आप लोगों ने नहीं की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इस बात को, गरिमा को शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप तो यह चाह रहे हैं जगह खाली हो जाए कल्लाजी की तो मैं शिक्षा मंत्री बन जाऊं। वह चांस आपको नहीं मिलने वाला है।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहे कोई भी हो, अगर किसी प्रदेश के अन्दर बच्चों की परीक्षाएं चल रही हों और परीक्षा पत्र लीक हो जाए तो मैं समझता हूं कि वह उसके लिये बहुत बड़ा चिन्ता का कारण होना चाहिये। वैसे पहले भी 4–5 बार इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, वह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। हालात जो बने वे आपके सामने हैं।

जहां तक अभी विपक्ष के नेता कह रहे थे कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिये, उच्चाधिकारियों को, जिन्होंने दोष किया है मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि वैसे भी जैसे ही इसकी खबर लगी, तत्काल सरकार ने कार्यवाही की और मैं समझता हूं 25–30 लोगों को अरैस्ट भी किया गया है। डायरेक्टर एजुकेशन को भी बदला गया। कार्यवाही करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस सदन के माननीय सदस्यों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जांच अभी भी जारी है और जो भी दोषी होगा चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसको नहीं बख्शा जाएगा। यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केवल पुलिस जांच कर रही है। जांच कहां हो रही है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।

श्री अशोक गहलोत : दोषी अधिकारी को....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बख्शा नहीं जाएगा। आप कह रहे हैं जांच हो रही है, कौन-सी जांच हो रही है?

श्री अशोक गहलोत : दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, इसका मायना यह हुआ कि जो अभी परीक्षा पत्र लीक हुए हैं उसकी शिक्षा मंत्री अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खुद ही दोषी हैं वे क्या जांच करेंगे?

श्री अशोक गहलोत : पहले पूरी बात .. (व्यवधान) पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिये क्योंकि आप तो इस बात को समझते हैं। जहां तक शिड्यूल करने की बात है परीक्षाओं को, मैं इससे सहमत हूं क्यों कि सी. पी. एम. टी. की, आई. आई. टी. की परीक्षाएं होती हैं दिल्ली के अन्दर केन्द्र स्तर पर। मैं समझता हूं कि पुनः इस प्रकार का शिड्यूल बने। जो एक बार घोषित हो गया उसको हम बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बदल करके हम ऐसी स्थिति में आएंगे जिससे कि बच्चों को और कोई तरह की कठिनाई नहीं हो, वे अपनी परीक्षाओं में बैठ सकें। चाहे वह सी.पी.एम.टी. की हो, चाहे आई.आई.टी. की हो, कोई भी परीक्षाएं हों, इस प्रकार से हम इसको रीशिड्यूल करा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।

(श्री अशोक गहलोत)

तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा हाउस कमेटी की मैं समझता हूं कि इसमें कोई आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि इसमें एक ऐसी परम्परा पड़ जाएगी कि हर कोई घटना को लेकर फिर बनानी पड़ेगी ।

चौथी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से । शिक्षा मंत्रीजी के बारे में मैं कह सकता हूं कि उन्होंने इसको बहुत गम्भीरता से लिया था। जैसे ही प्रश्न पत्र आउट हुए, रात को मेरे खयाल से 11–12 बजे मेरे घर पर आये । हम लोग बजट डिसकस कर रहे थे, 12–12.30 बजे होंगे और रात को आकर इन्होंने डिसकस किया । बहुत ही गम्भीरता से इन्होंने पूरे एपिसोड को लिया और खुद बहुत ही व्यथित थे, चिन्तित थे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं । इसलिये ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको गम्भीरता से नहीं लिया गया हो । जहां तक आपने कहा तीन दिन लगा दिये, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह सवाल भी हमने डिसकस किया । जब एक बार कुछ लीक हुआ अखबार के अन्दर भी, तो इन्होंने मालूम भी किया। मालूम पड़ा कि यह कोई गैस के आधार पर हुआ था, पूरा प्रश्न पेपर उसमें आया नहीं था । इस प्रकार की बात थी इसलिये तत्काल उस दिन कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

चौथी बात मैं, माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से विपक्ष के नेता से कहना चाहूंगा कि आप भी अगर संभव हो आपके लिए तो, एक अपनी पार्टी के स्तर पर भी समिति बनाएं और उसकी जांच कराएं कि इसके पीछे जो लोग अरैस्ट हुए हैं उनका बैकग्राउण्ड क्या है, किस प्रकार के वे लोग थे। (व्यवधान) नहीं, खाली मेरा सुझाव है, जरूरी नहीं कि आप वह काम करें । मेरा सुझाव है अगर आप कर सकें। क्योंकि हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उसमें कई तरह की खबरें आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नई सरकार को बदनाम करने के लिए जान बूझ कर कुछ लोगों ने इसमें षड्यंत्र किया हो, ऐसे लोग शामिल हों जिससे कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं एक के बाद एक फलीभूत हों ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, हमारे ऊपर जांच मत छोड़ो । यह भी जांच आप ही करा लो। यह जांच भी आप करवा लो, हमारे ऊपर मत छोड़ो ।

श्री अशोक गहलोत : मैं तो, अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता पर विश्वास कर कह रहा हूं कि आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं । आप उनको जो सर्टिफिकेट दे दोगे वह मुझे मंजूर होगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मेरे ऊपर छोड़ो तो यह जांच छोड़ो कि इसमें शिक्षा मंत्री का कितना दोष है, अगर छोड़नी ही हो तो ।

श्री अशोक गहलोत : आपके ऊपर तो पूरी जिम्मेदारी थी पूरे आठ साल तक, अब तो आप जांच यह करवाएं कि जो लोग इसमें दोषी हैं उनके बैकग्राउण्ड क्या हैं । यह कम से कम मालूम करें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जिस संदेह से यह बात कर रहे हैं यह बात मैं भी कह सकता हूं । आपकी उंगली जिस मामले की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ओर जा रही है मैं समझता हूं। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि यह जांच भी आप करवा लो, उसमें कोई भी इस तरह की स्थिति मालूम हो तो सजा दो। इसमें कोई रहम करने की या मेहरबानी करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अशोक गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, खाली मैंने इसलिए कह दिया कि एक दिन हमारे विपक्ष के नेता कह रहे थे सदन में अभी पिछले सप्ताह ही कि आप तो बन्दूक चलाना जानते हैं, पिस्तौल चलाना भी जानते हैं तो मैं कहने वाला था कि दुर्भाग्य से आप लाठी चलाना नहीं जानते हैं। लाठी चलाना नहीं जानते हैं इसलिए मैं समझता हूं कि अच्छा रहेगा आप अगर यह जांच अपनी पार्टी स्तर पर करवाएं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आप जांच ही चाहते हो ना तो इस सारे विषय की जांच करने के लिए कमेटी अपाइंट कर दीजिए, मैं भी उसका एक सदस्य होऊंगा। यह आसपैक्ट भी जांच हो जाएगा, परीक्षा में पर्चे कैसे आउट हुए यह भी जांच हो जाएगी और सरकार को क्या करना चाहिए था, नहीं किया उसकी भी जांच हो जाएगी। आप जांच के इश्यू को लिमिट मत करो। लिमिट करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोषियों को बचाने की अब से ही भूमिका बना रहे हो।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं कह चुका हूं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जो बात कही थी, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 1992 को संशोधन करने के लिए भी मैं समझता हूं आप सब लोग साथ देंगे। उसमें जो सजा का प्रावधान है अभी तीन साल का है, उसको हम बढ़ाकर 7 साल कर सकते हैं, आठ साल और दस साल कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, धन्यवाद। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : नेता ने इशारे की बात कही है, सदन कुछ नहीं समझ पाया है कि बैकग्राउण्ड उनका क्या है जिन्होंने पर्चे लीक किये हैं। तो सदन को बताने में कोई शर्म आती है मुख्य मंत्रीजी को? मैं जहां तक समझा हूं आर. एस. एस. के लोग हैं जिन्होंने ये पर्चे आउट कराये हैं।

एक माननीय सदस्य : पेपर में आया है कांग्रेस के हैं। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जिन्होंने पेपर आउट करवाये हैं (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एन.एस.यू.आई. के लोग, सेवा दल के लोग, कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने पेपर आउट करवाये हैं। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे सवालों का जवाब शिक्षा

(श्री खेतसिंह राठौड़)

मंत्रीजी ने दे दिया, उसके बाद स्टेटमैंट भी हो गया, उसके बाद में मुख्य मंत्रीजी ने सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब इस डिबेट को खतम कीजिये और आगे की कार्यवाही शुरू कीजिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। (व्यवधान) कि सदन के नेता महोदय और प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने भी इतने गम्भीर विषय को पोलिटिसाइज किया। माननीय शिक्षा मंत्रीजी के विरुद्ध लगातार कहा जा रहा है वह भी बिलकुल पोलिटिकल ऐलिगेशन हैं। इन्होंने त्वरित कार्यवाही की है अपने लेवल पर, कहीं इनको गिल्टी होल्ड नहीं कर सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी के विरुद्ध जांच करने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तो बदल दिया, but transfer is no punishment, अगर वाकई में आप फील करते हैं कि डायरेक्टर गिल्टी है तो फिर ट्रांसफर करने से क्या होता है? आप बोर्ड को चेयरमैन, फुलटाइम चेयरमैन क्यों नहीं देते हो? आपने बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ क्या किया? बोर्ड के चेयरमैन ने कोई मीटिंग बुलाई? पर्चे आउट हुए, शिक्षा मंत्रीजी ने अपने स्तर पर सब कुछ किया। आप यह बताने का कष्ट करेंगे सदन को कि बोर्ड के चेयरमैन ने कभी कुछ कार्यवाही की इस मामले में? बोर्ड के चेयरमैन तो कभी आफिस ही नहीं जाते हैं। आप एक फुलटाइम आई.ए.एस. आफिसर ही क्यों नहीं देते हैं बोर्ड के चेयरमैन के हिसाब से? यह जो....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप बार-बार आई.ए.एस. आफिसर ही... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि जो पुलिस की जांच है उसमें क्रिमिनल केसेज का इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें इस पूरे मामले की जांच नहीं हो सकती तो, मुख्य मंत्रीजी, जांच के लिए आप घोषणा करें। मंत्रीजी एक व्यस्त मंत्री हैं, इतने महकमे आपने उनको दे रखे हैं उनको सम्भालते हैं, उनका काम करते हैं। मंत्रीजी इसमें जांच में पड़ जाएंगे तो उनके पास समय कहां है? आप खुद जांच कराएं। आप जो सक्षम हैं उनसे जांच कराएं। जांच कराएंगे तब पूरी बात आएगी। आप उस इश्यू को गौण मत कीजिये, उसको रैलिगेट मत कीजिये। ये छोटे-छोटे कर्मचारी पकड़ लिये हैं आप उनसे संतुष्ट हो जाएं, वह बात सम्भव नहीं है। ये दो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल किया था कि एस. पी. और कलेक्टर को अलग से पर्चे सम्पन्न कराने के लिए आप मानदेय दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब इस चर्चा को बन्द कीजिये और आगे की कार्यवाही शुरू कीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : ऐसा कुछ तय किया है कि .. (व्यवधान) आर्डर निकले हैं, अध्यक्ष महोदय। ऐसे आदेश

(मोहम्मद माहिर आजाद)

निकले हैं कि जिन जिलों में परीक्षाएं संपन्न होंगी, जो पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर सही तरीके से परीक्षाएं सम्पन्न कराएंगे उनको उनके वेतन से अतिरिक्त मानदेय और दिया जायेगा, कुछ अमाउंट तय किया है। वह किस लिए दिया जाएगा? यह मैंने आपसे प्रश्न किया था इसका जवाब चाहता हूं। (व्यवधान) मैं शिक्षा मंत्रीजी से अध्यक्षजी के माध्यम से सवाल पूछ रहा हूं।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : अगर बोर्ड उनसे काम लेगा... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सवाल आपसे नहीं पूछ रहा। आपको जवाब देने के लिए नहीं बनाया। (व्यवधान) आपको तो कागज पकड़ने के लायक बनाया है। मैं शिक्षा मंत्रीजी से सवाल पूछ रहा हूं (व्यवधान) मैं अध्यक्षजी के जरिये शिक्षा मंत्रीजी से सवाल पूछ रहा हूं।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : आपको किसी चीज का पता नहीं है (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय मुख्य सचेतक जी, आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं। (व्यवधान) मैंने सवाल शिक्षा मंत्रीजी से पूछा है, आपसे नहीं पूछा है। शासन से परमिशन लेकर सवाल पूछा है मैं उस सवाल का जवाब चाह रहा हूं (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : आप इन रूल्स को पढ़ा करिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने सारे रूल्स पढ़ लिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : क्या भूमिका है। यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपसे ज्यादा पढ़ा-लिखा हूं। आपसे ज्यादा पढ़ा-लिखा हूं (व्यवधान) किताब हाथ में लें। ....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : पढ़े-लिखे होते तो ऐसी बात नहीं करते।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरी बात सुनिये.... (व्यवधान) दिमाग चाहिये आपके पास तो+++आपसे क्या बात कर रहा हूं, मैं शिक्षा मंत्रीजी से सवाल कर रहा हूं। मेरी बात को समझने के लिए दिमाग चाहिए। (व्यवधान) और आपके पास तो+++है (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य समय खराब कर रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप सक्षम नहीं हैं मेरी बात का जवाब देने के लिए। (व्यवधान) पूर्व शिक्षा मंत्रीजी यहां पर सवाल के बजाय भाषण दे रहे थे तब आपने नहीं रोका, हम जब भी सवाल पूछते हैं आप हमको रोकने की कोशिश करते हैं। आप सरकारी मुख्य सचेतक हैं, आप अपने लोगों को रोकिये, हमको रोकना आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। (व्यवधान)

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, कोई गुंजाइश नहीं है। (व्यवधान) माननीय सदस्य को बहुत देरी हो चुकी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको अधिकार नहीं है। मैंने, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा था, माननीय शिक्षा मंत्रीजी जवाब देते। बीच-बीच में जवाब देते हैं। हमारे हितों की रक्षा करना तो आपका काम है। मेरा तो निवेदन इतना-सा था कि कलेक्टर और एस. पी. जिले में रहते हैं, जिले की सारी व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप अलग काम कराने के लिए उनको मानदेय देंगे तो फिर तो जितने फंक्शन होते हैं हर फंक्शन करने के लिए अलग-अलग उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, एक गलत परम्परा बन जाएगी। इसलिए या तो आपने ऐसा आदेश निकाला तो आप उसको वापस ले लीजिये और नहीं निकाला है तो आप कह दीजिये कि हमने ऐसा तय नहीं किया है। इसमें क्या दिक्कत की बात हो गयी ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला है। बोर्ड ने यदि इस प्रकार से कोई निर्देश या आदेश निकाले हैं तो मैं उसको दिखवा लूंगा और जो उचित होगा उसके सम्बन्ध में उसको अमेन्ड करना होगा तो कर देंगे।

एक माननीय सदस्य : बोर्ड कर सकता है, देता है मानदेय। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप भी हो। यह हम नहीं कह रहे हैं कि आपने निकाला है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आदेश निकाला है उसको तो आप ही देखेंगे। आप यह कहिये कि आप उसको वापस लेंगे कि नहीं। जानकारी नहीं है आपको बोर्ड के आदेशों की।

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन किया गया था एजुकेशन मंत्रीजी से और खास तौर से सदन के नेता महोदय ने बहुत बातें साफ कर दी हैं और पूर्व में मंत्री महोदय ने भी काफी स्पष्ट बात कर दी, उससे हम सब संतुष्ट हैं। मैंने दो पाइंट रखे थे, बच्चों के भविष्य के लिए आगे एडमिशन्स के लिए जो टाइम डिले होगा उसके लिए हमने शिक्षा मंत्री से कहा था कि थोड़ा रीशिड्यूल अगर कर सकते हैं ... (व्यवधान) उनका रिजल्ट ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सुन नहीं रहे थे। मुख्य मंत्रीजी ने शिड्यूल के बारे में, शिड्यूल को चेंज करने की बात का अभी सदन को आश्वासन दिया है। शिक्षा मंत्रीजी पहले दे चुके हैं।

श्री अशोक गहलोत : मेरी भावना थी और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उसका मूल्यांकन भी केन्द्रीय स्तर पर करवा देंगे जिससे कि जल्दी रिजल्ट आउट हो जाए।

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य पर चर्चा समाप्त। बजट पर सामान्य वाद-विवाद। श्री रामनारायण चौधरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, परम्परा यह रही है कि पहले विपक्ष की तरफ से इस पर चर्चा प्रारम्भ हो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, बोले नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आज तक तो परम्परा यही रही है। (व्यवधान) अब तक परम्परा यही रही है, अध्यक्ष महोदय बजट पर तो आज तक की परम्परा के अनुसार हमेशा प्रतिपक्ष ने डिबेट को ओपन किया है. (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इन्होंने उस वक्त अपना भाषण नहीं किया इसलिए इनका नाम दुबारा नहीं बोला जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह बात सही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय; मैंने नहीं सुना।

एक माननीय सदस्य : ये उस वक्त ++ + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर, आसन पैरों पर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो आपके आज्ञापालक सदस्यों में से हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ का नाम पुकारा गया था और उस वक्त उन्होंने बोलने की अपनी इच्छा जाहिर नहीं की इसलिए कांग्रेस पार्टी से रामनारायण जी को मैंने अभी कॉल किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, हाउस में वैल में खड़े हों और उस समय किसी का नाम पुकारें, जब वहां पर दूसरे की बात नहीं सुनी जा रही हो तो इनकी कौन सुनता है। इस बात का तो कंसीडरेशन आपको रखना चाहिए और यह परम्परा नहीं टूटनी चाहिए। केवल इसी कारण से कि हमने नाम पुकारा था और आप लोग खड़े नहीं हुए, यह परम्परा तोड़ने का कोई सही माध्यम नहीं होगा, यह मेरा आपसे निवेदन है। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : बजट पास कर लिया इसी तरीके से पिछले सदन में।

श्री मोहन लाल मोदी : पूरा बजट पास करवा लिया। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, नाम नहीं सुने जाने के लिए दोषी ये खुद ही हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जोर से राजेन्द्र राठौड़ ही चिल्ला रहे थे, नारे लगा रहे थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपका वक्तव्य अब समाप्त हुआ है, जो कार्यवाही चल रही थी उसका समापन ही अब हुआ है तो उसके बाद ही तो बजट पर डिबेट शुरू होगी, बीच में कैसे हो सकती है। जब वक्तव्य का काम ही अब समाप्त हुआ है तो निश्चित रूप से वक्तव्य समाप्त होने के बाद ही तो डिबेट प्रारम्भ होगी, पहले कैसे हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष : डिबेट तो आप चला रहे थे। माननीय डिप्टी स्पीकर साहब ने तो यह बात कही थी कि चर्चा समाप्त, लेकिन उसके बाद भी चर्चा चल रही थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्रीजी ने अभी वक्तव्य दिया, चर्चा तो अब समाप्त हुई है।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहा था, लेकिन ये स्वयं ही हिट विकेट हो गये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब तो रामनारायणजी का नाम पुकार लिया गया है, रामनारायणजी को बोलने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या फर्क पड़ता है, रामनारायणजी कल बोल लेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ऐसा तो कई दफा हुआ है। आपने कौनसी परम्पराएं कायम की है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो यही याद है कि यही होता रहा है, आपको तो और कोई याद ही नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : परम्पराएं कायम रखते तो यह हाल ही नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सही है, ये परम्पराएं पहले आपने रखीं 1990 में, तब आपका हाल हुआ था।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आसन पर थे उन्होंने माननीय राजेन्द्र सिंहजी का नाम पुकारा था, तब ये चिल्ला रहे थे।

श्री अध्यक्ष : मैंने रामनारायणजी का नाम कॉल कर लिया था, उसके बाद राजेन्द्र सिंहजी बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : वह तो हमारे अधिकार की बात है, फिर आप कहो तो बोलना बंद करें, साहब (व्यवधान)।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कृपा करके मुझे आज की डिबेट में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। (व्यवधान) इसमें भी झगड़ा कर रहे हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप बोलिए, राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : लीडर आफ अपोजिशन को बोलना चाहिए, अगर परम्पराओं की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : वे भी बोलेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इशारा अध्यक्ष महोदय की तरफ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लीडर आफ अपोजिशन को डिबेट शुरू करनी चाहिए। लीडर आफ अपोजिशन पहले जो इधर बैठते थे, वे शुरू नहीं करते थे तो इशारा आप अध्यक्ष महोदय की तरफ कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : खेतसिंहजी के इशारे तो आप ही समझते हैं, स्पीकर पहले जो बैठते थे, इशारे आपके चलते थे।

आय-व्ययक पर वाद-विवाद

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में उस बजट पर चर्चा प्रारम्भ हो रही है जिस बजट की न कोई दिशा है, न कोई दर्शन है और न ही इस बजट से सरकार की गरीब, किसान और मजदूर के लिए कोई इच्छाशक्ति झलकती है। अध्यक्ष महोदय, बजट एक तरफ से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दर्पण है । इस दर्पण से दिखता है कि सरकार की क्या नीति रहेगी और क्या रीति रहेगी, सरकार इस राजस्थान को किस दिशा में और किस दशा में ले जाना चाहती है ।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने एक बात बड़े जोर-शोर से कई बार राजस्थान के लोगों के सामने, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद रखी । उन्होंने कहा कि हम संवेदनशील सरकार देंगे, पारदर्शी सरकार देंगे, जवाबदेह सरकार देंगे । अध्यक्षजी, सरकार कैसी जवाबदेह है ? 121 दिन पुरानी सरकार और उस सरकार के मुख्य मंत्रीजी जो पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे (व्यवधान) अब भी हैं, एक वक्तव्य रोज दिया करते थे । अखबार में खबर पढ़ी कि राजस्थान के फलां स्थान पर बलात्कार हो गया, तत्कालीन मुख्य मंत्री इस्तीफा दें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार के 121 दिन में 106 बलात्कार हुए हैं, 112 हत्याएं हुई हैं और 80 से अधिक लूट हुई हैं राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर । अध्यक्ष महोदय, कुर्सी पर बैठते ही मुख्य मंत्रीजी ने एक बयान जारी किया कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति चरमरा गई है, आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई है, सरकार का खजाना खाली हो गया है । इसका परिणाम क्या हुआ ? इसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान में जो अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां और प्रवासी राजस्थानी उद्योग लगाकर निवेश करना चाहते थे वे सारे के सारे भाग खड़े हुए । दिसम्बर माह में जयपुर में अन्तरराष्ट्रीय उद्यमियों का एक सम्मेलन हुआ, राष्ट्रीय उद्यमी भी उसमें शामिल हुए । मुख्य मंत्रीजी उनके बीच में गये और कहा कि राजस्थान में वे अपना निवेश करें, राजस्थान में औद्योगिक वातावरण सरकार बनाएगी । अध्यक्ष महोदय, यह बयान जारी करके सीधे सचिवालय पहुंचे और वहां बैठकर इन्होंने बयान जारी किया कि राजस्थान में बिजली की स्थिति चिंताजनक है, किसानों को आठ घण्टे बिजली देने के लिए सरकार को एक करोड़ रुपये रोज का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज कोई भी उद्योग लगाने के लिए पावर चाहिए, बिजली चाहिए । अब जहां राजस्थान के मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि किसानों को बिजली देने के लिए एक करोड़ रुपए रोज का निवेश सरकार अलग से कर रही है, घाटा उठा रही है, वहां कौन उद्यमी होगा जो अपना पैसा खर्च करके यहां उद्योग लगाएगा ?

(16.38 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सत्ता में बैठे हुए लोग शायद यह समझ बैठे हैं कि प्रचण्ड बहुमत मिल गया और स्थायी सरकार बन गई । पर वे यह भूल जाते हैं कि 1952 से 1990 के बीच में ढाई वर्षों को छोड़कर हुकूमत कांग्रेस के पास और 1990 से 1998 के बीच हुकूमत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस राजस्थान पर तो रहम करो, ऐसा वातावरण तो न बनाएं कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है ।

वित्त मंत्रीजी, आपने बड़े जोर शोर से कहा कि श्वेत पत्र जारी करेंगे । आपने कर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दिया तीन महीने के अन्तराल के बाद। उसमें भी सारे आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया है, मैं आगे चलकर बाद में अपनी बात कहूंगा। वित्त मंत्रीजी, आपने कई बजट इस विधान सभा में प्रस्तुत किये हैं और आपको कई बजट राजस्थान की विधान सभा में प्रस्तुत करते देखा है। सरकार के द्वारा जारी किये गये डाकूमेंट की एक सैंक्टिटी है। मेरा आरोप है कि श्वेत पत्र में आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर आपने सरकार के पत्र की साख पर बट्टा लगाया है। आपने श्वेत पत्र में कह दिया कि 23532 करोड़ रुपये के कर्ज हमने सत्ता के साथ आपको सौंपे हैं। वित्त मंत्रीजी जब आप अपना जवाब दें तब बताना कि कौनसा फार्मूला है? आर. बी. आई. की रिपोर्ट, 1997–98 वोल्यूम-II, पेज 223, कहती है कि राजस्थान का कुल कर्जा 20655 करोड़ रुपये हैं। पर चूंकि आपको टैक्स लगाने के लिए पृष्ठभूमि चाहिए थी। और यह रिकार्ड रहा है, गांव का व्यक्ति तो कहता है कि चंदनमलजी वित्त मंत्री बन गए, किसान और गांव का कचूमर निकलेगा, इसलिए तैयार रहना चाहिए। अब तो वित्त मंत्रीजी, आपने भरपूर टैक्स लगा लिए और राजस्थान के अवाम के हाथ खड़े करवा लिए, अब तो कृपया साहस करके आंकड़ों के तोड़-मरोड़ को ठीक करें। आपने कहा कि राजस्थान आर्थिक रूप से टूट गया। कोई भी प्रदेश हो, प्रदेश की खुशहाली का अगर सबसे बड़ा आर्थिक सूचकांक कोई है तो वह है सकल घरेलू उत्पाद, (जी डी.पी.) आपने हमें एक पुस्तक दी है आर्थिक समीक्षा 1998–99, इसी में लिखा है 1991–92 से लेकर 1996–97 तक हमारा जी.डी.पी. बढ़ा है 5.58 प्रतिशत प्रति वर्ष और कुल जी.डी.पी. में बढ़ोतरी हुई है 37 प्रतिशत। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद इस तेजी से बढ़ा है और समाचार-पत्रों में छपा है, राजस्थान का आठवां स्थान है सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में।

दूसरा आर्थिक सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय। राजस्थान का आम आवाम कितना गरीब है या अमीर है यह प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 1995–96 से 1998–99, यह आपकी ही पुस्तक से निकाल कर लाया हूं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है 30.2 फीसदी। इसके अलावा, वित्त मंत्रीजी, आपका भाषण सुनते हैं, राजस्थान किसान का प्रदेश है; 72 फीसदी लोग राजस्थान में खेती पर निर्भर करते हैं, तो खेती पर निर्भर करने वाले किसानों के खाद्यान्न की अगर पैदावार बढ़ती है तो वह खुशहाल होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 1989–90 के अन्दर जहां 85.32 लाख टन खाद्यान्न राजस्थान की धरती पर पैदा हुआ वहीं 1997–98 में 140 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। बढ़ोतरी हुई 65 परसेंट। इसके अलावा राजस्थान में सिंचित क्षेत्र बढ़ा। 1989–90 में था 29 प्रतिशत और आज बढ़कर हो गया 32.59 प्रतिशत। उपाध्यक्ष महोदय, जहां सकल घरेलू उत्पाद बढ़ गया, जहां प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, जहां किसान ने जो खाद्यान्न पैदा किया वह बढ़ गया, 65 फीसदी हो गया, सिंचित क्षेत्र बढ़ गया वहां आप आज राजनैतिक उल्लू सीधा करने के लिए

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आरोप लगाते हैं कि हमने राजस्थान को आर्थिक रूप से तोड़ दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात की चर्चा यहां बहुत जोर-शोर से श्वेत-पत्र में की गई और इन्होंने बजट में भी कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में कर्जा लेकर परिसम्पत्तियों का निर्माण किया, देनदारियां ज्यादा हो गयीं और परिसम्पत्तियों का अर्जन कम हुआ। वित्त मंत्रीजी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं 1952 से लेकर आज तक क्या कभी देनदारियों के अनुपात में परिसम्पत्तियां ज्यादा हुई हैं ? कोई ऐसा वर्ष बता सकते हैं आप ? नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता। क्योंकि लोक कल्याणकारी सरकार को कुछ इस तरह के काम करने पड़ते हैं जिनमें लाईबिलिटी तो बढ़ जाती है पर परिसम्पत्तियों का अर्जन होता नहीं। आप एजुकेशन पर पैसा खर्च करते हैं, आप मेडिकल एण्ड हैल्थ पर पैसा खर्च करते हैं, आप किसान को बिजली व पानी में सब्सिडी देते हैं, आप पेयजल में सब्सिडी देते हैं, उससे लाइबिलिटी तो बढ़ गई, परन्तु असेट्स क्रीएट नहीं होंगी। और यह बात बार-बार कहना। और कई माननीय सदस्य तो कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, बड़ा भयंकर घोटाला हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि 1990–91 में, वित्त मंत्रीजी, आपने शासन छोड़ा था उस वक्त देनदारियां थीं 6581.10 करोड़ और परिसम्पत्तियां अर्जित हुई थीं 6,167 करोड़। दोनों का अन्तर था 414 करोड़। अगर आप कहते है कि परिसम्पत्तियों का निर्माण देनदारियो के अनुपात में होना चाहिए तो कृपया आप स्पष्ट करेंगे कि आपके पास जब शासन था तब यह 414 करोड़ का अन्तर क्यों आया ? आपने बड़े जोर-शोर से कहा कि हम 23 हजार से ज्यादा का कर्ज छोड़कर गए हैं, मैं पहले निवेदन कर चुका हूं 23 हजार का कर्ज नहीं, 20,655 करोड़ का कर्ज है। लेकिन क्या कर्ज आपने नहीं छोड़ा था ? आपने सात पंचवर्षीय योजनाएं राजस्थान को दीं, उस अवधि में शासन कांग्रेस के हाथ में रहा और उन सातों पंचवर्षीय योजनाओं में आपने योजनागत व्यय किया था 7,199 करोड़ और कर्जा था 6,127 करोड़ रुपये। आप ही कहते हैं कि यह कर्जा हमने छोड़ा। आप अंदाजा लगाइए कि आपने तो 35 वर्षों में 7 हजार करोड़ रुपये खर्च किए और 6,100 करोड़ का कर्जा छोड़ गए और हमने 20 हजार करोड़ रुपये कर्जा लिया है, हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना कितने की थी ? 11,500 करोड़ की और हमने खर्च किया 12 हजार करोड़ से ज्यादा। नौवीं पंचवर्षीय योजना 27,500 करोड़ की बनायी। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, वित्त मंत्रीजी, आप तो फाइनेंस के कीड़े हैं, मैं समझता हूं आप से ज्यादा फाइनेंस की बात हमारे जैसा नौसिखिया समझता नहीं। परन्तु अगर विकास करना है तो योजना का आकार बढ़ाना पड़ेगा। आप तो कमर कसकर बैठे थे कि इस बार की योजना का आकार छोटा करेंगे। प्रतिपक्ष के नेताजी ने दो-चार जगह अपनी बात कही और आपने योजना के आकार के लिए वापस उतना ही करने के लिए प्रयास करने चालू कर दिए। घटाते ना आप योजना का आकार ? राजस्थान की जनता आपसे सवाल कर लेगी। योजना का आकार बढ़ेगा तो विकास के काम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ज्यादा होंगे। विकास के काम ज्यादा होंगे तो विकास के कामों के लिए आपको या तो कैपिटल रिसिप्ट्स के अन्दर कर्जा लेकर उसको बढ़ाकर काम में लेना होगा या आपको बारोइंग करनी पड़ेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका यह आरोप गलत है।

आप कहते हैं कि 40 वर्षों में हम तो राजस्थान को बड़ी उन्नति के रास्ते पर ले गए और आठ वर्षों में हमने राजस्थान में कोई आधारभूत संरचना नहीं की। मैं निवेदन करना चाहता हूं 40 वर्षों में आपके शासन में आपने सडकें बनायी थीं 45,797 किलोमीटर जबकि आठ वर्षों में हमने सड़कें बनायीं 38,188 किलोमीटर। आपने उद्योग लगाये, मैं लघु और मध्यम उद्योग की बात कर रहा हूं, वित्त मंत्रीजी, 287।

श्री महेश जोशी : आपने जो आंकड़े बोले हैं उनको जोड़ लें। आपने जो पुस्तक निकाली है उसमें राजस्थान में कुल कितनी सड़क बतायी है ? आप इन दोनों को जोड़ लें जरा। आप गलत तथ्य मत दीजिये। आपकी सरकार ने कुल 74 हजार किलोमीटर सड़कें राजस्थान में बतायीं जिसमें से 54 हजार किलोमीटर कांग्रेस के टाइम में हुई हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उप मुख्य सचेतक जी, आपका कसूर नहीं। सत्ता में आदमी रहता है, हम भी आठ साल से अभी इधर आए हैं। तब किताब-विताब दिखती नहीं। यहां जब आज के वित्त मंत्रीजी बोला करते थे कण्ठस्थ होकर तब हम तो आश्चर्य करते थे कि इस उम्र में बुद्धि इतनी तीक्ष्ण कैसे? इसलिए अभी आपकी पढ़ने की आदत है नहीं।

श्री महेश जोशी : है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पढ़ने की आदत पड़ जाएगी उस वक्त अगर सवाल करोगे तो अच्छा लगेगा। इसलिए कृपया विराज जाएं। अब आपकी जब पोल खुल रही है..

श्री महेश जोशी : माननीय राठौड़जी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं या तो आप अपनी बात को सही सिद्ध कर दें, नहीं तो मैं अपनी बात को सही सिद्ध कर देता हूं।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतकजी और उप मुख्य सचेतकजी को बीमारी हो गई है। ये दोनों ..

श्री उपाध्यक्ष : आप क्यों पैदा कर रहे हो बीमारी ?

डा. किरोड़ी लाल : आप इनको प्रताड़ना दें कि बीच-बीच में न बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था लघु और मध्यम उद्योग 40 वर्षों में राजस्थान में लगे 287 और हमने लगाये 244। इन पर 40 वर्षों में निवेश हुआ 3,230 करोड़ रुपये और हमने 8 वर्षों में निवेश किया 10,510 करोड़। चन्दनमल जी, आप सोच रहे होंगे कि ये आंकड़े कहां से आए। मैंने आपकी तरह उस श्वेत-पत्र को गुलामुण्डी नहीं खिलायी। आप कहेंगे तो मैं आपकी तरह से वैसे तो नहीं, मैंने कोशिश तो की है कि मैं साथ में सारे कागज, डाकुमैंट्स लेकर आऊं, पर मैं आपको बता दूंगा। उप मुख्य

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सचेतक जी को शायद समझ में न आए, पर आपको बता दूंगा।

मैं निवेदन कर रहा था, पेयजल पर इन 40 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने खर्च किया था 1026 करोड़ और हमारे भंवर लालजी के नेतृत्व में खर्च हुआ 2,293 करोड़। प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र आपने 40 वर्षों में खोले 1,059 और हमने आठ वर्षों में खोले 618। सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र आपने 40 वर्षों में खोले 190 और हमने खोले 77। कम खोले तो कम बता रहे हैं। मातृ शिशु कल्याण सेवाएं आपने प्रारम्भ कीं 40 वर्षों में 89 और हमने खोलीं 108। 1990–91 में जब आपने शासन छोड़ा तो चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं में प्रति व्यक्ति व्यय था 57.22 रुपये और 1998–99 में यह बढ़कर हुआ 157 रु.।

वित्त मंत्रीजी, आपने एक बात श्वेत-पत्र में भी कही और प्रेस कांफ्रेंस में भी यह बात जोर-शोर से कही कि अब राज्य गम्भीर राजकोषीय दबाव में आ गया, हाई फिस्कल स्ट्रैस में आ गया। वित्त मंत्रीजी, आर. बी. आई. की रिपोर्ट कह रही है कि सारी सरकारों की कुल देनदारियां हैं 3,36,365 करोड़ और राजस्थान सरकार की देनदारियां हैं 20,655 करोड़। यह बैठता है 6.1 प्रतिशत। इससे ज्यादा किसकी है? यू. पी. की है 47,604। यह बैठता है 14.2 प्रतिशत। महाराष्ट्र की 30,999,8 यह बैठता है 9.2 प्रतिशत बिहार 23,748, बैठता है 7.1 प्रतिशत। आंध्र प्रदेश की 22,850, यह बैठता है 6.1 प्रतिशत। उसके बाद मध्य प्रदेश का नम्बर आता है। उसके बाद राजस्थान का नम्बर आता है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार तो आपके लिए आदर्श सरकार है, कार्बन कॉपी की तरह आप सरकार चला रहे। मुख्य मंत्री वहां फैसला करते हैं कि मैं कोई विभाग नहीं रखूंगा, फैक्स आता है। हमारे मुख्य मंत्रीजी का बयान तीसरे दिन आ जाता है मैं भी कोई विभाग नहीं रखूंगा। तो मैं समझता हूं कि ये सारे जो आंकड़े मैंने प्रस्तुत किये हैं इन आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि राज्य हाई फिस्कल स्ट्रैस में नहीं है।

अब आपने श्वेत पत्र में सकल घाटा 5436 करोड़ बताया है और राजस्थान बजट अध्ययन और ये सारे कागजात, इनमें बैठता है 3782। अब आप बताएं कि यह आंकड़ा आपके पास कहां से आ गया? वित्त मंत्री, आपने तो अभी राजस्थान पत्रिका में लेख आया था नाथूरामजी का। उसमें पढ़ा होगा। अब तो राजकोषीय दबाव में कौनसी स्टेट्स हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी देनदारियां आपकी टोटल रेवेन्यू रिसीट्स से 50 प्रतिशत से कम हैं तो आप राजकोषीय दबाव वाले राज्य में आ गये वरना आप नहीं आते। आज राजस्थान की जो रेवेन्यू है वह पूरी रेवेन्यू रिसीट देनदारियों के अनुपात में 52 फीसदी है। कम उड़ीसा में है, पंजाब में है यू.पी. में है, वैस्ट बंगाल में है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो बार-बार इस राजस्थान की भयावह तस्वीर प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हमने राजस्थान को आर्थिक रूप से जर्जर कर दिया है, यह कतई सही नहीं है। मात्र राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए राज-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्थान की जनता को करों से लादने के लिए आपने वातावरण बनाया और उस वातावरण का भरपूर फ़ायदा आप उठा रहे हैं।

सकल घरेलू उत्पाद और राजकोषीय घाटा इनका प्रतिशत भी आपने, वित्त मंत्रीजी, तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। 1997–98 में सकल राजकोषीय घाटा बनता है 2577 और हमारा सकल घरेलू उत्पाद है 52481। इनका प्रतिशत होता है 4.9 फीसदी और आपने बताया है सकल राजकोषीय घाटा 6687। अब वित्त मंत्री ये आंकड़ा कहां से लाये, यह तो भगवान ही जाने। परन्तु अच्छा रहा कि आपने सकल घरेलू उत्पाद का आंकड़ा सही दिया है और आपने इसको 12.7 कर दिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम राज्य की जनता के सामने सही बात कहने की हिम्मत तो करें। अब आपको जो चीज सूट की वो आपने उसी तरह और बाकी तोड़-मरोड़ करके प्रस्तुत कर दी।

अब आपने कहा कि ऋण की अदायगी में ब्याज का कम्पोनैंट बढ़ता जा रहा है। परन्तु वित्त मंत्रीजी आपने यह नहीं कहा कि ब्याज की दर में कब-कब कितनी-कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। 1986–87 में ब्याज की दर थी 6.4, 1990-91 में हो गई 9.2, 1997–98 में हो गई 12.7। अब ब्याज की दर बढ़ेगी तो उसके साथ-साथ ब्याज अधिक देना पड़ेगा, तो ऋण कम्पोनैंट के अन्दर इन्टरैस्ट का भार अपने आप बढ़ गया। इसके अलावा आपने एक बात और कही है कि सामान्य व्यय में वृद्धि हो रही है। किसी के बस की बात थी कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को हम लागू नहीं करें? इसके अलावा 1993–94 से लेकर 1997–98 तक राजस्थान के राज्य कर्मचारियों को अगर अंतरिम राहत के नाम पर 260 करोड़ रुपये दे दिये तो कोई गुनाह कर दिया? अगर आप में हिम्मत हो तो आप इस सारी चीज को वापस बदल दें अच्छा रहेगा। हालांकि अब कर्मचारी वर्ग बात तो करने लग गया कि आपने व्यवसाय कर के नाम पर उसकी जेब में हाथ तो डाल दिया। पहली बार वह कर्मचारी जिस कर्मचारी के लिए आप कहा करते थे कि कर्मचारियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको अच्छी बानगी आपने दी है। उसके परिणाम तो कर्मचारी समय पर आपको बताएंगे।

आपने बड़े जोर-शोर से कहा कि कर्जे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने योजना बनाई। आर्थिक संरचना कर्ज आधारित नहीं होनी चाहिए। यह भाषण आपने दिया, कहीं लिखा है, मैं साथ लेकर आया हूं। परन्तु आपने इस योजना में क्या किया? आपकी कुल योजना है पांच हजार दो सौ बाईस करोड़ अट्ठाईस लाख और आपने कर्जा ले लिया पांच हजार तीन सौ अट्ठयासी करोड़। आज तक के इतिहास के अन्दर कितनी योजनाएं बनी हैं? योजना से बड़े आकार के अन्दर कर्जा लेना। योजना है आपकी 5222 की और कर्जा ले रहे हैं आप 5388।

सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री रामनारायण चौधरी : इनके भाषण तक कर दें। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : मैं संशोधन पेश कर रहा हूं कि सदन का समय ..

श्री उपाध्यक्ष : भाषण खतम होने का मतलब क्या है ? दो घंटे बोलेंगे क्या ? टाइम तो होना चाहिए।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : वो तो इनकी पार्टी का समय ही जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं है, इनकी पार्टी का समय कुल दो घंटे है। आधा घंटा ये बोल चुके हैं और अब आप कह रहे हैं भाषण समाप्त होने तक। मान लो ये एक घंटा बोलेंगे तो क्या हम बैठे रहेंगे ? टाइम तो निश्चित होना चाहिए। भाषण की समाप्ति तक कैसे हो सकता है ? सदन का समय 15 मिनट और बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक पर वाद-विवाद

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि 366 लाख रुपया योजना के आकार से ज्यादा इन्होंने कर्जा ले लिया। चन्दनमल जी आपने तो कहा कि हमने पूरे राज्य को कर्जे में डुबो दिया और आपके आंकड़ों के अनुसार 23,532 करोड़ रुपये का कर्जा बनता है।

श्री चन्दनमल बैद : इधर बैठते थे तो दादाजी कहते थे, उधर बैठते ही चन्दनमल जी कहने लगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह गलती हो गई, साहब।

डा. किरोड़ी लाल : आप तो हमारे श्रद्धेय हैं, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कंजूस दादाजी, आप कृपया यह बताएं कि अब आपने राजस्थान पर कर्जा कम कर दिया क्या ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यहां न कोई दादाजी है, न कोई पोता, इस सदन में सभी माननीय सदस्य हैं, उधर माननीय वित्त मंत्रीजी, इधर माननीय सदस्य हैं। यहां दादा-पोते का कोई सिलसिला नहीं। पहले यहां हमारे दीपेन्द्र सिंहजी और तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने भी काका-भतीजा का मामला उठाया था।

श्री जगत सिंह दायमा : ये दादा कह कर क्या लेना चाहते हैं पोतेजी ?

श्री उपाध्यक्ष : यह इनका आपसी मामला है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपसी मामला है, यह इनका घर है क्या ? यह इन दोनों का घर नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की विधान सभा है जिसकी आप अध्यक्षता कर रहे हैं। यह घर नहीं है। यह मत कहिये कि यह आपसी मामला है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस व्यवस्था से कुछ नहीं होता।

डा किरोड़ी लाल : सुमित्राजी हमारी दीदी हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यहां व्यक्तिगत कुछ नहीं है यहां सब सदन के सदस्य हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : यहां इस तरह का संशोधन कर नहीं सकते, कार्यवाही के अन्दर आ नहीं सकता। यहां सभी माननीय सदस्य हैं, माननीय वित्त मंत्री हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में सदस्य रहें या न रहें रिश्ता खतम नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 23,532 करोड़ रुपये का कर्जा आपने अपने हिसाब से आकलन करके कहा कि इतना कर्जा हम छोड़कर गए थे आपने कम कर दिया। प्रति व्यक्ति इतना कर्जा राजस्थान के आम व्यक्ति पर भारतीय जनता पार्टी के लोग छोड़कर गए हैं, अब आपके हिसाब से वित्त मंत्री जी कर्जा हो गया 28,931 करोड़, यह क्यों? आप अपने आपको फाइनेंस का कीड़ा कहते हैं। कीड़े तो आप हो दादा जी, परन्तु वित्त मंत्री जी....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये बार-बार इस तरह का सम्बोधन कर रहे हैं, आप एक बार इन्हें कह दें। ये वित्त मंत्री जी को कीड़ा कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : परन्तु, वित्त मंत्री जी, देखना यह है कि यह कीड़ा सरकार को खाता है या सरकार कीड़े को खाती है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारे वित्त मंत्री जी क्या कीड़े और मकोड़े हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये फाइनेंस के कीड़े हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : वित्त मंत्रीजी मुस्करा रहे हैं।

(17.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप कहो तो मैं वित्त मंत्री जी का वह वक्तव्य पढ़कर सुना दूं जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं फाइनेंस का कीड़ा हूं। मैं तो इनकी बात ही कह रहा हूं। (व्यवधान) हां, मैं पढ़कर सुना देता हूं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि पिछली बार इन्होंने बड़ी जोर-शोर से भाषण दिया था और इन्होंने एक बात कही थी कि राजस्व घाटे को पूंजीगत घाटे से कम नहीं करना चाहिए। बजट में अगर रेवेन्यू डैफेसिट है तो रेवेन्यू डैफिसिट रहना चाहिए। आपने कहा था कि कैपिटल अकाउंट को आप लोन लेकर बढ़ा लो। उसको आप खर्च करो नहीं और उसके अन्दर रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपैंडिचर का जो कम आये और कैपिटल एक्सपैंडिचर और कैपिटल रिसीट का जो आधिक्य आये उससे आप बजट घाटे को पूरा करो। आपने आधा घंटे भाषण दिया था, वित्त मंत्री जी, परंतु अब आपने क्या किया है? आपने 764 करोड़ के अतिरिक्त संसाधन जुटाने की बात की है। 462 करोड़ रुपये तो आपने राजस्थान की गरीब जनता को टैक्स से लाद दिया और उसमें आप कह रहे हो कि आप से बड़ा कुशल वित्तीय प्रबन्धन किसी का नहीं है। अब आप बताएं कि जिस घर के अन्दर घर की जमीन-जायदाद

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बिकना चालू हो जाए घर का खर्चा चलाने के लिए वह प्रबन्धन कैसा है ? आपने 200 करोड़ का लक्ष्य रखा है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की जमीन को बेचेंगे। विशेष आबंटन से जमीन बेचेंगे। अब आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस जमीन पर पहला हक किसका है। उस किसान का हक है जो भूमिहीन है। सबसे पहले तो उस जिले के किसान का हक था फिर चूरू जैसे पिछड़े हुए जिले के किसान और भूमिहीन का हक था। आपने कोई नीति नहीं बनायी और जोर-जोर से घोषणा कर दी कि 200 करोड़ की तो जमीन बेच देंगे और 100 करोड़ रुपये भू-रूपान्तरण से ले लेंगे। भू-रूपान्तरण के लिए आपकी कोई नीति नहीं है। परन्तु चूंकि आपको तो 764 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने की बात जो बात आपने कह दी, इसको पूरा करना था इसलिए जो मर्जी आये वह कह दिया। अब आपका राजस्व घाटा कितना है ? आपका राजस्व घाटा है 2629 करोड़ का और पूंजीगत खाते से आधिक्य है 2790 का और बजट सरप्लस हो गया 160 करोड़। आपने जिस फार्मूले का प्रयोग किया, अब आप उसको वापस ही लागू कर रहे हैं। अणुव्रत और आचार्य तुलसी के शिष्य रहे हैं आप, एक बार कह दिया उस रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपने क्या किया है ? पिछले वर्ष का समग्र घाटा, जिस घाटे के लिए ...

श्री जनार्दन गहलोत : आज तो आप ज्ञान प्राप्त कर लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जनार्दनसिंह जी, आप जब तब बोलो, यह अच्छी बात नहीं है। देखो, हम लोग नये लोग हैं, हम कोई छोटी-मोटी तैयारी करके आये हैं और आप इस तरह से कर रहे हैं। आप इस विषय की गम्भीरता नहीं समझो तो फिर अच्छी बात नहीं है।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि 1201 करोड़ का समग्र घाटा, पिछले वर्ष के बजट का घाटा, आपने उस घाटे का क्या प्रबन्ध किया ? केन्द्रीय सरकार के रहमोकरम पर छोड़ दिया। अब केन्द्रीय सरकार आपको वापस रियायत नहीं दे तो आप उस घाटे की भरपाई कहां करेंगे ? कैसे करेंगे ? उसका एक ही तरीका रहेगा कि आप जनता को और करों से लाद देंगे। अगर आपके फार्मूले से बजटीय घाटा कुल निकालना हो तो राजस्व घाटा आपका 2629 और उसमें पिछले साल का घाटा 1200, कुल हो गया 36 सौ

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, बजट पर गम्भीर बहस हो रही है और स्वास्थ्य मंत्री जी की बगल में बैठकर डिजायर लिखी जा रही है। आप थोड़ी-सी प्रताड़ना तो दो। राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य हैं वे डिजायर लिख रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने तारतम्य तोड़ दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, आंकड़ों के मायाजाल को बंद जी जितना तो कोई नहीं समझता पर कुछ समझने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। इसलिए जो बात है, कम से कम सदन के पटल पर तो आए।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वित्त मंत्री जी, राजकोषीय घाटे की गणना जो हमने उस वक्त की थी, आप डटकर विरोध कर रहे थे। आपने कहा कि सेण्ट्रल गवर्नमैंट का फार्मूला लागू करूंगा। सेण्ट्रल गवर्नमैंट का फार्मूला है राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय और पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय दोनों का अन्तर और उसमें जो राजस्व लेखों का शेष आता है उसमें ऋण और अन्य दायित्व जोड़ दें। इस सारे मामले को देखें तो आपका राजस्व घाटा है 601, ऋण दायित्व 7120 और कुल राजकोषीय घाटा 7721 करोड़। सकल घरेलू उत्पाद हमारा है 57765 और दोनों का अनुपात आता है 13.14। पिछले बजट में यह था 10.4। अब आप बताएं, आपने तो बड़ा कुशल वित्तीय प्रबन्धन देने की बात कही है, हम तो पूरा बर्बाद करके चले गये, परन्तु यह राजकोषीय घाटा और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात कैसे बढ़ रहा है? कम करने की बात करते। आपने पिछली बार एक बात कही थी कि सेल्स टैक्स रेवेन्यू रिसीट का सबसे बड़ा कम्पोनैंट है। बात भी सही है। जितनी राशि है उसका 90 प्रतिशत ऋण चुकाने में, ब्याज में चली जाती है। परन्तु इस बार क्या हुआ? इस बार आपकी सेल्स टैक्स रेवेन्यू है 2430 और ऋण पर ब्याज भर है 2682, यानि सारी सेल्स टैक्स रेवेन्यू ऋण से ब्याज भार में आप दे दें और उसके बाद भी 252 करोड़ रुपये आपको और देने पड़ते हैं। पर हमारे समय में तो सेल्स टैक्स रेवेन्यू ऋण के ब्याज भार से कुछ कम थी। अब आप किस तरह का कुशल वित्तीय प्रबन्धन दे रहे हैं, यह मैं नहीं कह सकता। वित्त मंत्री जी, आपने पिछले भाषण में एक बात कही थी कि कुल टैक्स रेवेन्यू में टैक्स रेवेन्यू का ऋण के ब्याज भार पर कितना प्रतिशत रहा तो 1998-99 में था कुल टैक्स रेवेन्यू 4440 करोड़ और ऋण पर ब्याज भार था 2217 करोड़ और यह कुल टैक्स रेवेन्यू का आधा, फिफ्टी परसेंट है। परन्तु आपके टाइम में क्या है? आपके टाइम में, वित्त मंत्री जी, टैक्स रेवेन्यू है 4691 करोड़ और उस पर ब्याज भार है 2682 करोड़, यह आता है 58 प्रतिशत। यह आपने घटाया क्यों नहीं? आप तो बहुत भाषण दे रहे थे कि कम होना चाहिए। इसी तरह से आप रेवेन्यू रिसीट में भी देख लें। रेवेन्यू रिसीट में भी ब्याज भार के कम्पोनैंट को हम जोड़े, अनुपात निकालें तो उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए, वित्त मंत्री जी, मेरा आरोप है, कि राजस्थान की जर्जर आर्थिक स्थिति, राजस्थान के अन्दर कुछ बचा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ किया नहीं, यह कह कर आपने राजस्थान का अहित किया है। आज राजस्थान के अन्दर जो लोग निवेश करना चाहते थे उसके कारण अब वे लोग निवेश करने का मन नहीं बना सकते।

आप किसानों के बड़े हमदर्द थे। पिछली बार हमने जितना बजटीय प्रावधान किया था उस बजटीय प्रावधान में कोई 10 प्रतिशत राशि खर्च नहीं कर सके। आपने यहीं खड़े होकर कहा था कि हम किसानों के विरोधी हैं। परन्तु इस बार आपने कृषि और सम्बन्धित सेवाओं के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लिए प्रावधान कितना रखा बजट में ? 335 करोड़ और हमारे समय में था 339 करोड़। अब आप ही बताएं कि आप किस तरह के राजस्थान का निर्माण करना चाहते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बजट में घोषणा कर दी कि आप 16 हजार विद्यालय खोलेंगे जहां 40 विद्यार्थी होंगे। उनका भवन भी जनता बनाए। यह घोषणा, थोथी घोषणा आपने इसलिए कर दी कि आपको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय एक नीतिगत फैसला हुआ था कि 150 तक की जनसंख्या के दूरस्थ और 250 तक की जनसंख्या के सामान्य क्षेत्र में हम प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे। हमने खोले भी। अब मेरी समझ में नहीं आया कि 40 विद्यार्थी आपको कहां मिलेंगे। गांवों में तो आप खोलेंगे नहीं और ढाणियों में खोलेंगे जहां भवन बनेगा नहीं। अब आपने कर कैसे लगाये ? आपने व्यवसाय कर लगाया। व्यवसाय कर के नाम पर आपने चपरासी को नहीं छोड़ा, आपने किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा। इस व्यवसाय कर के माध्यम से कर तो आप 200 रुपये तक ले रहे हैं परन्तु एक आम व्यक्ति को कितनी परेशानी होगी, यह कोई कम बात नहीं है।

आपने एण्ट्री टैक्स लगाया। आप सीधा-सीधा यह क्यों नहीं कहते कि हम चुंगी लगाना चाहते हैं ? पिछले दरवाजे से आपने नाम बदल कर चुंगी लगाने का काम किया है।

इसके साथ, आपने किसानों के साथ क्या किया ? आप तो, चन्दनमल जी, किसानों के बड़े हिमायती थे। सिंचाई शुल्क कितना फीसदी बढ़ाया ? आपको याद होगा, 1969 के अन्दर गंगानगर का किसान लड़ा, राष्ट्रपति के शासनकाल में गंगानगर का किसान लड़ा, आपने आबयाने के शुल्क को पूरा बढ़ाया, शत प्रतिशत बढ़ोतरी की। जो धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करता है उस किसान के हितों पर कुठाराघात करने का काम आपने किया है।

आपने अभी इलैक्ट्रिसिटी की टैरिफ नहीं बढ़ायी, विद्युत शुल्क बढ़ा दिया। ऊर्जा मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे शासन में पता नहीं सारी की सारी शक्तियां वित्त मंत्री जी के पास केन्द्रित हो गयी थीं। मुझे तो अभी टैरिफ बढ़ाना हैं। यह विद्युत शुल्क के नाम पर बढ़ोतरी है, वह तो यों ही है। आपने 10 पैसे का 20 पैसे कर दिया विद्युत शुल्क। विद्युत शुल्क बढ़ाकर आपने उस गरीब का अहित किया है जो झोंपड़ी में बैठकर रात को बल्ब जलाता है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद रात को बल्ब के नीचे उसका बच्चा पढ़ता है। आपमें हिम्मत होती तो आप लगाते 100 यूनिट कंजम्पशन तो फ्री, और उसके बाद इतना टैक्स। तब तो पता लगता कि आप पूंजीपतियों के हिमायती नहीं हैं परन्तु आपने व्यवसाय कर, सिंचाई शुल्क और विद्युत शुल्क लगाकर यह दिखा दिया कि आप राजस्थान का करना क्या चाहते हैं। मनोरंजन शुल्क आपने 50 फीसदी बढ़ा दिया। आज, वित्त मंत्रीजी, कौन जाता है सिनेमा हाल में ? आप जैसे बड़े-बड़े लोगों ने दूरदर्शन के टीवी लगा रखे हैं। मुझे कोई कह रहा था कि आपके पास तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इतना बड़ा टीवी है जितना किसी के पास है ही नहीं । तो, वित्त मंत्री जी, उस गरीब का, उस मजदूर का जिसके पास मनोरंजन का एक ही साधन है सिनेमा देखने का, उसके अलावा उसके पास मनोरंजन का दूसरा कोई साधन नहीं है, उससे आपने यह हक भी छीन लिया । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन बातों को मैंने तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर रखा है, इन सारी बातों का जब आप उत्तर दें तो हमें यह बताएं कि कहां से आंकड़ा ले आये आप कि 23000 करोड़ से ज्यादा हम कर्जा छोड़कर चले गये । रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, उसकी रिपोर्ट से ज्यादा आथेंटिक आपके पास कौनसा डाकूमेंट है ? राजकोषीय घाटा आपके फार्मूले से निकालकर मैंने बताया । राजस्व घाटा और टोटल रेवेन्यू रिसीट, यह सारा आपके सामने है । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट इस राजस्थान की नयी सरकार ने राजस्थान के गरीब अवाम के हितों पर कुठाराघात करते हुए प्रस्तुत किया है यह बजट, मैं समझता हूं, यह बुजुर्आ नेतृत्व और नौजवान नेतृत्व के संघर्ष का प्रतीक है कांग्रेस के अन्दर । इनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है । बुजुर्आ नेतृत्व का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि नौजवान के रूप में निकले हुए हमारे मुख्य मंत्री जी....

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : ये अगर और बोलना चाहे तो सदन का समय और बढ़ा दिया जाए ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने पृष्ठभूमि बना ली है । इसी का परिणाम रहा कि पूरे राजस्थान में आपने कितनी हजार बसों का इंतजाम किया, करोड़ों रुपये खर्च किये, सारा का सारा आपने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया पर सोनिया गांधी की रैली के अन्दर लोग सिमटकर रह गये ।.... (व्यवधान) यह इसी का परिणाम है ।

श्री रामनारायण चौधरी : कब ? किसने किया ?

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह इसी का परिणाम है । आपने जिस बजट को प्रस्तुत किया है उस बजट को राजस्थान के अवाम ने नकारा है । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : हम हमारी जेब से पैसा खर्च करके, प्राइवेट बसें लगाकर गये थे । हम निजी खर्चे पर आये हैं । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ....और मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय; (व्यवधान) आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हुआ । (व्यवधान)

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 1 अप्रैल, 1999 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 17.13 बजे, गुरुवार, 1 अप्रैल 1999 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(राज्य मंत्री; पशुपालन)

इन संस्थाओं में सृजित पदों को भरने सम्बन्धी विवरण सूची "ग" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

बकाया कर वसूली प्रकरण

55. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भारत सरकार के महालेखाकार परीक्षक की अन्तिम रिपोर्ट में बकाया करों की वसूली के लिए उल्लेख किया गया है? यदि हां, तो इस वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत कितनी वसूली बकाया है ?

(2) परीक्षक की अन्तिम रिपोर्ट में वसूली के कितने मामले लम्बित थे ? उक्त लम्बित मामलों में कितने बिक्री कर भू-राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क तथा कृषि भूमि से सम्बन्धित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की अन्तिम रिपोर्ट 6 मई, 1998 को प्रकाशित हुई है जिसके पैरा 1.4 में बकाया कर (राजस्व) का उल्लेख किया गया है। यह रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 1996–97 की है जिसमें 31 मार्च, 1997 को मुख्य शीर्षों के अधीन निम्न बकाया बतलाई है :—

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	कुल बकाया (राशि करोड़ों रु० में)
1.	बिक्री कर	835.49
2.	भू-राजस्व	21.73
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	37.60
4.	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	54.89
5.	अलोह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	15.49
6.	जलापूर्ति एवं सफाई/ग्रामीण/शहरी जलापूर्ति योजनाओं में प्राप्तियां	04.93
7.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	34.74
8.	वाहनों पर कर	08.85
9.	यात्रियों एवं माल पर कर	01.90
10.	मनोरंजन कर	01 32
11.	वानिकी एवं वन्य जीवन	00.28
12.	भूमि एवं सम्पत्ति की बिक्री	12.31
13.	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	11.76

(2) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 1996–97 के पैरा 1.4 के अन्तर्गत कुल 1041.29 करोड़ रुपये राशि के बकाया मामले लंबित बतलाए हैं। इन लम्बित बकाया मामलों में बिक्री कर के 835.49 करोड़ रुपये, राज्य उत्पाद शुल्क के 37.60 करोड़ रुपये भू-राजस्व के 21.73 करोड़ रुपये तथा कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर के 54.89 करोड़ रुपये राशियों के मामले बकाया हैं।

जिला धौलपुर में नवीन महाविद्यालय

56. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों के तहत इस सत्र में प्रदेश के अन्दर कितने नये राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा रहा है ? क्या धौलपुर जिले के बाड़ी उपखण्ड में महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उपखण्ड बाड़ी में महाविद्यालय की स्थापना के लिए सरकार के सामने क्या परेशानियां हैं ? क्या यह सही है कि धौलपुर जिले में एक महाविद्यालय होने के कारण उपखण्ड बाड़ी के दूर दराज अंचल सरमथुरा व डांग क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को काफी दूर अध्ययन हेतु धौलपुर आना पड़ता है ?

(3) क्या धौलपुर जिला मुख्यालय पर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राजकीय कन्या महाविद्यालय का खोला जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्या निजी क्षेत्र में खुले कन्या महाविद्यालयों में गरीब वर्ग की कन्याएं शिक्षा ग्रहण कर पायेंगी ?

उत्तर

(1) राज्य में उच्च शिक्षा के विकास एवं प्रसार हेतु वार्षिक योजना 1999-2000 में राजकीय क्षेत्र में 14 नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने की योजना है।

जी, नहीं। क्योंकि बाड़ी उपखण्ड की आवश्यकताओं की पूर्ति वर्तमान में बाड़ी में संचालित निजी महाविद्यालय कर रहा है।

(2) बाड़ी क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति बाड़ी में संचालित वर्तमान निजी महाविद्यालय कर रहा है। अतः राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में बाड़ी में राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ करना उचित नहीं है।

जी, नहीं। धौलपुर जिले में तीन महाविद्यालय संचालित है।

(3) जी, हां।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की पेयजल योजनाएं

57. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की कौन-कौनसी पेयजल योजनाएं किस-किस दिनांक से स्वीकृत हैं ?

(2) उक्त स्वीकृत योजनाओं में से किन-किन का कार्य प्रारम्भ होकर पूर्ण हो चुका है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की स्वीकृत योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-"क" पर है।

(2) स्वीकृत योजनाओं में से पूर्व हुए कार्यों का विवरण परिशिष्ट-"ख" पर है।

(श्रम मंत्री)

कारण शेष बकाया वेतन की वसूली स्थगित है। संस्थानों के बी. आई. एफ. आर. में दर्ज हो जाने व न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों में प्राप्त होने वाले आदेशों के अन्तर्गत बकाया भुगतान दिलाने की कार्यवाही अब नियमानुसार ही की जा सकेगी।

लूणकरणसर क्षेत्र की लिफ्ट योजना का सर्वे

59. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में प्रति हजार एकड़ के लिए 5–23 क्यूसेक्स पानी की मात्रा होने से रावतसर, सूरतगढ़, घग्घर बेड क्षेत्र के किसानों के समक्ष जल पलावन की स्थिति बढ़ती जा रही है तथा उससे काश्तकार बहुत ज्यादा पीड़ित हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि लूणकरणसर क्षेत्र के किसान इंदिरा गांधी नहर के आर. डी. 507 से एक लिफ्ट नहर योजना बनाने की मांग कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस अकाल प्रभावित क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर सुधारने व अकाल से मुक्ति दिलाने हेतु क्या सरकार कोई योजना बनाने के लिए कोई सर्वे कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। कुछ क्षेत्रों में सैम की समस्या उत्पन्न हुई है।

(2) जी हां। मांग कर रहे हैं परन्तु इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा प्रस्तावित समस्त सिंचाई क्षेत्र की जल आवश्यकता को देखते हुए अब और नई लिफ्ट बनाया जाना सम्भव नहीं होगा।

ग्राम फिरवाहनी (लाडनूं) का होम्योपैथिक चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सक

60. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम फिरवाहनी, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में होम्योपैथिक चिकित्सालय है ? यदि हां, तो क्या इसमें कार्यरत चिकित्सक गांव में रह रहा है ? यदि नहीं, तो इसका सत्यापन किस प्रकार से किसके द्वारा किया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सक गांव में जाता ही नहीं है ? क्या सरकार को इस सम्बन्ध में शिकायतें ग्रामवासियों से प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? शिकायतों व जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, फिरवाहनी (फिरवासी) जिला नागौर में पदस्थापित चिकित्सक की उपस्थिति नियमित रूप से प्राप्त हो रही है। दिनांक 10.2.99 को सहायक निदेशक (होम्योपैथिक) को जांच के दौरान ग्राम सरपंच ने अपने बयान में चिकित्सक का

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

कार्य सन्तोषजनक होना बताया है। जो परिशिष्ट–"अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। ग्रामवासियों की एक शिकायत दिनांक 16.1.99 को विभाग के उपनिदेशक (होम्योपैथिक) के यहां प्राप्त हुई है। इसकी जांच सहायक निदेशक (होम्योपैथिक) ने दिनांक 10.2.99 को की है। शिकायत व जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर परिशिष्ट–"क" व "ख" में रख दी गई है।

ग्राम पंचायत लाछड़ी जिला–नागौर की सरपंच के बयान दिनांक 10.2.99 की प्रति

श्रीमान् उपनिदेशक (होम्योपैथी)
आयुर्वेद विभाग, राजस्थान
अजमेर।

विषय : चिकित्सालय के क्रम में (राज. चिकित्सालय फिरवासी–नागौर)

निवेदन है कि हमारे राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, फिरवासी–नागौर में औषधियां एवं मरहम पट्टी और कुछ आवश्यक उपकरणों का अभाव है जिसके कारण चिकित्सक रोगी का सही उपचार करने में असमर्थ रहता है। वर्तमान चिकित्सक का कार्य सन्तोषजनक हैं। कृपया हमारे चिकित्सालय में आवश्यक औषधियां एवं मरहम पट्टी अतिशीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें।

एस.डी./–
सरपंच
ग्राम पंचायत लाछड़ी
पं. स. लाडनूं (नागौर)

ग्रामवासी फिरवासी जिला नागौर द्वारा की गई शिकायत की प्रति

क्रमांक : ग्रा. वि. स. फि/60–62 दिनांक 28.12.98

श्रीमान् उपनिदेशक महोदय,
होम्योपैथिक एवं आयुर्वेद विभाग
अजमेर।

विषय : राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, फिरवासी–नागौर में अव्यवस्था के क्रम में।

मान्यवर,

उपरोक्त विषय में आपका ध्यान आकर्षित कराकर निवेदन है कि रा. चि. (होम्यो.) फिरवासी में निम्नप्रकार से अव्यवस्था चल रही है :–

1. यह है कि लगभग दो वर्ष से जिस डाक्टर साहब की नियुक्ति इस चिकित्सालय में की गई है, वे कभी भी इस चिकित्सालय में नहीं रहते हैं यह सदैव अनुपस्थित ही रहते है। महीने में केवल एक दो दिन आकर पूरे माह के हस्ताक्षर कर चले जाते है तथा पूरे माह का वेतन प्राप्त कर चिकित्सालय से नदारत हो जाते हैं।

2. यह है कि लगभग एक वर्ष पूर्व अचानक अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जांच करने भी डाक्टर साहब एवं अन्य कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि अधिकारी लोग भी डाक्टर साहब से मिलीभगत में सम्मिलित है।

3. यह है कि 17 अक्टूबर, 1998 के दैनिक भास्कर समाचार पत्र में भी ग्रामवासियों द्वारा इस आशय के सम्बन्ध में खबर प्रकाशित करवाई गई थी लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

4. यह है कि इस क्षेत्र की लगभग 4500 की आबादी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस चिकित्सालय जुड़ी हुई है लेकिन डाक्टर के अभाव में स्वास्थ्य लाभ से वंचित रह रहे हैं।

श्रीमान् से निवेदन है कि वर्तमान में कार्यरत डाक्टर का स्थानान्तरण कर अन्य डाक्टर की नियुक्ति करावें या चिकित्सालय की वर्तमान दशा को सुधार कर सुचारू रूप से संचालित करावें।

प्रार्थीगण
समस्त ग्रामवासी
ग्राम फिरवासी (नागौर)

परिशिष्ट—"ख"

सहायक निदेशक, होम्योपैथी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, फिरवासी (नागौर) के चिकित्सक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर, वहां जाकर जांच करने बाबत पत्र क्रमांक 519 दिनांक 3.2.99 द्वारा कहा गया। शिकायत का मुख्य बिन्दु यह था कि उक्त चिकित्सक चिकित्सालय में चिकित्सा हेतु नहीं आते हैं तथा प्रायः अनुपस्थित रहते हैं।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 10.2.99 को चिकित्सालय, फिरवासी जाकर मौके पर ही उक्त प्रकरण की जांच की गई। जांच के तथ्य निम्नानुसार है :—

अधोहस्ताक्षरकर्ता दिनांक 10.2.99 को दोपहर लगभग 2.00 बजे ग्राम फिरवासी के होम्योपैथिक औषधालय में पहुंचा था। उस दिन चिकित्सक उपस्थित

मिले थे। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त दिनांक को औषधालय का निरीक्षण भी किया गया एवं जांच के सम्बन्ध में ग्राम में प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बयान आदि लिये गये। ग्राम के वर्तमान सरपंच ने एक पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया है कि वर्तमान चिकित्सक का कार्य संतोषजनक है किन्तु भूतपूर्व सरपंच द्वारा अपने बयानों से अवगत कराया है कि श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ चिकित्सक अपनी सेवाएं पूरी तरह से नहीं देते हैं तथा औषधालय कभी-कभी आते हैं अतः यहां से इनका स्थानान्तरण करवा दिया जावे। ग्राम के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों श्री सुखदेव प्रसाद शर्मा एवं श्री मूलाराम ने भी अपने बयानों में चिकित्सक श्री राठौड़ के उक्त औषधालय से कहीं अन्यत्र स्थानान्तरण हेतु निवेदन किया है तथा यह कहा है कि इनका कार्य संतोषजनक नहीं है।

ग्राम के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों जिनके बयान संलग्न किये जा रहे हैं का कहना है कि इनके द्वारा डाक्टर साहब की किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गयी है एवं वे डाक्टर साहब के कार्य से संतुष्ट हैं एवं उन्हें डाक्टर साहब से कोई शिकायत नहीं है तथा वे जनता की सेवा करते हैं एवं व्यवहार भी अच्छा है।

ग्राम के कुछ अन्य व्यक्तियों ने (लगभग सोलह व्यक्ति) यह अवगत कराया है कि चिकित्सक का कार्य सेवा संतोषजनक है एवं उन्हें चिकित्सक से कोई शिकायत नहीं हैं तथा उनका यह भी अभिमत है कि ग्राम के कुछ व्यक्ति पार्टी बाजी करते हैं एवं वही चिकित्सक पर अपना प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य से शिकायतें आदि करते रहते हैं। उनका यह भी कथन है कि उनके ग्राम में ग्राम विकास समिति के नाम से कोई संस्था कार्यरत नहीं है।

उपरोक्त बयानों के आधार पर निष्कर्ष यह निकलता है कि ग्रामवासी वर्तमान स्टाफ से संतुष्ट नहीं है एवं वे उनका स्थानान्तरण अन्यत्र करवा कर उक्त ग्राम में नवीन स्टाफ चाहते हैं।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बयानों के दौरान एवं ग्रामवासियों से बातचीत के दौरान यह महसूस किया कि ग्रामवासी औषधालय के स्टाफ से संतुष्ट नहीं है और वे औषधालय के समस्त स्टाफ का स्थानान्तरण उक्त ग्राम से चाहते हैं।

ग्रामवासियों द्वारा जो बयान आदि दिये हैं उनमें से प्रायः अधिकतर ने यह उल्लिखित किया है कि चिकित्सक प्रायः अपनी ड्यूटी पर नियमित आते हैं किन्तु ग्राम के कुछ बुजुर्ग एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अधोहस्ताक्षरकर्ता को वार्तालाप के दौरान यह अवगत कराया कि ग्रामवासी पूरे स्टाफ से असंतुष्ट हैं अतः इनका स्थानान्तरण उक्त चिकित्सालय से अन्यत्र कहीं कर दिया जावे।

भवदीय,
ह./–
सहायक निदेशक (होम्यो.)

जिला बांसवाड़ा के आंगनबाड़ी केन्द्र

61. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या महिला एवं [illegible]

(1) बांसवाड़ा जिले में आंगनबाड़ी केन्द्र कुल कितने हैं ? ग्राम व पंचायत समिति वार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उसी गांव की महिलाओं को रखने की राज्य सरकार की नीति है ?

(3) वर्तमान में उक्त जिले के आंगनबाड़ी केन्द्र पर उसी गांव की कितनी महिलाएं हैं व दूसरे गांव की कितनी महिलाएं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि केन्द्रों पर पोषाहार पकाकर बच्चों को खिलाना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या उक्त जिले में ऐसा न कर सूखा ही बच्चों को दिया जाता है ? क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में 8 बाल विकास परियोजनाओं के अधीन 1234 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं । जिनका परियोजनावार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र सं.	परियोजना का नाम	संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र सं.
1.	घाटोल	138
2.	गढ़ी	239
3.	आनन्दपुरी	111
4.	कुशलगढ़	134
5.	सज्जनगढ़	133
6.	बागीदोरा	184
7.	तलवाड़ा	138
8.	पीपलखूंट	157
	कुल योग	1234

ग्राम व पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है ।

(2) जी, हां ।

(3) वर्तमान में बांसवाड़ा जिले की 8 परियोजनाओं में 1998 महिलाएं स्थानीय गांव की तथा 440 महिलाएं अन्य गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रूप में कार्यरत हैं । केन्द्रवार कार्यरत महिलाओं की सूची परिशिष्ट–"ब" पर संलग्न हैं ।

(4) जी, हां । विभाग द्वारा बच्चों को पोषाहार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ही पकाकर खिलाने के आदेश प्रसारित हैं परन्तु विभाग द्वारा 0–2 वर्ष आयु के बच्चों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को पोषाहार साप्ताहिक घर पर ले जाने के निर्देश प्रसारित होने के कारण इन लाभा-

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

न्वितों का पोषाहार केन्द्र पर नहीं पकाया जाता है वरन् सूखा ही वितरित किया जाता है। 2–6 वर्ष के बच्चों को पोषाहार केन्द्र पर ही पकाकर खिलाया जाता है। चूंकि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभान्वितों को पोषाहार वितरण विभागीय निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है, अतः सरकार का इसकी जांच का कोई विचार नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर मैटल का पुनर्संचालन

62. **श्री महेश जोशी** (किशनपोल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर मैटल्स फैक्ट्री बन्द होने पर वहां पर कार्यरत लगभग 2 हजार कर्मचारियों के बेरोजगार होने की संभावना है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर मैटल्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता/अनुदान देने की सहमति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त सहमति को क्रियान्वित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) अब सरकार जयपुर मैटल्स के सुसंचालन हेतु किस प्रकार के उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। जयपुर मैटल्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लि. बन्द होने पर दिनांक 15–3–99 को कार्यरत 1714 कर्मचारियों के बेरोजगार होने की संभावना है।

(2) जी, हां। दिनांक 30–9–98 को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कम्पनी को 20 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय किया गया था।

(3) उपरोक्त निर्णय की अनुपालना में कम्पनी को 4.50 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण और राशि दिया जाना संभव नहीं है।

(4) कम्पनी के निदेशक मण्डल के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा कम्पनी के संचालन में सहयोग/अधिग्रहण के लिए इच्छुक खरीददारों से प्रस्ताव आमन्त्रित करने, उनके साथ समझौता वार्ता करने अथवा कम्पनी को अधिग्रहण करने हेतु शासन सचिव उद्योग विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 10–3–99 को एक समिति का गठन किया गया है।

टाटगढ़ क्षेत्र (अजमेर) का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

63. **डा. के. सी. चौधरी** (ब्यावर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अजमेर जिले में नये पर्यटक क्षेत्र चालू करने की कोई योजना सरकार

(डा. के. सी. चौधरी)

के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों को इस योजना के अन्तर्गत लिया जा रहा है ?

(2) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत टाटगढ़ क्षेत्र जो कि सुरम्य अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एवं अजमेर जिले के तारागढ़ पहाड़ के पश्चात् द्वितीय सर्वोच्च ऊंचाई क्षेत्र है, को भी इस योजना में जोड़ने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो इसका क्रियान्वयन कब तक हो जायेगा और नहीं, तो क्या सरकार पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र का सर्वे कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में नये पर्यटक क्षेत्र चालू करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। यद्यपि आनासागर बारादरी एप्रोच रोड के विकास हेतु वर्ष 1999–2000 में रुपये 16.00 लाख का व्यय प्रावधान किया है।

(2) पर्यटन की दृष्टि से टाटगढ़ क्षेत्र को विकसित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने का विचार है।

बीयर बार अनुज्ञाधारियों द्वारा बीयर खरीद प्रकरण

64. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीमका-थाना) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) रेस्टोरेंट बीयर बार अनुज्ञाधारी को बीयर कहां से खरीदने का प्रावधान है ?

(2) क्या उक्त अनुज्ञाधारी रिटेल आॅफ दुकान से बीयर खरीदते हैं ? यदि हां, तो सरकार को इससे प्रति पेटी कितना नुकसान होता है ?

(3) जयपुर शहर स्थित बीयर बार अनुज्ञाधारियों ने कितनी-कितनी बीयर रिटेल आॅफ से एवं कितनी-कितनी बीयर थोक दुकान से अप्रैल, 1997 से अगस्त, 1997 तक खरीदी ?

(4) क्या जयपुर शहर के शराब ठेकेदार को फायदा देने के लिए ही आबकारी आयुक्त ने स्थानीय रिटेल दुकान से बीयर बार अनुज्ञाधारी बीयर खरीद सकेंगे का परिपत्र जारी किया था ?

(5) क्या यह सही है कि इस परिपत्र से सरकार को जो 10 या 15 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से घाटा हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नुकसान की पूर्ति उस रिटेल लाइसेंसी या आबकारी आयुक्त से करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) रेस्टोरेंट बीयर बार अनुज्ञाधारी को पूर्व में स्थानीय खुदरा तथा राजस्थान में स्थित किसी भी बीयर थोक अनुज्ञाधारी से बीयर खरीदने का प्रावधान था अधिसूचना दिनांक 7–4-98 द्वारा किये गये संशोधन से प्रावधान किया गया कि रेस्टोरेंट बीयर बार अनुज्ञाधारी, राज्य में स्थित किसी भी थोक दुकान से बीयर क्रय कर

(आबकारी मंत्री)

सकेगा किन्तु राजस्थान कराधिकरण द्वारा याचिका सं. 130/98 व 131/98 में पारित निर्णय के दृष्टिगत बीयर बार अनुज्ञाधारियों को स्थानीय खुदरा अनुज्ञाधारियों या किसी भी थोक अनुज्ञाधारी से बीयर क्रय करने के लिए परमिट जारी किये जाते हैं।

(2) उक्त व्यवस्था से सरकार को कोई नुकसान नहीं होता है।

(3) माह अप्रेल से अगस्त, 97 तक निम्नानुसार बीयर क्रय की गई :-

होलसेल से	रिटेल ऑफ से
29,640 बल्क लीटर्स	55,794 बल्क लीटर्स

(4) जी, नहीं। किसी को फायदा देने के उद्देश्य से पत्र जारी नहीं किया अपितु व्यवसाय प्रक्रिया के नियमन के उद्देश्य से जारी किया गया था।

(5) जी, नहीं। चूंकि इस व्यवस्था से किसी प्रकार की हानि नहीं हुई, अतः किसी से वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

घड़साना (सूरतगढ़) में प्रस्तावित महाविद्यालय

65. **श्रीमती विजय लक्ष्मी बिश्नोई** (सूरतगढ़) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ लगभग 3.5 लाख मतदादाताओं वाला बहुत बड़ा क्षेत्र है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इतनी बड़ी आबादी वाले इस क्षेत्र में केवल एक महाविद्यालय सूरतगढ़ में है जो एक कोने में सीमा पर आया हुआ है ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में एक और महाविद्यालय घड़साना में खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं।

ग्राम आभानेरी (बांदीकुई) की पेयजल योजना

66. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जो किसी भी पेयजल योजना से जुड़े हुए नहीं हैं ? जनसंख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम आभानेरी ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल होते हुए भी उक्त ग्राम को किसी भी पेयजल योजना से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अब उक्त ग्राम में टंकी बनवाकर क्षेत्र की जनता एवं आने

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

वाले विदेशी पर्यटकों हेतु पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में ऐसा कोई ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं है जो विभागीय पेयजल योजना से लाभान्वित नहीं है ।

(2) जी नहीं । गांव आभानेरी विभागीय मापदण्ड के अनुसार हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित है ।

(3) जी नहीं । चूंकि गांव हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित है ।

अलवर के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार

67. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, शाहजहांपुर, एम. आई. ए. अलवर में अलवर जिले के कितने प्रतिशत मजदूरों को रोजगार दिया हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि किसी उद्योग को अनुज्ञा-पत्र जारी करते समय क्षेत्रीय व्यक्तियों को रोजगार देने सम्बन्धित शर्ते अनुज्ञा-पत्र में दर्ज की जाती है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्रम अथवा नियोजन विभाग द्वारा कोई जिलेवार सर्वे नहीं किया जाता है एवं न ही इस प्रकार का कोई प्रावधान नियमों के अन्तर्गत है ।

(2) श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा उद्योगों को अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किये जाते हैं । श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा जारी संलग्न परिपत्र क्रमांक प. 9 (32) श्रनि/95, दिनांक 29.11.96 द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि उद्योगों में अकुशल श्रमिकों में 70 प्रतिशत व कुशल श्रमिकों में कम से कम 50 प्रतिशत नियोजन स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराया जावे ।

(परिपत्र की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पांचना परियोजना के किसानों का मुआवजा प्रकरण

68. श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पांचना परियोजना की मूल योजना पर कितनी लागत आने का अनुमान था ?

(2) उक्त कार्य प्रारम्भ होने के बाद से अब तक कुल कितनी राशि व्यय हो चुकी है ?

(3) उक्त सिंचाई परियोजना से अब तक कितनी भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है ?

(4) उक्त परियोजना में ग्राम–वीरवास के कितने किसानों की कृषि भूमि डूब में आ चुकी है ?

(श्री जनार्दन गहलोत)

(5) उक्त क्षेत्र की कृषि भूमि का किसानों को कितना-कितना मुआवजा किन-किन को अब तक दिया जा चुका है? क्या दिये गये मुआवजे में मकानों, कुओं तथा वृक्षों के लिए अलग से राशि दी गई है? यदि नहीं, तो क्या इसके लिए अब निकट भविष्य में मुआवजा दिये जाने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार मुआवजे में दी गई राशि का नई दरों पर भुगतान करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

(1) पांचना परियोजना की मूल योजना वर्ष 1977 में 1.03 करोड़ रुपये की बनी थी। अब उक्त परियोजना पर 85 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

(2) पांचना परियोजना के प्रारम्भ होने से अब तक फरवरी, 1999 तक कुल 4827.72 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

(3) पांचना परियोजना यद्यपि पूरी नहीं हुई है। परन्तु स्पिल-वे के निर्माण हेतु बनाये गये अस्थायी कोफर डेम के कारण अब तक आंशिक रूप से अधिकतम 4412 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। सिंचाई की वर्षवार सूचना परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(4) ग्राम वीरवास के 113 किसानों की कृषि भूमि डूब में आ रही है। जिस भूमि का कुल क्षेत्रफल 436 बीघा एवं 14 बिस्वा है।

(5) ग्राम वीरवास के 53 काश्तकारों को 3,34,331.00 रुपये मुआवजा दिया जा चुका है। सूची परिशिष्ट-"ख" सदन की मेज पर रख दी गई है। जी नहीं, दिये गये मुआवजे में मकानों, कुओं तथा वृक्षों के लिए अलग से कोई राशि नहीं दी गई है। जी हां, इसके लिए सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया है तथा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण कर शीघ्र भुगतान करने की कार्यवाही शीघ्र ही आरम्भ की जावेगी।

(6) जी नहीं। मुआवजे में दी गई राशि का नई दरों से भुगतान करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट—"क"

पांचना सिंचाई परियोजना से वर्ष 1987–88 से वर्ष 1998–99 तक उपलब्ध कराई जा रही सिंचाई सुविधा का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	सिंचित क्षेत्र हैक्टेयर में
1	1987–88	68.00
2	1988–89	—
3	1989–90	1325.00

1	2	3
4	1990–91	1577.00
5	1991–92	2002.00
6	1992–93	3462.00
7	1993–94	3485.00
8	1994–95	4369.00
9	1995–96	4412.50
10	1996–97	—
11	1997–98	4297.50
12	1998–99	3132.00

परिशिष्ट—'ख"

ग्राम बिरवास तहसील करौली के काश्तकारों को दिये गये मुआवजे की सूची

क्र. सं.	नाम काश्तकार	अवाप्त किए गए क्षेत्र का रकबा बीघा बिस्वा में	मुआवजा राशि
1	धर्मसिंह कल्लू, पिता सावल कोम गूजर	9–11	11252.00
2	जगन नारान पिता देवीराम कोम गूजर	1–12	1608.00
3	कंचन पुत्र नत्थू, रामनारायण, श्रीचन्द, रामजीलाल, भीमा, रामपाल, पिसरान रामनारायण,चरण, शिवनारायण,हुकमा नारायण, गुलाब, पिसरान, रणधीर, शिवलाल पुत्र हरीदेव कोम गूजर	9–06	8650.00
4	विजयस सिंह पुत्र पदम गूजर	7–02	7135.50
5	सरदार पुत्र सुखराम, हरहंस पुत्र भजन श्रीफल पुत्र मब्बू गूजर	3–08	3038.25
6	रामप्रसाद पुत्र श्रवण, रामकिशन पुत्र सुगन, छोटू, गणेश, पिसरान, घमण्डी गूजर	0–06	301.50

1	2	3	4
7	पुखराज, सरदार, पिसरान, सूका गूजर	18–01	14476.50
8	नवल, नरसी, सुरज्ञान, पिसरान, गुट्टी, कलवा पुत्र अर्जुन	19–02	21796.50
9	श्रीया पुत्र मंगल चमार	7–16	3883.25
10	मूलसिंह सवाई सिंह पिता गज्जूसिंह राजपूत	1–07	675.00
11	श्योबक्स पिता सिल्ली चमार	1–15	3762.50
12	शिब्बू, जंगलिया, मांग्या पिता श्योलाल काछी	9–08	19165.50
13	रामदयाल, प्रभाती, सुम्रालाल पिता भूता	1–05	2115.00
14	ग्यारसा पुत्र बल्लू, रामदयाल, प्रभाती, सुम्रालाल पिता मूल्या, रतन पिता हरबक्श, मोजी पुत्र गोरधन जाटव	2–11	2562.75
15	मांग्या पुत्र गोरधान जाटव	0–16	1720.00
16	जगन्नाथसिंह पुत्र इन्दरसिंह राजपूत	6–08	10925.25
17	मोरिया पुत्र ग्यारसा पांच्या, भगवती गोगल पुत्र गुलाब, बसन्ता पुत्र लोहड़े	13–00	15842.25
18	श्रीया पुत्र मंगल, मांग्या पुत्र गोरधन जाटव	2–15	1612.50
19	ग्यारसा पुत्र बल्लू, रतन पुत्र हरबक्श जाटव	1–18	4085.00
20	देवीलाल, पुत्र मूलसिंह श्योबक्श पुत्र गिल्ली सुम्रालाल पुत्र फूला ग्यारसा पुत्र बल्लू रामदयाल प्रभाती सुम्रालाल पि. फूला श्रिया भरोसी पु. गोपाल रतन पुत्र हरबक्श मोजी पुत्र गोरधन जाटव	3–06	3488.25
21	छगनलाल पुत्र जमना सिब्बू जंगलिया भोला पुत्र राधेबक्श	0–10	1075.00
22	देवीलाल पुत्र गूल्याय जाटव	1–10	2881.50
23	श्रीया पुत्र मंगल ग्यारसा पुत्र बल्लू	5–14	1397.50
24	बसंती पुत्र हउला काछी	5–11	5239.00

1	2	3	4
25	पिल्ला, खवल्ला, खुटिया पि. ग्रदा	19–17	15107.00
26	बतास्या रंजन पुत्र मधुवन गूजर	8–01	18969.25
27	हरिचरण पुत्र भरोसी देवीलाल माली	10–01	9541.25
28	नत्थुवा परमोली पुत्र सुखराम मुरली ग्रादि	4-14	2350.00
29	छोटे पुत्र मुरली माली	4–09	8544.50
30	नथुवा परमोली पु. सुखराम माली	7–04	7691.00
31	ग्रकोरिया पुत्र लोहडकिया माली	5–03	7198.00
32	रामफूल पुत्र भोरया माली	2–09	7252.50
33	मु. बेटी बेवा मोहरपाल सिंह	2–00	4294.25
34	टीकम बल्लू पु. फूला माली	1–13	2010.00
35	जीवन पु. बसंता माली	4–15	1658.25
36	लोहडकिया सूका पि. देवीचन्द माली	0–13	8380.50
37	मांग्या पुत्र गंगाराम माली	3–13	1397.50
38	मुरली पु. फेली प्रभु पुत्र शंकर माली	1–19	5901.00
39	प्रभु पुत्र शंकर माली	5–05	1959.75
40	जगदीश रामरतन पुत्र बिशन माली	1–06	2580.00
41	नथुवा रामफूल पु. शंकर माली	7–18	8478.50
42	रामप्रसाद पुत्र गोदू काछी	4–04	7336.00
43	धूरसिंह पु. लल्लूसिंह	2–11	4910.00
44	छगनसिंह पुत्र भोलसिंह	2–04	1100.00
45	लोहडिया सूका पुत्र देवीचरण	2–08	1200.00
46	उकारिया पुत्र लोहदिया माली	1–07	1356.75
47	मन्नू खज्जू पुत्र भोरिया भगवती गोकल पुत्र गुलाब	0–04	201.00
48	मुरली नउग्रा बिसन रामजीलाल पि. सोनपाल	4–06	7985.50
49	लक्ष्मणप्रसाद पु. दुर्गाप्रसाद	10–00	10050.00
50	भगवानसिंह पु. भज्जू गूजर	8–00	8040.00
51	भग्गू पु. चैना	15–00	15075.00
52	श्यामलाल पु. कल्ली	5–00	5025.00
53	ग्रोमप्रकाश पु. दामोदर लाल वैश्य	10–00	10050.00
	योग	287–08	334331.00

ग्राम सावा एवं केसरपुरा (चित्तौड़गढ़) के किसानों का मुआवजा प्रकरण

69. **श्री सुरेन्द्र जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मै. ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज (सीमेंट डिवीजन) ने जिला चित्तौड़गढ़ के ग्राम सावा तथा केसरपुरा की भूमि एक समझौते के तहत, सीमेंट प्लान्ट स्थापित करने के लिये ग्रामवासियों से ली थी ? यदि हां, तो समझौते में किन-किन शर्तों का उल्लेख था ?

(2) क्या समझौते में उल्लेखित शर्तों का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या जिन ग्राम वासियों की भूमि ली गयी थी, उन्हें मुआवजे की राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) समझौते में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन करने के कारण सरकार मै. ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) मैसर्स ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज द्वारा ग्राम सावा तथा केसरपुरा जिला चित्तौड़गढ़ की 175.30 हेक्टेयर भूमि खातेदारों से सीधे विक्रय-पत्र के आधार पर क्रय की गयी है। कम्पनी और खातेदारों के स्तर पर हुए समझौते की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(2) अधिकांश खातेदारों द्वारा भूमि भूमि उनके स्तर पर ही कम्पनी को विक्रय की गयी है, अतः यदि कोई कम्पनी और खातेदारों के मध्य समझौता हुआ है तो उसकी पालना सम्बन्धी सूचना राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(3) राज्य सरकार के माध्यम से अवाप्त की गयी 40.90 हेक्टेयर निजी खातेदारी भूमि को प्रभावित लगभग 17 खातेदारों में 11 खातेदारों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है शेष काश्तकारों के मामले सिविल न्यायालय में पैंडिंग होने से मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाना लम्बित है।

(4) राज्य सरकार के माध्यम से अवाप्त की गयी भूमि से प्रभावित प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिये जाने की शर्त राज्य सरकार और कम्पनी के मध्य निष्पादित करारनामे में लगायी गयी थी उसकी पालना में कम्पनी द्वारा दो व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। शेष 9 परिवारों के व्यक्तियों को रोजगार देने की कार्यवाही कम्पनी के यहां विचाराधीन है जिसे शीघ्र सम्पन्न करने के निर्देश कम्पनी को दे दिये गये हैं।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र उदयपुरवाटी का पर्यवेक्षक प्रकरण

70. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1997 व 1998 में झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी

(श्री शिवनाथ सिंह)

अनौपचारिक शिक्षा परियोजना में दस पर्यवेक्षक कार्यरत थे ? यदि हां, तो इनकी नियुक्ति तिथि तथा कार्य भार सम्भालने की तिथियां क्या-क्या थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इनमें से दो पर्यवेक्षकों को जुलाई, 1998 या इसके आसपास हटा दिया गया ? यदि हां, तो किस-किस को ?

(3) क्या यह सही है कि इनको पक्षपातपूर्ण रवैये से हटाया गया ? क्या उन्हें वरिष्ठता से या कनिष्ठतानुसार हटाना था ?

(4) उक्त पर्यवेक्षकों को किन कारणों से किस अधिकारी के आदेश से हटाया गया ? इनकी नियुक्ति और हटने के लिये कौन अधिकृत था ?

उत्तर

(1) जी, हां । पर्यवेक्षकों की नियुक्ति तिथि तथा कार्यभार सम्भालने की तिथियों की सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी, हां । दो पर्यवेक्षकों को दिनांक 24. 7. 98 को हटा दिया गया था, जो सर्वश्री ओमपाल सिंह व श्री कमरूद्दीन थे ।

(3) जी, नहीं । यह सही नहीं है कि इनको पक्षपातपूर्ण रवैये से हटाया गया । इनका कार्य सन्तोषजनक नहीं होने के कारण सक्षम अधिकारी, सहायक निदेशक, अनौपचारिक शिक्षा, झुन्झुनूं से स्वीकृति प्राप्त कर परियोजना अधिकारी, अनौपचारिक शिक्षा, उदयपुरवाटी द्वारा हटाया गया था । चूंकि पर्यवेक्षक राजकीय कर्मचारी नहीं है एवं न ही राजकीय कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं, अतः इनकी कोई वरीयता सूची संधारित नहीं की जाती है । पर्यवेक्षकों को रखना एवं हटाना उनके कार्य की गुणवता पर निर्भर करता है ।

(4) उक्त पर्यवेक्षकों का कार्य सन्तोषजनक नहीं होने के कारण परियोजना अधिकारी अनौपचारिक शिक्षा, उदयपुरवाटी द्वारा हटाया गया था । अनौपचारिक शिक्षा के पर्यवेक्षक केवल मानदेय प्राप्त स्वैच्छिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं अतः इनके लिए "एपोइन्टिग आथोरिटी जैसा कोई व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उपलब्ध व्यक्तियों में से उपयुक्त व्यक्ति का चयन कर उसे अंशकालीन रूप में स्वैच्छिक भावना से पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है ।

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1997 व 1998 में झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी अनौपचारिक शिक्षा परियोजना में कार्यरत दस पर्यवेक्षकों की सूची

क्र. सं.	नाम पर्यवेक्षक	नियुक्ति तिथि	कार्यभार सम्भालने की तिथि
1.	श्री गोविन्द सिंह पौंख	7. 6. 96	18. 6. 96
2.	श्री कमरूद्दीन चंवरा	7. 6. 96	18. 6. 96
3.	श्री सत्यनारायण, गुढ़ागौडजी	7. 6. 96	18. 6. 96
4.	श्रीमती मुन्नीदेवी, बड़ागांव	7. 6. 96	19. 6. 96
5.	श्री नेमीचन्द मोडकी	7. 6. 96	18. 6. 96
6.	श्री रामलाला धौलाखेड़ा	7. 6. 96	17. 6. 96
7.	श्री ओमपाल सिंह, उदयपुरवाटी	20. 12. 96	25. 12. 96
8.	श्री धर्मवीर मणकावास	20. 12. 96	25. 12. 96
9.	श्री गोरूराम छापोली	20. 12. 96	25. 12. 96
10.	श्री महेन्द्र कुमार माटीवाड़	1. 8. 97	4. 8. 97

इंदिरा गांधी नहर का क्लोजर प्रकरण

71. श्री अमीन खान (शिव) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर का पानी प्रतिवर्ष दिसम्बर और जनवरी में 14 दिन का क्लोजर बताकर एक महीना बन्द रहता है ?

(2) क्या सरकार इससे किसानों की जैसलमेर जिले में होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु कोई उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। इन्दिरा गांधी नहर के मरम्मत की आवश्यकता होने पर ही बंदी (क्लोजर) ली जाती है जिसकी अवधि एवं समय बाबत् निर्णय जल वितरण एवं प्रबन्ध कमेटी द्वारा लिया जाता है जिसमें जन प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं।

(2) प्रश्न (1) के उत्तर में अंकित प्रयोजन से जो नहर की बंदी ली जाती है उसकी सूचना इन्दिरा गांधी नहर विभाग द्वारा नहर बन्द करने से काफी समय पूर्व समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर समस्त कृषकों एवं नजदीक के गांवों के निवासियों को सूचित कर दिया जाता है जिससे वे पानी का समुचित भण्डारण कर सके। इसके अतिरिक्त बन्दी तभी ली जाती है जब किसानों को कम से कम कठिनाई हो।

हनुमानगढ़ में प्रस्तावित कन्या महाविद्यालय

72. श्री के. सी. विश्नोई (संगरिया) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार की महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की नीति है ? यदि हां, तो उक्त नीति अनुसार हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर कब तक कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास हेतु 1500 से अधिक छात्र संख्या को डिवीजन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर एक अनुदानित एवं एक गैर अनुदानित महिला महाविद्यालय संचालित है।

(2) जी, हां। राज्य सरकार अपने सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए बड़े महाविद्यालयों का विभाजन करने के प्रकरण पर चरणबद्ध तरीके से गुणावगुणों के आधार पर विचार कर रही है।

जिला कोटा की ढींपरी चम्बल नल योजना

73. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बत्तीस जिला बत्तीस काम योजना के अन्तर्गत कोटा जिले के ढींपरी चम्बल में नल योजना स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कब, कितनी राशि से/उक्त योजना का कार्य पूर्ण होने की अवधि क्या थी ?

(2) उक्त योजना का कार्य लम्बे अर्से के बाद भी पूर्ण नहीं होने के लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार उक्त कार्य को पूर्ण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम ढींपरी चम्बल में 8.30 लाख रुपये की नल योजना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कोटा द्वारा दिनांक 12. 11. 98 को स्वीकृत की गई योजना की कार्य पूर्ण होने की अवधि 10 माह है।

(2) योजना की स्वीकृति 11/98 में जारी की गई है इसलिए देरी के लिए कोई दोषी नहीं है।

(3) जी, हां। निर्धारित अवधि में।

गंगनहर का मरम्मत प्रकरण

74. श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

गंगनहर की मरम्मत के लिए सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गंगनहर (बीकानेर कैनाल) की मरम्मत हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये :—

(1) इन्दिरा गांधी फीडर-गंग कैनाल लिंक चैनल का निर्माण वर्ष 1993 में करवाया जा चुका है।

(2) गंगनहर के कुछ क्षेत्र को वैकल्पिक सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु एम. एल. फीडर एवं तीन पम्पिग स्टेशन्स का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।

(3) गंगनहर की मरम्मत का आंकलन 450 करोड़ रुपये का मई, 1998 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित किया जा चुका है।

(4) गंगनहर की माइनर्स की टेल रीचों में लाइनिंग का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

परिशिष्ट–3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 76 का विवरण)

तहसील रायपुर व सोजत के ग्रामों का विवरण

क्र.सं.	तहसील	कोड नं.	ग्राम का नाम	जन संख्या	स्वीकृत पेयजल योजना	नोर्मस् के अनुसार हैण्डपम्प	कार्यरत हैण्ड पम्प	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	रायपुर	56	रामावास	498	हैण्डपम्प	2	9	
2.	,,	71	केसरपुर	622	,,	3	6	
3.	,,	80	सराधना	480	,,	2	7	
4.	,,	34	मालनी	390	,,	2	5	
5.	,,	30	कालबखुर्द	1134	,,	5	7	
6.	,,	24	सीरमा	1285	,,	5	6	
7.	,,	28	आसनजीलेलाव	632	,,	3	5	
8.	,,	67	कानपुरा	790	,,	3	5	
9.	,,	81	सबलपुरा	396	,,	2	4	
10.	,,	82	लालपुरा	260	,,	2	2	
11.	,,	21	कालाकोट	478	,,	2	4	
12.	,,	26	बगडी	1828	,,	8	16	
13.	,,	91	रातडीया	1812	,,	8	12	
14.	,,	82	अमरपुरा	591	,,	3	5	
15.	,,	29	पचानपुरा	1365	,,	6	16	
16.	,,	41	कायामीला	869	,,	3	3	
17.	,,	23	बेलपाना	310	,,	2	3	
18.	,,	14	आकेली	977	पीएण्डटी	—	2	योजना पंचायत द्वारा चलाई जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	रायपुर	13	बघीयाडा	1305	,,	—	—	
20.	,,	87	जगमालपुरा	583	हैण्डपम्प	3	6	
21.	सोजत	108	गजनई	698	,,	3	2	दो हैण्डपम्प स्वीकृत हैं इनको ग्रीष्म ऋतु तक लगाने के प्रयास जारी हैं।
22.	,,	88	सींगपुरा	437	,,	2	3	
23.	,,	76	छीतरीया	947	पीएण्डटी	—	3	पंचायत द्वारा चलाई जा रही हैं।
24.	,,	112	करनीखेड़ा	456	हैण्डपम्प	2	2	

परिशिष्ट—4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 81 की प्रति)

टंकण प्रतिलिपी प्रथम सूचना रिपोर्ट मु. न. 31/99 धारा 376, 511. 506, 452, 323, ता. हि. दिनांक 21.2.99 थाना जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण जयपुर

सेवामें श्रीमान् भारत रक्षक पदाधिकारी, थाना जोबनेर । विषय :— घर में अन्दर आकर बलात्कार का प्रयास करना एवं रुपये मांगना मान्यवर जी, मैं चांद कंवर पत्नी श्री छाजू सिंह जाति राव निवासी आसलपुर मोहल्ला बडवों का की में रहती हूं आज दिनांक 21.2.99 को रात्रि 9.30 बजे करीब ओम प्रकाश पुत्र बंशीसिंह निवासी आसलपुर जाति बड़वा राव जो कि पुलिस विभाग में आरक्षी है। यह व्यक्ति मेरे घर में घुसकर मेरे कमरे में आकर मेरे पलंग पर जबरदस्ती लेटकर मेरे से छिना-झपटी कर मेरे कपड़े फाड़ दिये तथा मेरे को जबरदस्ती पिलंग पर पटक दिया। इस दौरान इन्होंने मेरे से पैसे मांगे तथा मुझको पुलिस की धमकी देकर वहीं बैठ गया तथा मैंने किसी प्रकार चकमा देकर तथा बाहर आकर कमरे की कुण्डी लगा दी। इसके बाद मैंने चिल्लाना शुरू किया इस बीच में मेरे सुसर एवं मौहल्ले के आदमी एकत्रित हो गये। इस दौरान जुगल सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह राव निवासी आसलपुर ने कुण्डी खोल दी। इस बीच ओम प्रकाश बाहर आकर सभी मौहल्ले वालों एवं प्रार्थी को यह धमकी देकर चला गया कि इस बार तो तू बच गई मगर अगली बार तुझको मेरी हवस का शिकार बनाऊंगा। इस घटना से मेरी ओढ़णी एवं कुर्त्ता एवं काचली फट गई। एवम् मेरे दोनों हाथों पर चोट आई एवम् रक्त भी बहा। मैं एक विधवा एवं मृत कर्मचारी की पत्नि हूं। यह निंदनीय एवं क्रूर घटना निम्न लोगों के सामने हुई कौशल्या देवी पत्नि श्री हेमसिंह राव, संतरा देवी पत्नी किशनसिंह राव, गल्लू देवी पत्नी श्री पूर्णमल वर्मा, बालसिंह पुत्र श्री अनोडसिंह एवम् इनके अलावा कई व्यक्ति आ गये थे जिन्होंने भी यह घटना देखी प्रार्थनी एस. डी. चांद कंवर पत्नी श्री छाजूसिंह 21.2.99

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी बरबत हिन्दी श्रीमती चांद कंवर पत्नी स्व. श्री छाजूसिंह जाति राजपूत (बडवा) उम्र 36 साल निवासी आसलपुर मय अपने ससुर श्री बालसिंह के उप. थाना होकर पेश की जिसकी नकल रजिस्टर एफ. आई. आर. में अक्षर स अक्षर की गई। पढ़कर सुनाई सही मान

हस्ताक्षर किये । पिड़िता श्रीमती चांद कंवर का मुश्रायना जिस्म जरबात औरत शर्म लिहाज करते हुए किया गया तो दाहिने हाथ के पुठे के ऊपर खून आमना खरोच नुमा है । छाती में दर्द होना बताती है । और जाहिरात में को चोट नजर नहीं आती है । ना ही बताती है । मजमून रिपोर्ट मुआयना जिस्म जरबाद से मामला अपराध धारा 376, 511, 506, 452, 323, ता. हि. का वकू में आना पाया जाता है अतः मु. न. 31/99 धारा उपरोक्त में पंजहबद कर मन स. उप. निरीक्षक माघोदान आई/सी. थाना मसरूफ तफतीश हुआ प्रतियों एफ. आई. आर. नियमानुसार जारी की गई । एक प्रति मुस्तगीस को निःशुल्क दी गई ।

एस. डी.
आई. सी थाना जोबनेर

परिशिष्ट—5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 85 का विवरण)

प्रश्नकर्त्ता : डा. करण सिंह यादव, स. चि. स.

प्रश्न के भाग संख्या एक (1) का विवरण

क. प्राथमिक विद्यालय में—प्राथमिक विद्यालयों में पदों का निर्धारण निम्नांकित मानदण्ड के अनुसार होगा :—

(1) कक्षा 1 व 2 के लिये :

यदि नामांकन	49 से कम हो	पहला अध्यापक
यदि नामांकन	50 से 89 हो	दूसरा अध्यापक
यदि नामांकन	90 से 129 हो	तीसरा अध्यापक
यदि नामांकन	130 से 169 हो	चौथा अध्यापक
यदि नामांकन	170 से 209 हो	पांचवा अध्यापक

इस प्रकार प्रत्येक 40 छात्रों के बढ़ने पर एक अतिरिक्त अध्यापक का पद सृजित किया जायेगा। उपरोक्त मानदण्डानुसार कक्षा 1 से 2 के लिए पृथक-पृथक रूप से गणना की जायेगी।

(2) कक्षा 3 से 5 के लिये :

1. प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक। 2. कक्षा का आकार के आकार पर आधारित होगा। 3. वर्गों का निर्धारण क्रम संख्या के आधार पर होगा, लेकिन 30 छात्रों से कम का वर्ग नहीं रखा जायेगा। 4. पांच वर्गों पर एक अतिरिक्त अध्यापक पद दिया जायेगा। 5. छात्रों की संख्या 300 से अधिक होने पर द्वितीय वेतन श्रृंखला का प्रधानाध्यापक होगा जो अतिरिक्त पद होगा।

नोट—प्राथमिक विद्यालय की स्थापना पर दो तृतीय वेतन श्रृंखला के सामान्य अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे जिनमें एक पद प्रधानाध्यापक का होगा चाहे छात्र संख्या कितनी ही हो।

ख. उच्च प्राथमिक विद्यालय :

(1) प्राथमिक स्तर के लिये (कक्षा 1 से 5)–कक्षा 1 व 2 तथा 3 से 5 तक के लिए प्राथमिक विद्यालय हेतु निर्धारित मानदण्डानुसार अध्यापकों के पदों का निर्धारण किया जाये।

(2) कक्षा 6 से 8 के लिये :

1. प्रत्येक कक्षा के लिये एक अध्यापक (शारीरिक शिक्षक सहित)। 2. कक्षा का आकार कक्ष के आकार पर आधारित होगा। 3. वर्गों का निर्धारण छात्र संख्या के आधार पर होगा, लेकिन 25 छात्रों से कम का वर्ग नहीं रखा जाये। एक

वर्ग (कक्षा खण्ड) में अधिकतम छात्र संख्या 40 रहेगी, विशेष परिस्थिति में छात्र संख्या 45 तक हो सकती है। 4. एक अध्यापक अल्प भाषा (संस्कृत को छोड़कर) का रखा जाये। 5. 5 वर्गों पर एक अतिरिक्त अध्यापक का पद दिया जायेगा। 6. विद्यालय की कुल छात्र संख्या 750 पर प्रथम श्रेणी प्रधानाध्यापक होगा, साथ ही यदि प्राथमिक स्तर में 300 छात्र हो तो एक द्वितीय वेतन श्रृंखला का अतिरिक्त पद होगा। 7. 600 छात्रों से अधिक होने पर शारीरिक शिक्षक अतिरिक्त होगा।

नोट—प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने पर पदों का आवंटन निम्नानुसार होगा :—

प्रथम वर्ष (छठी कक्षा प्रारम्भ होने पर)	1. द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक का एक पद (प्र. अ.) 2. एक पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का।
द्वितीय वर्ष (सातवीं कक्षा खुलने पर)	तृतीय वेतन श्रृंखला का एक अथवा दो पद, जहां दो पद स्वीकृत हो वहां दूसरा पद शारीरिक शिक्षक का होगा। जहां एक ही पद स्वीकृत हो वहां सामान्य अध्यापक का होगा।
तृतीय वर्ष (आठवीं कक्षा खुलने पर)	तृतीय वेतन श्रृंखला का एक अथवा दो पद, जहां दो पद हों पहला शा.शि. का तथा दूसरा पद सामान्य अध्यापक का होगा। जहां एक पद स्वीकृत हो वहां एक शारीरिक शिक्षक का पद होगा।

ग. माध्यमिक विद्यालय :

(1) सामान्यत: माध्यमिक स्तर के लिये 5 द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक, 3 तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक, एक शारीरिक शिक्षक (तृ.वे.श्रृ.) तथा एक अध्यापक अल्प भाषा (तृ वे.श्रृ) इस प्रकार कुल 10 पदों का आवंटन किया जाये।

(2) राजस्थान शिक्षा सेवा के ग्रुप–1 वर्ग के प्रधानाध्यापक का एक पद आवंटित होगा।

(3) कक्षा का आकार कक्ष के आकार पर आधारित होगा जिसमें प्रति छात्र 10 से 12 वर्ग फुट बैठने के लिए स्थान उपलब्ध हो।

(4) वर्गों का निर्धारण छात्र संख्या के आधार पर होगा, लेकिन 30 छात्रों से कम

का वर्ग नहीं रखा जाये। एक वर्ग में अधिकतम छात्र संख्या 40 होगी, विशेष परिस्थिति में छात्र संख्या 45 तक हो सकती है।

(5) प्रत्येक अतिरिक्त कक्षा खण्ड के लिए 1–1/2 अध्यापक देय होगा।

(6) अतिरिक्त खण्ड का प्रारम्भ विषय/अतिरिक्त खण्ड खोलने के नियमों के प्रावधान अनुसार होगा।

(7) प्रत्येक प्रयोगशाला हेतु एक प्रयोगशाला सहायक (तृ. वे. श्रृ.) का एक पद। (गत दो वर्षों से इस पद हेतु 150 रुपये प्रति माह देय। पद का सृजन निषेध)

नोट—उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत होने पर शैक्षिक अधिकारी/कर्मचारी के पदों का आवंटन निम्नानुसार होगा :—

1. कक्षा 9 प्रारम्भ होने पर
   1. प्र/अ (राजस्थान शिक्षा सेवा ग्रुप–एफ का अधिकारी) नवीन पद एक।
   2. द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के नवीन पद दो।
   3. उप्रावि.प्र/अ (क्रमोन्नत से पूर्व) का पद यथावत रहेगा।
   4. प्रयोगशाला सहायक (तृ. वे. श्रृ.) का नवीन पद एक।

2. कक्षा 10 खुलने पर

   द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों का नवीन पद विषयवार आवंटन निम्नानुसार रहेगा :—

1.	हिन्दी/संस्कृत अध्यापक	1
2.	अंग्रेजी अध्यापक	2
3.	विज्ञान अध्यापक	1
4.	गणित अध्यापक	1
5.	सामाजिक विज्ञान अध्यापक	1
	योग	5

नोट—उपरोक्त 5 द्वि. वे. श्रृ. अध्यापकों में से एक अध्यापक ऐसा होगा जो (तृतीय भाषा) संस्कृत की योग्यता रखता हो।

घ. सीनियर माध्यमिक विद्यालय :

(1) प्रत्येक अनिवार्य विषय एवं प्रत्येक वर्ग के एक विषय हेतु प्राध्यापकों के एक-एक पद होंगे। वाणिज्य ऐच्छिक विषय में एक प्राध्यापक ऐसा हो जो लेखांकन विषय पढ़ाने की योग्यता रखता हो।

(2) राजस्थान शिक्षा सेवा ग्रुप-ई वर्ग के प्रधानाचार्य का एक पद आवंटित होगा। एफ-डी-11।

(3) राजस्थान शिक्षा सेवा ग्रुप-ई वर्ग के उप प्रधानाचार्य का एक पद आवंटित होगा। (यदि छात्र संख्या 500 से अधिक हो)

(4) वे विद्यालय जहां व्यावसायिक विषय के अध्यापक की व्यवस्था है वहां-वहां निम्नलिखित पद आवंटित होंगे :—

ए—राजस्थान शिक्षा सेवा ग्रुप-एफ-1 के वर्ग का एक उप प्रधानाचार्य का पद आवंटित होगा।

बी—प्रत्येक व्यावसायिक (विषय) हेतु एक विषय का प्राध्यापक होगा।

सी—प्रत्येक विषय (व्यावसायिक) की प्रयोगशाला हेतु एक प्रयोगशाला सहायक।

(5) प्रत्येक विषय की प्रयोगशाला हेतु एक-एक प्रयोगशाला सहायक (द्वि वे. श्रृ.) का पद आवंटित होगा।

(6) कक्षा का आकार, कक्ष के आकार पर आधारित होगा, जिसमें प्रति छात्र 10 से 12 वर्ग फुट बैठने के लिए स्थान उपलब्ध हो।

(7) कक्षा खण्डों का निर्धारण छात्र संख्या के आधार होगा, लेकिन 30 छात्रों से कम का कक्षा खण्ड नहीं रखा जाये। एक कक्षा खण्ड में अधिकतम छात्र संख्या 40 रहेगी, विशेष परिस्थिति में छात्र संख्या 45 तक हो सकती है। किसी भी एक वैकल्पिक वर्ग अथवा वर्ग के विषय में 10 छात्र होने पर ही प्रारम्भ किया जा सकता है।

(8) अतिरिक्त खण्ड का प्रारम्भ विषय/अतिरिक्त खण्ड खोलने के नियमों के प्रावधान अनुसार होगा।

(9) प्रत्येक विषय के व्याख्याता के निर्धारित कालांश से अधिक भार बढ़ने पर अतिरिक्त व्याख्याता का पद सृजित होगा।

परिशिष्ट—"ख"

प्रश्न के भाग संख्या-3 की सूची :—

क्र सं.	विद्यालय स्तर एवं पद नाम	वर्षवार स्वीकृत एवं रिक्त पद					
		96–97		97–98		98–99	
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
	माध्यमिक विद्यालय						
1.	प्रधानाध्यापक	04	78	14	218	08	173
2.	वरिष्ठ अध्यापक	06	312	70	1090	24	519
3.	शारीरिक शिक्षक	04	78	14	18	08	173
	सीनियर माध्यमिक विद्यालय						
1.	प्रधानाचार्य	06	64	09	128	10	75
2.	व्याख्याता	30	370	45	640	50	375
3.	शारीरिक शिक्षक	06	64	09	128	10	75
4.	पुस्तकालयाध्यक्ष	06	64	09	128	10	75
	उच्च प्राथमिक विद्यालय						
1.	वरिष्ठ अध्यापक	—	600	—	659	—	100
2.	अध्यापक ( )	—	2518	—	1863	—	1818
	प्राथमिक विद्यालय						
1.	तृतीय श्रेणी	130	870	92	900	164	936

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 86 का विवरण

उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्र में चल रही अनौपचारिक शिक्षा परियोजना के विभिन्न केन्द्रों को दिये गये सामान का विवरण

(वर्ष 1997)

क्र.सं.	सामान का नाम	मात्रा	कीमत (रुपये में)
1.	हिन्दी कक्षा 1	1568	15,680
2.	गणित कक्षा 1	1568	12,544
3.	हिन्दी कक्षा 2	196	1,372
4.	गणित कक्षा 2	196	2,254
5.	हिन्दी कक्षा 3	196	2,254
6.	गणित कक्षा 3	196	1,372
7.	पर्यावरण कक्षा 3	196	2,156
8.	रूचिका	98	887
9.	चांक	2745 पैकेट	5,490
10.	बाल (गेंद)	466	7,223
11.	फुटबाल	184	8,832
12.	विसिल	98	539
13.	बोर्ड (लकड़ी फ्रेम)	98	14,112
14.	कूदने की रस्सी	85	459
15.	उपस्थिति पंजिका	98	563
16.	स्टांक रजिस्टर	98	2,450
17.	पैंसिल	5520	2,570
18.	स्लेट पैंसिल	1840	2,282
19.	शार्पनर	2760	2,042
20.	स्केल (प्लास्टिक)	2760	3,560
21.	चित्रकला कोपी	2760	10,488
22.	मोटो रंग की डब्बी	2760	2,480

1	2	3	4
23.	ज्योमेट्री बाक्स	2760	29,532
24.	पानी की घंटी	98	2,744
25.	विज्ञान के चार्टस	368	5,152
26.	झुन्झुनूं जिला नक्शा	95	4,275
27.	राजस्थान नक्शा	97	1,261
28.	डस्टर	97	281
29.	नेल कटर	90	175
30.	रिंगबाल	98	484
31.	नक्शा कोपी	2775	9,990
32.	घड़ी	98	7,840
33.	लोहे की घंटी	98	18,130
			(वर्ष 1998)
1.	स्लेट	2250	15,053
2.	हिन्दी कक्षा 4	50	500
3.	गणित कक्षा 4	50	500
4.	सामाजिक ज्ञान कक्षा 4	50	450
5.	सामान्य विज्ञान कक्षा 4	50	575
6.	हिन्दी कक्षा 5	50	475
7.	गणित कक्षा 5	50	525
8.	सामाजिक ज्ञान कक्षा 5	50	575
9.	सामान्य विज्ञान कक्षा 5	50	575
10.	अभ्यास पुस्तिका	2250	11,587
11.	स्कूल बैग	2250	51,975
12.	ब्लैक बोर्ड	39	14,335
13.	हिन्दी कक्षा एक	792	7,524
14.	गणित कक्षा एक	792	6,336
15.	हिन्दी कक्षा दो	616	4,312

1	2	3	4
16.	गणित कक्षा दो	616	4,928
17.	हिन्दी कक्षा 3	352	3,872
18.	गणित कक्षा 3	352	2,464
19.	पर्यावरण कक्षा 3	352	3,872
20.	हिन्दी कक्षा 4	264	2,640
21.	गणित कक्षा 4	264	2,640
22.	विज्ञान कक्षा 4	264	3,036
23.	सामाजिक ज्ञान कक्षा 4	264	2,376
24.	हिन्दी कक्षा 5	176	1,672
25.	गणित कक्षा 5	176	1,848
26.	सामाजिक ज्ञान कक्षा 5	176	2,024
27.	सामान्य विज्ञान	176	2,024
28.	लोहे का बक्शा	26	19,058

परिशिष्ट—7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 87 की सूची)

क्र सं.	विद्यालय का नाम	क्र.सं.	विद्यालय का नाम
1.	रा.उ प्रा.वि., नवीन कुशलगढ़	2.	रा.उ.प्रा.वि , लोहारिया
3.	,, ,, ऊंकला	4.	,, ,, मोहनपुरा
5.	,, ,, रामगढ़	6.	,, ,, टिमेडा बडा
7.	,, ,, अखेपुर	8.	,, ,, कोटडाराणना
9.	,, ,, पाटन	10.	,, ,, बहुनी
11.	,, ,, मुन्दडी	12.	,, ,, पोटलिया
13.	,, ,, चुडादा	14.	,, ,, बस्सी
15.	,, ,, नागदाबडी	16.	,, ,, काकनबाडी
17.	,, ,, बावली का बाड़ा	18.	,, ,, बडवास मंडी
19.	,, ,, संध्यापुरा	20.	,, ,, चरवानी
21.	,, ,, सारण	22.	,, ,, बिजोरी बडी
23.	,, ,, कलिजरा	24.	,, ,, चीकली
25.	,, ,, महुड	26.	,, ,, डुगरीपाड़ा
27.	,, ,, भगतपुरा	28.	,, ,, चौथवाड़ा
29.	,, ,, बागड़िया कलां	30.	,, ,, टाण्डारत्ना
31.	,, ,, राठ धनराज	32.	,, ,, गुन्दनी हाला
33.	,, ,, बावड़ी पाला	34.	,, ,, सागवा
35.	,, ,, भूराकुआं	36.	,, ,, ठाण्डी बड़ी
37.	,, ,, लसोड़िया	38.	,, ,, सात्सेरा
39.	,, ,, रोहनिया	40.	,, ,, अन्देश्वर
41.	,, ,, शंकरवाड़ा	42.	,, ,, महुडी
43.	,, ,, ईंटाला	44.	,, ,, मच्छरासाथ
45.	,, ,, मंगलेश्वर	46.	,, ,, जालिमपुरा
47.	,, ,, मुन्निया कुन्दा	48.	,, ,, मस्काबड़ा
49.	,, ,, सज्जनगढ़	50.	,, ,, जीवदाखुर्द
51.	,, ,, सरमिया पाड़ा	52.	,, ,, कालाखुर्द
53.	,, ,, गोदावाड़ा नोरंग	54.	,, ,, दिलड़ी
55.	,, ,, पालीबड़ी	56.	,, ,, हिम्मतगढ़
57.	,, ,, ताम्बेसरा	58.	,, ,, खुर्दापलारा
59.	रा.बा.उ.प्रा.वि., राडुगसवाड़ा	60.	रा.बा.उ.प्रा.वि., कुशलगढ़

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-88 का विवरण एवं परिपत्र)

क्र. स.	जिले का नाम	विधवा एवं परित्यकता महिलाओं के विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	36
2.	भीलवाड़ा	00
3.	नागौर	00
4.	टोंक	07
5.	बीकानेर	00
6.	चूरू	11
7.	झुन्झुनूं	08
8.	हनुमानगढ़	11
9.	श्रीगंगानगर	04
10.	अलवर	01
11.	भरतपुर	05
12.	दौसा	03
13.	धौलपुर	04
14.	जयपुर	52
15.	सीकर	01
16.	जैसलमेर	00
17.	जालौर	00
18.	जोधपुर	12
19.	पाली	00
20.	सिरोही	02
21.	बांसवाड़ा	00
22.	चित्तौड़गढ़	01

1	2	3
23.	डूंगरपुर	01
24.	राजसमन्द	01
25.	उदयपुर	01
26.	बाड़मेर	00
27	बारां	00
28.	बून्दी	00
29.	झालावाड़	00
30.	कोटा	18
31.	करौली	00
32.	सवाई माधोपुर	00
	कुल योग	179

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (Gr. 2) DEPARTMENT
NOTIFICATION

No. F. 20(22) FD (Gr. 2)/ 89 Jaipur, dated 19.2.1991

Sub. :— Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1989.

In exercise of the powers conferred by the provise to Article 309 of the Constitution of India; the Governor of Rajasthan is pleased to make the following rules to amend further the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1989 Xlamely :—

1. These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Sceles) (Fifty Amendment) Rules, 1991,

2. They shell be decmed to have come into force with effect from 29. 7. 89.

3. In the Rajasthan Civil Services (Reviaed Pay Scales) Rules, 1989 – in Saction 'B'— Schedule I— Education Department (General Branch)— under heading "(ii) Rajasthan Education Subordinate Service— Section 'F' "

(a) In column No. 6 against S. No. 2— Teacher Grade III— the following remarks shall be inserted :—

"Widows and Divorced women appointed under provi so to Rule 11(ii) of Rajasthan Educational Subordinate Service Rules, 1971 i.e. widows and divorced women appolnted as Teachei Grade III who do not possesr qualification of STC, shall be given fixed pay equal to the minimum of the pay scale, On acquiring qualification of STC, the first increment shall be admissible on completion of one year service under Rule 31 of Rajasthan Service Rules from the date of acquiring the qualification of STC."

(b) In column 6 against S. No. 6– Teacher Grade II the following remarks shall be inserted :–

"Widows and divorced women appointed under proviso to Rule 11 (ii) of Rajasthan Educational Subordinate Service Rules, 1971 i. e. widows and divorced women apponted as Teacher Grade II who do not possess quelification of B. Ed. Shall be given fixed pay equal to the minimum of the pay scale. On acquiring qualification of B. Ed., the first increment shall be admissible on completion of one year service under Rule 31 of Rajasthan Service Rules from the date of acquiring the qualification of B. Ed."

By Order of the Governor,
(Shiv Nath Singh)
Deputy Secretary to Government

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 94 की सूचियां)

सूची "क"

नागौर जिले में कार्यरत पशु चिकित्सालय

क्र. सं. 1	पशु चिकित्सालय का नाम 2		तहसील 3
1.	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय,	नागौर	नागौर
2.	पशु चिकित्सालय,	अलाय	नागौर
3.	पशु चिकित्सालय,	श्री बालाजी	नागौर
4.	पशु चिकित्सालय,	गुढ़ा भगवानदास	नागौर
5.	पशु चिकित्सालय,	खिवसर	नागौर
6.	पशु चिकित्सालय,	कुचेरा	नागौर
7.	पशु चिकित्सालय,	पांचौडी	नागौर
8.	पशु चिकित्सालय,	खजवाना	नागौर
9.	पशु चिकित्सालय,	मुण्डवा	नागौर
10.	पशु चिकित्सालय,	बासनी	नागौर
11.	पशु चिकित्सालय,	मेडतासिटी	मेडतासिटी
12.	पशु चिकित्सालय,	रेण	मेडतासिटी
13.	पशु चिकित्सालय,	गोटन	मेडतासिटी
14.	पशु चिकित्सालय,	रियाबड़ी	मेडतासिटी
15.	पशु चिकित्सालय,	थावला	डेगाना
16.	पशु चिकित्सालय,	ईडंवा	डेगाना
17.	पशु चिकित्सालय,	भैरून्दा	डेगाना
18.	पशु चिकित्सालय,	हरसौर	डेगाना
19.	पशु चिकित्सालय,	आलनियावास	डेगाना
20.	पशु चिकित्सालय,	डेगाना	डेगाना
21.	पशु चिकित्सालय,	खुडीकलां	डेगाना
22.	पशु चिकित्सालय,	पालड़ीकलां	डेगाना
23.	पशु चिकित्सालय,	पुन्दलोता	डेगाना
24.	पशु चिकित्सालय,	जायल	जायल
25.	पशु चिकित्सालय,	बड़ीखाटू	जायल
26.	पशु चिकित्सालय,	डेह	जायल
27.	पशु चिकित्सालय,	कारलू	नागौर

1		2	3
28.	पशु चिकित्सालय,	सखावास	नागौर
29.	पशु चिकित्सालय,	फलोदी (मेड़ता रोड़)	मेडतासिटी
30.	पशु चिकित्सालय,	गगराना	मेडतासिटी
31.	पशु चिकित्सालय,	मनाना	मकराना
32.	पशु चिकित्सालय,	बिरलोका	खींवसर
33.	पशु चिकित्सालय,	जसनगर	मेडतासिटी
34.	पशु चिकित्सालय,	कुकनवाली	नावां
35.	पशु चिकित्सालय,	मिण्डा	नावां
36.	पशु चिकित्सालय,	कुचामनसिटी	नावां
37.	पशु चिकित्सालय,	नावां	नावां
38.	पशु चिकित्सालय,	मारोठ	नावां
39.	पशु चिकित्सालय,	लिचाणा	नावां
40.	पशु चिकित्सालय,	लोहराना	नावां
41.	पशु चिकित्सालय,	नालोट	नावां
42.	पशु चिकित्सालय,	पाचवां	नावां
43.	पशु चिकित्सालय,	मिठड़ी/नावां	नावां
44.	पशु चिकित्सालय,	मकराना	परबतसर
45.	पशु चिकित्सालय,	बोरावड़	परबतसर
46.	पशु चिकित्सालय,	गच्छीपुरा	परबतसर
47.	पशु चिकित्सालय,	भादवा	परबतसर
48.	पशु चिकित्सालय,	परबतसर	परबतसर
49.	पशु चिकित्सालय,	भकरी	परबतसर
50.	पशु चिकित्सालय,	पीलवा	परबतसर
51.	पशु चिकित्सालय,	जाबला	परबतसर
52.	पशु चिकित्सालय,	पीह	परबतसर
53.	पशु चिकित्सालय,	डीडवाना	डीडवाना
54.	पशु चिकित्सालय,	मोलासर	डीडवाना
55.	पशु चिकित्सालय,	निमोद	डीडवाना
56.	पशु चिकित्सालय,	खनखना	डीडवाना
57.	पशु चिकित्सालय,	छोटीखाटू	डीडवाना
58.	पशु चिकित्सालय,	लाडनूं	लाडनूं
59.	पशु चिकित्सालय,	सिलणावाद	लाडनूं
60.	पशु चिकित्सालय,	निम्बीजोधा	लाडनूं

1	2		3
61.	पशु चिकित्सालय,	मिठडी (लाडनूं)	लाडनूं
62.	पशु चिकित्सालय,	रताउ	लाडनूं
63.	पशु चिकित्सालय,	रोड	लाडनूं
64.	पशु चिकित्सालय,	ताबंडिया	डीडवाना
65.	पशु चिकित्सालय,	भिचावा	मकराना

सूची "ख"

तहसील डेगाना में वर्ष 1992 की पशु गणना के अनुसार पशुधन

क्र. सं.	पशुवंश	पशुधन	इकाईयां
1.	गौवंश	56286	56286
2.	भैंसवंश	29277	29277
3.	भेड़वंश	150325	15032
4.	बकरीवंश	86100	8610
5.	घोड़े टट्टूवंश	92	92
6.	गधेवंश	784	784
7.	ऊंटवंश	4542	4542
8.	शूकरवंश	535	133
	कुल पशुधन	327941	114756

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 99 का मानदण्ड व सूची)

आयुर्वेद विभागान्तर्गत नवीन औषधालय खोलने हेतु स्वीकृत मानदण्ड

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक प. 25 (63) आयु./94 पार्ट दिनांक 8. 9. 98, द्वारा- उपशासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. (ग्रुप-4) आयुर्वेद विभाग, राजस्थान जयपुर वास्ते– निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर ।

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 25 (63) आयु./94 दिनांक 26. 9. 94 के अतिक्रमण में राज्य में भारतीय चिकित्सा पद्धति के नवीन औषधालय प्रारम्भ करने के लिए निम्न मानदण्ड निर्धारित किए जाते हैं :—

1. यथासम्भव भवन व्यवस्था उपलब्ध होना ।
2. अन्य राजकीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होना ।
3. नवीन औषधालय से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या 2000 होना ।
4. बजट प्रावधान उपलब्ध होना ।

भविष्य में राज्य सरकार को नवीन औषधालय प्रारम्भ करने के लिए प्रस्ताव प्रेषित करते समय उक्त मानदण्डों को दृष्टिगत रखा जावे ।

आज्ञा से,
ह०
(लक्ष्मी बैरवा)
शासन उपसचिव

परिशिष्ट–2

नागौर जिले में स्वीकृत व संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालय/चिकित्सालयों की सूची

क्र. सं.	स्थान औषधालय	क्र. सं.	स्थान औषधालय
	"अ" श्रेणी शैय्यासहित चिकित्सालय		
1.	लाडनूं	2.	मेड़ता सिटी
3.	कुचामन सिटी	4.	लादड़िया
5.	सांजू	6.	नागौर

"अ" श्रेणी शैय्यारहित औषधालय

क्र. सं.	स्थान औषधालय	क्र. सं.	स्थान औषधालय
1.	नावां	2.	मकराना
3.	परबतसर	4.	कोलिया
5.	खुनखुना	6.	छोटी खाटू
7.	जायल	8.	रोल (काजियान)
9.	घाटवा	10.	मारोठ
11.	लिचाना	12.	लूणवा
13.	निम्बी जोधा	14.	रूण
15.	हरसोलाव	16.	रेण
17.	बोरावड़	18.	बुड़सू
19.	श्रीबालाजी (भग्गू)	20.	अलाय
21.	रियाबड़ी	22.	लाम्बाजाटान
22.	थांवला		

"ब" श्रेणी औषधालय

क्र. सं.	स्थान औषधालय
1.	डेगाना जंक्शन
2.	मेड़ता रोड़
3.	गगराना
4.	डांगावास
5.	ढाबा
6.	नोख (चांदावता)
7.	पुन्दलू
8.	सिंहू
9.	ओलादन
10.	केराप
11.	कयामसर
12.	खरेश
13.	छोटी बेरी
14.	बेड़वा
15.	तोसीना
16.	दयालपुरा
17.	दौलतपुरा
18.	निम्बोद
19.	मदलिया
20.	पायली
21.	पालोठ
22.	चौलूखा
23.	पीलासर
24.	आजवा
25.	डेगाना
26.	नीमड़ीकलां
27.	जाखेड़ा
28.	जालसू खुर्द
29.	पालड़ी कलां
30.	चम्पाखेड़ी
31.	राजलोता
32.	किरोदा
33.	खियाला
34.	गोराऊ
35.	तरनाऊ
36.	बोडवा
37.	सोमना
38.	सुरपालिया
39.	गोठ मंगलोद
40.	रोहिणा
41.	रोटू
42.	डेह
43.	अड़कसर
44.	जीजोट
45.	जिलीया
46.	नगवाड़ा
47.	मिन्डा
48.	चौसला
49.	शिव
50.	श्यामगढ़
51.	हुडील
52.	बेपुर

क्र. सं.	स्थान औषधालय
53.	शिवदानपुरा
54.	लालास
55.	खारडिया
56.	चितावा
57.	पांचोता
58.	सिलनवाद
59.	कुसुम्बी
60.	रायधना
61.	रोडू
62.	ग्रोडिट
63.	तवरा
64.	भिण्डासरी
65.	बलाया
66.	खजवाना
67.	संखवास
68.	फिड़ोद
69.	पांचलसिद्धा
70.	खिवसर
71.	पांचलसिद्धा नयागांव विश्नोईयों की ढाणी
72.	मदौरा
73.	ग्रांकला
74.	मनाना
75.	मोरेड
76.	रामसिया
77.	सबलपुर
78.	बरवाला
79.	ग्रासरवा
80.	भैंयाकलां
81.	रूपपुरा टोरडा
82.	धापणवा
83.	चांडी
84.	ग्रलतूग्रा
85.	भूण्डेल
86.	करणू
87.	जोधियासी
88.	देउ
89.	चावंडिया
90.	साडीकण
91.	
92.	चूंटिसरा
93.	मकोडी
94.	नाखा खुर्द
95.	टांकला
96.	वरणगांव
97.	बिढियाद
98.	नैनिया
99.	पीपलाद
100.	पीलवा
101.	बस्सी
102.	बागोट
103.	मंगलाना
104.	रीड
105.	जावला
106.	रोहिण्डी
107.	हुरनावा

क्र. सं.	स्थान औषधालय
108.	खिदरपुर
109.	बिठवालिया
110.	कुराडा
111.	ववाल
112.	चारणवास
113.	मोरेरा
114.	रोहिसा
115.	बडायली
116.	बग्गड़
117.	जसनगर
118.	आलनियावांस
119.	डोडियाना
120.	मेरून्दा
121.	टहला
122.	सथानाकलां
123.	दासावास
124.	हरसौर
125.	डाबडा
126.	वासनी तेजा (वर्ष 1998–99 में नवीन स्वीकृत)

परिशिष्ट-11

(कार्य सलाहकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन)

कार्य सलाहकार समिति की बैठक आज दिनांक 26 मार्च, 1999 को मध्याह्न पश्चात् 1.35 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि बुधवार, दिनांक 31 मार्च, 1999 से सोमवार, दिनांक 19 अप्रेल, 1999 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय :—

बुधवार, दिनांक 31 मार्च, 1999) गुरुवार, दिनांक 1 अप्रेल, 1999) शुक्रवार, दिनांक 2 अप्रेल, 1999)	: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 1999–2000 पर सामान्य वाद-विवाद
शनिवार, दिनांक 3 अप्रेल, 1999) रविवार, दिनांक 4 अप्रेल, 1999)	: बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 5 अप्रेल, 1999	: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 1999–2000 पर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर
मंगलवार, दिनांक 6 अप्रेल, 1999) बुधवार, दिनांक 7 अप्रेल, 1999) गुरुवार, दिनांक 8 अप्रेल, 1999) शुक्रवार, दिनांक 9 अप्रेल, 1999)	: आय-व्ययक (बजट) वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं पारण।
शनिवार, दिनांक 10 अप्रेल, 1999) रविवार, दिनांक 11 अप्रेल, 1999)	: बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 12 अप्रेल, 1999) मंगलवार, दिनांक 13 अप्रेल, 1999)	: आय-व्ययक (बजट) वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं पारण।
बुधवार, दिनांक 14 अप्रेल, 1999	: बैठक नहीं होगी।
गुरुवार, दिनांक 15 अप्रेल, 1999) शुक्रवार, दिनांक 16 अप्रेल, 1999)	: आय-व्ययक (बजट) वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं पारण।
शनिवार, दिनांक 17 अप्रेल, 1999) रविवार, दिनांक 18 अप्रेल, 1999)	: बैठक नहीं होगी।

सोमवार, दिनांक 19 अप्रेल, 1999 (1) : आय-व्ययक (बजट) वर्ष 1999–2000 की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं पारण।

(आय-व्ययक (बजट) वर्ष 1999–2000 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 19 अप्रेल, 1999 को सदन द्वारा पारित की जायेगी।)

(2) : राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1999 का पुरःस्थापन।

परसराम मदेरणा
पदेन सभापति

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक 26 मार्च, 1999

नोट :— उपरोक्त कार्य के बंटवारे के बारे में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।